लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र
Ninth Session]

[खंड 34 में अंक 21 से 31 तक हैं
Vol. XXXIV contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price: Two Rupee

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 29, गुरूवार, 20 दिसम्बर, 1973/29 अग्रहायण, 1895(शक)

No. 29, Thursday, December 20, 1973/Agrahayana 29, 1895 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S.Q. No.		
567 राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर तालाबंदी तथा हड़तालों का प्रभाव	Effect of Lock outs and Strikes on Nation's Economy . . .	1
568 भारत-श्रीलंका वार्ता	Indo-Sri Lanka Talks .	7
569 छोटे इस्पात संयंत्र	Mini Steel Plants	9
570 सेना में हिन्दी को प्रशिक्षण का माध्यम बनाना	Hindi Medium of instruction for Training in Army	10
571 उड़ीसा में हांडीधुआ कोयला खान का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Handidhua Colliery in Orissa	12
573 नवम्बर, 1973 में हुई भारत-ब्रिटिस वार्षिक द्विपक्षीय वार्ता	Indo British Annual Bilateral Talks in November, 1973	13
574 गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगपतियों को लाइसेंस-प्राप्त क्षमता से कम उत्पादन करने का दंड दिया जाना	Industrialists in Private Sector punished for Under utilization of Licensed Capacity	14
575 भारतीय क्षेत्र की जल सीमा में पकड़ी गई पाकिस्तानी मत्स्य नौका	Pakistani Trawler Found in Indian Territorial Waters . . .	20
अल्प सूचना प्रश्न	**Short Notice Question**	
असम में गलेकी क्षेत्र (स्ट्रक्चर) की दूसरे सबसे बड़े तेल क्षेत्र के रूप में खोज	Discovery of Galeki Structure in Assam as Second Largest oil Field	20
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**Written Answers to Questions**	
565 चीनी उद्योग में वेतन ढांचे का पुनरीक्षण	Revision of Wage Structure in Sugar Industry	23

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।
The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता०प्र० संख्या S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
566	कोयले के स्टाक में कमी / Coal stock falling	23
572	कपड़ा मिलों में श्रमिकों के वेतन / Wages of Workers in Textile Mills	23
576	धनबाद में कोयला खनिकों पर लाठी तथा गोली चलाया जाना / Lathi Charge and Firing on Coal Miners in Dhanbad	25
577	सरकारी उपक्रमों में आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबद्ध मजदूर संघों का सम्मेलन / Conference of AITUC led Trade Unions in Public Sector Undertakings	25
578	एच० एम० टी० द्वारा आटोमैटिक घड़ियों का उत्पादन / Production of Automatic Watches by HMT	26
579	चीन द्वारा भारत पर विस्तारवादी होने का आरोप / Alleged Chinese Criticism of India for Expansionism	26
580	भारतीय सप्लाई मिशन, लंदन/ वाशिंगटन में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये सहायक (असिस्टेंट) / Assistants on Deputation to India Supply Missions, London and Washington	26
581	स्वतः रोजगार पाने के लिये भूतपूर्व सैनिकों को धन तथा मार्ग निर्देशन देने के लिए सरकारी निगम / Public Sector Corporation to provide Finance and Guidance to Ex-Servicemen for Self-Employment	27
582	जीपों का निर्माण / Manufacture of Jeeps	27
583	पांचवीं योजना में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये योजनायें / Schemes for Rehabilitation of Former East Pakistan Refugees in Fifth Plan	28
584	दंडकारण्य कर्मचारी एसोसियेशन (अराजपत्रित) के साथ समझौते की अनुवर्ती कार्यवाही / Follow up Action in Agreement with Dandakaranya Employees' Association (NG)	28
585	कोयला खानों को अधिकार में लेना / Coal Mines Take Over	29
586	कस्टोडियन विभाग, दिल्ली में मुआवजे संबंधी विचाराधीन मामले / Compensation cases pending in Custodian's Department, Delhi	29
587	कोयला-खानों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त भ्रष्टाचार की शिकायतें / Complaints of Corruption against Officials received after Nationalisation of coal Mines	30
588	बर्मा से स्वदेश वापस आये व्यक्ति / Burma Repatriates	30

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.		
5508	संगरौली कोयला क्षेत्र / Sengrauli Coal Field	32
5509	कारों का निर्माण और उनका आवंटन / Manufacture of Cars and their Allotment	33

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
5510	बिहार से पूंजी का बाहर चला जाना	Flight of Capital from Bihar .	33
5511	सार्वजनिक वाहनों के निर्माण के लिये लाइसेंस हेतु विचाराधीन आवेदन-पत्र	Pending Applications for Grant of Licences to Manufacture Public Transport Vehicles . . .	34
5512	रेणुकूट स्थित हिन्दालको की फैक्ट्री में एल्यूमिनियम का उत्पादन	Production of Aluminium at Hindal Co. Renukoot	34
5513	दादरा और नगर हवेली में कारों का आवंटन	Allotment of Cars in Dadra and Nagar Haveli	35
5514	एच० एम० टी० क्राफ्टमैन वैलफेयर एसोसियेशन का अभ्यावेदन	Representation by MHT Craftsmen Welfare Association . . .	35
5515	एच० एम० टी० क्राफ्टसमैन वैलफेयर एसोसियेशन द्वारा समझौता बैठक में भाग न लिया जाना	Non Participation of HMT Craftsmen Welfare Association in conciliation Meeting	35
5516	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, द्वारा उर्वरकों का उत्पादन	Production of Fertilisers by Hindustan (Steel) Ltd.	36
5517	कर्नाटक में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा खोज-कार्य	NMDC Exploration in Mysore . .	37
5518	भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थी	Refugees from Erstwhile East Pakistan	37
5519	नकली लघु उद्योग एककों द्वारा इस्पात के कोटे का दुरूपयोग	Misuse of Steel Quota by Fake Small Scale Industrial Units . . .	38
5520	दंडकारण्य परियोजना के कर्मचारियों की शिकायतें	Grievances on Dandakaranya Project Employees	40
5521	मध्य प्रदेश में ट्रैक्टर कारखाना	Tractor Factory in Madhya Pradesh .	41
5522	भिलाई इस्पात संयंत्र की क्षमता	Bhilai Steel Plant Capacity . .	41
5523	मध्य प्रदेश की कोयले की मांग	Coal Demand of Madhya Pradesh .	42
5524	भिलाई इस्पात संयंत्र में अधिष्ठापित मशीनों का उपयोग न किया जाना	Installed Machines not used in Bhilai Steel Plant	42
5525	राज्यों को दुर्लभ धातुओं का आवंटन करने में बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त	Guide lines regarding Allotment of Scarce Metals to States . . .	43
5526	कोयला खान भविष्य निधि में हिसाब-किताब रखने की व्यवस्था	Accounting system in Coal Mines Provident Fund	43
5527	भिन्न भिन्न नियमों का कोयला खान श्रमिकों पर विपरीत प्रभाव	Varied Rules affect Coal Field Personnel	44
5528	कोयले की कमी से प्रभावित ईटों के भट्टे	Brick Kilns affected by Shortage of Coal	44

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
5529	छम्ब और जोरियां क्षेत्र के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये जम्मू और काश्मीर सरकार को धनराशि का आवंटन	Allocation to Jammu and Kashmir Government for Resettlement of Refugees of Chamb Jurian Sector	45
5530	ईंधन अनुसंधान संस्थान, ज्यालगोड़ा	Fuel Research Institute, Jealgora .	45
5531	लाजपतनगर, नई दिल्ली के मकान मालिकों को अतिरिक्त भूमि का कब्जा सौंपने में विलम्ब	Delay in Handing over Possession of Additional Land to House Owners in Lajpat Nagar, New Delhi . .	46
5532	अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	All India Working Class Consumers Price Index	46
5533	हिन्दुस्तान लालपेठ और अन्य एककों का उत्पादन	Production of Hindustan Lalpeth and other Units	47
5534	तमिलनाडु में ट्रैक्टर कारखाना	Tractor Factory in Tamil Nadu . .	48
5535	केन्द्रीय जल एवं अनुसंधान आयोग के अनुसंधान अधिकारियों की वरिष्ठता संबंधी नियम	Seniority Rules of Research Officers of Central Water and Research Commission	48
5536	एम० ई० एस०, श्रेणी एक (आर० पी० एम०) नियम, 1949 में विभागीय उम्मीदवारों के लिए कोटा	Quota for Departmental Candidates in MES, Class I (RPS) Rules, 1949 .	48
5537	युद्ध में शहीद हुए सैनिक कर्मचारियों के आश्रितों को पैट्रोल पम्प खोलने के लिए लाइसेंस देना	Grant of Licences to Dependents of Military Personnel killed in Action for opening petrol Pumps	49
5538	सेना मुख्यालय के सैनिक आसूचना निदेशालय में काम करने वाले परीक्षकों की छटनी	Retrenchment of examiners working in Military Intelligence Directorate of Army Headquarters . . .	49
5539	चीन को ब्रिटिश 'ट्राइडैंट' विमान की सप्लाई	Supply of British 'Trident' Aircraft to China	50
5540	राष्ट्रीयकृत कोयला खानों के सप्लाई कर्त्ताओं को भुगतान	Payment to suppliers to Nationalised Coal Mines	50
5541	युद्धों में मारे गये अथवा अपंग हुए सैनिकों के संबंधियों से प्राप्त हुए आवेदन-पत्र	Applications received from relatives of soldiers killed or disabled in Wars .	51
5542	राउरकेला इस्पात कारखाने में कुछ सुरक्षा गार्डों की सेवाएं समाप्त करना	Termination of services of Security Guards in Rourkela Steel Plant .	52
5543	"जूनियर स्टेटसमैन" के सम्पादक को भूटान द्वारा आवांछित व्यक्ति घोषित किया जाना	Junior Statesman editor declared persona non grata by Bhutan . .	52

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
5544	पाकिस्तान के जन्म के बारे में पंजाब के मुख्य मंत्री का वक्तव्य	Statement by Chief Minister of Punjab regarding creation of Pakistan .	53
5545	कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Coal Mines .	53
5546	नेपाल को बेचा गया उत्तम किस्म का कोयला	High Grade coal sold to Nepal .	53
5547	अरब-इजरायल युद्ध के दौरान पिलखुआ (उत्तर प्रदेश) में एकत्र की गई राशि	Collections raised in Pilkhua (U.P.) during Arab Israel conflict . . .	54
5548	मणिपुर को जी० आई० शीटों की सप्लाई	Supply of G.I. Sheets to Manipur	54
5549	कोयले का आयात	Import of Coal	55
5550	सेवा की निर्धारित अवधि पूरी होने के कारण कर्मचारी भविष्य निधि की राशि का एकत्र होना	EPF amount accumulated for non-completion of stipulated period of service	55
5551	श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि की देय राशि का भुगतान	Payment of EPF dues of workers	56
5552	पूर्ति विभाग में संयुक्त सचिव की लंदन स्थित भारतीय सप्लाई मिशन महानिदेशक के रूप में नियुक्ति	Appointment of Joint Secretary in Department of supply as D.G., I.S.M. London	57
5553	राजस्थान में खेतड़ी में उर्वरक संयंत्र का लगाया जाना	Fertilizer Plant at Khetri in Rajasthan	57
5554	ईंधन नीति का निर्धारण	Formulation of Fuel Policy	58
5555	दादरा और नगर हवेली के लिए निर्धारित कारों तथा स्कूटरों का कोटा	Quota of Cars and Scooters for Dadra and Nagar Haveli	58
5556	गत तीन वर्षों में प्रधानमंत्री द्वारा किये गये विदेशों के दौरे और 1973 तथा 1974 के लिये प्रस्तावित दौरे	Foreign Visits by Prime Minister, during last three years and those proposed for 1973 and 1974 . . .	59
5557	इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस इंडिया लिमिटेड	Engineering Projects India Limited	59
5558	उड़ीसा खनन निगम को मशीनरी की सप्लाई	Supply of Machinery to Orissa Mining Corporation	60
5559	राज्यों में लघु ट्रैक्टर संयंत्र	Mini Tractor Plants in States	60
5560	नेपाल में भारतीय उद्यम	Indian Ventures in Nepal . . .	61
5561	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में इन्टक के दो वर्गों के बीच कथित प्रतिद्वन्द्विता	Alleged rivalary between two factions of INTUC in Durgapur Steel Plant	61

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
5562	विदेशों से वापस आये भारतीय नागरिक	Repatriates from Foreign Countries .	62
5563	राउरकेला इस्पात संयंत्र में उप-महा-प्रबंधक के पद को समाप्त करना	Abolition of Post of Dy. General Manager, Rourkela Steel Plant . .	64
5564	ताबां सकेन्द्रकों के लिये मंत्रालय के प्रतिनिधि मंडल द्वारा विदेश यात्रा	Ministry Delegation on Trip Abroad for Copper Concentrates . . .	64
5565	एल्यूमीनियम संयंत्रों का कार्यकरण	Performance of Aluminium Plants .	65
5566	आर्मी आर्डिनेंस कोर में भंडार-रक्षण कर्मचारी	Storekeeping Personnel in army Ordnance Corps	65
5567	एच० एफ० 24 और नैट विमानों के इंजनों में किया गया सुधार	Improvement done in Engine of H.F. 24 and Gnat	65
5568	ईंधन नीति समिति का प्रतिवेदन	Report of the Fuel Policy Committee .	66
5569	बोकारो इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को बोनस	Bonus to Employees of Bokaro Steel Plaint	66
5570	शिक्षित तथा अन्य बेरोजगार व्यक्ति	Educated and other Unemployed Persons	66
5571	लंदन/वाशिंगठन स्थित सप्लाई मिशनों में नियुक्त करने के लिये असिस्टेंट का साक्षात्कार	Interview of Assistants for Posting to Supply Missions in London Washington	67
5572	विदेश स्थित सप्लाई मिशन में अधिकारी की नियुक्ति	Posting of Officials to Indian Supply Missions abroad	68
5573	पूर्ति विभाग द्वारा अप्रयुक्त बहुमूल्य भंडार का निपटाया जाना	Disposing of Unused Valuable Stocks by Department of Supply . .	68
5574	सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों का योजदान	Workers Participation in Management in Public Sector Industries . .	69
5575	अंतराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 58वे सत्र में किये गये निर्णयों का कार्यान्वयन	Implementation of Decisions taken in 58th Session of International Labour Organisation	70
5576	कोयले की कमी के कारण उद्योगों को हानि	Shortage of Coal Hitting Industries .	70
5577	हिन्द महासागर के समुद्रतटीय देशों द्वारा अत्यन्त आधुनिक शस्त्रास्त्र की खरीद	Acquisition of Sophisticated Weaponry by Littoral States in Indian Ocean .	71
5578	लिगनाइट के खनन तथा परिष्करण के लिये पूर्वी जर्मनी से सहायता	German Help in Lignite Mining and Processing	71
5579	अलौह धातुओं के उत्पादन संबंधी विशेषज्ञ समिति	Expert Committee on Production of Non Ferrous Metals	71

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
5580	सेना के जवानों की वेतन वृद्धि	Increase in Salary of Military Jawans .	72
5581	कोयले का उत्पादन	Production of Coal . .	72
5582	भोपाल में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का आह्वान	Strike Call by Central Government Employees in Bhopal . . .	73
5583	नई दिल्ली में रक्षा विभाग का नेशनल स्टेडियम सिनेमा	National Stadium Cinema of Defence Department in New Delhi . .	73
5584	नये भारी मशीन निर्माण संयंत्र का स्थान	Location of New Heavy Machine Building Plant	73
5585	मणिपुरी शरणार्थियों को भूमिका आवंटन	Allotment of Land to Manipuri Refugees	74
5586	जवानों की शिक्षा के लिये प्रबंध	Arrangements for Education of Jawans	74
5587	गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में भारी उद्योग	Heavy industries in North Eastern Areas in Private Sector . . .	75
5588	मैसूर में डोनीमलाई निक्षेप का विकास	Development of Donimalai Deposit, Mysore.	75
5589	भारत हैवी प्लेटस एंड वैसिल्स लिमिटेड में उत्पादन	Production in Bharat Heavy Plates and Vessels Limited	76
5590	छोटे इस्पात संयंत्रों में इस्पात का उत्पादन	Steel Production in Mini Steel Plants .	76
5591	मैसूर में पैलेटाइनेशन प्लांट	Pelletisation Plant in Mysore . .	76
5592	संयुक्त राष्ट्र की राजनैतिक समिति द्वारा भारतीय महासागर को शांति का क्षेत्र बनाने की अपील	Appeal by Political Committee of U.N. to make Indian Ocean a Zone of Peace	77
5593	आंध्र प्रदेश के सेवा मुक्त किये गये सेना अधिकारी	Army Officers of Andhra Pradesh released from Service . . .	78
5594	आन्ध्र प्रदेश में सैनिक स्कूल और भर्ती दफ्तर	Sainik Schools and Recruiting Centres in Andhra Pradesh. . . .	78
5595	भारत हैवी प्लेटस एण्ड वैसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम में श्रमिक समस्या	Labour trouble in Bharat Heavy Plates and Vessels Limited, Vizag . .	79
5596	भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड नई दिल्ली में सुरक्षा प्रबंध	Security arrangements at Government of India Press, Minto Road, New Delhi	79
5597	औद्योगिक संबंध विधेयक	Industrial Relations Bill . . .	80
5598	हैवी इंजीनियरिंग, करपोरेशन रांची की कमियों को दूर करना	Rectification of shortcomings in HEC Ranchi	80

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
5599	दिल्ली में एच० एम० टी० की घड़ियों की बिक्री	Sale of HMT Watches in Delhi .	81
5600	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में भर्ती का ढंग	Mode of recruitment in Heavy Electricals Ltd. Bhopal	81
5601	मध्य प्रदेश में जावरा चीनी कारखाने तथा अन्य चीनी कारखानों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Jaura Sugar Mills and other Sugar Mills in Madhya Pradesh	82
5602	त्रिपुरा में चाय बागान कर्मचारियों के लिये आवास व्यवस्था	Housing accommodation for tea plantation workers in Tripura . .	82
5603	औद्योगिक विवाद अधिनियम का संशोधन	Amendment of Industrial Disputes Act	83
5604	रक्षा अकादमियों में दाखिला	Admission in Defence Academies	83
5605	सशस्त्र सेनाओं में कमीशन प्राप्त अधिकारियों की भर्ती	Recruitment of Commissioned Officers in Armed Forces	84
5606	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड में कर्मचारी	Employees in HMT Limited .	85
5607	हरदुआ शिवर पन्ना (मध्य प्रदेश) से शरणार्थियों का प्रतिनिधिमंडल	Delegation of refugees from Hardua Camp, Panna (M.P.) . . .	85
5608	त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार हिन्दुस्तान मोटर्स द्वारा श्रमिकों को बकाया राशि का भुगतान न करना	Non-payment of Workers dues by Hindustan Motors as per Tripartite Agreement	85
5609	भारत और पाकिस्तान के बीच दिल्ली समझौते का कार्यान्वयन	Implementation of Delhi Agreement between India and Pakistan . .	86
5610	कारों के निर्माण के लिये सरकारी क्षेत्र में संयंत्रलगाने के प्रस्ताव को समाप्त करना	Dropping of Proposal for Public Sector Plant for Manufacture of Cars .	86
5611	मध्य प्रदेश की खनिज सम्पदा	Mineral Wealth of Madhya Pradesh .	87
5612	विदेशी उत्पादक द्वारा मिनी ट्रैक्टरों के उत्पादन का प्रस्ताव	Proposal for Manufacture of Mini Tractors by Foreign Manufacturer .	87
5613	अनुसूचित जनजातियों के शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति	Educated Unemployed Scheduled Tribes	88
5614	समुद्र संबंधी नियमों के बारे में संयुक्त राष्ट्र पूर्ण अधिकार प्राप्त सम्मलन	U.N. Plenipotentiary Conference on the Law of the Sea. . . .	88

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
5615	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की लैम्प समोकिंग मशीनरी और लैम्प प्लांट्स विषय रिपोर्ट	HMT Report on Lamp smoking machinery and Lamp Plants . .	89
5616	भूतपूर्व जनरलों, भूतपूर्व सैनिकों, भूतपूर्व राजनयिकों द्वारा रक्षा मामलों के संबंध में लिखी गई पुस्तकें	Books written by Ex-Generals, Ex-Soldiers, Ex-Diplomats re: Defence Matters	89
5617	रेलवे प्रतिष्ठानों और वर्कशापों में दैनिक मजूरी पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिये कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन	E.P.F. Pension to Daily rated workers in Railway Establishments and Workshops	90
5618	रेलवे प्रतिष्ठानों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना	ESI Scheme in Railway Establishments	91
5619	औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 की धारा 14 के अधीन रेलवे के छूट प्राप्त औद्योगिक प्रतिष्ठान	Exempted Industrial Establishments under Railways U/s 14 of Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946	92
5620	कर्मचारियों के लिये उपदान निधि	Gratuity Fund for Workers . .	92
5621	सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों में तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन के कारण असंतोष	Dissatisfaction amongst armed forces personnel on Third Pay Commission Report	92
5622	भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के नवम्बर-दिसम्बर, 1973 सत्र में किया गया कार्य	Work done by Indian Delegation at U.N. General Assembly Session in November-December, 1973 . .	93
5623	खानों के मुहानों से कोयले का ले जाना	Movement of Coal from Pit Heads	93
5624	दिल्ली में काम के घंटों का पालन न करने के कारण दूकानों का चालान किया जाना	Shops challaned for Non-Observance of working hours in Delhi . .	94
5625	स्कूटरों के आवंटन के लिये सरकारी कर्मचारियों की प्रतीक्षा सूची	Waiting Lists for allotment of Scooters to Government Employees . .	94
5626	निर्यात के लिये विशाखापत्तनम बंदरगाह पर लौह अयस्क जमा करना	Stacking of Iron Ore for export at Visakhapatnam Port . . .	95
5627	लौह अयस्क के निर्यात में वृद्धि करने के लिये दक्षिण मध्य रेलवे की योजना	South Central Railway's Plan to boost Iron Ore Export	95
5628	राष्ट्रीय मजूरी नीति विषयक रिपोर्ट की सिफारिशों का कार्यान्वयन	Implementation of recommendations of Report of National Wage Policy	96

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
5629	देश में प्रतिरक्षा एककों की स्थापना करना	Setting up of Defence Units in the country	96
5630	काम के लिये सात दिवसीय सप्ताह	Seven Day Week .	96
5631	खानों में सुरक्षा संबंधी पहले और दूसरे सम्मेलन में की गई सिफारिशों के संबंध में कार्यवाही	Action on recommendations made in First and Second Conference on Safety in Mines	97
5632	ज्वाइंट साइफर ब्यूरो के अवर-स्नातक कर्मचारी	Non Graduate employees of Joint Cipher Bureau	97
5633	औद्योगिक विवादों का तेजी से निपटाया जाना	Expeditious settlement of Industrial Disputes	97
5634	उत्तर प्रदेश में अभ्रक, निकल आदि निक्षेपों का पता लगना	Location of Deposits of Mica, Nickel, etc. in U.P.	98
5635	राउरकेला इस्पात संयंत्र का उप-महा प्रबंधक	Dy-General Manager, Rourkela Steel Plant	99
5636	राउरकेला इस्पात संयंत्र को 1972-73 के दौरान हुई हानि	Loss to Rourkela Steel Plant during 1972-73	99
5637	उड़ीसा में आरा मशीनों का बंद हो जाना	Closure of Saw Mills in Orissa .	99
5638	श्री ब्रेजनेव की हाल की यात्रा पर उनके साथ आये व्यक्ति तथा उन पर किया गया व्यय	Persons accompanying Shri Brezhnev on his recent visit and expenditure incurred thereon . . .	100
5639	पाकिस्तान द्वारा जल, थल और वायु सीमा का उल्लंघन	Violation of Borders, Territorial Waters and Air Space committed by Pakistan	100
5640	मजदूर संघ गृह निर्माण समिति, लक्ष्मी बाई नगर कालोनी, उज्जैन द्वारा निर्माण कार्य में अनियमितताएं	Irregularities in construction work by Mazdoor Sangh Grih Nirman Samity Laxmibai Nagar Colony, Ujjain	100
5641	रूस से कोयला खान उपकरण	Coal Mine Equipment from Russia .	101
5642	सोवियत संघ स्थित भारतीय दूतावास में भारतीय तथा विदेशी राष्ट्रिक	Indian and foreign Nationals in Indian Embassy in USSR . . .	101
5643	डबहोल पत्तन का आधुनिकीकरण	Modernisation of Dabhol Port . .	101
5644	आंध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में इस्पात संयंत्रों का चालू होना	Commissioning of Steel Plants in Andhra Pradesh and West Bengal .	102
5645	मणिपुर राज्य में चूना पत्थर	Lime Stone in Manipur State . .	102
5646	निर्यात बाजार में 'हिन्दुस्तान स्टील'	Hindustan Steel in Export Market .	103
5647	स्पंज लोहे का कारखाना	Sponge Iron Plant	103

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
5648	रेलवे टेलिग्राफ सिगनेलरों से उन्हें डाक-तार विभाग के टेलिग्राफ सिग-नेलरों के बराबर मानने के लिये अभ्यावेदन	Representation from Railway staff Signallers to treat them at par with Telegraph Signallers in P&T . .	103
5649	रक्षा प्रतिष्ठानों के अधीन अस्पताल	Hospitals under Defence Establish-ments	104
5650	टी-25 ट्रैक्टर का उत्पादन	Production of T-25 Tractors . .	104
5651	भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड द्वारा 'सोलिड स्टेट गन' का निर्माण	Manufacture of Solid State Gun by Bharat Electronics Limited . .	105
5652	एच० एम० टी०-पांच, हैदराबाद में श्रमिक संघ की गतिविधियों में भाग लेने के कारण तीन कर्मचारियों की सेवायें समाप्त करना	Termination of Services of Three Emp-loyees for Trade Union Activities in HMT-V, Hyderabad . . .	105
5653	एच० एम० टी-पांच हैदराबाद में तीन कर्मचारियों की सेवायें समाप्त करना	Termination of Services of three Employees in HMT-V Hyderabad .	106
5654	कोयला उद्योग के लिये मजूरी समझौता समिति में समझौता	Agreement in Wage Negotiating Co-mmittee for Coal Industry . .	106
5655	बोनस पुनर्विलोकन समिति के कार्य में गतिरोध	Deadlock in Bonus Review Committee deliberations	106
5657	केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा सरकारी उपक्रमों के असैनिक विभागों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्त स्थानों का आरक्षण	Reservation of vacancies for ex-Ser-vicemen in Civil Departments of Central Government, State Govern-ment and Public Undertakings. .	107
5658	विभिन्न विभागों में भूतपूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये मशीनरी	Machinery to ensure representation to ex-servicemen in various departments	107
5659	रक्षा विभाग के कब्जे में फालतू भूमि का होना	Surplus lands in possession of Defence Department	108
5660	विक्टोरिया क्रास और परमवीर चक्र विजेता	Victoria Cross and Param Vir Chakra Winners	108
5661	सरकारी विज्ञप्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र सचिवालय द्वारा मान्यता प्राप्त भाषायें	Languages recognised by U.N. Secre-tariat for official Communiques .	109
5662	इस्पात की खपत	Steel Consumption	109
5663	अरब-हितों के भारत द्वारा समर्थन की पुष्टि करने के लिये नई दिल्ली में अखिल भारतीय सम्मेलन	All India Convention in New Delhi to affirm India's support to Arab cause .	110

अता० प्र० संख्या। U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
5664	अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस द्वारा हड़ताल का नोटिस	Strike notice by Akhil Bharatiya Safai Mazdoor Congress. . . .	110
5665	गुजरात में बाढ़ से क्षतिग्रस्त निर्माणकार्य के लिए इस्पात	Steel for Flood Damage Works of Gujarat	111
5666	जस्ते के मूल्य में वृद्धि	Price rise for Zinc	111
5667	अमझोर में गंधक खान में काम करने वाले श्रमिकों की सभा	Sulphur Mine Workers' Meeting at Amjhore	112
5668	थर्मल यूनिट्स और ट्रांसमिशन सिस्टम का निर्माण	Manufacture of Thermal Units and Transmission System . . .	112
5669	भगवती समिति के प्रतिवेदन पर विरोधी दलों के साथ परामर्श	Consultation with opposition parties on Bhagwati Committee Report .	113
5670	बिहार की कोयला खानों में हड़ताल	Strike in Bihar Coal Mines .	113
5671	सोवियत सहयोग से ट्रैक्टर कारखाना	Tractor Factory with Soviet Collaboration	114
5672	मेडीकल प्रतिनिधियों द्वारा किया गया प्रदर्शन	Demonstration by Medical Representatives	114
5673	बिहार शुगर वर्क्स, पचरूखी, सिवान द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की राशि जमा न करना	Non deposit of EPF by Bihar Sugar Works, Pachrukhi, Siwan . .	114
5674	श्रमिक संघों की सदस्य संख्या का सत्यापन करना	Verification of Membership of Trade Unions	115
5675	अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान द्वारा भारी टैंकों तथा आधुनिक किस्म के विमानों का विकास	Developing of Heavy Tanks and Advance aircraft by research and development establishment . .	115
5676	गुजरात को सप्लाई किया गया इस्पात	Quantity of Steel supplied to Gujarat .	116
5677	चीनी आक्रमण के दौरान ट्रकों और जीपों का किराये पर लिया जाना	Hiring of Trucks and Jeeps during Chinese aggression . . .	116
5678	एच० एम० टी० पिंजोर में हड़ताल से हानि	Loss due to strike in HMT Pinjore .	116
5679	इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी द्वारा स्क्रैप की बिक्री	Sale of Scrap by IISCO . . .	117
5680	भारतीय विदेश सचिव तथा अमरीकी अधिकारियों के बीच वार्ता	Talks between Indian Foreign Secretary and U.S. Officials . . .	117
5681	भारतीय नौसेना को सुदृढ़ बनाने की योजना	Plan for Strengthening Indian Naval Forces	117

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
5682	कोयला खान मालिकों द्वारा कोयला खनिकों की बकाया राशियों का भुगतान न किया जाना	Non-payment of arrears of Coal Miners by Mine Owners	118
5683	चालू वर्ष में स्वीकृत इस्पात संयंत्र, कच्चे लोहे के संयंत्र आदि	Steel Plants, Pig Iron Plants, etc. sanctioned during current year . .	118
5684	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के विरुद्ध कर्मचारी संघ के आरोप	Allegations by Union against Hindustan Levers Ltd.	119
5685	जी० ई० सी० (इंडिया) लिमिटेड, कानपुर, द्वारा कर्मचारी संघ के कार्यकर्त्ताओं का नौकरी से बर्खास्त किया जाना	Dismissal of Union Office Bearers by GEC (India) Ltd, Kanpur . .	119
5686	आयुद्ध कारखानों के उत्पादन में वृद्धि	Increase in production of Ordnance Factories	119
5687	केन्द्रीय आयुद्ध डिपुओं में स्थितीकरण	Stagnation in Central Ordnance Depots	120
5688	बंगला देश इस्पात संयंत्र	Bangladesh Steel Plant . . .	120
5689	गत तीन वर्षों में विदेशों की यात्रा करने वाले भारतीय	Indians who visited Foreign countries during last Three Years . . .	120
5690	फर्मों के विरुद्ध इस्पात के प्रयोग में धोखाधड़ी करने का आरोप	Firms Charged with Fraudulent Use of Steel.	121
5691	रक्षा उत्पादन	Defence production	121
5692	श्रमिकों को आचारसंहिता और अनुशासन सिखाना	Teaching code of conduct and Discipline to Labour	122
5693	रेल एवं सड़क पुल	Rail-cum-Road Bridge . . .	122
5694	सरकारी क्षेत्र की इस्पात परियोजनाओं के लिए औद्योगिक गैसों का उत्पादन	Manufacture of Industrial Gases for Public Sector Steel Projects . .	122
5695	कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि	Arrears of Employees Provident Fund	123
5696	विभिन्न देशों को विद्युत-शक्ति चालित मशीनों का निर्यात	Export of Electrical Power Machinery to various countries . . .	123
5697	तापीय बिजलीघरों को कोयले की सप्लाई	Supply of coal to Thermal Power Stations	124
5698	पुनर्वास संगठन में फील्ड इंस्पैक्टरों के वेतनमान	Pay Scales of Field Inspectors in Settlement Organisation . . .	124
5699	पाकिस्तान द्वारा अपहरित दो भारतीय पत्रकारों का अता-पता	Whereabouts of two Indian Journalists kidnapped by Pakistan . . .	125

अता० प्र० संख्या U.S. . No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
5700	बिहार में गिरिडीह की सिंघो माइका माइनिंग कम्पनी में तालाबंदी	Lock out in Singho Mica Mining Company of Giridih in Bihar . .	125
5701	बिहार में गिरिडीह की सिंघो माइका माइनिंग कम्पनी में तालाबंदी	Lock out in Singho Mica Mining Company of Giridih in Bihar . .	126
5702	राहत के लिए तन्जानिया से सहायता	Assistance from Tanzania for Floods .	126
5703	समाचार-पत्र कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता	Interim Relief to Press Employees .	126
5704	सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार	Soviet Land Nehru Awards . .	127
5705	विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के व्यक्तियों द्वारा खादी पहनना	Wearing of Khadi by persons in Indian Missions Abroad . .	128
5706	दिल्ली के समाचारपत्रों द्वारा बोनस का भुगतान	Payment of Bonus by Newspapers in Delhi	128
5707	कोयला खानों को विद्युत संयंत्रों से संबद्ध करना	Linking of Collieries with Power Plants	128
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	128
	सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	Committee on Absence of Members from the Sittings of the House .	131
	कार्यवाही सारांश	Minutes	131
	ईंधन तथा शोधनशालाओं में हानि के बारे में वक्तव्य	Statement re. Fuel and Losses in Refinery	131
	श्री डी० के० बरुआ	Shri D. K. Borooah .	131
	बागान श्रम (संशोधन) विधेयक	Plantations-Labour (Amendment) Bill	133
	संयुक्त समिति में सदस्य की नियुक्ति	Appointment of Member to Joint Committee	133
	लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	Representation of the People (Amendment) Bill—Introduced . . .	134
	नियम 377 के अंतर्गत मामले	Matters under Rule 377	135
	(एक) जम्मू और काश्मीर के लद्दाख क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन	Economic and Social backwardness of Ladakh area in Jammu and Kashmir	135
	(दो) गुजरात में राष्ट्रीय केडट कोर के युवकों द्वारा अभ्यास के लिए चलाई गई गोलियों से एक व्यक्ति की मृत्यु और अन्य लोगों के घायल होने का समाचार	Reported death of a person and injury to others during practice by NCC in Gujarat.	136

तारां० प्र० संख्या / U.S.Q. No.	विषय / SUBJECT	पृष्ठ / PAGE
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद के बारे में	Re. Maharashtra-Karnataka Border Dispute	136
उड़ीसा विनियोग (संख्या 4) विधेयक 1973	Orissa Appropriation (No. 4) Bill, 1973	137
पुरःस्थापित तथा पारित	Introduced and passed . .	137
अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव	Motion re. International Situation .	138
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee .	138
श्री माधवराव सिंधिया	Shri Madhavrao Scindia .	139
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami .	141
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla . .	142
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee .	143
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh .	145
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	146
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	147
श्रीमती माया राय	Shrimati Maya Ray . .	148
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamanandan Mishra	149
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin .	151
श्री के० पी० उन्नी कृष्णन	Shri K. P. Unnikrishnan .	152
श्री वी० के० कृष्ण मेनन	Shri V. K. Krishna Menon .	153
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	155
पालम हवाई अड्डे पर लुफ्थांसा बोइंग-707 विमान की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	Statement re. Crash of Lufthansa's Boeing-707 Aircraft at Palam Airport, Delhi	156
श्री राज बहादुर	Shri Raj Bahadur . . .	156
श्रीमती मुकुल बनर्जी	Shrimati Mukul Banerjee .	157
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . .	159
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y. S. Mahajan .	160
श्री हरि किशोर सिंह	Shri Hari Kishore Singh .	161
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	Shri Ebrahim Sulaiman Sait	162
श्री सैयद अहमद आगा	Shri Syed Ahmed Aga	163
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavlankar .	163
श्री शंकर देव	Shri Shankar Dev . .	164
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	165

लोक सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 20 दिसम्बर, 1973/29 अग्रहायण, 1895 (शक)

Thursday, December 20, 1973/ Agrahayana 29, 1895 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : श्री सी० के० चन्द्रप्पन—अनुपस्थित ।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी—अनुपस्थित ।

श्री सी० जनार्दनन—अनुपस्थित ।

श्री शंकरराव सावंत —

श्री शंकरराय सावन्त : प्रश्न संख्या 567 ।

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : चूंकि उत्तर अपेक्षाकृत लम्बा है इसलिए इसका एक अंश सभा पटल पर रखा जाता है और एक का उत्तर मैं दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रख दीजिए। लम्बे उत्तर सभा पटल पर ही रखे जाने चाहियें ।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : प्रश्न ही इस प्रकार का है कि उसका उत्तर छोटा हो ही नहीं सकता ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उत्तर लम्बा नहीं होना चाहिये। मेरा मतलब यह है कि लम्बा उत्तर होने पर यह कहा जा सकता है कि विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर तालाबन्दी तथा हड़तालों का प्रभाव

*567. **श्री शंकरराव सावंत** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में तालाबन्दी तथा हड़तालों से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कहां तक प्रभावित हुई है ; और

(ख) इस हानि को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप--मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) औद्योगिक विवादों के फलस्वरूप, चाहे वे हड़तालों का रूप धारण करें या तालाबन्दियों का, सदा ही श्रम दिनों की हानि होती है 1973 के पहले 8 महीनों के अन्त में, हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण हानि हुए श्रम दिनों की संख्या 1·12 लाख थी जबकि 1972 में 205 लाख थी। यदि यही प्रवृत्ति जारी रहती है, तो समस्त 1973 में नष्ट हुए कुल श्रम दिनों की संख्या 170 लाख से अधिक नहीं होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस अवधि के दौरान् बिजली की कटौती, कच्चे माल की कमी, आवश्यक वस्तुओं की कमी, काम बन्दियों, और बढ़ती हुई कीमतों द्वारा हुई कठिनाइयों के कारण अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ा है, यह उत्साहजनक प्रवृति है ।

सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक सम्बन्धों को निजी क्षेत्र के औद्योगिक संबन्धों से तुलना करने पर पता चलता है कि निजी क्षेत्र में कम रोजगार के बावजूद, हानि हुए श्रम दिनों की संख्या सरकारी क्षेत्र में हानि हुए श्रम दिनों की संख्या की अपेक्षा अधिक है । निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में 1972 के दौरान रोज़गार क्रमशः 68 लाख और 112 लाख था और हानि हुए श्रम दिन क्रमशः 172 लाख और 33 लाख थे । हाल के वर्षों में निजी क्षेत्र के निर्माणकारी वर्ग में हानि हुए श्रम दिनों की संख्या, सरकारी क्षेत्र में हानि हुए श्रम दिनों की संख्या से लगभग दस गुणा अधिक थी ।

1972 और 1973 के दौरान (पहले 10 महीनों में) पश्चिम बंगाल में कुल हानि हुए श्रम दिनों में तालाबन्दियों का भाग 73.88 प्रतिशत और 62.40 प्रतिशत रहा । समस्त देश के लिए, तदनुरूपी आंकड़े 33.1 प्रतिशत और 34.2 प्रतिशत था ।

एक विवरण जिसमें ब्यौरे दिये गये हैं, सदन की मेज पर रखा गया है ।

(ख) औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र अनौपचारिक मध्यस्थता, संसोधन, न्याय-निर्णयन का विवाचन द्वारा, जैसा कि वर्तमान सांविधिक उपबन्धों और स्वैच्छिक व्यवसायों के अन्तर्गत आवश्यक है, काम-रोधों को घटाने के लिए प्रयास करता रहता है ।

विवरण

निम्न तालिका सं० I, सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र में 1962--72 वर्षों के संबन्ध में रोजगार के लाखों में तुलनात्मक ब्यौरे दर्शाती है :--

तालिका –I

(लाखों में)

वर्ष	रोजगार	
	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र
1962	74	52
1967 . .	96	67
1970 . . .	104	67
1971 . . .	107	68
1972	112	68

सरकारी क्षेत्र में रोजगार निजी क्षत्र से न केवल अधिक रहा है बल्कि निजी क्षेत्र की तुलना में बहुत ही तेज दर से बढ़ रहा है ।

निम्न तालिका-II, दोनों क्षेत्रों में 1970—73 वर्षों के दौरान हानि हुए श्रम दिनों के तुलनात्मक ब्यौरा देती है :—

तालिका–II

हानि हुए श्रम दिन

(लाखों में)

वर्ष	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़
1970	21	185	206
1971	23	142	165
1972	33	172	205
1973 (जनवरी से अगस्त तक)	14	98	112

निजी क्षेत्र में हानि होने वाले श्रम दिनों की संख्या सरकारी क्षेत्र में हानि हुए श्रम दिनों की संख्या से लगभग पांच से नौ गुना अधिक रही है ।

निम्न तालिका-III में, सरकारी और निजी क्षेत्रों के निर्माणकारी वर्ग में प्रति वर्ष, प्रति श्रमिक हानि हुए श्रम दिनों की संख्या की तुलना करने का प्रयास किया गया है :—

तालिका–III

प्रति वर्ष, प्रति श्रमिक, हानि हुए श्रम दिन

निर्माणकारी वर्ग

वर्ष	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र
1961	0.12	1.2
1962	0.28	1.4
1963	0.01	0.7
1964	0.34	1.5
1965	0.06	1.3
1966	0.55	2.4
1967	0.62	3.2
1968	0.66	3.0
1969	0.36	3.5
1970	0.43	4.0
1971	0.29	2.9

हाल के वर्षों में निजी क्षेत्र में हानि हुए श्रम दिनों की संख्या सरकारी क्षेत्र में हानि हुए श्रम दिनों की संख्या से लगभग 10 गुना अधिक रही है ।

समस्त देश में हानि हुए श्रम दिनों की कुल संख्या में तालाबन्दियों का भाग 1972 में 33.1 प्रतिशत और 1973 में 34.2 प्रतिशत (पहले 10 महीने) रहा। पश्चिम बंगाल के लिए तदनुरूपी आंकड़े नीचे तालिका-IV में दिए गए हैं :—

तालिका–IV

वर्ष	हानि हुए श्रम दिनों की संख्या (हड़तालें और तालाबन्दियां)	तालाबन्दियों के कारण हानि हुए श्रम दिन
1972	3,617,124	2,672,253 (73.88 प्रतिशत)
1973 (अक्तूबर 1973 तक)	4,983,383	3,112,461 (62.46 प्रतिशत)

पश्चिम बंगाल में 1972 और 1973 के दौरान हानि हुए कुल श्रम दिनों में से 73.88 प्रतिशत और 62.46 प्रतिशत श्रम दिन ताला बन्दियों के कारण नष्ट हुये थे।

श्री शंकर राव सावंत : हड़तालें और तालाबन्दियों के कारण नष्ट हुए श्रम दिनों की बताई गई संख्या में क्या वे श्रम दिन भी सम्मिलित हैं जो विद्युत् की कटौती या कच्चे माल के अभाव या बन्द के कारण कारखानों के बन्द रहने की वजह से नष्ट हुए ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : इन आंकड़ों में सभी नष्ट हुए श्रम दिन सम्मिलित हैं ।

श्री शंकर राव सावंत : आजकल उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है । दूसरी ओर 8 महीने में 112 लाख श्रम दिमों की हानि हुई है । इसका अर्थ यह हुआ कि औद्योगिक संबन्ध उचित बनाये रखने वाली मशीनरी ठीक से काम नहीं कर रही है। इस मशीनरी के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : गत वर्ष की तुलना में इस अवधि में कम श्रम दिनों की हानि हुई है । कुछ सुधार तो आवश्य हुआ है ।

श्री शंकर राव सावंत : मेरा प्रश्न यह है कि औद्योगिक संबन्धों को स्वस्थ रखने वाली मशीन के सुचारु कार्यकरण के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ।

श्री रघनाथ रेड्डी : जहां तक श्रम मंत्रालय की समझौता मशीनरी का संबन्ध है, उसकी कई बैठकें हो चुकी हैं । मालिकों और कर्मचारियों के साथ हम कई त्रिपक्षीय बैठकें कर चुके हैं । त्रिपक्षीय करारों के अनुसार विद्युत् निगम, सीमेंट चीनी तथा कई अन्य मामलों में विवाद तय किये जा चुके हैं और जहां भी सम्भव होता है, सरकार सम्बद्ध पक्षों की मदद उनका समझौता कराने के उद्देश्य से करती है ।

श्री दीनेन भट्टाजार्य : पश्चिम बंगाल के जूट मिलों के संबन्ध में जो त्रिपक्षीय बैठक कल हुई थी...

अध्यक्ष महोदय : आप एक विशिष्टि प्रश्न पूछ रहे हैं । किन्तु यह प्रश्न तो दस दिन पहले का है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : इस प्रश्न में भी पश्चिम बंगाल का मामला है । इसलिए मैंने यह प्रश्न पूछा है । पश्चिम बंगाल की जूट मिलों में, जिनमें दो लाख से भी अधिक श्रमिक काम करते हैं हड़ताल होने जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न जूट मिलों के बारे में नहीं है । इससे तो नष्ट हुए श्रम घंटों के बारे में जानकारी मांगी गई है । यदि आप जूट मिलों के बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो अलग से प्रश्न पूछिये ।

श्री दीनने भट्टाचार्य : आप इसे संदर्भ से परे कैसे बता रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह मूल प्रश्न से संबन्धित नहीं है ।

श्री दीनने भट्टाचार्य : यह इस दृष्टि से तर्कसंगत है कि बहुत बड़ी हड़ताल होने जा रही है । सरकार इस हड़ताल को रोकने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उन श्रम दिनों की हानि के बारे में है, जो हो चुकी है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बद्ध है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे दु:ख है कि मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकूंगा ।

श्री जगन्नाथ राव : मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि श्रम दिवसों की इस क्षति का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1971 में 1659 तालाबन्दियों और हड़तालों के कारण लगभग 90.5 करोड़ रुपये के उत्पादन की हानि हुई और 1971 में कुल हानि 98.01 करोड़ रुपये की हुई ।

Shri Dhan Shah Pradhan : May I know whether in view of the difficult economic situation prevailing in the country today there is any proposal before government to put a ban on lockouts and strikes in coming two years in public sector and to deal sternly with those who violate this ban; and whether an ordinance will be issued to achieve their objective ?

Mr. Speaker : Hon. Member wants to know the time when an ordinance to this effec will be issued but he should know that ordinance cannot be issued when Parliament is in session.

Shri M.C. Daga : May I know whether Government propose to amend the existing labour laws to minimise the chances of strikes and lockouts?

Shri Balgovind Verma : No, Sir. There is no such proposal under consideration. An Industrial Relations Bill will, however, be brought which will help in reducing the number of strikes and lockouts.

Shri M.C. Daga: For the last four years Government has been giving such an assurance. May I know the exact time by which such a bill will be brought ?

प्रो० मधु दंडवते : क्या यह सच है कि कुछ हड़तालें और गड़बड़ श्रमिक संघों की पारस्परिक वैमनस्यता के कारण होती हैं और क्या इसका राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ता है – और यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : हाल ही में एक ऐसा मामला हमें बताया गया है । किन्तु मेरे पास यह बताने के लिए पर्याप्त आंकड़े नहीं है कि इससे कितनी हानि हुई ।

श्री वी० वेंकटासुब्बैया : श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री का ध्यान राष्ट्रपति के, जो स्वयं एक श्रमिक नेता हैं, और प्रधान मंत्री के इस आशय के वक्तव्यों की ओर दिलाया गया है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना काल में हड़तालों और तालाबन्दियों पर पाबन्दी लगनी चाहिए ताकि राष्ट्र में उत्पादन कम न हो। क्या माननीय मंत्री कोई ऐसा स्थायी समाधान प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिससे हड़तालों तथा तालाबन्दियों से बचा जा सके ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं श्रमिकों, श्रमिक संघों के नेताओं और मालिकों को इस बात के लिए राजी करने का प्रयास करूंगा कि वे हड़तालों और तालाबन्दियों का सहारा न लें ।

Shri Jagnnathrao Joshi: Is it a fact that the main reason of strikes and lockouts is that the decisions and recommendations of wage boards are not honestly implemented; if it is so, may I know whether Government will take steps to ensure proper implementations of such decisions and recommendations?

Shri Balgovind Verma : Sir, as a matter of fact the recommendations of wage board are not statutorily enforciable. Even then we try to persuade the employers to implement such recommendations honestly and expeditiously .

Shri Jagannathrao Joshi : What are those efforts [*Interruptions*]

श्री धामनकर : न्यायनिर्णय, पारस्परिक समझौते तथा पंचाट की कार्यवाही में अधिक समय लगता है । इस दृष्टि से सरकार ने ऐसी कार्यवाहियों के लिए समय-सीमा निश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ? चूंकि ऐसी कार्यवाहियां लम्बी चलती हैं, इसलिए श्रमिक इनसे संतुष्ट नहीं रहते ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : औद्योगिक विवाद अधिनियम में इस प्रयोजन के लिए कुछ तंत्र विशेष तौर तरीकों का उल्लेख है । इसके अतिरिक्त हम सम्बद्ध पक्षों में द्विपक्षीय वार्ता को प्रोत्साहन देते हैं ताकि उनमें पारस्परिक समझौता हो जाये और विलम्ब न हो। पिछले कुछ वर्षों में द्विपक्षीय वार्ताओं के परिणाम आशाप्रद रहे हैं ।

Shri Ramsingh Bhai: Will the Minister be pleased to tell whether the trade unions in India are politically motivated ?

Mr. Speaker: Do not put hon. Minister to general examination. You should ask question.

Shri Ramsingh Bhai: The strikes which take place.....

Mr. Speaker: There must be some relevancy in it.

Shri Ramavtar Shastri: Sir, I would like to know whether Government feel that there should be one union for one industry to reduce the frequency of strikes and lockouts; if so, the steps taken by Government to achieve this objective and the extent to which they have succeeded in it. As far as our opinion is concerned, we are for one union for one industry.

श्री रघुनाथ रेड्डी : एक उद्योग के लिए एक स्थिति का होना एक आदर्श स्थिति है । मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य ऐसी व्यवस्था को जन्म देने में हमारी सहायता करेंगे ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं सहायता करना चाहता हूं किन्तु माननीय मंत्री यह नहीं चाहते ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : माननीय मंत्री के वक्तव्य से पता चलता है कि 1972 में 33.1 प्रतिशत तालाबन्दी हुई और 1973 के 10 महीनों में 34.2 प्रतिशत तालाबन्दी हुई। पश्चिम बंगाल में 1972 में इसकी प्रतिशतता 73.88 थी और 1973 में अक्तूबर तक यह प्रतिशतता 62.46 थी। तात्पर्य यह है कि 1973 में तालाबंदियों की संख्या बढ़ती जा रही है। रेलवे में लोको कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है तो अन्य सरकारी उपक्रम अर्थात् इंडियन एयरलाइन्स में प्रबन्ध ने तालाबन्दी कर रखी है । सरकार उक्त हड़ताल और तालाबन्दी की समाप्ति के लिए क्या उपाय कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य एक ही प्रश्न को दोहरा रहे हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : समाचारपत्रों में ऐसा संकेत था इंडियन एयरलाइन्स में तालाबन्दी के बारे में श्रम मंत्री कोई पहल नहीं करेंगे :

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न उन तालाबन्दियों के बारे में था जो पहले ही हो चुकी है, चालू तालाबन्दियों के बारे में नहीं। यह कौन जानता है कि यह तालाबन्दी कितने दिन चलेगी और उसमें कितने श्रम दिन नष्ट होंगे। यह प्रश्न उस समय मूल प्रश्न के संदर्भ से परे है ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : माननीय मंत्री इसका उत्तर देने वाले थे ।

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं किन्तु मुझे यह निर्णय करना है कि किस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना है और किसका नहीं ।

भारत श्रीलंका वार्ता

*568 **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच बातचीत हुई थीं; और

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर बातचीत हुई और क्या-क्या समझौते हुए ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जब अप्रैल, 1973 में हमारी प्रधान मंत्री कोलम्बो गई थीं, तब दोनों प्रधान मंत्रियों ने कई विषयों पर विचार-विमर्श किया था, जैसे--दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग, भारत-श्रीलंका करार 1964 पर अमल, कच्चातिवू द्वीप तथा संबद्ध मामले, जैसे--मध्य रेखा, मछली पकड़ने के अधिकार आदि। वे इस पर भी सहमत हुई कि दोनों सरकारों के बीच विभिन्न संबंद्ध मामलों के समाधान के लिए निरंतर विचार-विमर्श करते रहना चाहिए। इसके अनुरूप, भारत और श्रीलंका के अधिकारियों की बैठकें इस वर्ष मई, जून, अगस्त और अक्तूबर में हुई हैं। यह बात-चीत गोपनीय है और मैत्रीपूर्ण सहयोग की भावना से की जा रही है ताकि सभी पुराने मामलों के संतोषजनक समाधान खोजे जा सकें।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या यह सच है कि शास्त्री-श्रीमाओ समझौते की क्रियान्विति तथा कच्चाटीवू जैसे महत्वपूर्ण मामलों के बहुत धीमी गति से प्रगति हुई हैं। यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? यदि नहीं तो क्या मंत्री महोदय इस प्रगति से संतुष्ट हैं?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : विपक्षी दल के साथ अब तक किये गए विचार-विमर्श के आधार पर हम इस प्रगति से बहुत संतुष्ट हैं।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि श्रीलंका की प्रधान मंत्री श्रीमती श्रीमाओ भंडारनायके हमारे देश की प्रधान मंत्री से बातचीत करने के लिये आ रही हैं क्या सरकार उन व्यक्तियों से परामर्श करेगी जिस पर, भारत सरकार तथा श्रीलंका सरकार द्वारा जो भी करार किया जाएगा उसका प्रत्यक्ष अथवा परोक्षरूप से कोई प्रभाव पड़ेगा? मैं यह प्रश्न इसलिये उठा रहा हूं क्योंकि पिछलीबार जब शास्त्री-श्रीमाओ समझौता किया गया था तब श्रीलंका में रहने वाले भारतीय नागरिकों ने इस बात को महसूस किया था कि उनसे परामर्श नहीं किया गया तथा कुछ महत्व-पूर्ण बातों को छोड़ दिया गया। अतः क्या विचार-विमर्श के दौरान या उससे पूर्व उनसे सलाह की जाएगी ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मेरी समझ में नहीं आता कि इस संबंध में माननीय सदस्य को क्या आपत्ति है। करार किया जा चुका है। दोनों ही देश करार की शर्तों को पूर्ण निष्ठा से क्रियान्वित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जहां तक भारत का सम्बन्ध है हम इसे संतोषजनक ढंग से क्रियान्वित कर रहे हैं। इस स्थिति में उन लोगों से विचार विमर्श करने का प्रश्न नहीं उठता। यह कार्य किया जा चुका है। समझौता हो चुका है। हमने वहां से कुछ लोगों को भारत लाने का वायदा किया है तथा श्रीलंका ने बहुत से व्यक्तियों को वहां की नागरिकता प्रदान करने का वायदा किया है तथा यह कार्य संतोष-जनक ढंग से चल रहा है।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : मैं किसी नये समझौते का उल्लेख कर रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : ज्ञात नहीं, माननीय सदस्य किस नये समझौते का हवाला दे रहे हैं। श्रीमती श्रीमाओ भंडारनायके जल्दी ही में भारत आ रही हैं तथा सरकारी स्तर पर अब जिन विभिन्न प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है उन पर उनके साथ ही विचार-विमर्श किया जाएगा। मुझे अन्य किसी नये समझौते की कोई जानकारी नहीं है।

श्री हरि किशोर सिंह : श्रीलंका में बसने वाले भारतीय नागरिकों से संबंधित सदा विद्यमान रहने वाली इस समस्या के अतिरिक्त क्या सरकार विशेषकर इस बात को ध्यान में रखते हुये कि कच्चा-टीवू द्वीप के आसपास तेल मिलने की संभावनाएं हैं, इस द्वीप के प्रश्न पर बातचीत करेंगी ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मैं यह बता चुका हूं कि दोनों देशों के बीच इस प्रश्न पर ही विचार किया जा रहा है तथा प्रधान मंत्रियों की बैठक में इस प्रश्न पर बातचीत किये जाने की संभावना है।

छोटे इस्पात संयंत्र

*569. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पार्टियों के नाम और पते क्या हैं जिनके छोटे इस्पात संयंत्र स्थापित करने हेतु विभिन्न राज्यों में लाइसेंस दिये जाने के लिए आवेदन पत्र विचाराधीन पड़े हैं; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं कि इन छोटे संयंत्रों के समूचे उत्पाद उचित मूल्यों पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध होंगे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) अपेक्षित जानकारी के बारे में एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया / **देखिये** संख्या एल० टी० 6080/73]

(ख) विद्युत भट्टी इकाइयों के उत्पादों पर मूल्य-नियंत्रण नहीं है। फिर भी ऐसे उत्पादों की मूल्य नीति पर विचार किया जा रहा है।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या छोटे संयंत्रों के कार्यकरण से तथा इन्हें दिये गये प्रोत्साहन से देश में बड़े इस्पात संयंत्रों की स्थापना में बाधा पड़ी है ?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई): छोटे इस्पात संयंत्रों ने 1972-73 में लगभग 10.3 लाख टन इस्पात का उत्पादन किया। 1973-74 में उनका 11.6 लाख टन उत्पादन होने की संभावना है। जितनी क्षमता का विस्तार किया गया है उसके अनुसार 1980-81 में उनका उत्पादन लगभग 22.8 लाख टन होने की संभावना है। अतः बड़े संयंत्रों के लिए बाधा उत्पन्न करने की बजाय उन्होंने इस्पात के उत्पादन में उनकी सहायता की है तथा देश को अतिरिक्त इस्पात उपलब्ध कराया है।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मेरा प्रश्न यह था कि क्या इन छोटे इस्पात संयंत्रों से देश में शीघ्र स्थापित होने वाले बड़े संयंत्रों के कार्य में बाधा डाली है।

श्री टी० ए० पाई : मैं कह चुका हूं कि छोटे इस्पात संयंत्रों से देश में स्थापित होने वाली किसी अन्य परियोजना के कार्य में कोई बाधा नहीं पड़ती।

Shri Sat Pal Kapur : Earlier there was no need to obtain any licence for scrap electric furnace worth Rs. one crore. May I know the reasons for which they have now made it necessary to obtain an industrial licence by them.

श्री टी० ए० पाई : एक करोड़ रुपये तक संयंत्रों को लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं थी। इन छोटे इस्पात संयंत्रों के लिये बिजली के अतिरिक्त पर्याप्त छीलन, जो कि इनके लिये आवश्यक कच्चा माल है, प्राप्त होने में कठिनाई होती थी। छोटे संयंत्रों की सहायता से बनाई गई क्षमता भी पांचवीं योजना के अंत तक लगभग 40 लाख टन होगी। अतः इस समय महत्वपूर्ण बात यह सुनिश्चित करना है कि छीलन के बारे में उपयुक्त नीति बनाकर उनमें पूरा उत्पादन कराये जाए। इस बात को देखते हुये हम नहीं चाहते थे कि नए संयंत्र स्थापित किए जाएं तथ धनराशि को रोक लिया जाए।

Hindi Medium of Instruction for Training in Army

*570. **Dr. Laxminarayan Pandeya:**

Shri Shankar Dayal Singh:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether a decision has been taken to make Hindi the medium of instruction for training for all ranks and at all levels in Armed Forces; and if so, when; and if not, when such a decision will be taken;

(b) the time by which the translation of entire training literature will be made available;

(c) the total number of manuals/reference books/military publications and other training literature pending for translation in Hindi; and

(d) the material out of the aforesaid material translated and published during the last three years?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J.B. Patnaik): (a) to (d) Hindi is already the medium of instruction for all courses for personnel of JCO/NCO and Other Ranks. As regards officers, the question will be taken up when translation of all related documents, are completed. It is not possible to anticipate the time limit for completion of this work. The total number of such manuals/reference books/military publications and other training literature for translation into Hindi is about 1,900. Out of these 171 have been translated and published and 36 have been translated only. However, the numbers do not give complete idea of their size and complexity.

Dr. Laxmi Narain Pandeya: Sir, The hon. Minister is trying to evade reply to my Question. Reply to my Question clearly speaks the Government policy regarding Hindi. It appears that the Government is not interested to do anything for the development of Hindi language. I have asked an Specific Question as to whether the Government propose to make Hindi compulsory for all of the ranks in Army. The hon. Minister has replied that about two hundred out of two thousands books have been translated. It will take near about 30 years time to complete the translation of 2000 books. Do they want encouraging Hindi by this speed? May I know whether the Government will formulate some crash programme to reduce this time limit so that the translation of the books is completed within two or three years and the books may be utilized towards propogation of Hindi.

श्री जे० बी० पटनायक : माननीय सदस्य ने उत्तर को ठीक प्रकार नहीं समझा है। जिनमें 75 प्रतिशत लोगों को हिन्दी के माध्यम से प्रशिक्षण और निर्देश दिये जाते हैं। अतः सेना में हिन्दी माध्यम की उपेक्षा करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न अधिकारियों का है। कुछ प्रस्तावों और प्रकाशनों का अनुवाद किया जाना है और इस संबंध में सरकार की नीति स्पष्ट है। 1965 में गृह मंत्रालय के परामर्श से यह निर्णय किया गया था कि पुस्तकों के अनुवाद के पश्चात हिन्दी को निर्देशों के माध्यम बनाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा। अतः ऐसा ही किया जा रहा है। अतः 30 वर्ष का हिसाब लगाने की बात में कोई सार नहीं है। अनुवाद का कार्य पहले से ही चल रहा है। इसमें 30 वर्ष से बहुत कम समय ही लगेगा।

Dr. Laxmi Narain Pandeya: Sir, in our Constitution Hindi has been adopted as national language since 1965 and according to that Hindi should be the medium of the entire Goverment business. But the hon. Minister in his statement has said that this Question, so far as officers are concerned will be taken up after the translation of all the books is complete, the hon. Minister can not, as a matter of fact, tell the estimated time limit.

Mr Speaker. He has said that it may take much less than 30 years.

Dr. Laxmi Narain Pandeya: The hon. Minister finds himself unable to give us the specific time limit. May I know whether the translation of all the 2000 books is possible within coming five years?

श्री जे० बी० पटनायक : मैं कोई समय सीमा नहीं बता सकता।

Shri Shankar Dayal Singh: Sir, the hon. Minister has said that we do not have Hindi books in adequate numbers for the use of officers. I would like to submit that unless the officers are trained in Hindi how they can train their juniors through Hindi medium. In view of this, may I know whether a special cell to translate the books in Hindi will be established so that the training and instructions may be given through the medium of Hindi ?

श्री जे० बी० पटनायक : इस उद्देश्य के लिये मंत्रालय में विशेष सैल मौजूद है और सशस्त्र सेनाओं को निर्देश दिये गये हैं कि वे हिन्दी को शीघ्र प्राप्त करें। सशस्त्र सेनाओं में कोई भी अधिकारी हिन्दी की प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण किये बिना नहीं आता है। सभी अधिकारियों के लिये वर्ष में दो बार हिन्दी की परीक्षा देना आवश्यक है।

श्री मोहनराज कलिंगारायर : मंत्री महोदय ने भाषा के संबंध में रक्षा मंत्रालय की तीनों सेवाओं से संबंधित नीति बतायी है। मैं यह बात जानना चाहता हूं कि क्या आगामी कुछ वर्षों के लिये, जहां तक चयन केन्द्रों का संबंध है, केवल तमिलनाडु का ही नहीं अपितु अन्य दक्षिण राज्यों को भी, देश के दक्षिण भाग के लिये कोई छूट दी जायेगी। हमारे सामने हिन्दी का प्रश्न एक समस्या बना हुआ है। अन्यथा रक्षा सेनाओं में देश के दक्षिण भाग से लोग नहीं आयेंगे, क्योंकि रक्षा मंत्रालय देश के उत्तरी भाग से ही लोगों को लेना चाहता है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने पीछे बैठे हुये महानुभाव को संबोधन करके कहिये।

श्री मोहनराज कलिंगारायर : मैं दक्षिण भाग का निवासी हूं अतः मैं अपनी भावना अभिव्यक्त कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : तो आपके प्रश्न का तात्पर्य यह हुआ कि क्या अनुवाद में अधिक समय लगेगा।

श्री मोहनराज कलिंगारायर : जितना अधिक समय लगेगा हमारे लिये उतना ही अच्छा है।

श्री जे० बी० पटनायक : छूट अभी भी दी जा रही है और दक्षिण के लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। परन्तु अनिश्चितकाल तक यह छूट नहीं दी जा सकती। दक्षिण के लोगों को हिन्दी सीखने के लिये काफ़ी समय दिया जा चुका है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : जब तक अंग्रेजी सहायक भाषा रहेगी तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि उन्हें हिन्दी सीखनी चाहिये। अधिक कठिनाइयां पैदा न कीजिये।

श्री जे० बी० पटनायक : इस संबंध में सरकार की नीति स्पष्ट है। दक्षिण के अधिकारी दूसरों की अपेक्षा शीघ्र तथा अच्छे ढंग से हिन्दी का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं।

उड़ीसा में हांडीधुआ कोयला खान का राष्ट्रीयकरण

*571 : **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में हांडीधुआ कोयला खान का राष्ट्रीयकरण न करने के क्या कारण हैं; और

(ख) अलाभकर खनन द्वारा कोयला खान की और अधिक क्षति को रोकने के लिये मंत्रालय द्वारा किन उपायों पर विचार किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) हांडीधुआ कोयला खान उड़ीसा सरकार के नियंत्रण में है अतः उसके राष्ट्रीयकरण का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अर्जुन सेठी : मंत्री महोदय ने बताया है कि हांडीधुआ कोयला खान उड़ीसा सरकार की है अतः राष्ट्रीयकरण का प्रश्न ही नहीं उठता। क्या उन्हें इस तथ्य का पता है कि हाल ही में राष्ट्रपति शासन के दौरान इस कोयला खान को गैर सरकारी फर्म को पट्टे पर दिया गया है और यदि हां, तो यह भारत सरकार की नीति के किस प्रकार अनुरूप है।

श्री सुबोध हंसदा : इस कोयला खान के संबंध में राज्य सरकार ने 15-7-71 को मैसर्स गोयन्का इन्वैस्टमैंट लिमिटेड के साथ एक करार किया है। राज्य सरकार को ही उस करार को रद्द करने का अधिकार है, सी० एम० ए० अथवा अन्य कोई संगठन इसे रद्द नहीं कर सकता। यह सच है कि इस समय यह भारत सरकार की नीति के अनुकूल नहीं है परन्तु यह करार कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व 1971 में किया गया था।

श्री डी० एन० तिवाड़ी : क्या सरकार इस कोयला खान सहित अन्य सभी कोयला खानों के बारे में समान प्रणाली बनाने के लिये कोई कार्यवाही करेगी जिससे कि उत्पादन, वितरण आदि के लिये एक जैसी प्रणाली की व्यवस्था हो सके ?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : हमने उड़ीसा सरकार को लिखा है कि यह करार कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण की भावना के अनुरूप नहीं है। हमने उनसे अनुरोध किया है कि इस करार को रद्द करने की वांछनीयता पर विचार किया जाये और कार्य उपयुक्त शर्तों पर कोयला खान प्राधिकरण को दिया जाये। राज्य सरकार मामले पर विचार कर रही है।

श्री जगन्नाथ राव : यदि यह कोयला खान उड़ीसा सरकार की है, तब राष्ट्रीयकरण का प्रश्न किस प्रकार उठता हैं ? अधिनियम की धारा 17 के अनुसार राज्य सरकार के स्वामित्व की कोयला खान इससे अलग हैं। क्या गैर-सरकारी फर्म और राज्य सरकार के बीच का यह करार एक पट्टा है अथवा ठेका ?

श्री टी० ए० पाई : अधिनियम के अनुसार इस खान के, जो पहले से ही राज्य सरकार के स्वामित्व में हैं, राष्ट्रीयकरण का प्रश्न ही नहीं उठता। परन्तु हमने राज्य सरकार से इस कार्य को किसी गैर-सरकारी फर्म को देने की बजाय कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण की भावना के अनुरुप कोयला खान प्राधिकरण को सौंपने के लिये कहा है।

नवम्बर 1973 में हुई भारत-ब्रिटिश वार्षिक द्विपक्षीय वार्त्ता

*573 : **श्री एम० एस० पुरती** : †

श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन भारतीयों के लिए बीमा प्रणाली समाप्त करने के पक्ष में है;

(ख) क्या विदेश सचिव ने नवम्बर, 1973 में हुई तीन दिवसीय वार्षिक द्विपक्षीय बातचीत में, ब्रिटेन में भारतीयों के साथ किए जाने वाले असंतोषजनक व्यवहार के प्रति भारत की रुष्टता प्रकट की थी; और

(ग) यदि हां, तो इस पर ब्रिटेन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) ब्रिटेन जाने वाले भारतीय नागरिकों की कठिनाइयों और परेशानियों का प्रश्न नवम्बर 1973 की वार्षिक द्विपक्षीय बातचीत में उठाया गया था और इस विषय पर भारत की दृढ़ भावना व्यक्त की गई थी। वीजा प्रणाली के प्रश्न पर ब्रिटिश पक्ष ने कहा कि उनके कानून के अनुसार, चाहे कोई व्यक्ति वीजा अथवा प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ ब्रिटेन आया हो अथवा दोनों में से कुछ भी न लेकर आया हो, आप्रवास अधिकारी को यह अधिकार है कि वह, यदि आवश्यक समझे तो इस बात से अपने को संतुष्ट करें कि वह व्यक्ति सही यात्री है और बगैर प्राधिकार प्राप्त कोई आप्रवासी नहीं है।

(ग) ब्रिटिश सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि वे परेशानी के प्रश्न पर विचार करेंगी और भविष्य में इस प्रकार की शिकायतों को दूर करने का पूरा प्रयत्न करेंगी।

Shri M.S. Parti: May I know from the hon. Minister whether the Indian nationals in U.K. are not subjected to harassment and maltreatment as a result of annual bilateral Indo-British talks of last November, and if they are still subjected to harassment, the reaction of the Government thereto ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : हमारे सामने ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिसमें ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों के साथ अन्य राष्ट्रिकों की अपेक्षा परेशानी का व्यवहार अथवा अन्य कोई दुर्व्यवहार किया गया हो।

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय ने बताया है कि द्विपक्षीय वार्ता में ब्रिटेन के साथ यह मामला उठाया गया था और हमने उनसे अपना विरोध प्रकट कर दिया था। उनकी क्या प्रतिक्रिया है और ब्रिटिश सरकार ने इस बात के लिये क्या गारंटी दी है कि जो भारतीय कभी कभी लंदन होकर अन्य स्थानों को जाते हैं उनके साथ अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जायेगा ? ब्रिटिश अप्रवास अधिकारियों द्वारा भारतीयों से उनकी सच्चाई का प्रमाण मांगा जाता है और इस प्रकार का व्यवहार कई बार बहुत अपमानजनक होता है। भारत सरकार द्वारा इस बात के लिये क्या कदम उठाये गये हैं कि ऐसी बातों की पुनरावृत्ति न हो विशेषतया जब हमारे संबंध ब्रिटेन के साथ अच्छे हैं और हम राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं क्योंकि हमारे पास कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि भारतीय राष्ट्रिक जब पर्यटकों के रूप में भी ब्रिटेन जाते हैं तब उनसे पूछताछ की जाती है और उन्हें परेशान किया जाता है। हमने यह मामला ब्रिटिश सरकार से उठाया है और उन्होंने उपचारात्मक कदम उठाये हैं। उस समय भी जब हमारी द्विपक्षीय वार्ता हुई हमारे प्रतिनिधि ने कड़े ढंग से यह मामला उठाया। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमें ब्रिटिश सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि वे इस मामले पर गंभीरता से विचार करेंगे और ऐसे कदम उठायेंगे जिससे कि भविष्य में ऐसी बातें न हों।

श्री पी० जी० मावलंकर : उपचारात्मक उपायों के उपरान्त भी ऐसी घटनाओं में वृद्धि हो रही हैं।

श्री बी० वी० नायक : इस देश के साथ बड़ा पक्षपात किया जाता है, विशेषतया आन्ध्र प्रदेश के लोगों के साथ। भारतीय नागरिकों को निम्नस्तर के लोग समझकर व्यवहार किया जाता है। क्या हमारा विदेश मंत्रालय भी जैसे के साथ तैसा व्यवहार करेगा अर्थात् ब्रिटिश लोग जब यहां एक समय सीमा के पश्चात् आयें तब उनके साथ, यदि वे वर्तमान नीति को न छोड़ें, ऐसा ही खराब व्यवहार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव मात्र है।

गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगपतियों को लाइसेंस-प्राप्त क्षमता से कम उत्पादन करने पर दण्ड दिया जाना

*574. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 नवम्बर, 1973 को समाप्त हुए गत तीन वर्षों में गैर-सरकारी क्षेत्र के कितने उद्योगपतियों को, यहां तक उनके मंत्रालय के अधीन उद्योगों का संबंध है, लाइसेंस-प्राप्त क्षमता से कम उत्पादन करने पर दण्ड दिया गया;

(ख) उन उद्योगों के नाम क्या हैं और प्रत्येक उद्योगपति को क्या दण्ड दिया गया; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है कि उद्योगों द्वारा पूरी लाइसेंस-प्राप्त क्षमता जितना उत्पादन किया जाये ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) अधिष्ठापित क्षमता से कम उत्पादन करने के अनेक कारण हो सकते हैं, जिनमें से अधिकांश कारण उद्योगपतियों के नियंत्रण से बाहर हैं, उदाहरणार्थ—कच्चे माल की कमी, कुल खरीद में गिरावट, बिजली बन्द होना और बिजली की कमी, परिवहन-कठिनाइयां, कार्यशील पूंजी की कमी, श्रमिक प्रबंधक समस्याओं के साथ-साथ प्रबंध तथा उत्पादकता की समस्याएं भी हैं। चूंकि दण्डात्मक कार्यवाही के संबंध में यह कहा जाता है कि क्षमता का कम उपयोग करना किन्हीं भी विद्यमान व्यवस्थाओं के अधीन दण्डनीय नहीं है इसलिए क्षमता का कम उपयोग करने के लिए दण्ड देने का प्रश्न नहीं उठ सकता है।

(ग) सरकार द्वारा उठाए गए अत्यधिक महत्वपूर्ण कदम, जिससे उद्योग अधिकतम संभव सीमा तक अपनी अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग कर सकें, निम्नलिखित हैं :—

(1) इस्पात तथा हिस्से पुर्जों सहित कच्चे माल के आयात को उदारीकृत करने के साथ-साथ देशी और आयातित कच्चे माल की उपलब्धता की समय-समय पर समीक्षा करना।

(2) संभाव्य सीमा तक पूंजीगत वस्तुओं की मांग को फिर से चालू करने और आर्डर बुक में सुधार करने की दृष्टि से विकास कार्यक्रमों की सतत समीक्षा करना।

(3) 65 विशिष्ट उद्योगों में लगे हुए औद्योगिक उपक्रमों को अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए कुछ शर्तों के अधीन अनुमति दी गई है। इसके अन्तर्गत कुछ अपवादों को छोड़कर जिन एककों को विशिष्ट उद्योगों में एक पाली या दो पाली के आधार पर लाइसेंस दिया गया है, उन्हें अधिकतम उपयोग के आधार पर अपने उत्पादन में वृद्धि करने की अनुमति दी गई है।

(4) कुछ शर्तों के अधीन औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की औपचारिकता के बिना अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता के 25% तक नई वस्तुओं का निर्माण करने के लिए अपने उत्पादन में विविधता लाने हेतु सामान्य रूप से औद्योगिक उपक्रमों को अनुमति दी जाती है।

(5) जहां तक मशीनी उद्योगों का संबंध है, विविधीकरण के लिए इन सुविधाओं के बिना किसी शर्त के सिवाय इस बात के कि विविधीकरण लाइसेंस प्राप्त क्षमता के अन्दर करना होगा, और ढील दे दी गई है। इस ढील के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त क्षमता के अन्दर औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किए बिना औद्योगिक मशीनों की नई वस्तुओं का निर्माण करने के लिए विविधीकरण की अनुमति दी जायेगी, चाहे यह एक बार हमेशा के लिए या आवर्ती आधार पर हो।

(6) औद्योगिक मशीन और मशीनी औजार निर्माताओं को विस्तृत प्रक्रिया बिना वर्ष में एक बार ही 5 लाख रुपये से कम लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के डिजाइन, ड्राइंग और प्रलेख पोषण, का आयात करने की अनुमति देने के लिए सरल प्रक्रिया विकसित की गई है।

Shri Satpal Kapur: Hon. Minister has given an incomplete reply. He has not replied to my question. I asked him the number of industrialists in Private sector punished for under-utilising licensed capacity. I want to know the reasons for not utilising their full capacity? The hon. Minister has stated in his reply that due to lack of Transport facilities and shortage of raw material, it may be so Under-utilisation of the capacity in the

private sector is the best way of producing black money in the country. I want to know whether the Government is considering to formulate some law to utilise the full capacity of the under-utilised plants in private sectors ?

भारी उद्योग, इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : अपने वक्तव्य में मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान उपबन्धों के अन्तर्गत क्षमता का पूरा उपयोग न करने के लिये कोई सजा नहीं है। हमें जान बूझकर क्षमता का पूरा उपयोग न करने और विभिन्न बाधाओं के कारण क्षमता का पूरा उपयोग न करने में अन्तर करना होगा। इस मंत्रालय के अन्तर्गत अनेक उद्योगों में विशेष रूप से इंजीनियरिंग उद्योग में 1966 में 1968 तक बाजार उपलब्ध न होने अथवा अन्य कठिनाइयों के कारण मंदी थी। कुछ उद्योगों जैसे डीजल इंजन, माइनिंग मशीनरी, रेलवे वैगन आदि को छोड़कर सब उद्योगों में 50 प्रतिशत से अधिक क्षमता का उपयोग किया गया है। कुछ उद्योगों जैसे ट्रांसफोर्मर इलैक्ट्रिक मोटर, बाल और रोलर बियरिंग आदि उद्योगों में औसतन 80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया है। अतः हम अब इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हम प्रत्येक उद्योग की समस्या का उद्योगवार अध्ययन करें और इस बात का पता लगायें कि क्या पूरी क्षमता का उपयोग जानबूझकर नहीं किया गया है अथवा किन्हीं बाधाओं के कारण ऐसा नहीं किया गया है। हम इस बात की ओर ध्यान देते हैं कि इस मामले में पूरी सहायता की जाये जिससे इन कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

Shri Sat Pal Kapur: I want to know whether the hon. Minister is prepared to give an assurance that in future the expansion of a plant in public sector who fails to utilize its full capacity will be stopped and its licence will be cancelled till it is not able to utilise its full capacity. I also want to know whether a Parliamentary Committee will be appointed to make investigations in this matter?

श्री टी० ए० पाई : यह सुझाव बहुत उपयोगी है कि किसी भी संयंत्र को तब तक विस्तार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये जब तक यह सुनिश्चित न हो जाये कि वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करेगा।

Shri Madhu Limaye: The hon. Minister has given the reasons for not utilising the full capacity I want to know whether one of the reasons for not utilising the full capacity by these industrices is this that the foreign companies associated with these companies are expanding their powers illegally and the Indian companies have not got any sale and distributions sources and as a result of it they are not able to utilise their full manufacturing capacity?

श्री टी० ए० पाई : इस मंत्रालय के अन्तर्गत अधिकांश उद्योग अन्य उद्योगों के लिए मशीनों के निर्माण से संबंधित हैं। इसका एक उदाहरण सीमेंट का निर्माण करने वाले कारखाने हैं। जब तक सीमेंट उद्योग की क्षमता का विस्तार करने के बारे में निर्णय नहीं लिया जाता, उक्त क्षमता का पूरा उपयोग न करने की संभावना बनी रहेगी। यही बात चीनी रासायनिक और उर्वरक उद्योगों पर भी लागू होती है।

जहां तक विदेशी क्षेत्र में किसी उद्योग के विस्तार का संबंध है, यदि आवश्यक समझा गया तो कार्यवाही की जायेगी।

Shri Narsingh Narain Pandey: The hon. Minister has stated in his reply that 300 crores rupees have been spent during the last few years and still more during the last ten years for the expansion of sugar industries, but there has not been any improvement in the installed capacity and machineries of these industries and that money has been utilised somewhere else. I want to know whether any investigation will be made in this connection?

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कहने जा रहा हूं इसका आपको कैसे पता लग सकता है ? आप मुझे ध्यान से क्यों नहीं सुनते ? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप मुझसे बहस क्यों कर रहे हैं ? यदि ऐसी भावना है तो मुझे दुख है।

प्रश्न यह था कि गत तीन वर्षों में गैर-सरकारी क्षेत्र में कितने उद्योगपतियों को सजा दी गई। आपको मूल प्रश्न से संबंधित प्रश्न पूछने चाहियें। हम इस विषय पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं।

Shri Sat Pal Kapur: I think it will be a case of severe punishment in case of Rs 300 crores meant for the improvement of sugar plants in private sector may not be invested in them.

श्री नरसिंह नारायण पाण्डे : माननीय मंत्री ने अभी बताया था कि उन्होंने चीनी कारखानों को विस्तार के लिये कुछ धनराशि दी है। अत: मैंने यह अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या यह सच है अथवा नहीं कि गैर-सरकारी और सहकारी क्षेत्र में चीनी कारखानों को अपनी प्रतिष्ठापित क्षमता का विस्तार करने और अपनी मशीनों में सुधार करने के लिये 300 करोड़ रुपये दिये थे। लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी मशीनों को नहीं बदला है और ना ही अपनी प्रतिष्ठापित क्षमता को बढ़ाया है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में कमी हो रही है। अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से उत्पन्न होता है। मैं इस अनुपूरक प्रश्न को नहीं रोक सकता। मैं इस प्रश्न को पूछने की अनुमति इसलिये दे रहा हूं क्योंकि इस अनुपूरक प्रश्न के लिये स्वयं जिम्मेवार हैं।

श्री टी० ए० पाई : मैं इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैंने कहा है कि कुछ बार क्रयादेशों की आवश्यकता के कारण, कभी कभी एक साथ क्रयादेशों के आने के कारण पूरे वर्ष के दौरान क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। मैं इस संबंध में उत्तर नहीं दे सकता कि क्या चीनी उद्योग को दी गई धनराशि को अन्य प्रयोजनों पर लगाया गया है अथवा अन्य-निर्माण कर्त्ताओं से क्रयादेश बुक किये गये हैं।

श्री एस० बी० गिरी : जहां तक गैर-सरकारी उद्योगों का संबंध है माननीय मंत्री ने बताया है कि जिन किसी गैर-सरकारी क्षेत्रों में क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जाता है उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। जहां तक सरकारी उपक्रमों का प्रश्न है क्या यह सच नहीं है कि कुप्रबन्ध, भ्रष्टाचार और पक्षपात और बुरे औद्योगिक संबंधों के कारण.. .... ।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल गैर-सरकारी क्षेत्र के बारे में प्रश्न करें। प्रश्न गैर-सरकारी क्षेत्र से संबंधित हैं।

श्री एस० बी० गिरी : जब हम उद्योगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इसके अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र में स्थित उद्योग भी आते हैं । वह भारी उद्योग हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकारी क्षेत्र में स्थित उद्योगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न गैर-सरकारी क्षेत्र से संबंधित है। मुझे दुःख है मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री बी० के० दास चौधरी : माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में उल्लेख किया है कि औद्योगिक उपक्रमों के बारे में कुछ शर्तें तैयार की गई हैं। मैं उनको एक अथवा दो कहूंगा सब पैरा (चार) में उल्लेख है कि "कुछ शर्तों के अधीन औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की औपचारिकता के बिना अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता के 25% तक नई वस्तुओं के निर्माण करने के लिये अपने उत्पादन में विवेधता लाने हेतु"...

अतः यह स्पष्ट है कि औद्योगिक उपक्रम अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता का 50% तक नई वस्तुओं के निर्माण करने के लिये अपने उत्पादन में विविधता लाने हेतु प्रयोग कर सकते हैं"...

इन दोनों वक्तव्यों को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या किसी औद्योगिक उपक्रम को किसी ऐसी वस्तु के निर्माण की अनुमति दी जायेगी जिसके लिये लाइसेंस प्राप्त न किया गया हो। क्या यही नीति है ?

श्री टी० ए० पाई : मुख्य रूप से उत्पादन किये जाने वाली वस्तुओं से मिलती जुलती वस्तुओं के उत्पादन की अनुमति दे दी जाती है क्योंकि हम नहीं चाहते कि प्रत्येक वस्तु की व्याख्या की जाये। हमें बहुधा इस बात का पता लगता है कि जब किसी एकक की स्थापना होती है तो उसे उसके उत्पादन के लिये बाजार नहीं मिलता तो हमारे लिये यह उचित नहीं होता कि हम उपयोग की जा रही पूरी क्षमता में बाधा डालें, जब तक बाधा डालें ऐसा राष्ट्रीय हित में होगा।

श्री अमृत नाहाटा : जब सरकार एक बार इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि एक विशेष औद्योगिक एकक उत्पादन को कम करने, अपना लाभ दर अधिक बनाये रखने के लिये जान बूझकर अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं करते हैं, तो क्या इन परिस्थितियों में सरकार को उक्त एकक को सजा देने का अधिकार प्राप्त है और यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त एकक के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये अधिकार प्राप्त करेगी ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीनी मिलें गन्ने को खरीदने के लिये पहले ही इंकार कर रही हैं जिससे चीनी का मूल्य जान बूझकर ऊंचा किया जा सके।

श्री टी० ए० पाई : मैं न केवल इस अवसर पर बल्कि अनेक अवसरों पर पहले भी इस सदन में स्पष्ट कर चुका हूं कि इस समय हम उन लोगों को दण्ड नहीं दे रहे हैं जो बिना किन्हीं वैध कारणों से जानबूझकर उत्पादन कम कर रहे हैं। यदि ऐसे कोई मामले हमारे सामने लायें जायेंगे तो हम ऐसी प्रवृत्ति को रोकने के लिये निश्चित रूप से उचित कार्यवाही करेंगे; यदि ऐसा बाजार मूल्य नियोजित करने के उद्देश्य से किया गया होगा।

श्री सेझियान : क्या आपके पास ऐसे अधिकार हैं ?

एक माननीय सदस्य : कानून क्या है ?

श्री सतपाल कपूर : कोई कानून नहीं है।

श्री टी० ए० पाई : जब तक हम कठिनाइयां हल न कर दें कोई कानून लागू नहीं होगा। आप कोई भी कानून पास कर सकते हैं...

श्री अमृत नाहाटा : जान बूझ कर कम उपयोग किया गया।

श्री टी० ए० पाई : यही तो हमने देखना है कि यदि कोई कारखाना ठीक कार्य नहीं करता तो हम उसे औद्योगिक विकास विनियम अधिनियम के अधीन अपने नियंत्रण में ले सकें यदि यह देश के हित में हो। किन्तु हम इस समय यह नहीं कह सकते कि, जब तक पूर्ण औचित्य न हो, हम किसी एकक को अपने नियंत्रण में लेने की स्थिति में हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मंत्री महोदय के उत्तर के संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि सरकार उन कारखानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगी जो न केवल अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नही कर रहे हैं, परन्तु बिल्कुल बन्द हो गए हैं, विशेषकर ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग वर्क्स जैसे उद्योग ?

श्री टी० ए० पाई : हमने इसे उक्त अधिनियम के अधीन भी अधिग्रहण योग्य नहीं समझा।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या मंत्री महोदय अधिक उत्पादन करने वालों को और कम उत्पादन करने वालों, दोनों को दण्डित करेंगे ? क्या उन्हें इकट्ठे दण्डित किया जायेगा या एक के बाद दूसरे को. . . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों से निवेदन है कि 2-3 प्रश्न पूछने के बाद वे और प्रश्न न पूछें।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मेरे प्रश्न का उत्तर तो आने दें।

अध्यक्ष महोदय : आपके सभी प्रश्न बेसिर-पैर के होते हैं। फिर भी यदि मंत्री चाहें तो उत्तर दे दें।

Shri Jagannath Mishra: Some set of people are allowed. That is why it so happens. (Shri Hukam Chand Kachwai **rose**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। आप प्रत्येक प्रश्न पर खड़े हो जाते हैं। मैं आपकी प्रतिभा की प्रशंसा करता हूं क्योंकि आप प्रत्येक मामले पर प्रश्न पूछ सकते हैं।

इस पर अब कोई प्रश्न नहीं होगा।

श्री टी० ए० पाई : किसी कारखाने को लाइसेंस प्राप्त क्षमता के उल्लंघन पर दण्डित करना उचित ही है।

परन्तु जहां क्षमता के कम उपयोग की बात है, इससे भी हानि होती है क्योंकि वे दूसरों को अधिक क्षमता बनाने से रोकते हैं। हमें सुनिश्चित करना होगा कि स्थापित क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग हो।

भारतीय क्षेत्र की जल सीमा में पकड़ी गई पाकिस्तानी मत्स्य नौका

*575. **श्री बनमाली पटनायक :**

श्री पी० ए० सामिनायक :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय क्षेत्र की जल सीमा में जो एक पाकिस्तानी मत्स्य नौका 'लाल शावाज' पकड़ी गई थी उसे बाद में छोड़ दिया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह शिमला समझौते की भावना के विरुद्ध है और क्या यह मामला पाकिस्तान सरकार के ध्यान में लाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका पाकिस्तान ने क्या उत्तर दिया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) शिमला करार की भावना के अनुरूप, पाकिस्तानी जहाज को, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का उल्लंघन करने पर, उसके कर्मचारियों को आवश्यक चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था।

(ग) और (घ) इस घटना और हमारी कार्यवाही की सूचना पाकिस्तान सरकार को दे दी गई थी। इसके उत्तर में पाकिस्तान सरकार ने जहाज को जल्दी छोड़ देने के लिए आभार प्रकट किया और कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए समुचित कार्यवाही की जा रही है।

श्री बनमाली पटनायक : हमारी जल सीमा के कितने अन्दर अतिक्रमण किया गया और इस मामले में सामान्य प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई ?

श्री स्वर्ण सिंह : पाकिस्तानी मत्स्य ट्रालर 'लाल शबाज' जिसमें 16 कर्मचारी थे कच्छ तट पर जखाऊ प्रकाश स्तम्भ से 9 मील दूर और भारत पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के दक्षिण-उत्तर में 45 मील दूर तक आ गया था।

श्री बनमाली पटनायक : सुरक्षा उपाय सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : इन्हीं उपायों से ही हमने ट्रालर पकड़ा और इसे अपने क्षेत्र में ले आएं और उचित कार्यवाही की जा सकी।

अल्प सूचना प्रश्न

Short Notice Questions

असम में गलेकी क्षेत्र (स्ट्रक्चर) की दूसरे सब से बड़े तेल क्षेत्र के रूप में खोज

अ० सू० प्र० सं० 1. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में असम में जिस गलेकी क्षेत्र (स्ट्रक्चर) की खोज तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा की गई है वह दूसरा सबसे बड़ा तेल क्षेत्र हैं;

(ख) यदि हां, तो इस तेल क्षेत्र में वार्षिक उत्पादन का अनुमान क्या है; और

(ग) यहां उत्पादन कब तक आरंभ हो जाएगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरूआ) : (क) से (ग) गलेकी संरचना में अप्रैल 1968 में तेल निकला था। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्रों में गलेकी दूसरा सबसे बड़ा तेल क्षेत्र नहीं है। संरचना पर अन्वेषी व्यधन जारी है और इस समय संबंधित क्षेत्र में प्रत्याशित वार्षिक तेल उत्पादन के संबंध में सुनिश्चित अनुमान लगाना संभव नहीं है। गलेकी क्षेत्र में खोदे गए कुछ कुओं से परीक्षणात्मक उत्पादन जिसका उद्देश्य मुख्यरुप में पेट्रोल के संचा स्थान (रिजर्ब-आर) के लक्षणों का अध्ययन करना है, 1974 के पूर्वार्द्ध से चालू होने की संभावना है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव: बताया गया है कि गलेकी में 1960 में तेल मिला था और मंत्री महोदय वहां से मिलने वाले तेल की मात्रा का अनुमान नहीं बता पा रहे हैं। विश्व में तेल के गंभीर संकट के अलावा हम भी तेल के आयात के लिए काफी निर्भर हैं, तो क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इस क्षेत्र विशेष में तेल की खोज में इतना विलम्ब क्यों हुआ है जहां कि 13 वर्ष बाद तेल पाया गया है।

दूसरे, अब जब कि पांचवीं योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है, क्या सरकार ने तेल उत्पादन के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है? यदि हां, तो उसकी रुपरेखा क्या है और क्या वह देखेंगे कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल की खोज की कितनी योजनाओं का प्रस्ताव आगामी दस वर्षों में पूरी की जाने हेतु किया है? इनमें से कितनी योजनाएं पांचवीं योजना में पूरी की जाएंगी? तेल के उत्पादन और दूसरी खोज के लिए पांचवीं योजना में कुल कितनी राशि रखी गई हैं?

श्री देवकान्त बरूआ: तेल की खुदाई का पहला कार्य 1968 में किया गया था न कि 1960 में। इस क्षेत्र में सात कुएं खोदे जा चुके हैं और सामान्य गहराई से अधिक अर्थात् 3900 मीटर तक खुंदाई की गई है। योजना तैयार कर ली गई हैं जिस पर न केवल रुसी बल्कि हमारे विशेषज्ञों ने भी विचार किया है और इस क्षेत्र को काफी उचित क्षेत्र माना गया है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि वाणिज्यिक तौर पर भी यह व्यवहारिक होगा और इसीलिये 70 और कुएं खोदने होंगे जिसमें 2-3 वर्ष और लगेंगे। शायद 1977 तक हम इस क्षेत्र का वाणिज्यिक उपयोग कर पायेंगे।

जहां तक उनके सामान्य प्रश्न का संबंध है हमें आगामी पांच वर्षों में 7 करोड़ टन का अतिरिक्त तुलनात्मक भंडार बनाना है अर्थात् हमें 1978-79 में लगभग 40 से 42 लाख टन अतिरिक्त तेल का उत्पादन करना होगा।

Shri Birendra Singh Rao : I had asked as the national policy is also self-sufficiency apart from the proposals sent by O. N. G. C. for oil exploration. The hon. Minister had stated that this is not the second largest structure. I want to know which is that and what is the progress there ? What is the number of such projects proposed in the Fifth Plan.

श्री देवकान्त बरूआ: मैंने योजना के उद्देश्य के बारे में और इसे कैसे पूरा करना है इस संबंध में बताया है, परन्तु आपके प्रश्न से लगता है कि मुझे लम्बा भाषण देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने संक्षेप में योजना का उद्देश्य बताया है और यह भी बता दिया है कि आगामी पांच वर्ष में 42 से 44.20 लाख टन अतिरिक्त तेल का लक्ष्य है। इसके लिए कार्यवाही की जा रही है।

देश का सबसे बड़ा क्षेत्र लकुआं। इस समय वहां 5 लाख टन कच्चा तेल पैदा होता है यह गलेकी की बगल में हैं। तीसरा शायद नौगांव होगा मेरे पास पूरी सूची है परन्तु शायद सदस्य महोदय इन आंकड़ों को न जानना चाहें।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मंत्री महोदय ने बताया है कि लक्ष्य 7 करोड़ टन का है परन्तु क्या सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में कोयले जैसे अन्य प्राकृतिक सांद्रनों का तेल के विकल्प के रूप में उपयोग करने की कोई योजना बनाई हैं क्योंकि इसके बिना यह उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकेगा ? यदि हां, तो सरकार ने कितनी परियोजनाएं हाथ में ली हैं ?

श्री देवकान्त बरूआ : हमारा जो लक्ष्य कच्चे तेल का है उसे तो हम हर सूरत प्राप्त कर लेंगे।

श्री विक्रम महाजन : मंत्री महोदय ने आगामी 5-6 वर्षों में तेल के लिए कुएं खोदने की योजना बताई हैं। पहला कुआं 1968 में खोदा गया था और अब 1973 है अर्थात् पांच वर्ष तो बीत चुके है क्योंकि विश्वभर में तेल का संकट पैदा हो गया है अतः क्या इस के संदर्भ में क्या मंत्री महोदय यह कार्यक्रम पुनः बनाएंगे ताकि पांच वर्ष के बजाय यह काम दो वर्ष में पूरा हो जाये ? क्या इसके लिए कोई विशेष 'सैल' बनाया जाएगा ?

श्री देवकान्त बरूआ : सुझाव तो बहुत जोरदार है परन्तु क्रियान्वित करने योग्य नहीं है।

Shri Hukum Chand Kachwai: As stated by the Hon. Minister just now that seventy wells, shall be dug. I want to know in which states and the places where exploration is in progress at present and the total expenditure involved therein ?

Shri D.K. Barooah: All these seventy wells shall be in Galeki. Others shall be all over the country but in the Eastern and Western regions deeper exploration shall be done.

Shri Hukam Chand Kachwai: I had asked about the locations thereof.

Mr. Speaker: The hon. Minister has already mentioned that.

Shri Madhu Limaye: Reports regarding striking oil and gas appear off and on in the press but whether it is a fact that the O.N.G.C. has not been able to discover not even a single well or structure-where commercially exploitable oil is being tapped?

Shri D.K. Barooah: I do not think so. The facts stated by me just now show that during 1968-73, that is in less than ten years, Galeki has proved a substantial source of oil. Oil exploration is a slow process. First thing is discovery of firm oil resources and in ten years these have been found in plenty.

About the second part of the question, we have found oil mostly in the Eastern region and we have been commercially exploiting oil in Lalewa for the past ten years.

Shri Madhu Limaye: That is old one.

Shri D.K. Barooah: Counting from 1963, it is not so. The reply could be different only if he had mentioned about last five years.

Oil is being tapped from Pandrasugar and Barohla during the last ten years. But the problem is that of bringing the crude, for which the pipeline had to be extended, which is also being done. Meanwhile some crude is being brought in railway wagons. Through this pipeline capacity is being increased yet it has not been accomplished as quickly as it should be.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

चीनी उद्योग में वेतन ढांचे का पुनरीक्षण

*565. **श्री सी० के० चन्द्रापन :**
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी उद्योग में वेतन ढांचे का पुनरीक्षण करने के लिए एक निकाय स्थापित करने का निर्णय किया हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) इस मामले में शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की आशा है।

कोयले के स्टाक में कमी

*566. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान कोयला-खानों के मुहानों पर कोयले के स्टाक में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) अक्तूबर, 1971 के अन्त में देश में कोयला खानों के मुहाने पर कोयले का बहुत अधिक अर्थात् 83.60 लाख टन स्टाक था जो कि 43 दिन के उत्पादन के बराबर था जबकि 1973 के अक्तूबर, के अन्त में 51.00 लाख टन स्टाक था जोकि 23 दिन के उत्पादन के बराबर था और इसे असाधारण नहीं समझा जाता। दो वर्ष पूर्व का, विशेषकर बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्र में कोयले का स्टाक रेल यातायात का उपलब्ध न होने के कारण जमा हो गया था, जिसका मुख्य कारण पूर्वी क्षेत्र में उस समय कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति का होना था।

कपड़ा मिलों में श्रमिकों के वेतन

*572. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न राज्यों में कपड़ा मिलों में पुरुष तथा महिला श्रमिकों को वास्तव में कितना न्यूनतम वेतन मिलता है और सरकार ने कितना निश्चित कर रखा है; और

(ख) क्या उक्त किसी मिल में 14 वर्ष से कम आयु के बालक भी काम पर लगाये जाते हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) एक विवरण जो उपलब्ध सूचना दर्शाता है, मेज़ पर रखा गया है ।

(ख) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 67 चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार को निषिद्ध करती है। यह अधिनियम राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित किया जाता है और इसके उल्लंघन के मामलों, यदि कोई हों, की जांच उनके द्वारा की जाती है।

विवरण

देश के 11 चुने हुए केन्द्रों के संबंध में सूती वस्त्र मिलों में न्यूनतम मजदूरी भोगी कर्मकारों के लिए अक्तूबर, 1973 मास के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें और मंहगाई भत्ता :

क्रमांक	केन्द्र का नाम	कुल मजदूरी (रुपयों में)	परिवर्ती महंगाई भत्ते*	अंतरिम वृद्धि	कुल (रुपयों में)
1.	अहमदाबाद	38.00	256.12	—	294.12
2.	बंगलौर	40.00	222.00	—	262.00
3.	बड़ौदा	36.00	230.52	—	266.52
4.	बम्बई	40.00	256.70	—	296.70
5.	कोयम्बटोर और मद्रास	40.00	234.76	—	274.76
6.	दिल्ली	40.00	231.15	20.00(क)	291.15
7.	इन्दौर	38.00	254.48	—	292.48
8.	कानपुर	38.00	202.14	26.69(ख)	266.83
9.	शोलापुर	34.00	235.82	—	269.82
10.	नागपुर	34.00	196.04	—	230.04
11.	पश्चिम बंगाल	36.17	209.18(ग)	—	245.35

टिप्पणी :

*सूती वस्त्र उद्योग संबंधी प्रथम केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड ने 1959 के पूर्वार्द्ध में औसत मासिक महंगाई भत्ते का तीन चौथाई भाग मूल मजदूरी में विलय करने की सिफारिश की। (i) कोयम्बेटोर और मद्रास (ii) दिल्ली और (iii) पश्चिम बंगाल में स्थित संबंधित मिलों ने उक्त सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम मूल मजदूरी बढ़ा दी है जब कि कुछ अन्य केन्द्रों में यद्यपि यह दावा किया गया है कि 1959 के पूर्वार्द्ध में तीन चौथाई महंगाई भत्ते का मूल मजदूरी के साथ विलय कर दिया गया है, तथापि कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण यह राशि अभिलेखों में अलग रूप से दिखाई जाती है। तुलनीयता के उद्देश्य से विलय किया गया महंगाई भत्ता परिवर्ती महंगाई भत्ते के सतम्भ में दर्शाया गया है ।

(क) दिल्ली क्लाथ मिल्स और जनरल मिल्स कं० लि०, के दिल्ली के श्रमिकों के एक समझौते के आधार पर 1-4-1973 से 20 रुपये प्रति माह की दर से अंतरिम राशि दी गई थीं।

(ख) अगस्त, 1972 में देहरादून में हुए राज्य त्रिपक्षीय सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार कानपुर के टेक्सटाइल श्रमिकों को 15-8-1972 से 26.69 रुपये की एकसार वृद्धि दी गई थी ।

(ग) पश्चिम बंगाल मिल मालिक एसोसियेशन और श्रमिकों में हुए एक समझौते के अनुसार, पश्चिम बंगाल केन्द्र के संबंध में न्यूनतम मजदूरी भोगी पुरुष कर्मकारों के लिए न्यूनतम मूल मजदूरी बढ़ा कर 160 रुपये कर दी गई है।

धनबाद में कोयला खनिकों पर लाठी तथा गोली चलाया जाना

*576. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**

श्री राम भगत पासवान :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में धनबाद में कोयला खनिकों पर, जो राशन न मिलने के कारण आन्दोलन कर र थे, लाठी तथा गोली चलायी गयी ;

(ख) यदि हां, तो गोली चलाये जाने के कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ;

(ग) क्या इसकी जांच के लिये कोई आदेश दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (घ) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के क्षेत्रीय महाप्रबन्धक के कार्यालय तथा सिजुआ में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की संपत्ति की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल के कर्मचारियों को 15 नवम्बर, 1973 को हिंसक सशस्त्र भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोली चलानी पड़ी जिसके परिणामस्वरूप 6 व्यक्ति मारे गये थे जिनमें एक स्त्री थी।

बिहार राज्य की सरकार ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन इसकी जांच करने का आदेश दे दिया है ।

सरकारी उपक्रमों में आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबद्ध मजदूर संघों का सम्मेलन

*577. **श्री मानसिंह भोरा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों में आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से सम्बद्ध मजदूर संघों का दो दिवसीय सम्मेलन हाल ही में कोचीन में हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में क्या मुख्य निष्कर्ष निकले ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है।

एच० एम० टी० द्वारा आटोमैटिक घड़ियों का उत्पादन

*578. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एच० एम० टी०, बंगलौर में नवम्बर, 1973 तक कितनी आटोमैटिक घड़ियां बनाई गई ;

(ख) इनमें से कितनी घड़ियां अब तक बिक चुकी हैं; और

(ग) क्या सरकार निकट भविष्य में इनका निर्यात भी करने वाली है और यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) (क) और (ख) : नवम्बर, 1973 के अंत तक 47.3 लाख रुपये के मूल्य की 15757 स्वचलित घड़ियां बनाई गई हैं और 41.5 लाख रुपये के मूल्य की 13848 घड़ियां बेची गई हैं ।

(ग) इस प्रकार की घड़ियों की देश में मांग को ध्यान में रखते हुए इस समय इसके काफी मात्रा में निर्यात करने की कोई योजना नहीं है।

Alleged Chinese Criticism of India for Expansionism

*579. **Shri Chandulal Chandrakar:**

Shri Prasannbhai Mehta:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether China has accused India of expansionism; and

(b) the reaction of Government thereto ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The Chinese allegation is so obviously untenable and baseless that it needs no refutation. The world recognises India as a non-aligned, neutral and peaceful country and, in relations with her immediate neighbours, India's policy has all along been governed by the principles of respect for their sovereinty, peaceful co-existence, and non-interference in their internal affairs.

भारतीय सप्लाई मिशन, लंदन / वाशिंगटन में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये सहायक (असिस्टेंट)

580. **श्री रामजी राम :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लन्दन/वाशिंगटन स्थित भारतीय सप्लाई मिशनों में सहयकों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए गत वर्ष तक क्या अर्हता निर्धारित थी;

(ख) क्या 5 वर्षों के निर्धारित न्यूनतम क्रय अनुभव को मई, 1973 में कम करके 3 वर्ष कर दिया गया था जिसको जून में पुनः 5 वर्ष कर दिया गया और फिर अगस्त, 1973 में कम कर दिया गया; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) पिछले वर्ष तक सहायकों के चयन के लिए निर्धारित की गई अर्हताएं निम्नलिखित थीं :--

(1) आयु 45 वर्ष से अधिक न हो। उक्त आयु से अधिक आयु वाले उम्मीदवार भी आवेदन पत्र भेज सकते हैं। अन्य बातें समान होने पर अधिमान 45 वर्ष तक की आयु वाले उम्मीदवार को दिया जायेगा।

(2) परिवार जिसमें 3 बच्चों से अधिक न हों।

(3) खरीद सम्बन्धी पांच वर्ष अथवा अधिक का अनुभव।

(4) सेवा का रिकार्ड 'बहुत अच्छा' से 'उत्कृष्ट' तक।

(5) स्थायी पद पर लियन।

(ख) वास्तव में अगस्त, 1973 में 5 वर्ष के खरीद अनुभव की शर्त को कम करके 3 वर्ष कर दिया गया। अगस्त, 73 से पूर्व कुछ परिवर्तन प्रस्तावित किए गए थे परन्तु वे कार्यान्वित नहीं किए गए।

(ग) सरकारी हित की दृष्टि से यह कमी की गई।

स्वतः रोजगार पाने के लिये भूतपूर्व सैनिकों को धन तथा मार्ग निर्देशन देने के लिए सरकारी निगम

*581. **श्री पी० ए० सामिनाथन :**

श्री मोहम्मद शरीफ :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय भूतपूर्व सैनिकों को लघु उद्योग तथा अन्य स्वतः रोजगार वाले उद्यम आरम्भ करने हेतु धन तथा मार्ग निर्देशन देने के लिये सरकारी निगम गठित करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा; और

(ग) किस सीमा तक सहायता दी जाएगी?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (ख) जी हां श्रीमन्।

(ग) ब्यौरे अभी तैयार किए जा रहे हैं।

Manufacture of Jeeps

***582. Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) the names of heavy industries manufacturing jeeps and the number of jeeps manufactured this year;

(b) whether India imports jeeps from other countries also;

(c) whether jeeps are manufactured in the country itself to meet the military requirements; and

(d) if so, whether any complaints have been received about the jeeps being manufactured in India for the Defence Department ?

The Minister of Heavy Industry (Shri T.A. Pai) : (a) M/s. Mahindra & Mahindra Ltd., Bombay are the only civilian manufacturers of jeeps in the country. Their production of jeeps during the period January-November, 1973 has been 12,041.

(b) The import of jeeps of the type manufactured by the above company is not permitted.

(c) Yes, Sir.

(d) There is no complaint about the quality of jeeps supplied to the Defence Department by M/s. Mahindra & Mahindra Ltd.

पांचवीं योजना में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए योजनायें

*583. **श्री माधुर्य्य हालदार :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं और उनके पुनर्वास के लिए कितनी राशि नियत करने का विचार है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : 21,300 परिवारों को पांचवीं योजना की अवधि के दौरान बसाने के लिए योजनाएं तैयार की जा चुकी हैं। इनमें से 15,600 परिवारों को कृषि भूमि और 5,700 परिवारों को गैर-कृषक व्यवसायों के बसाए जाने की योजना है। फिर भी यह उपयुक्त भूमि और पर्याप्त धन के उपलब्ध होने पर निर्भर करता है।

पांचवीं योजना में पुनर्वास विभाग के लिए व्यवस्था को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। मामले पर शीघ्र ही योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श करने के बाद अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

दण्डकारण्य कर्मचारी एसोसियेशन (अराजपत्रित) के साथ समझौते की अनुवर्ती कार्यवाही

*584. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार तथा दण्डकारण्य कर्मचारी एसोसिएशन (अराजपत्रित) के बीच अगस्त, 1973 में हुए समझौते पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई;

(ख) क्या सरकार समझौते का उद्देश्य एवं भावना को बनाए रखने में असफल रही है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) अगस्त, 1973 में सरकार और दण्डकारण्य कर्मचारी एसोसिएशन (अराजपत्रित) के बीच कोई समझौता नहीं हुआ था। फिर भी कर्मचारियों की शिकायतों पर समय-समय पर विचार-विमर्श किया गया है और शिकायतों को दूर करने के लिए यथासम्भव कार्यवाही की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Coal Mines Take-over

*585. **Shri P. Gangadeb :**

Shri Shrikishan Modi :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether some of the coal mines have not been taken over by the Coal Mines Authority Limited even after Government's take-over of the management of coal mines in the country;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the total number thereof; and

(d) whether Coal Mines Authority is considering to take them over also ?

The Minister of Steel and Mines (Shri T .A. Pai) : (a) to (d) Ownership of all the coal mines the existence of which is known, is deemed to have been vested in the Central Government from 31st January, 1973 under the Coal Mines (Taking Over of Management) Act, 1973 except the captive mines of TISCO & IOSCO. There are, however, 71 coal mines (46 closed and 25 working) the physical possession of which has not yet been taken over by the Coal Mines Authority Limited. These are seasonal mines and are located in isolated and tribal areas. A proposal to get them worked through an agency agreement system is under consideration.

Compensation Cases pending in custodian's Department, Delhi.

*586. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of cases connected with the payment of compensation pending in the Custodian's Department in Delhi; and

(b) the reasons for not disposing them of ?

The Minister of Supply and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) The Custodian of Evacuee Property is not concerned with the payment of compensation to displaced persons from West Pakistan. This work is carried out by the Settlement Or ganization under the Chief Settlement Commissioner. The number of cases connected with the payment of compensation pending with the Settlement Organization as on 1-11-1973 is as under :—

(i) Fresh cases :	32
(ii) Cases under reprocessing/reopening :	5508
(iii) Unutilised statements of account :	4431
(iv) Cases relating to ex-gratia payments to migrants from Pak-held areas of Jammu & Kashmir and tribal areas of N.W.F.P. of West Pakistan (now Pakistan) :	173

(b) The main reasons for pendency of these cases are :—

(i) Some claimants who have associated their compensation claim for a consideration are not forthcoming to settle their claims.

(ii) Mortgagees of the property left behind by the displaced persons are sometimes difficult to trace.

(iii) Succession proceedings regarding heirs are involved.

(iv) Refund certificates and adjustment proposals in respect of allotted property are awaited.

(v) Affidavits regarding non utilisation of balance at credit are awaited.

Every effort to settle these cases expeditiously is being made.

Complaints of Corruption against Officials received after Nationalisation of Coal Mines

***587. Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the number of officials against whom complaints of corruption have been received by Government after the nationalisation of coal mines and the action taken in this regard: and

(b) whether slackness and lack of devotion to duty on the part of Government Officials are the root causes for which Government are incurring losses in coal mines ?

The Minister of Steel and Mines (Shri T.A. Pai) : (a) & (b) A number of complaints regarding corrupt practices in the nationalised coal mines have been received, most of them being anonymous and pseudonymous. These complaints are looked into and action taken wherever necessary.

बर्मा से स्वदेश वापस आये व्यक्ति

*588. **श्री छत्रपति अम्बेश :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा से अब तक कितने भारतीय वापस आये हैं और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को कितनी धनराशि लाने की अनुमति दी गई थी; और

(ख) उनके पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या प्रबन्ध किये हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जहाज द्वारा यात्रा के बारे में भारतीय दूतावास रंगून तथा वायुयान द्वारा यात्रा के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार से 14 दिसम्बर, 1973 तक प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक बर्मा से 1,96,843 व्यक्ति भारत लौट चुके हैं। इस समय वायुयान से आने वाले प्रत्यावासियों में वयस्कों को 37.50 रु० तथा आश्रितों और बच्चों को इससे कम विदेशी मुद्रा दी जाती है। समुद्र के मार्ग से आने वाले उन प्रत्यावासियों, को, जो अपना किराया स्वयं देते हैं, 25 रु० प्रति वयस्क तथा 15 रु० प्रति बच्चे की दर से दिए जाते हैं। जिन प्रत्यावासियों को समुद्री पास दिए जाते हैं, उन्हें सामान्यतया 15 रु० प्रति व्यस्क की दर से दिए जाते हैं।

(ख) एक विवरण, जिसमें बर्मा से स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा की गई व्यवस्था का ब्यौरा दिया गया है, सभा की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

बर्मा से स्वदेश लौटने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए किए गए उपाय

(i) **व्यापार ऋण**

कारोबार तथा व्यापार के लिए अधिक से अधिक 5,000 रुपये प्रति परिवार ऋण मंजूर किए जाते हैं।

(ii) **आवास ऋण**

प्लाट खरीदने तथा घर बनाने के लिए निम्नलिखित दर पर ऋण दिए जाते हैं:—

	शहरी क्षेत्र (रुपये)	ग्रामीण क्षेत्र (रुपये)
(क) प्लाट की लागत	600 (ऋण)	200 (ऋण)
(ख) मकान के निर्माण पर लागत	2000 (ऋण)	1250 (ऋण)
(ग) भूमि सुधार	1500 (ऋण)	600 (अनुदान)
(घ) कारोबार के स्थान का निर्माण	500 (ऋण)	200 (ऋण)

(iii) **कृषि में पुनर्व्यवस्थापन**

(क) परिवारों को भूमि उपनिवेश योजना के अन्तर्गत तमिल नाडु में बसाया गया है।

(ख) परिवारों को मैसूर, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में अन्य कृषि परियोजनाओं तथा योजनाओं के अन्तर्गत भूमि एलाट की गई है।

(iv) **शिक्षा संबंधी रियायतें**

(क) दिन में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 5 रु० से लेकर 100 रु० तक प्रति वर्ष पुस्तक अनुदान।

(ख) यदि विद्यार्थी अपने परिवार से दूर छात्रावास में रहता हो तो अंकों की कुछ शर्तों पर हाई स्कूलों और कालेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 40 रु० से 60 रु० तक प्रति मास वजीफा। उक्त रियायतें इस शर्त पर दी जाती हैं कि उनके माता-पिता की आय 250 रु० प्रति माह से अधिक न हो।

(v) **रोजगार की सुविधाएं**

(क) रोजगार कार्यालयों के जरिए केन्द्रीय सरकार के अधीन नियुक्ति के मामले में अग्रता दी जाती है।

(ख) रोजगार कार्यालयों के जरिए भर्ती के लिए आयु-सीमा में 45 वर्ष की छूट दी जाती है (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 50 वर्ष)।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों में अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट। उचित मामलों में आयोग को परीक्षा शुल्क में छूट देने का अधिकार दे दिया गया है।

(घ) स्वदेश लौटने वालों को रोजगार सहायता देने के लिए मद्रास तथा विशाखापटनम में विशेष रोज़गार सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

(ङ) स्वदेश लौटने वालों को मदन इंडस्ट्रीज, हस्तिनापुर, टैक्सटाइल टाउनशिप, रामागुन्दम, कताई मिलें, नैलोर तथा राजामुन्दरी, नजारथ कताई मिल्स और श्री विल्लिपुथुर सहकारी कताई मिलों जैसी पुनर्वास योजनाओं के अन्तर्गत विशेष रूप से स्थापित उद्योगों में प्रशिक्षण तथा रोजगार सुविधाएं भी दी जाती हैं।

(च) रोजगार की सम्भावनाओं में वृद्धि करने के ध्येय से प्रत्यावासियों को आवश्यक तकनीकी व्यवसायों में प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

(vi) मंजूर की गई अन्य योजनाएं

बर्मा से स्वदेश लौटे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए भारत सरकार द्वारा बहुत सी विशेष योजनाएं मंजूर की गई हैं। इनमें बर्मा से आए लोगों के बच्चों के लिए माथुर (तमिल नाडु) में विशेष रिहायशी स्कूल, माथुर (तमिल नाडु) में अनाश्रित महिलाओं के लिए विशेष गृह, स्वदेश लौटने वालों के लिए कंचरपलेम (आंध्र प्रदेश) में स्थायी दायित्व गृह तथा विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रशिक्षण योजनाएं शामिल हैं।

(vii) प्रत्यावासी सहकारी वित्त तथा विकास बैंक

दक्षिणी राज्यों में बसाए गए प्रत्यावासियों को लघु उद्योग, व्यापार तथा अन्य योजनाओं के लिए उधार सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रत्यावासी सहकारी वित्त तथा विकास बैंक स्थापित कर दिया गया है। इसका मुख्यालय मद्रास में है।

(vii) वित्तीय सहायता

30-9-1973 तक राज्य सरकारों आदि को उनके द्वारा राहत तथा पुनर्वास पर किए गए खर्च के बारे में सहायक अनुदानों के रूप में 278.39 लाख रुपये की राशि की प्रति पूर्ति कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को व्यापार ऋण/आवास ऋण/दुकानें बनाने और प्रत्यावासियों को कृषि में पुनर्व्यवस्थापन देने की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 1188.77 लाख रुपये का ऋण दिया गया है।

संगरौली कोयला क्षेत्र

5508. श्री रण बहादुर सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगरौली कोयला क्षेत्र में एक नया श्रमिक संघ बन गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रबन्धकों ने उसे मान्यता प्रदान कर दी है;

(ग) क्या यह संघ किसी अखिल भारतीय श्रमिक संघ से सम्बद्ध नहीं है; और

(घ) क्या ऐसे संघ को इतनी शीघ्र मान्यता राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कुछ अधिकारियों के घनिष्ठ सहयोग से मिली है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी हां। सिंगरौली कोयला क्षेत्र में दो नए मजदूर संघ बन गए हैं।

(ख) प्रबन्धकों द्वारा अभी उनमें से किसी को मान्यता नहीं दी गई है।

(ग) दोनों संघों में से एक अर्थात् मध्य प्रदेश कोयला मजदूर पंचायत हिंद मजदूर सभा से सम्बद्ध है जबकि सिंगरौली खान मजदूर कांग्रेस नाम का दूसरा संघ किसी केन्द्रीय संगठन से सम्बद्ध है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Manufacture of Cars and their Allotment

5509. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) the number of cars manufactured in India during 1972-73 and the percentage thereof purchased by the Government under Government quota;

(b) the quota allotted to Government officers for their use; and

(c) the quota given to the general public ?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh) : (a) 38,290 Cars were manufactured in India during 1972-73 out of which the percentage of vehicles purchased by the Government was 3.5

(b) The quota of cars allotted to the Central Government officers during this period was 3,688.

(c) 21,444.

बिहार से पूंजी का बाहर चला जाना

5510. श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद सरकारी प्रोत्साहन के अभाव में निजी पूंजी और तकनीकी ज्ञान बिहार से बाहर जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही की है कि भूतपूर्व कोयला उद्यमकर्त्ताओं को नये उद्योगों में पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाये; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिये कोई योजना बनाई गई है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी नहीं। सरकार को पूंजी के इस प्रकार बाहर जाने की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) औद्योगीकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भूतपूर्व खान-मालिकों सहित अन्य उद्यमियों को नए उद्योगों में पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक वाहनों के निर्माण के लिये लाइसेंस हेतु विचाराधीन आवेदन-पत्र

5511. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वाहनों का निर्माण करने के लिये लाइसेंस प्राप्त करने हेतु दिये गये बहुत से आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने और कब से विचाराधीन हैं; और

(ग) आवेदक पार्टियों का ब्यौरा क्या है और उनके आवेदनों पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सार्वजनिक परिवहन गाड़ियों का निर्माण करने के लिए लाइसेंस हेतु छः आवेदन विचाराधीन हैं। इन आवेदनों में से तीन 1971 में, दो 1972 में और एक 1973 में प्राप्त हुए थे।

(ग) आवेदक पार्टियों का विवरण निम्न प्रकार है :—

1. मे० किर्लोस्कर आयल इंजिन्स लि०, पूना।
2. मे० यू० पी० इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, कानपुर।
3. मे० कमल ट्रैक्टर्स एण्ड इंजीनियरिंग एंटर प्राइजेज, हैदराबाद।
4. मे० स्वदेशी माईनिंग एण्ड मैन्युफेक्चरिंग कं० लि०, कलकत्ता।
5. मे० बजाज आटो लि०, पूना।
6. मे० आटोमोबाइल प्राडक्ट्स आफ इंडिया लि०, बम्बई।

ये सभी कार्यवाही की विभिन्न अवस्थाओं में हैं, और इन सभी मामलों पर शीघ्र ही अन्तिम निर्णय हो जाने की आशा है।

रेणूकूट स्थित हिन्दालको की फैक्ट्री में एल्यूमीनियम का उत्पादन

5512. **श्री शशि भूषण :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेणूकूट स्थित हिन्दालको की फैक्ट्री में एल्यूमीनियम के उत्पादन की वर्त्तमान दर क्या है और एल्यूमीनियम के उत्पादन की दर पहले की अपेक्षा कितनी कम हो गई है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं और सरकार का इस स्थिति के साथ कैसे निपटने का विचार है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) हिन्दुस्तान अल्युमिनियम निगम द्वारा अल्युमीनियम का वर्तमान उत्पादन दर लगभग 5000 टन प्रति माह है जबकि पिछले तीन वर्षों में उत्पादन लगभग 6500 टन प्रति माह रहा।

(ख) बिजली की कमी का अल्युमिनियम सहित सभी उद्योगों पर असर पड़ा है। सरकार द्वार बिजली उत्पादन में यथा संभव वृद्धि के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

दादरा और नागर हवेली में कारों का आवंटन

5513. **श्री आर० आर० पटेल** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दादरा और नगर हवेली में बाहर के लोग इस संघ राज्य क्षेत्र के लिये निश्चित कोटे में से रिहायश के झूठे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके, कारें ले लेते हैं और उन्हें काले-बाजार में बेच देते हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस कदाचार को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 30 नवम्बर, 1973 को दादरा और नगर हवेली के लिए गृह मंत्री की सलाहकार समिति की हुई बैठक में यह कहा गया था कि इस प्रशासन का निवासी होने का झूठा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके प्रशासन के कोटे में से बाहर के लोग कारें लेते हैं।]

(ख) प्रशासन को अपना नियंत्रक नामित करने की सलाह दी गई है। नियंत्रक को मोटर कार (वितरण तथा बिक्री) नियंत्रण आदेश, 1959 के अधीन कदाचार रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु अधिकार प्राप्त हैं।

एच० एम० टी० क्राफ्टसमैन वैल्फेयर एसोसियेशन का अभ्यावेदन

5514. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** :
श्री वयालार रवि :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के प्रबन्धकों को एच०एम०टी० क्राफ्ट्समेन वैल्फेयर एसोसियेशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो श्रमिकों की शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के प्रबन्धकों की, बाकी कठिनाईयों का पता लगाने के लिये संघ के साथ कई बैठकें हुईं। संघ, कम्पनी स्तर पर सीधे बात-चीत करने को सहमत नहीं है, यद्यपि बहुत सी दूसरी यूनियनों को यह मान्यता है।

एच० एम० टी० क्राफ्टसमैन वेल्फेयर एसोसियशन द्वारा समझौता बैठक में भाग न लिया जाना

5515. **श्री वयालार रवि** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या प्रबन्धकों और कर्मचारियों के एक वर्ग के प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में हुई समझौता बैठक में एच०एम०टी० क्राफ्ट्समैन वैल्फेयर एसोसिएशन ने भाग नहीं लिया है;

(ख) यदि हां, तो समझौता बैठक में इस संघ विशेष द्वारा भाग न लिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) एच०एम०टी० क्राफ्टसमैन वैल्फेयर ऐसोसिएशन को समझौता वार्ता में शामिल करके शेष सभी मामलों को शांति पूर्वक निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) एच०एम०टी० क्राफ्ट मैन वेल्फेयर एसोसिएशन ने जिला श्रम अधिकारी के साथ हुई समझौता बैठकों में भाग लिया था और वार्षिक बोनस तथा मजदूरी में संशोधन करने के मामले में कम्पनी स्तर पर बात-चीत करने का परामर्श दिया था। फिर भी, ज्ञातव्य है कि अधिकांश यूनियनें अपनी मांगों के बारे में प्रबन्धकों से सीधे बातचीत करने के लिए राजी हो गई हैं, एच०एम०टी० क्राफ्ट मैन वेल्फेयर एसोसिएशन ने अब तक इस सुझाव को नहीं माना है।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा उर्वरकों का उत्पादन

5516. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा उर्वरकों का कितना उत्पादन किया गया और बड़े व्यापार गृह जैसे शाह वैलेस एण्ड रेलीज इण्डिया लिमिटेड के माध्यम से कितना उर्वरक बेचा गया जबकि इसकी बिक्री के मामले में शिक्षित बेरोजगारों विक्लांग सैनिक कर्मचारियों अथवा युद्ध में मारे गये रक्षा कर्मचारियों के आश्रितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये थी; और

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के उत्पादों को गैर-सरकारी क्षेत्र के माध्यम से बेचने के क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 की अवधि में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का उर्वरक का कुल उत्पादन नीचे दिया गया है।

(टन)

	कैल्सियम एमोनियम नाइट्रेट	एमोनियम सल्फेट
1971-72	1,85,418	42,358
1972-73	1,97,390	52,116

शावालेस, रेलीज इण्डिया लिमिटेड जैसे बड़े-बड़े व्यापार घरानों की मार्फत बेची गई मात्रा निम्नलिखित है :—

(टन)

	कैल्सियम एमोनियम नाइट्रेट	एमोनियम सल्फेट
1971-72	11,499	8,379
1972-73	16,238	1,400

(ख) इस मामले में वित्तीय और वाणिज्यिक पहलुओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। फिर भी 31-3-1974 से आगे मेसर्स शावालेस और रैलीज इंडिया लिमिटेड की नियुक्ति की शर्तों का नवीकरण न करने का फैसला किया गया है।

कर्नाटक में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा खोज-कार्य

5517. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकमागालपुर जिले के कुद्रेमुखा गंगामूला क्षेत्र और बेल्लारी जिले के डोनीमलाई थिम्मप्पान-गुडी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोह अयस्क का खोज-कार्य करने के लिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने कर्नाटक सरकार से अनुमति प्राप्त की थी; और

(ख) यदि हां, तो अब तक हुई प्रगति की मुख्य बातें क्या हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने मैसूर सरकार से मैसूर राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में लोह-खनिज के भण्डारों का पता लगाने के लिए पट्टे पर भूमि ली थी :—

(1) बेल्लारी जिले में डोनीमलाई क्षेत्र,

(2) चिकमगलूर जिले में पश्चिमी घाट के अरोली रेंज में कुद्रेमुख क्षेत्र; और

(3) बेल्लारी जिले में रमनदुर्ग/कुमारस्वामी क्षेत्र।

(ख) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम डोनीमलाई में प्रतिवर्ष 40 लाख टन रन-आफमाइन खनिज का उत्पादन करने के लिए लोह-खनिज भण्डारों का विकास कर रही है। यह कार्य चल रहा है, और आशा है 1975-76 तक इस खान में उत्पादन होने लगेगा। विभिन्न विकल्पों (तकनीकी-आर्थिक अध्ययन भी शामिल हैं) और कुद्रेमुख के भण्डारों के इस्तेमाल पर विचार किया जा रहा है।

रमनदुर्ग/कुमारस्वामी क्षेत्रों में पूर्वेक्षण कार्य चल रहा है।

Refugees from Erstwhile East Pakistan

5518. Shri Chhatrapati Ambesh : Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of refugees who crossed over to India from East Pakistan (Bangla Desh) during the last three years, year-wise;

(b) the number of refugees who have gone back so far; and

(c) the expenditure incurred on them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Supply and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : (a) and (b) A statement (Statement-I) showing the number of new migrants/evacuees who came from erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) and those who have gone back to that country is attached. [Placed in Library See. No. L.T. 6081/73]

(c) A statement (Statement-II) shwoing expenditure on new migrants/evacuees from erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) is attached. [Placed in Library. See No. L.T. 6081/73]

नकली लघु उद्योग एककों द्वारा इस्पात के कोटे का दुरूपयोग

5519. श्री विक्रम महाजन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री 16 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3267 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नकली लघु एककों द्वारा इस्पात के कोटे के दुरुपयोग से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) : अतारांकित प्रश्न संख्या 3267, जिसका उत्तर 16 अगस्त, 1973 को दिया गया था, का कार्यान्वयन विवरण 15 नवम्बर, 1973 को सभा पटल पर रख दिया गया था। दोषी इकाइयों, जिनको प्रेषण निलम्बित कर दिए गए हैं, के नाम और पते नीचे दिए गए हैं।

पश्चिमी बंगाल

1. अमिका इंजीनियरिंग वर्क्स, 58, कैलास बोस स्ट्रीट, कलकत्ता।
2. वीरेन्द्रा इंजीनियरिंग वर्क्स, 12 राजेन्द्र देव रोड, कलकत्ता।
3. आर० सी० स्टील एण्ड मेटल कम्पनी, 67, अमहरसट स्ट्रीट, कलकत्ता-9
4. बंगाल इंजीनियरिंग वर्क्स, 67 अमहरसट स्ट्रीट, कलकत्ता-9।
5. वरिटको मेटल इंडस्ट्रीज, 58 कैलाश बोस स्ट्रीट, कलकत्ता-9।
6. हिन्दुस्तान स्टील इंडस्ट्रीज, 58 कैलाश बोस स्ट्रीट, कलकत्ता 9।
7. जनरल इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, 12 राजेंद्र देव रोड, कलकत्ता।
8. भारत स्टील वर्क्स, 58, कैलाश बोस स्ट्रीट, कलकत्ता-9।
9. जी०डी० आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज, 77 श्रीकिसन भक्त लेन, हावड़ा।
10. आर० शशि इंडस्ट्रीज कारपोरेशन, 58 कैलाश बोस स्ट्रीट, कलकत्ता।
11. कमल इंडस्ट्रीज, 75, कैलाश बोस स्ट्रीट, कलकत्ता।
12. प्रसाद आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, 54, दशरथ घोष लेन, हावड़ा।
13. आर० के० इंडस्ट्रीज वर्क्स, 10/1, रनहरी मिस्तरी लेन, कलकत्ता तथा 94/1/2, एम० एस० पाल चौधरी लेन, हावड़ा।
14. तारा इंडस्ट्रीज, 8ए, बच्चु चटर्जी लेन, हावड़ा।
15. इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, 15/2 के, बलाई सिन्हा लेन, कलकत्ता।
16. एन० आर० इंजीनियरिंग वर्क्स, 12 राजेन्द्र रेव रोड, कलकत्ता।
17. श्री दुर्गा इंजीनियरिंग वर्क्स 68 ग्रीस पार्क (नाथ) कलकता तथा 26/17 एम० एस० पी० एसी० रोड़, हावड़ा।
18. श्री काली इंजीनियरिंग, 8ए सवामी लेन, कलकत्ता-42 तथा 104/एफ० डी०जी०एस० बोस रोड कलकत्ता-31।
19. अघोलो इंजीनियरिंग वर्क्स, 37 नार्थ रेन्ज, कलकत्ता-17
20. अशोक इंजीनियरिंग वर्क्स, 77, कैलाश बोस स्ट्रीट, कलकत्ता।
21. अजन्ता एगरीकलचरल इम्पलीमेंट्स, 37 नार्थ रेंज, कलकत्ता-17

22. रेलेंस इंजीनियरिंग वर्क्स, 183, धर्माटोला रोड़, सालका, हावड़ा।
23. मून स्टील कम्पनी, कलकत्ता।
24. पाटेसवरी एगरीकलचरल इक्विपमेंट, 12 राजेन्द्र रेव देव रोड़, कलकत्ता-9।
25. वी० एम० स्टील ट्रेडर्स, 58, कैलाश बोस रोड़, कलकत्ता-9 ।
26. दीप एण्ड मोनीर स्टील आरगेनाइजेशन, 82/2 सी, विधान सारणी, कलकत्ता।
27. बालाजी प्रोडक्ट्स इंडिया, 12, राजेंद्र देव रोड़, कलकत्ता-7।
28. विनय अगरीको इंटरपराइजिज, 55/1, भाईराबदत्ता लेन, कलकत्ता, सालकिया, हावड़ा।
29. एगरीकलचरल इम्पलीमेंट्स एन्टरपराइजिज, भाईराब दत्त लेन, सालकिया, हावड़ा।
30. बजरंग अगरीको इन्टरपराइजिज, 63-बी, अमरसीट स्ट्रीट, कलकत्ता।
31. नेशनल स्टील वर्क्स, 12/1, घोष लेन, कलकत्ता-6 ।
32. ए० जे० इंजीनियरिंग वर्क्स, 12, राजेन्द्र देव रोड़, कलकत्ता-7।
33. मां काली इंजीनियरिंग वर्क्स, 54, दशरथ घोष लेन, हावड़ा तथा 58, कैलाश बोस स्ट्रीट, कलकत्ता-9।
34. वायरन इंजीनियरिंग कम्पनी, 122 बो, मारिक टोला स्ट्रीट, कलकत्ता-56।
35. मेसर्स सुपर फैबरिकेसन, 50, बेताखाना रोड़, कलकत्ता-9।
36. मेसर्स नेशनल बिल्डर्स, पी०-50, न्यू सी०आई०डी०टी० रोड़, कलकत्ता-14 ।
37. मेसर्स फ्री इंडिया कंस्ट्रक्टर, 46, पातलडंगा स्ट्रीट, कलकत्ता-9।
38. मेसर्स इन्द्राणी स्टील कारपोरेशन, 49/बी, टाडनशेड रोड़, कलकत्ता-25 ।
39. मेसर्स शालीमार कंस्ट्रक्शन कम्पनी, 6/1, सरत चन्द्र ऐवन्यु, कलकत्ता-25।
40. मेसर्स एम० आर० इंडस्ट्रीज, 49 बी, टाउनशेड रोड़, कलकत्ता-25।
41. मेसर्स जे० के० बनर्जी तथा अन्य 38, मिलन पार्क गरिया, 24-परगना।
42. मेसर्स अमर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, हावड़ा।

दिल्ली :

43. मेसर्स माडर्न इंजीनियरिंग वर्क्स, 78, ग्राम पड़पड़गंज, दिल्ली।

तमिलनाडु

44. मेसर्स मनीक्कम एन्टरपराइजिज, 5, कृष्ण अय्यर स्ट्रीट, मद्रास-34।
45. मेसर्स श्री पलानीअप्पा स्टील इंडस्ट्रीज, 4, न्यू स्ट्रीट, त्रियुवोत्तयार, मद्रास-19 ।
46. मेसर्स जनरल एण्ड मेटल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, 2 तथा 3, न्यू स्ट्रीट, मद्रास-19 ।
47. मेसर्स ई० थरमल, 5, रेलवे स्टेशन रोड़, कोडामबाक्कम, मद्रास।
48. मेसर्स टी० ए० चंगालवोरिया चेट्टी, 3/ए०, साउथ सीवन कोएंसी स्ट्रीट, मद्रास-2।
49. मेसर्स श्री जे० राजकुम्मा, 11/ए०, कामराज कालोनी, सेकिन्ड स्ट्रीट, कोडामक्का मद्रास-24।
50. मेसर्स हिन्दुस्तान स्ट्रक्चरल वर्क्स, 10, साइवां मुंथवा मंडाली लेन, मद्रास।
51. मेसर्स हिअन्ना इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, 3 साइवन कौल स्ट्रीट, मद्रास-24।
52. मेसर्स भारती आयरन वर्क्स, 3, साइवल कोल साउथ स्ट्रीट, मद्रास-24।
53. मेसर्स सी० के० मोहन, 3, कुष्णाप्पा मुडाली स्ट्रीट, पुरसावालकम, मद्रास-7।
54. मेसर्स ई०जे०के० इंजीनियरिंग वर्क्स, 3-ए, साउथ सिवाल कोयल स्ट्रीट, मद्रास-24 ।
55. मेसर्स जयपाल, इंडस्ट्रीज, 238, टी०एच० रोड़, मद्रास-8।

56. मेसर्स सी० डानामल, 5 रेलवे स्टेशन रोड़, कोडामवाकम, मद्रास-24।

57. मेसर्स एस० राजमल, 3, थांडावारोआ मुंडाली स्ट्रीट, मद्रास-7।

58. मेसर्स बाबू इंजीनियरिंग एण्ड मेटल इंडस्ट्रीज, 1/बी० इस्ट मादा स्ट्रीट, मद्रास।

आन्ध्र प्रदेश :

59. मेसर्स रायलसीमा स्टील री-रोलिंग मिल्स, गुलगुनटाकल (स्क्रैप)।

60. मेसर्स रायलसीमा स्टील री-रोलिंग कि मिल्स, गुनटाकल (वायर ड्राइंग)।

61. मेसर्स आंध्र स्टील री-रोलिंग मिल्स, गुनटाकल (स्क्रैप)।

62. मेसर्स आंध्र स्टील री-रोलिंग मिल्स, गुनटाकल (वायर ड्राइंग)।

63. मेसर्स वेंकेटेश्वरा स्टील एण्ड वायर ड्राइंग इंडस्ट्रीज, गुनटाकल।

64. मेसर्स बालाजी स्टील एण्ड वायर ड्राइंग इंडस्ट्रीज, गुंटाकल।

65. मेसर्स आई० के० मेटल ड्राइंग एण्ड प्रोडक्ट्स, हैदराबाद।

66. मेसर्स सुपर स्टील डिस्ट्रीब्युटर एण्ड मैन्युफैक्चरिर्स, हैदराबाद।

दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारियों की शिकायतें

5520. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारियों की सभी शिकायतें दूर कर दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उन कर्मचारियों की मांगे क्या हैं जो अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : **(क) और (ख)** : दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारियों की शिकायतों पर कर्मचारियों की एसोसिएशन के प्रतिनिधियों द्वारा तत्कालीन श्रम और पुनर्वास मंत्री के साथ चर्चा पिछली बार 23-5-1973 को दिल्ली में हुई बैठकों में की गई थी। बैठक में चर्चा की गई विभिन्न मांगों की स्थिति नीचे दी गई है :--

(1) परियोजना भत्ते में की गई कटौती की बहाली।

(2) हल जोतने वालों को समयमान वेतन की मंजूरी।

इन दोनों मामलों पर विचार किया जा रहा है।

(3) कार्य प्रभारित कर्मचारियों की छटनी

फालतू कार्य प्रभारित कर्मचारियों के लिए रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय के माध्यम से तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और सार्वजनिक संस्थानों में वैकल्पिक रोजगार दिलाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं तथा फिलहाल कर्मचारियों की छंटनी को 28-2-1974 तक रोक दिया गया है।

(4) कार्य प्रभारित कर्मचारियों के लिए द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों का लागू किया जाना।

मामला न्यायाधीन है।

(5) स्थानान्तरण के कारण सताया जाना।

स्थानांतरण सार्वजनिक हित में किए गए हैं।

(6) श्रीमती पुष्पा राय का मामला।

परियोजना से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस समय परियोजना में मुख्याध्यापिका या उसके समकक्ष कोई पद नहीं है जो उसे दिया जा सके।

(7) न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन की अदायगी

मामला विचाराधीन है।

(8) प्रतिकूल जलवायु भत्ता

अगस्त, 1973 के अन्त तक इस भत्ते की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। इसमें समय वृद्धि विचाराधीन है।

मध्य प्रदेश में ट्रैक्टर कारखाना

5521. **श्री गगा चरण दीक्षित :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश में एक ट्रैक्टर कारखाने की स्थापना करने के बारे में केन्द्रीय सरकार से किसी प्रकार की सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भिलाई इस्पात संयंत्र की क्षमता

5522. **श्री गंगाचरण दीक्षित:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता (उत्पादन में) कितनी है;

(ख) क्या इस्पात संयंत्र अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकेगा;

(ग) वर्ष 1971-72 में भिलाई इस्पात संयंत्र में कितना उत्पादन हुआ; और

(घ) गत तीन वर्षों में, वर्षवार भिलाई इस्पात कारखाने में कितने जनदिवसों की हानि हुई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) भिलाई इस्पात कारखाने की अधिष्ठापित क्षमता (निर्धारित क्षमता) 25 लाख टन इस्पात पिण्ड तथा 19.65 लाख टन विक्रय इस्पात प्रतिवर्ष है।

(ख) इस बात को देखते हुए कि एक सर्वतोमुखी इस्पात कारखाना चलाने के लिए न केवल दक्ष प्रबन्धकों और कामगारों की आवश्यकता होती है, बल्कि परिवहन के मामले में बाह्य अभिकरणों, अपेक्षित किस्म के कच्चे माल की सप्लाई, फालतू पुर्जों, बाजार आदि की भी आवश्यकता होती है, इसलिए लगातार आधार पर अधिष्ठापित क्षमता का 100% उपयोग सम्भव नहीं है। विश्व के अधिकांश देशों में इस्पात उद्योग के कार्यकरण के वास्तविक अनुभवों से पता चलता है कि लगातार लगभग 90% क्षमता तक उपलब्धि को काफी उचित तथा सन्तोषजनक समझा जाता है। योजना आयोग की कार्रवाई समिति की रिपोर्ट के अनुसार, उसके द्वारा सुझाई गई अनुपूरक सुविधाओं की व्यवस्था से वर्ष 1969

के अन्त तक कारखाने के लगभग निर्धारित क्षमता तक पहुंच जाने की सम्भावना है । फिर भी, यह अपेक्षित मात्रा तथा किस्म के कोककर कोयले की उपलब्धि तथा उष्मसहों की अच्छी किस्म आदि पर निर्भर है ।

(ग) भिलाई इस्पात कारखाने का 1971-72 का उत्पादन निम्नलिखित है :—

इस्पात पिण्ड	19.53 लाख टन
विक्रेय इस्पात	15.68 लाख टन

(घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मध्य प्रदेश की कोयले की मांग

5523. **श्री गंगाचरण दीक्षित :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार को मध्य प्रदेश राज्य से वर्ष 1973-74 के लिये स्टीम कोल और हार्ड कोक की मांग प्राप्त हुई है और यदि हां, तो उस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : स्टीम कोयले पर सरकारी कन्ट्रोल नहीं है । हार्ड कोक पर अगस्त, 1973 में कन्ट्रोल लागू किया गया था । उसके बाद मध्य प्रदेश की हार्ड कोक सम्बन्धी प्रायोजित मांग और उसका आबंटन इस प्रकार रहा :—

माह	प्रायोजित मांग	आबंटन
(चार पहिए वाले वैगनों के संदर्भ में)		
अगस्त, 73	789	406
सितम्बर, 73	502	455
अक्तूबर, 73	486	401
नवम्बर, 73	364	370
दिसम्बर, 73 . .	359	357
जनवरी, 74	370	366
	2870	2355

भिलाई इस्पात संयंत्र में अधिष्ठापित मशीनों का उपयोग न किया जाना

5524. **श्री गंगाचरण दीक्षित :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात संयंत्र में कुछ कीमती मशीनों को उनके लगाये जाने के बाद से अब तक उपयोग में नहीं लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) संयंत्र में इन मशीनों के लगाने और उन्हें लाने में सरकार ने कितनी राशि खर्च की ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

राज्यों को दुर्लभ धातुओं का आवंटन करने के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त

5525. **श्री ज्योतिमय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपने-अपने राज्यों में लघु उद्योगों को पीतल, तांबा, एल्युमीनियम, जस्ता आदि जैसी दुर्लभ धातुओं के आबंटन के लिए उनके मंत्रालय ने राज्य सरकारों को कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे हैं; और यदि हां, तो वह किस प्रकार के हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ख) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि हरियाना के संयुक्त औद्योगिक कस्बों—जगाधरी और यमुना नगर में चालू वर्ष के दौरान जिन लघु उद्योगों को इन धातुओं का कोटा मंजूर किया गया था; उनका उन्होंने बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया और उनका प्रयोग करने के बजाय, सारे कोटे को चोर बाज़ार में बेचा जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या वह किसी केन्द्रीय एजेंसी के माध्यम से ऐसे दुरुपयोग और कदाचारी की जांच करायेंगे; और

(घ) ऐसे लघु उद्योगपतियों द्वारा वास्तविक उपयोग को सुनिश्चित करने का कार्य केवल राज्य औद्योगिक विभागों पर छोड़ने के बजाय वास्तविक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एजेंसी स्थापित करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जाएगी ।

कोयला खान भविष्य निधि में हिसाब-किताब रखने की व्यवस्था

5526. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कोयला खान भावष्य निधि की हिसाब-किताब रखने की व्यवस्था वहुत बिगड़ गयी है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान व्यवस्था में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को शीघ्र भुगतान के लिये हाल ही में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : कोयला खान भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) लेखा प्रणाली में ऐसी कोई स्थिति विद्यमान नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) संगठन के कार्यकरण की जांच करने के लिए एक समिति की स्थापना की गई है। भविष्य निधि खातों के अन्तिम निपटान में देर न हो, यह प्रश्न, अन्य बातों के साथ, इस समिति के विचाराधीन है।

भिन्न-भिन्न नियमों का कोयला खान श्रमिकों पर विपरीत प्रभाव

5527. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न कोयला खानों में काम करने वाले व्यक्तियों की सेवाशर्तों के सम्बन्ध में इस समय कितने प्रकार के नियम लागू होते हैं;

(ख) क्या सरकार को कोयला खानों में काम करने वाले श्रमिकों पर इतनी अधिक किस्मों के नियम लागू किये जाने के परिणामस्वरूप होने वाली कठिनाइयों का पता है;

(ग) इन विभिन्न नियमों को युक्तियुक्त बनाने और उनका एकीकरण करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) इस प्रकार एकीकृत नियम कब तक लागू कर दिये जायेंगे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जाएगी।

कोयले की कमी से प्रभावित ईंटों के भट्टे

5528. **श्री सी० के० जाफरशरीफ :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की भारी कमी के कारण देश में 50 प्रतिशत ईंटों के भट्टे बन्द हो गये हैं और इसके परिणामस्वरूप ईंटों की कमी के कारण निर्माण कार्यों में कठिनाई पैदा हो गई है और इसके फलस्वरूप इस उद्योग के श्रमिकों के काम को भी धक्का पहुंचा है; और

(घ) यदि हां, तो ईंटों के भट्टों की कोयले की आवश्यकता पूरी करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) हाल ही के वर्षों में ईंट-भट्टों सहित विभिन्न उद्योगों को कोयले की कमी के बारे में सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। रेल विभाग तथा कोयला उत्पादक संगठन कोयले के उत्पादन और संचलन में वृद्धि के लिए अनेक कदम उठा रहे हैं। कोयला संचलन तथा वितरण की उच्च-स्तरीय समिति ने कोयले की ढुलाई में, विशेषतया ईंट-भट्टों और छोटे उद्योगों को कोयला पहुंचाने में, वृद्धि करने का फैसला किया है। छोटे उद्योगों तथा ईंट-भट्टों आदि को कोयला देने के लिए महत्वपूर्ण उपभोक्ता केन्द्रों पर कोयले के टाल बनाने की योजना पर अमल किया जा रहा है। कोयले की पूर्तियों में उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए रेलवे तथा कोयला उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधियों का कलकत्ता में एक संयुक्त सैल स्थापित किया जा रहा है।

छम्ब और जोरियां क्षेत्र में शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये जम्मू और काश्मीर सरकार को धनराशि का आवंटन

5529. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और काश्मीर के छम्ब और जौरियां क्षेत्र के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए वर्ष 1972 और 1973 के दौरान जम्मू और काश्मीर सरकार को कुल कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) उन शरणार्थियों पर कितनी राशि वास्तव में व्यय की गई है और आवंटित पूर्ण राशि का उपयोग न करने के लिए राज्य सरकार ने क्या कारण बताये हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) धनराशि क्षेत्रवार नहीं दी जाती है तथा छम्ब और जौरिया तथा उस राज्य के अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों से आए विस्थापित व्यक्तियों के राहत तथा पुनर्वास के लिए अब तक जम्मू तथा काश्मीर सरकार को 1971-72, 1972-73 और 1973-74 आज की तारीख तक कुल 1339 लाख रुपये की राशि दी गई है ।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि विस्थापित व्यक्तियों के राहत तथा पुनर्वास पर (30-11-1973 तक) कुल लगभग 1344 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं । इसमें से छम्ब तथा जौरिया क्षेत्र के व्यक्तियों को पुनर्वास सहायता प्रदान करने पर अब तक नीचे लिखी राशि खर्च की गई है :—

	जौरिया क्षेत्र	छम्ब क्षेत्र
1971-72 . . .	—	—
1972-73	6 लाख रु०	—
1973-74 (30-11-1973 तक) . .	107 लाख रु०	5 लाख रु०

और धनराशि देने का प्रश्न भी विचाराधीन है ।

ईंधन अनुसंधान संस्थान, ज्यालगौडा

5530. **श्री राम प्रकाश :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री न्यू धर्मबन्ध कोयला खान में कोककारी कोयले के निक्षेप के बारे में 30 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4938 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, ज्यालगौडा ने इस बीच तेरह और पन्द्रह 'सीमों' के कोयले का परीक्षण किया है अथवा उनके नमूने लिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो कोयले में तत्सम्बन्धी एश, निश्चित कार्बन तत्व कितना है और स्टेण्डस-टार्किंग तरीके से कितना कोयला निकाला जा सकता है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

लाजपतनगर, नई दिल्ली के मकान मालिकों को अतिरिक्त भूमि का कब्जा सौंपने में विम्लब

5531. श्री के० लकप्पा : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री लाजपतनगर, नई दिल्ली के मकान मालिकों को अतिरिक्त भूमि का कब्जा सौंपने में विलम्ब से सम्बन्धित 22 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1644 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छह मामलों में पूरी लागत प्राप्त कर लेने के बावजूद भी शेष तीन मामलों को 18 महीने से अधिक समय तक विचाराधीन रखने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में मकानों से संलग्न 50 वर्ग गज़ के भूखण्ड आबंटित करने का निर्णय जो मई, 1972 से विचाराधीन पड़ा है, इस बीच कर लिया गया है और यदि नहीं, तो इतने अधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) शेष तीन मामलों में अब तक आबंटन न किये जाने के क्या कारण हैं, उनका उत्तरदायित्व किस पर है और आवंटन कब तक कर दिया जायेगा ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) चूंकि इन तीन मामलों में मई, 1972 तक कागजातों के निष्पादन की औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई थीं, जबकि व्यापक क्षेत्र (अर्थात् मूल क्षेत्र के 25% से अधिक) के भूमि के अतिरिक्त टुकड़ों के रूप में हस्तांतरण के सम्बन्ध में निर्णय की समीक्षा की गई थी, इसलिए इन तीन मामलों में पट्टे के दस्तावेज़ जारी नहीं किए जा सके ।

(ख) अन्तिम निर्णय हाल ही में लिया जा चुका है तथा क्षेत्रीय बन्दोबस्त आयुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली को आवश्यक हिदायतें जारी की जा चुकी हैं ।

(ग) इन मामलों में 1970-71 में आवंटन किया गया था तथा एलाटियों से भुगतान भी प्राप्त कर लिया गया था परन्तु उक्त भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित कारणों के आधार पर हस्तान्तरण के कागजात जारी नहीं किए जा सके ।

अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

5532. श्री शशि भूषण : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास किसी अवधि तक का अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पहुंच गया है और अन्तिम 6 महीनों के सम्बन्ध में 12 महीनों के औसत आंकड़े क्या हैं ।

(ख) मूल्य सूचकांक का हिसाब लगाने के लिए किन-किन वस्तुओं के मूल्यों को ध्यान में रखा जाता है; और

(ग) क्या इस सूची में कुछ नई वस्तुएं भी जोड़े जाने का विचार है और यदि हां, तो उन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) औद्योगिक श्रमिकों के लिए 1960–100 आधार पर अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, अक्तूबर, 193 महीने से सम्बन्धित सूचकांक तक, श्रम-ब्यूरो, शिमला द्वारा संकलित और प्रकाशित किये गये हैं ।

एक विवरण (सं० 1), जो विगत छः महीनों अर्थात् मई से अक्तूबर, 1973 तक के औसतों और इन 6 महीनों में से प्रत्येक माह को समाप्त होने वाले 12 मासिक औसतों को दर्शाता है, संलग्न है ।

(ख) एक विवरण (सं० 2), जो उन वस्तुओं की सूची दर्शाता है जिन्हें कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की संगणना करते समय श्रम ब्यूरो द्वारा ध्यान में रखा जाता है, संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6082/73]

(ग) 1960 आधार सीरीज़ में किसी नई वस्तुओं को सम्मिलित करने का प्रस्ताव नहीं है ।

विवरण संख्या 1

औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार: 1960 = 100)

मास	मासिक सूचकांक	समाप्त होने वाले 12 मास के लिये औसत (निकटतम पूर्णांक तक पूरा किया गया)
मई, 1973	228	212
जून, 1973	233	214
जुलाई, 1973 .	243	217
अगस्त, 1973 .	247	221
सितम्बर 1973	248	224
अक्तूबर, 1973	254	228

हिन्दुस्तान लालपेठ और अन्य एककों का उत्पादन

5533. **श्री दिग्विजय नारायण सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री हिन्दुस्तान लालपेठ और अन्य एककों के उत्पादन के बारे में 30 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2427 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 में अब तक अधिकतम और न्यूनतम कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) यदि वर्ष 1971 के अधिकतम उत्पादन से 10 प्रतिशत से अधिक घट-बढ़ है तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1971 और 1973 में उपरोक्त सभी मामलों में मुहानों पर अधिकतम भण्डार कितना जमा हुआ और इन वर्षों में कितना अधिकतम माल भेजा गया; और

(घ) उपरोक्त एककों के प्रबन्धक एजेंटों, प्रबन्धक निदेशकों और प्रबन्धक भागीदारों के नाम क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी ।

तमिलनाडु में ट्रैक्टर कारखाना

5534. **श्री था० किरतिनन** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु में एक ट्रेक्टर कारखाने की स्थापना करने के बारे में एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय जल एवं अनुसंधान आयोग के अनुसंधान अधिकारियों की वरिष्ठता संबंधी नियम

5535. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जल एवं अनुसंधान आयोग के अनुसंधान अधिकारियों की वरिष्ठता सूची के बारे में अक्तूबर, 1973 में बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की जानकारी है;

(ख) क्या निर्णय के बाद निर्धारित वरिष्ठता के सिद्धान्त वैसे ही हैं जैसे एम०ई०एस० के विभागीय ए०ई०ई० के हैं ;

(ग) क्या एम०ई०एस० के विभागीय ए०ई०ई० को उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रख कर वरिष्ठता देने के विचार से उनके मामलों पर पुनर्विचार करने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : **(क) से (घ)** यह निर्णय रक्षा मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है ।

एम० ई० एस० श्रेणी I (आर० पी० एस०) नियम, 1949 में विभागीय उम्मीदवारों के लिए कोटा

5536. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम०ई०एस० श्रेणी I (आर०पी०एस०) नियम, 1949 में विभागीय उम्मीदवारों के लिए निर्धारित कोटे में संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से छूट दी गई थी;

(ख) क्या सरकार ने न्यायालयों में यह वचन दिया था कि वह गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित वरिष्ठता के सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों की वरिष्ठता का विनियमन करेगी;

(ग) क्या अब वर्ष 1949 के नियमों के अनुसार ऐसी वरिष्ठता का विनियमन करने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह न्यायालय में सरकार द्वारा दिए गए वचन और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के प्रतिकूल नहीं होगा ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जानकी वल्लभ जे० बी० पटनायक) : (क) जी हां, श्रीमन्। संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से 1959--63 तक की अवधि के लिए विभागीय पदोन्नति का कोटा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया था ।

(ख) सरकार ने ऐसा कोई वचन नहीं दिया है कि वह विभागीय उम्मीदवारों की वरिष्ठता का नियमन गृह मंत्रालय द्वारा 1959 में निर्धारित वरिष्ठता के सामान्य सिद्धान्तों के आधार पर करेगी ।

(ग) और (घ) संघ लोक सेवा आयोग और विधि मंत्रालय से प्राप्त सलाह के आधार पर, एम०ई०एस० श्रेणी I (भर्ती, पदोन्नति और वरिष्ठता) नियम, 1949 के परिशिष्ट V के अनुसार वरिष्ठता सूची में संशोधन किया जा रहा है ।

युद्ध में शहीद हुए सैनिक कर्मचारियों के आश्रितों को पेट्रोल पम्प खोलने के लिए लाइसेंस देना

5537. श्री ईश्वर चौधरी : क्या **रक्षा** मंत्री युद्ध में शहीद हुए सैनिक कर्मचारियों के आश्रितों से ज़िला गुरदासपुर (पंजाब) में पेट्रोल पम्प खोलने के लिए लाइसेंस देने हेतु अभ्यावेदन के बारे में 10 मई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9860 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या युद्ध में शहीद हुए सैनिक कर्मचारियों के आश्रितों के स्थल के नक्शों सहित (पंजाब में जहां पेट्रोल पम्प खोलने का प्रस्ताव है) नए आवेदन पत्र रक्षा मंत्रालय में प्राप्त हुए हैं; यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या युद्ध में शहीद हुए सैनिक कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए लाइसेंस देने के लिए पंजाब में अधिक संख्या में इण्डियन आयल कारपोरेशन एजेंसियां उपलब्ध करने के लिए भारतीय तेल निगम सहमत हो गया है; यदि हां, तो इसके क्रियान्वयन के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) युद्ध में मारे गए एक सेना अधिकारी के आश्रित द्वारा इण्डियन आयल कारपोरेशन को भेजे गए एक अभ्यावेदन की प्रतिलिपि पुर्नव्यवस्थापन महानिदेशालय में प्राप्त हुई है । क्योंकि प्रस्ताव इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा सीधे ही नियन्त्रित किए जाने वाले पेट्रोल पप्प की स्थापना के लिए था अतः कारपोरेशन से युद्ध सन्तप्त परिवार की सहायता करने का अनुरोध किया गया है ।

(ख) जी नहीं श्रीमन् । इण्डियन आयल कारपोरेशन पेट्रोल पदार्थों की वर्तमान कमी के कारण पंजाब में और अधिक एजेंसियां नहीं दे सकी हैं ।

सेना मुख्यालय के सैनिक आसूचना निदेशालय में काम करने वाले परीक्षकों की छंटनी

5538. श्री वेंकटासुब्बया : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1973 में सेना मुख्यालय के सैनिक आसूचना निदेशालय में काम करने वाले अनेक परीक्षकों को पदावनत कर दिया गया है और कुछ को सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और परीक्षकों की छटनी तथा पदावनति किस आधार पर की गई है;

(ग) क्या उस निदेशालय में काम करने वाले कुछ अन्य परीक्षकों को भी निकट भविष्य में छटनी की जाएगी अथवा पदावनति की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो क्या उनको सेना मुख्यालय के अन्य विभागों में इसी प्रकार के पदों पर लगाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है जिससे उन परीक्षकों की छटनी या पदावनति न हो जो निदेशालय में काफी वरिष्ठ हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) सेना मुख्यालय के सैनिक आसूचना निदेशालय में ग्यारह परीक्षकों को 1 अक्तूबर, 1973 से अपनी मूल नियुक्तियों में प्रत्यावर्तित कर दिया गया है । अभी तक किसी की भी सेवाओं को समाप्त नहीं किया गया है ।

(ख) सेना मुख्यालय के सैनिक, आसूचना निदेशालय में परीक्षकों की स्थापना को अस्थायी रूप से तदर्थ आधार पर गत भारत-पाक युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बढ़ा दिया गया था । युद्धबन्दियों के क्रमशः वापसी के कारण अमला में कमी करना आवश्यक हो गया है । फालतू कार्मिकों की छटनी एक निर्धारित कार्यक्रमानुसार की जाएगी । प्रथम चरण में केवल उन कार्मिकों को जो अपनी पहले की नियुक्तियों में पुनर्ग्रहणाधिकार रखते हैं, उन्हें प्रत्यावर्तित किया जायगा ।

(ग) तथा (घ) इसके बाद परीक्षकों को उनकी मूल नियुक्तियों या उनकी छटनी युद्ध बन्दियों की वापसी की गति पर निर्भर करती है । तथापि इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि इन तदर्थ कर्मचारियों को जहां तक सम्भव हो वैकल्पिक पदों पर खपा लिया जाय ।

चीन को ब्रिटिश 'ट्राइडेंट' विमान की सप्लाई

5539. श्री शशि भूषण: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ब्रिटेन का विचार 'ट्राइडेंट' विमान बनाने के लिये एक संयंत्र लगाने में चीन की सहायता करने का है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि चीन ने 15 ब्रिटिश 'ट्राइडेंट' विमान खरीदने के लिये नया क्रयादेश भेजा है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने इस आशय की अखबारी खबरें देखी हैं लेकिन इस सम्बन्ध में उसके पास कोई प्रामाणिक सूचना नहीं है ।

राष्ट्रीय कोयला खानों के सप्लाईकर्त्ताओं को भुगतान

5540. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत कोयला खानों के सप्लाईकर्ताओं को राष्ट्रीयकरण से पहले की गई सप्लाई के लिये देय राशि का इस बीच भुगतान कर दिया गया है;

(ख) यह देय राशि कुल कितनी थी और इसका भुगतान कितने व्यक्तियों को किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) राष्ट्रीयकरण से पूर्व की अवधि के लिए किए गए सौदों के प्रति किसी भी देनदारी के लिए केन्द्र सरकार उत्तरदायी नहीं है ।

Applications received from Relatives of Soldiers killed or Disabled in Wars

5541. Shri Atal Bihari Vajpayee : Will the minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of applications for employment or rehabilitation received from relatives of soldiers killed or disabled in 1962, 1965 and 1971 wars;

(b) the number of persons yet to be provided with employment or to be rehabilitated;

(c) the time by which these cases will be disposed of; and

(d) what the Government propose to do for them in the mean time ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J.B. Patnaik) : (a) to (d) The liberalised pensionary awards announced after 1971 conflict were, in themselves, intended to be the main rehabilitation benefit to dependents of soldiers killed in action and to those disabled. These awards are applicable not only to personnel killed in action or disabled on account of injuries sustained in 1971 operations but also to those killed or wounded during 1962, 1965 and other operations. Under the awards, a widow of an officer is entitled to 3/4 of the pay of the rank held by the officer at the time of death for a period of seven years or till the deemed date of retirement, whichever is later. Thereafter, she is entitle to the normal retiring pension of the rank held at the time of death. In the case of a JCO/OR the nominated heir is entitled to a pension at the rate of the pay drawn by the deceased for life. Those who are disabled and invalided out of service are entitled to war injury pay consisting of a service element equal in amount to the normal retiring pension of the rank held at the time of his disablement and a disability element which for 100% disability is equal in amount to the emoluments last drawn minus the service element, limited to Rs. 500/-. In addition, free educational facilities upto 1st degree level have been a made available for the children of those killed or disabled in the 1971 operations.

2. There were 2758 applications for employment/rehabilitation from dependents of 1962, 1965 and 1971 operations which are being processed with various employing agencies including the Director General of Employment and Training, the State Governments and Director General Resettlement. Out of these nearly 800 applicants are virtually unemployable on account of illiteracy and age. The effective number of persons yet to be re-employed/rehabilitated is 1218.

3. The difficulty in providing direct employment arises out of the general situation of unemployment in the country. Further, it is not desirable to provide employment to them away from their local environments and jobs are not easily available in villages. For the same reason, it is not possible to indicate a time and date by which all of them can be employed. The Government consider the liberalised pensionary awards to be the primary measure of rehabilitation, further concessions being only supplementary to these awards.

राउरकेला इस्पात कारखाने में कुछ सुरक्षा गार्डों की सेवायें समाप्त करना

5542. **श्री श्याम सुन्दर माहापात्र :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को पता है कि राउरकेला इस्पात कारखाने के कुछ सुरक्षा गार्डों को, जिन्होंने सी० आई०एस०एफ० के लिए अपना विकल्प नहीं दिया था और जिनकी सेवायें समाप्त कर दी गई थीं, सुरक्षा सेवा में खपाने के लिए आचरण के आधार पर अनर्ह घोषित कर दिया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : कुल 608 सुरक्षा कर्मचारियों को, जिन्होंने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में जाने की इच्छा प्रकट नहीं की थी, 1-3-1972 से नौकरी से निकाला गया था । उनमें से 566 को नई नौकरी दे दी गई है । दूसरे 40 कर्मचारियों के मामलों पर उनका रिकार्ड सन्तोषजनक न होने के कारण विचार नहीं किया गया है । इस बीच दो कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है ।

"जूनियर स्टेट्समैन' के सम्पादक को भूटान द्वारा अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाना

5543. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री सी० जनार्दनन् :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथय की ओर दिलाया गय। है कि श्री डेसमोंड डोंइग, जो ब्रिटिश राष्ट्रिक हैं और "जूनियर स्टेट्समैन का सम्पादक है, को भूटान सरकार द्वारा अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 16 नवम्बर, 1973 की एक सप्ताहिक पत्रिका में इस सम्बन्ध में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ग) क्या इस मामले की छानबीन की गई है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(घ) इस व्यक्ति पर "स्टेट्समैन" प्रतिदिन कितना खर्च करता है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं

(ख) सरकार ने यह खबर देख ली है ।

(ग) कोई जांच-पड़ताल करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

(घ) सरकार को यह सूचना तत्काल सुलभ नहीं है ।

पाकिस्तान के जन्म के बारे में पंजाब के मुख्य मंत्री का वक्तव्य

5544. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब के मुख्य मंत्री के इस वक्तव्य के बारे में पता है कि 'पाकिस्तान का जन्म एक गलती थी' जिसके विरोध में पाकिस्तान में पंजाब प्रान्त की विधान सभा में इसकी निन्दा करने वाला एक प्रस्ताव पास किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) 29 सितम्बर, 1973 को अमृतसर टैलीविजन स्टेशन के उद्घाटन समारोह पर पंजाब के मुख्य मंत्री ने जो बातें कहीं थीं, उन्हें स्पष्टत: पाकिस्तान में गलत ढंग से पेश किया गया है । पंजाब के मुख्य मंत्री ने जो कहा था, उसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने पाकिस्तान बनाने पर आपत्ति की थी ।

Nationalisation of Coal Mines

5545. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether he is aware that after the nationalisation of coal mines, the Government Custodian has broken open the houses of many former mineral owners and Managers and taken out the articles; and

(b) if so the number of such incidents and whether the Custodian had the instructions from Union Government or the State Government to do so ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) :
(a) No; Sir.

(b) Does not arise.

High grade coal sold to Nepal

5546. Shri Anant Prasad Dhusia : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the quantity of high grade coal sold to the agents of Nepal from April to September, 1973 on the recommendation of the Nepalese Consul;

(b) whether this coal was unloaded at Barni, Chilihya Nogarh and Shohrat Garh Stations on the North Eastern Railway;

(c) whether out of the stocks purchased, some coal was sold to Nepal agents, the Indian citizens and kiln owners during the month of August, 1973;

(d) whether the officers of the Indian Customs Department and the Indian Railways were also involved in such sales; and

(e) if so, the action proposed to be taken by Government in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) :
(a) During April to September, 1973, 40,790 tonnes of Grade I slack/steam coal was allotted by the Railways for Nepal against sanctions for 71,904 tonnes issued by the Coal Controller on the recommendation of the Nepalese Consulate, Calcutta.

(b) & (c) : 9 and 13 wagons of unspecified grades of coal were unloaded as unconnected at Nowgarh and Barni Stations respectively during April to September, 1973 and auctioned in an open bid.

(d) & (e) : No complaint of any corrupt practices being indulged in by officers of the Indian Customs Department and the Indian Railways, has been received.

Collections raised in Pilkhua (U.P.) during Arab-Israel Conflict

5547. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **External Affairs be pleased to state :**

(a) whether thousands of rupees were collected in Pilkhua, a village of Meerut District in Uttar Pradesh during Arab-Israel conflict in order to aid Arabs; and

(b) if so, the names of the main donors indicating the amount donated by each of them and whether these persons donated money during Indo-Pak conflict also for relief purposes and if so, the amount donated by each of them ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surender Pal Singh) : (a) & (b) : A sum of approximately Rs. 16,000/- was collected from the inhabitants of the village of Pilkhua in response to an appeal for aid to Arab victims of the West Asia war. This was realised by small contributions from the public. The names of most of the contributors are not known. We do not have information on the donations, if any, made by these persons during the Indo-Pak conflict of 1971.

मणिपुर को जी० आई० शीटों की सप्लाई

5548. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मणिपुर को आवंटित की गई जी० आई० शीटें या तो रेलवे के माल-डिब्बों की कमी के कारण या मणिपुर को प्राथमिकता की अवहेलना किये जाने के कारण मणिपुर नहीं पहुंची हैं जिससे सरकारी और गैर-सरकारी सभी निर्माण कार्यों को भारी धक्का लगा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) मणिपुर सरकार ने अब तक कितनी मात्रा में जी० आई० शीटों की मांग की है और वे राज्य को कितनी मात्रा में मिली हैं;

(घ) क्या सरकार मणिपुर जैसे दुर्गम क्षेत्रों के लिये विशेष उपाय करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) से (ङ) वर्तमान वितरण प्रणाली के अधीन राज्यवार आवंटन नहीं किए जाते हैं । मुख्य इस्पात कारखानों से इस्पात के प्रेषणों का विनियमन इस्पात प्राथमिकता समिति करती है जो इस्पात के अन्ततः उपयोग, जिसके लिए इस्पात की मांग की गई हो, तिमाही विशेष में इस्पात की उपलब्धि तथा स्पर्धी मांगों को ध्यान

में रखती है । जहां तक मणिपुर को आपूर्ति का सम्बन्ध है, परिवहन की कुछ कठिनाइयां हैं । मणिपुर को शीघ्र आपूर्ति के लिए इस्पात कारखानों द्वारा रेलवे प्राधिकारियों की सहायता से सतत प्रयत्न किए जाते हैं ।

(ग) मणिपुर की मांग तथा उसको किए गए आवंटन के आंकड़े नीचे दिए गये हैं :--

(टन)

	मांग	आवंटन
अप्रैल-जून, 1973	4,070	1,024
जुलाई-सितम्बर, 1973	--	898

Import of Coal

5549. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government propose to import coal from foreign countries keeping in view of its high consumption and low production capacity at present; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) & (b) No, Sir. The production capacity for coal is sufficient to meet the requirements and steps are being taken to relieve current shortages in certain consuming sectors.

सेवा की निर्धारित अवधि पूरी न होने के कारण कर्मचारी भविष्य निधि की राशि का एकत्र होना

5550. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारियों द्वारा 15 वर्ष की सेवा की निर्दिष्ट अवधि से पहले ही सेवा छोड़ दिये जाने के आधार पर मालिको द्वारा अपने पूर्ण अंश का भुगतान न किये जाने के कारण 31 मार्च, 1973 को कर्मचारी भविष्य निधि के लेखों में कुल कितनी राशि एकत्र हो गई थी;

प्रपत्र संख्या 10 में मालिकों से कर्मचारियों की सेवा-समाप्ति के आदेश मिल जाने के तीन वर्ष बाद भी कितनी राशि के लिये दावा नहीं किया गया है; और

(ग) उपरोक्त दोनों प्रकार की एकत्र पड़ी ऐसी राशियों जिसके लिये दावा नहीं किया गया है, के बारे में सरकार का क्या करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री **(श्री बाल गोविन्द वर्मा)** : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) 799.50 लाख रुपये

(ख) 31 मार्च, 1973 को 217.11 लाख रुपये ।

(ग) (क) में उल्लिखित राशि का उपयोग (i) जब किसी छूट न प्राप्त प्रतिष्ठान का नियोजक सदस्यों की मज़दूरियों में से काटा गया अंशदान सारे का सारा या उसका भाग निधि में जमा नहीं कराता, तो निधि छोड़कर जाने वाले सदस्यों या उनके नामित व्यक्तियों/वारिसों को कर्मचारियों के भाग के अंशदान का पूरा भुगतान करने के लिए, और (ii) छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के ऐसे मृत सदस्यों, जिनका मासिक वेतन मृत्यु के समय 500 रुपये से अधिक न हो और जिनकी भविष्य निधि की जमाराशियां 750 रुपये से कम पड़ती हों, के नामित व्यक्तियों/वारिसों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है, ताकि कम से कम 750 रुपये का भुगतान सुनिश्चित हो सके ।

मद (ख) में उल्लिखित दावा न किए गए निक्षेप खाते में जमा राशियों को, सम्बन्धित सदस्यों या उनके नामित व्यक्तियों/वारिसों को, जैसी भी स्थिति हो, जब कभी दावे प्राप्त हों, भुगतान करने के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता ।

श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि की देय राशि का भुगतान

5551. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदान की राशि लौटाते समय कर्मचारियों को उनके खातों में वास्तव में जमा की गयी राशियां ही दी जाती हैं जब कि कर्मचारियों से एकत्र किये गये अंशदान की उस राशि को वापसी भुगतान के समय नहीं गिना जाता, जिसके बारे में मालिकों द्वारा गड़बड़ की जाती है; और

(ख) क्या सरकार कर्मचारियों को पूरे भुगतान करने के बारे में विचार करेगी और यह देखेगी कि मालिकों की गलती और अपराधिक कार्यों के लिए उन्हें कोई हानि न हो ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों को निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) भविष्य निधि के दावों का निपटारा केवल नियोजकों द्वारा निधि में जमा किये गये अंशदानों को नहीं, बल्कि कर्मचारियों के भाग के उन अंशदानों को भी ध्यान में रखकर किया जाता है, जो उनकी मजूरियों से काटे जाते हैं, लेकिन निधि में जमा नहीं किए जाते ।

(ख) तो प्रतिष्ठान दिवालिये हो रहे हों, उनसे संबंधित नियोजक के अंशदान के हिस्से को भी, जो बकाये में हो, अदा करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

पूर्ति विभाग के संयुक्त सचिव को लंदन स्थित भारतीय सप्लाई मिशन में महानिदेशक के रूप में नियुक्ति

5552. **श्री राम जी राम :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ति विभाग के एक संयुक्त सचिव ने, जो दो वर्षों में सेवा निवृत्त होने वाले हैं, लन्दन स्थित भारतीय सप्लाई मिशन में महानिदेशक नियुक्त होने के लिए वित्त मंत्रालय से स्वीकृति मांगी है;

(ख) क्या उक्त संयुक्त सचिव के मामले की सचिव, पूर्ति मंत्रालय द्वारा सिफारिश की गई है और यदि हां, तो क्या यह सिफारिश पूर्ति विभाग के किसी पूर्वोदाहरण पर आधारित है;

(ग) क्या विदेश में इस नियुक्ति से सेवा निवृत्ति काल लगभग एक वर्ष बढ़ाना पड़ेगा जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त एक वर्ष के वेतन का भुगतान पौंड-स्टर्लिग में करना पड़ेगा;

(घ) क्या इस अधिकारी के लिए वित्तीय स्वीकृति देने के लिए उन पर कोई दबाव डाला गया था; और

(ङ) क्या यह अधिकारी भारत से जा चुके हैं और यदि हां, तो कब ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) तथा (ख) पूर्ति विभाग के एक संयुक्त सचिव को, जो दो वर्षों में सेवा निवृत्त होने वाले हैं, सभी संबंधित प्राधिकारियों से जिसमें वित्त मंत्रालय भी शामिल है, अनुमति स्वीकृति प्राप्त करने के बाद भारत पूर्ति मिशन, लंदन में 30-11-73 (अपराह्न) से महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। संबंधित अधिकारी की योग्यता को ध्यान में रखकर चयन किया गया है इसलिए पूर्वोदाहरण का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(ग) भारत पूर्ति मिशन, लंदन में महानिदेशक के रूप में अधिकारी की नियुक्ति से यह वचनबद्धता नहीं होती कि नियुक्ति की अवधि सेवा निवृत्ति की तारीख से आगे बढ़ा दी जायेगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, हां। 30-11-73 को यह अधिकारी भारत से चले गये थे।

राजस्थान में खेतड़ी में उर्वरक संयंत्र का लगाया जाना

5553. **श्री शिवनाथ सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के झुंझुन जिले में खेतड़ी में एक उर्वरक संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसकी क्षमता कितनी होगी और उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा, और

(ग) राजस्थान में उर्वरक संयंत्र लगाने संबंधी अन्य प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) ट्रिपल सुपर फास्फेट उर्वरक के 1,94,900 टन वार्षिक उत्पादन के लिए खेतड़ी उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। आशा है, इस संयंत्र में 1974 के मध्य से उत्पादन शुरू हो जायेगा।

(ग) सरकार द्वारा बनाये गए कार्यकारी दल ने राजस्थान में उर्वरक उद्योग समूह स्थापित करने की संभावना का संकेत दिया है। इस बारे में अंतिम निर्णय मूलभूत कच्चे माल जैसे पाइनाइट, राक-फास्फेट तथा अनिवार्य उपयोगिताओं; जिन के बारे में अध्ययन हो रहा है, पर ठोस सामग्री प्राप्त हो जाने पर लिया जाएगा। मैसर्स आर० टी० जेड द्वारा सलादीपुरा पाइराइट निक्षेपों के बारे में तैयार साम्यता रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और झामारकोटरा राक-फास्फेट निक्षेपों पर विश्व बैंक द्वारा तैयार की गयी सहायता रिपोर्ट पर राजस्थान सरकार के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

ईंधन-नीति का निर्धारण

5554. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 23 नवम्बर, 1973 को इंडियन इंटरनेशनल सेन्टर में हुई 'पेनल' चर्चा में देश की विद्युत की आवश्यकताओं की पांच वर्ष तक पूर्ति के लिए दूरगामी ईंधन-नीति बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उस में किन विषयों पर चर्चा की गई; और

(ग) क्या सरकार को कोई सुझाव दिये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) सरकार ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुई 'पेनल' चर्चा से संबद्ध समाचार-रिपोर्ट का अवलोकन किया है जिस में 'भारत की ईंधन नीति' पर चर्चा हुई थी।

(ग) जी, नहीं।

दादरा और नगर हवेली के लिए निर्धारित कारों तथा स्कूटरों का कोटा

5555. **श्री आर० आर० पटेल** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दादरा और नगर हवेली के लिए एम्बेसेडर और फिएट कार और वेस्पा स्कूटर का महीने वार कितना कोटा निर्धारित है;

(ख) उस में से सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत सप्लाई आरक्षित की गयी है और

(ग) सरकारी कर्मचारियों के लिए उन्हें बेचने से पहले रखने की, कितनी अधिकतम अवधि निर्धारित की गई है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) कारों और स्कूटरों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों और प्रशासनों की स्वेच्छा पर छोड़े गये कोटे तिमाही के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं। स्थानीय सरकारी कर्मचारियों को इसी कोटे से आवंटन किया जाता है। दादरा

और नगर हवेली के लिए एम्बेसडर और फिएट कारों तथा वेस्पा स्कूटरों का निर्धारित किया गया कोटा निम्न प्रकार है :—

गाड़ी	स्वेच्छा पर छोड़ा गया कोटा
एम्बेसडर कार .	. 2
फियेट (प्रीमियर प्रेसीडेंट) कार .	. 2
वेस्पा (बजाज) स्कूटर . .	. 3

(ग) दो वर्ष।

गत तीन वर्षों में प्रधान मंत्री द्वारा किये गये विदेश के दौरे और 1973 तथा 1974 के के लिये प्रस्तावित दौरे

5556. **श्री पी० जी० मावलंकर:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री ने गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों के दौरे किये ;

(ख) क्या उक्त दौरे सरकारी थे और संबंधित देशों की सरकारों के निमंत्रण पर किये गये थे;

(ग) उक्त दौरों पर विदेशी करेंसी तथा भारतीय रुपये के रूप में कुल कितनी राशि खर्च की गई; और

(घ) विभिन्न देशों के निमंत्रण पर उन की स्वीकृति को दृष्टि में रखते हुए वर्ष 1973 और 1974 में उनका कौन-कौन से देशों का दौरा करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रधान मंत्री ने निम्नलिखित देशों की यात्रा की सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ, बैल्जियम, आस्ट्रिलिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, बंगलादेश, स्वीडन, चैकोस्लोवाकिया, हंगरी, भूटान, नैपाल, श्रीलंका, यूगोस्लाविया, कनाडा और अल्जीरिया।

(ख) जी हां, ये सभी यात्राएं सरकारी थीं ;

(ग) विदेशी मुद्रा में व्यय की राशि : रु० 4,75,200 (लगभग)

भारतीय रुपयों में व्यय की राशि : रु० 64,96,000 (लगभग)

(घ) हालांकि प्रधान मंत्री ने कई देशों की यात्रा का निमंत्रण स्वीकार किया है, तो भी, इन यात्राओं की तारीखें आपसी सुविधा के अनुसार निश्चित की जायेंगी।

इंजीनियरी प्रोजेक्ट्स इंण्डिया लिमिटेड

5557. **श्री राज देव सिंह :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड इस समय 17 परियोजनाओं के 'टर्न की' आधार पर क्रियान्वित करने जा रहा है;

(ख) क्या इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दे रहा है जैसा कि इसने हाल ही में ईराक में अर्द्ध समन्वित इस्पात संयंत्र स्थापित किया है; और

(ग) यदि हां, तो यदि कोई अन्य देश, जिसके लिए इसने विश्वव्यापी टेंडर दिया है, तो उसका नाम क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया इस समय 20 औद्योगिक और इंजीनियरी परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है, जिनमें से 17 'टर्न की' आधार पर हैं।

(ख) जी हां।

(ग) 1. अर्जेंटाइना
2. इण्डोनेशिया
3. ईरान
4. आयरलैंड
5. कुवैत
6. लीबिया
7. मलयेशिया
8. थाइलैंड
9. तुर्की
10. यूगोस्लाविया

उड़ीसा खनन निगम को मशीनरी की सप्लाई

5558. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिंक इन्टरप्राइजिस प्राइवेट लि० द्वारा उड़ीसा खनन निगम को मशीनरी सप्लाई करने से संबंधित फाइलों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच पूरी कर ली है; यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने भी इस संबंध में कोई जांच समिति नियुक्त की थी; और

(ग) यदि हां, तो समिति के निर्देश पद क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा खनन निगम और मेसर्स लिंक्स मशीनरी के बीच हुए करार की त्रुटियों तथा उनसे निकलने वाले परिणामों का पता लगाने तथा भविष्य में इस प्रकार की गल्तियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाने हेतु एक समिति का गठन किया है।

राज्यों में लघु-ट्रैक्टर संयंत्र

5559. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में लघु-ट्रैक्टर संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नेपाल में भारतीय उद्यम

5560. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय नेपाल में कितने भारतीय उद्यम चल रहे हैं;

(ख) उनमें से कितने उद्यम गैर-सरकारी और कितने सरकारी हैं; और

(ग) क्या नेपाल में कोई और संयुक्त उद्यम अथवा पूर्णतया भारतीय उद्यम स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : सरकार के पास सुलभ सूचना के अनुसार आजकल नेपाल में 19 उद्यम ऐसे हैं जिनके मालिक पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से भारतीय हैं।

(ख) ये सब प्राइवेट उद्यम हैं।

(ग) सरकार के पास नेपाल में कोई संयुक्त उद्यम अथवा विशुद्ध रूप से भारतीय उद्यम स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में इन्टक के दो वर्गों के बीच कथित प्रतिद्वन्दिता

5561. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्टक (दुर्गापुर संयंत्र) यूनियनों के दो वर्गों में हाल ही की प्रतिद्वन्दिता के कारण बातचीत में गत्यावरोध आ गया है और धमन भट्टियों का कार्य रुक गया था क्योंकि संबंधित श्रमिकों ने इस आधार पर काम करने से इन्कार कर दिया कि 'नार्मल जार्बिंग पेटर्न के अनुसार यह कार्य उनके नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो धमन भट्टियों और रोलिंग मिलों में कार्य रुक जाने के कारण कितनी हानि हुई; और

(ग) मामलों को निपटाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) ब्लास्ट फरनेस कास्ट हाउस के कामगारों ने 25 अगस्त, 1973 से हड़ताल की कर दी थी। हड़ताल एक कामगर को चेतावनी-पत्र देने के कारण हुई थी। इस कामगर को चेतावनी पत्र इसलिए दिया गया था क्योंकि इसने वह काम करने से इंकार किया था जो वह कई वर्षों से कर रहा था। सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि कारखानों में हड़ताल 'इन्टक-यूनियन' के दो दलों में किसी प्रतिद्वन्दिता के कारण हुई थी अथवा इसके कारण वार्ता में गतिरोध आया था। प्रबन्धकों ने कामगारों को वही काम दिये थे जिन्हें वे कई वर्षों से कर रहे थे।

(ख) 17 सितम्बर, 1973 को समाप्त हुई इस हड़ताल के कारण हुई उत्पादन की हानि का ठीक-ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है क्योंकि हड़ताल की समाप्ति के पश्चात् धमन भट्टी को सामान्य उत्पादन तक पहुंचने में कई सप्ताह लगे। फिर भी, लगभग 65,000 टन गर्म धातु तथा 54,000 टन वेलित इस्पात की हानि होने का अनुमान है।

(ग) यह विवाद 19 सितम्बर, 1973 को एक त्रिपक्षीय समझौते द्वारा तय किया गया था जिस पर पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री के सम्मुख हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अनुसार यूनियनों ने यह स्वीकार कर लिया था कि पहले की भांति कामगरों को सभी तकनीकी तथा/अथवा महत्वपूर्ण सफाई कार्य करना चाहिए।

विदेशों से वापस आये भारतीय नागरिक

5562. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में किन-किन देशों से कितने-कितने भारतीय नागरिक भारत में वापस आये हैं;

(ख) ऐसे कितने-कितने व्यक्तियों को किन-किन राज्यों में बसाया गया है; और

(ग) क्या कुछ बंगलादेश के शरणार्थियों को भी भारत में बसने की अनुमति दी गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटास्वामी) : (क) नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1-1-1972 से भारत आए प्रत्यावासियों की संख्या नीचे दी गई है :—

देश का नाम	संख्या
1. बर्मा	. 5,891
2. श्रीलंका	. 73,656
3. युगाण्डा	. 5,327*
4. अन्य देशों से	. जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

*इसमें यू० के० तथा युगाण्डा के पासपोर्ट वाले, राज्य विहीन व्यक्ति और युगाण्डा से आए अनिर्णीत राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति शामिल नहीं हैं, जिनकी संख्या 4,649 है।

(ख) जहां तक बर्मा और श्री लंका से लौटे प्रत्यावासियों का संबंध है उन परिवारों/व्यक्तियों की संख्या तथा राज्यवार विभाजन, जिन्हें 1-1-1972 से पुनर्वास सहायता दी गई, को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। इस संख्या में कुछ पहले आए हुए व्यक्ति शामिल हैं तथा कुछ वे शामिल नहीं हैं जो इस अवधि के दौरान आए हैं और जिन्होंने अभी पुनर्वास सहायता प्राप्त कर ली है।

जहां तक युगाण्डा से लौटे प्रत्यावासियों का संबंध है, भारतीय पासपोर्ट वाले व्यक्तियों को निर्धारित पद्धति के अनुसार पुनर्वास सहायता की मंजूरी के लिए स्वीकृति सितम्बर, 1973 में जारी कर दी गई थी। विभिन्न राज्यों में इस सहायता का उपभोग करने वालों की संख्या प्रार्थना पत्रों की प्राप्ति तथा उन पर कार्यवाही करने के पश्चात् मालूम होगी।

(ग) जी, नहीं।

विवरण

नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1-1-1972 से बर्मा तथा श्रीलंका से लौटे उन व्यक्तियों/परिवारों की संख्या जिन्हें विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पुनर्वास सहायता प्रदान की गई है।

I. बर्मा से लौटे प्रत्यावासी

राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	उन व्यक्तियों की संख्या, जिन्हें पुनर्वास के लिए सहायता दी गई है
1. आंध्र प्रदेश	2,233
2. आसाम	11
3. बिहार	301
4. गुजरात	1
5. हरियाणा	1
6. मध्य प्रदेश	52
7. उड़ीसा	201
8. राजस्थान	1
9. तमिल नाडू	4,396
10. उत्तर प्रदेश	112
11. पश्चिम बंगाल	193
12. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप	87
13. चण्डीगढ़	5
14. दिल्ली	10
15. मनीपुर	52
16. पांडिचेरी	20
17. त्रिपुरा	3
	7,679*

*इनमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्हें आंशिक सहायता दी गई है।

II. श्रीलंका से लौटे प्रत्यावाशी

राज्य का नाम	उन परिवारों की संख्या जिन्हें पुनर्वास के लिए सहायता दी गई है
1. आंध्र प्रदेश	39
2. करनाटक	369
3. केरल	121
4. तमिल नाडु	6,322
योग :	6,851

राउरकेला इस्पात संयंत्र में उप-महाप्रबन्धक के पद को समाप्त करना

5563. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र के प्राधिकरण के हाल ही में सरकार से उप-महाप्रबन्धक के पद को समाप्त करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तांबा संकेन्द्रकों के लिये मंत्रालय के प्रतिनिधि-मंडल द्वारा विदेश यात्रा

5564. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड के लिए तांबा संकेन्द्रकों का प्रबन्ध करने के लिए मंत्रालय के एक प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में विदेश दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो दौरे पर क्या व्यय हुआ, दौरे के परिणामस्वरूप कितनी मात्रा के संकेन्द्रकों का प्रबन्ध किया गया, उसकी किस्म और मूल्य क्या है; और

(ग) क्या व्यय में मितव्ययता करने के बारे में प्रधान मंत्री के परिपत्र को देखते हुए इस प्रकार की यात्रा रोकी नहीं जा सकती थी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी., हां। हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड के लिए ताम्र सान्द्रों की प्राप्ति हेतु विदेशी दलों के साथ बात-चीत करने के लिए एक सरकारी समिति विदेश भेजी गई थी जिसमें खान विभाग का एक अधिकारी और हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड का एक अधिकारी था।

(ख) यात्रा पर लगभग 30,130 रुपये का व्यय हुआ। इस यात्रा के परिणामस्वरूप लगभग 7,100 रुपये मी० टन की दर पर 4500 भी टन ताम्र सान्द्रों की आयात की व्मवस्था की गई । ताम्र सान्द्रों में 33 प्रतिशत ताम्र और 30. 4 प्रतिशत गन्धक हैं और तकनीकी दृष्टि से वे हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड के प्रद्रावक, में प्रद्रावण के लिए उपयुक्त हैं।

(ग) उचित ताम्र सान्द्रों की उपलब्धि बहुत सीमित है। ताम्र धातु की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत में, जिसके साथ ताम्र सान्द्रों की कीमत जुड़ी हुई है, विगत कई महीनों के दौरान काफी उतार-चढ़ाव हुए हैं। अतः प्रस्तावित सान्द्रों की विभिन्न विशिष्टयों पर विचार करना, भावी पूर्ति-कर्ताओं के साथ क्रम संबंधी अन्य शर्तें तय करना और करार को शीघ्र ही अंतिम रूप देना अनिवार्य था ताकि ताम्र प्रद्रावक का बेहतर उपयोग किया जा सके और उसके फलस्वरूप धातु की समान मात्रा के आयात पर विदेशी मुद्रा व्यय को बचाया जा सके।

एल्यूमीनियम संयंत्रों का कार्यकरण

5565. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षमता, उपयोगिता, उत्पादन और लाभप्रदता की दृष्टि से गत तीन वर्षों में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के अल्यूमीनियम संयंत्रों के कार्य निष्पादन का यौयरा क्या है;

(ख) सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों के कार्यकरण में सुधार करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) निकट भविष्य में एल्यूमीनियम का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या योजनाएं है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) : अपेक्षित जानकारी से संबंद्ध विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6083/73]

आर्मी आर्डिनेंस कोर में भंडार रक्षण कर्मचारी

5566. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्मी आर्डिनेंस कोर में 20 सितम्बर, 1973 को राजपत्रित अधिकारियों सहित विभिन्न ग्रेडों में कितने भण्डार रक्षण कर्मचारी नियुक्त थे;

(ख) राजपत्रित पदों के अधिकारियों सहित प्रत्येक ग्रेड में कक्षा दस उत्तीर्ण, मिडिल स्टेन्डर्ड से कम शिक्षित तथा अशिक्षित कितने-कितने कर्मचारी हैं;

(ग) विभिन्न ग्रेडों के लिए निर्धारित अनुपात क्या है; और

(घ) उक्त कोर में लिपिक सम्वर्ग के अनुपात की तुलना में इनकी स्थिति क्या है और 20 सितम्बर, 1973 को विभिन्न ग्रेडों में, राजपत्रित पदों सहित उनकी संख्या कितनी-कितनी है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

एच एफ 24 और नेट विमानों के इंजनों में किया गया सुधार

5567. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच एफ 24 के इंजन में सुधार करने का प्रस्तावित कार्य इस बीच पूरा किया गया है और क्या नैट विमान में किया जा रहा सुधार कार्य भी पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और विकास कार्य को पूरा करने में और कितना समय लगेगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) एच० एफ०-24 के इंजन में परिवर्तन के साथ उसकी एक सुधरी हुई किस्म का विकास करने के बारे में कतिपय अध्ययन और जांच-पड़ताल की जा रही है, और इस प्रश्न पर शीघ्र ही अंतिम निर्णय ले लिए जाने की संभावना है।

नैट विमान में सुधार के लिए विकास कार्य निश्चित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति कर रहा है और इसके 1975 में पूरा हो जाने की आशा है।

ईंधन नीति समिति का प्रतिवेदन

5568. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंधन नीति समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं और इसमें की गई सिफारिशों पर सरकार ने क्या आवश्यक कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) ईंधन नीति समिति ने सत्तर के दशक के लिए ईंधन नीति के बारे में अपनी रिपोर्ट का पहला भाग 18-5-1972 को प्रस्तुत किया था। समिति के महत्वपूर्ण निर्णयों और अनुशंसाओं से संबद्ध विवरण 10-8-72 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1649 के उत्तर में सभा-पटल पर रखा गया था। उसमें दी गई सभी अनुशंसाओं पर विचार किया गया है तथा सभी स्वीकृति अनुसंशाओं पर कार्यवाही की जा रही है। समिति ने अभी तक अपनी पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

बोकारो इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को बोनस

5569. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को बोनस दिया जा रहा; और

(ख) यदि हां, तो कितना बोनस दिया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षित तथा अन्य बेरोजगार व्यक्ति

5570. **श्री डी० बी० चन्द्र गोड़ा** :

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नवम्बर, 1973 तक शिक्षित तथा अन्य बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी थी; और

(ख) अप्रैल 1973 में ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी थी ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) देश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या के बारे में यथार्थ आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्ध सूचना रोजगार कार्यालयों में दर्ज नौकरी चाहने वालों के संबंध में हैं जो कि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(लाखों में)

नौकरी चाहने वालों का वर्ग	चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों की संख्या	
	30-12-1972 को	30-6-1973 को
(एक) शिक्षित (मैट्रिक और इससे अधिक शिक्षा प्राप्त) .	32.74	35.25
(दो) अन्य (अनपढ़ों सहित मैट्रिक से कम) . . .	36.22	40.71
योग . .	68.96	75.96

नोट : 1. रोजगार कार्यालयों में दर्ज नौकरी चाहने वाले सभी व्यक्ति अनिवार्यतः बेरोजगार नहीं हैं।

2. उपर्युक्त आंकड़ों में दिल्ली में स्थित दो केन्द्रों (दिल्ली और जामिया मिलिया विश्वविद्यालयों) को छोड़कर विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्गदर्शन केन्द्रों के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

3. नौकरी चाहने वाले शिक्षित व्यक्तियों के संबंध में आंकड़े प्रत्येक वर्ष 30 जून, और 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले अर्धवर्षीय अन्तरालों पर एकत्र किए जा रहे हैं।

लन्दन/वाशिंगटन स्थित सप्लाई मिशनों में नियुक्त करने के लिये असिस्टेंटों का साक्षात्कार

5571. **श्री राम जी राम :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ति विभाग ने लन्दन/वाशिंगटन स्थित सप्लाई मिशनों में नियुक्त करने हेतु चयन करने के लिए 5 वर्ष से कम का खरीद अनुभव रखने वाले असिस्टेंटों को सितम्बर, 1973 में साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था;

(ख) क्या उन सभी असिस्टेंटों को, जो साक्षात्कार के लिए आये 18 अगस्त, 1973 को कम से कम तीन वर्ष का खरीद अनुभव था, जो परिपत्र की तारीख थी और जिससे उनका खरीद अनुभव तीन वर्ष का रह गया;

(ग) क्या छः असिस्टेंटों के पैनल में कुछ असिस्टेंट ऐसे हैं जिन्हें अपनी असिस्टेंटों की सेवा में तीन वर्ष का खरीद अनुभव भी नहीं है;

(घ) क्या प्रत्येक मामले में उच्च श्रेणी लिपिक के सेवा काल में प्राप्त खरीद अनुभव को 3 वर्ष के कुल खरीद अनुभव में सम्मिलित किया था; और

(ङ) क्या उक्त अनियमितताओं को दूर करने के लिए इस त्रुटिपूर्ण पैनल को समाप्त किया जायेगा ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) सभी व्यक्तियों को जिन्होंने आवेदन किया था, सिवाय उन व्यक्तियों को छोड़कर जो पहले विदेशों में स्थित पूर्ति मिशनों में नियुक्ति किये जा चुके हैं, अथवा ऐसी नियुक्ति के लिए चुने गये थे, साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था तथा उस अवस्था तक किसी भी प्रार्थी को निकालने के लिए खरीद अनुभव का मूल्यांकन नहीं किया गया था जिन उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया गया उनकी संख्या 35 थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) तथा (घ) पैनल में शामिल सभी 6 सहायकों को कुल 3 वर्ष या इससे अधिक का अनुभव था, तथापि उनमें से तीन को सहायक ग्रेड में केवल 3 वर्ष से कम का अनुभव था।

(ङ) पैनल तैयार करते समय अत्यन्त उपयुक्त उम्मीदवार का चयन करने का हर संभव प्रयत्न किया गया था ताकि वे विदेश में कार्य की आवश्यकता को पूरा कर सकें तथा खरीद अनुभव काल पर, किसी विशेष ग्रेड में यह अनुभव न होने पर भी, पर्याप्त विचार किया गया था। पैनल बनाते समय पहले से ही सावधानी बरती गई थी इसलिए यह आवश्यक नहीं समझा जाता कि पैनल को समाप्त कर दिया जाये।

विदेश स्थित सप्लाई मिशनों में अधिकारियों की नियुक्ति

5572. **श्री राम जी राम** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ति विभाग विदेशों में भारतीय सप्लाई मिशन में एक अधिकारी को नियुक्त करने में, साक्षात्कार से लेकर अधिकारी के भारत से जाने तक, सामान्यतया कितना समय लेता है; और

(ख) क्या यह समय-अन्तराल विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित तथा सामान्यतया अपनाये जाने वाले समय अन्तराल के अनुकूल है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) सामन्यतया औसत आधार पर 6-7 महीने जबकि विदेश मंत्रालय में 2-3 महीने।

(ख) यह भिन्नता इस तथ्य के कारण है कि इन दोनों मंत्रालयों द्वारा अपनाई गई सामान्य ड्रिल के अतिरिक्त, इस विभाग द्वारा उम्मीदवार के चरित्र और पूर्ववृत्त की पुनः जांच पड़ताल भी कराई जाती है। उम्मीदवार के पासपोर्ट तथा सुरक्षा-विवरण का प्रबन्ध विदेश मंत्रालय के माध्यम से कराना पड़ता है।

Disposing of Unused valuable Stocks by Department of Supply

5573. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the value of stocks, commodity-wise, available with the Department of Supply at present; and

(b) whether the Supply Department had to dispose of valuable stock during the last three years because it had outlived its utility and if so, the names of those commodities and the value thereof ?

The Minister of Supply and Rehabilitation (Shri R.K. Khadilkar) : (a) The commodity-wise book value of surpluses outstanding as on 30-11-73 pertaining to DGS&D Headquarters, New Delhi is as follows :—

Commodity	Book value (Rs. in lakhs)
(i) Vehicles and M.T. spares including tyres and tubes.	225.22
(ii) Metals, Radio and Wireless equipments and Electricals stores	82.75
(iii) Bags of all sorts and clothing items.	8.48
(iv) Miscellaneous stores	50.19
(v) Hand-tools, machine tools, Engineering work-shops and mechanical plants, etc.	48.59
Total :	415.23

(b) The reference presumably is to surplus stock which was un-serviceable. The total stock of serviceable and un-serviceable stores disposed of by DGS&D Headquarters, New Delhi during the last three years is as follows :—

Period	Book-value (Rs. in lakhs)
1971-72	2125.70
1972-73	4123.90
1973-74 (upto November, 1973)	1115.42
Total :	7365.02

The break-up of figures commodity-wise into serviceable and un-serviceable stores as well as the figures pertaining to Regional Offices of DGS&D are being collected and will be laid on the table of the House shortly.

Worker's participation in Management in Public Sector Industries

5574. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) the names of the public sector industries where labour has been given participation in management as also the names of those where this practice has not been enforced indicating the time by which this is likely to be enforced; and

(b) whether Government propose to make laws under which labour will have to be given participation in the management of industries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) Government have decided to introduce a scheme for the appointment of workers' representatives on the Board of Management of a few public sector undertakings on a trial basis. In the first instance, a worker—Director has been appointed in the Hindustan Antibiotics Limited, Pimpri.

(b) This aspect will be taken into account in the proposed comprehensive law on industrial relations.

Implementation of Decisions taken in 58th session of international labour Organisation

5575. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Labour** be pleased to state whether or not the decisions taken at the 58th Session of International Labour Organisation held at Geneva in June, 1973 are being implemented in our country also ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : The Conference adopted a Convention and a Recommendation each on the social repercussions of new methods of cargo handling in docks and minimum age for admission to employment. Copies of the texts recently received will be circulated to the State Governments, the employing Ministeries as well as the Central Organisations of Workers and Employers with a view to ascertaining the factual position and comments on the feasibility of ratifying the Conventions and implementing the provisions of the Recommendations. In accordance with the I.L.O. Constitution, a Statement indicating the action taken or proposed on these instruments will be placed before Parliament within a period of 18 months from the adoption of these instruments (i.e. by 25th December, 1974).

कोयले के कमी के कारण उद्योगों को हानि

5576. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास मंत्रालय ने कोयले की कमी के कारण उद्योगों को हो रही हानि के बारे में उनके मंत्रालय से बातचीत की है; और

(ख) विभिन्न उद्योगों को कब तक पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) औद्योगिक विकास मंत्रालय कुछ समय से सीमेंट उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में कोयले की पूर्ति, के प्रश्न पर इस्पात और खान मंत्रालय से बातचीत करता रहा है।

(ख) कोयला उत्पादक इकाइयों द्वारा कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने तथा रेलवे द्वारा विभिन्न उद्योगों को यथा संभव अधिक से अधिक कोयला पहुंचाने के समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। यह कार्य उच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

हिन्द महासागर के समुद्रतटीय देशों द्वारा अत्यन्त आधुनिक शस्त्रास्त्र की खरीद

5577. श्री पी० गंगादेव :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हिन्द महासागर के अनेक समुद्र-तटीय देशों द्वारा अन्यत आधुनिक और बढ़िया किस्म के शस्त्रास्त्र तथा रक्षा संबंधी उपकरणों की खरीद से संबंधित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो देश की क्षेत्रीय अखण्डता सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) देश की सुरक्षा के लिए सरकार सभी संभव कदम उठाती है और स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ।

लिगनाइट के खनन तथा परिष्करण के लिये पूर्वी जर्मनी से सहायता

5578. श्री पी० गंगादेव :

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पूर्व जर्मनी से लिगनाइट के खनन और परिष्करण के लिये कोई सहायता मागी है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर पूर्व जर्मनी की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इस संम्बन्ध में 17 अक्टूबर, 1973 को नई दिल्ली में कोई संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई थी ;

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) लिग्नाइट के खनन और परिष्करण के लिए पूर्व जर्मनी की सहायता के प्रश्न पर पूर्वी जर्मन प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत की गई थी जिसने अक्टूबर, 1973 में भारत का दौरा किया था और पूर्वी जर्मन प्रतिनिधि मंडल ने भारत में लिग्नाइट के विकास के लिए अपनी परामर्श सेवाएं देने का प्रस्ताव किया था।

(ग) पूर्वी जर्मनी और भारत मे हुई समझौता-वार्ता पर 17 अक्टूबर, 1973 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए थे ।

अलौह धातुओं के उत्पादन सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति

5579. श्री पी० गंगादेव :

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय देश में अलौह धातुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सुझाव देने हेतु एक विशेषज्ञ समिति बनाने का विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक बनाये जाने की आशा है ; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Increase in Salary of Military Jawans

5580. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether keeping in view the present rise in prices the salaries of Military Jawans will also be increased;

(b) if so, the extent to which it will be increased; and

(c) the time when it is proposed to increase ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) to (c) The Third Pay Commission have taken note of the rise in prices while making its recommendations regarding the salaries of the Armed Forces personnel below officer rank. Their salaries will be increased keeping in view of the recommendations of the Pay Commission, certain decisions taken by Government in respect of civilian employees and other relevant factors. To what extent the salaries will be increased is under consideration. A decision on this question will be taken shortly and implemented as early as possible.

कोयले का उत्पादन

5581. **श्री अम्बेश** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों में, कोयले का वर्षवार कितना कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि में उत्पादन में वृद्धि अथवा कमी की वर्षवार प्रतिशतता क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) देश में विगत तीन वर्षों के दौरान कोयले का उत्पादन इस प्रकार रहा :—

(लाख टन)

1970–71	729.50
1971–72	720.60 (अनंतिम)
1972–73	764.00 (अनंतिम)

(ख) 1970–71 के उत्पादन में 1969–70 के उत्पादन से 3.7% की कमी रही; 1971–72 के उत्पादन में 1970–71 की तुलना में 1.2% की कमी रही और 1972–73 के उत्पादन में 1971–72 की तुलना में 6.02% की कमी रही ।

भोपाल में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का आह्वान

5582. **श्री एम० कत्तामुतु :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भोपाल में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा 30 नवम्बर, 1973 हड़ताल के लिये दिये गये आह्वान का पता है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग क्या है ; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल कोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों के विरोध में हड़ताल के लिए आह्वान था।

(ग) तीसरे वेतन आयोग की मुख्य सिफारिशों पर सरकार के निर्णय, राष्ट्रीय परिषद के स्टाफ पक्ष से परामर्श करने के बाद, किए गए थे और स्टाफ पक्ष के मतों को अधिकतम सम्भव सीमा तक स्थान दिया गया है ।

नई दिल्ली में रक्षा विभाग का नेशनल स्टेडियम सिनेमा

5583. **श्री अण्णा साहिब गोंटखिण्डे :** क्या **रक्षा** मंत्री नई दिल्ली में रक्षा विभाग के नेशनल स्टेडियम सिनेमा से संबन्धित 22 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1767 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पट्टेदार ने न्यायालय में किस तारीख को मुकद्दमा दायर किया था ;

(ख) किस तारीख को "स्टे" मिला ;

(ग) समझौता कब हुआ; और

(घ) क्या न्यायालय ने समझौते-डिग्री जारी कर दी है, यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) मुकदमा 31-3-1955 को दायर किया गया था।

(ख) अस्थायी स्टे आर्डर 2-4-1955 को लिया गया और 26-5-1955 को उसकी पुष्टि हुई।

(ग) समझौता 11-3-1970 को हुआ ।

(घ) जी हां, श्रीमान् । स्टे आर्डर को रद्द कर दिया गया और मध्यस्थता से संबंधित सभी कार्यवाहियों को अकृत और शून्य मान लिया गया । ठेकेदार को 3,24,206 रुपये 51 पैसे किराये और क्षति के रूप में देने थे । अदालत से बाहर किए गए एक और समझौते के अनुसार अन्य बातों के साथ साथ, यह स्वीकार किया गया कि यह रकम 10,500 रुपए की मासिक किस्तों में वसूल की जाएगी और ठेकेदार को 1935 रुपये 25 पैसे मासिक किराये पर 31-10-1975 तक सिनेमा को चलाने की अनुमति दी गयी ।

नये भारी मशीन निर्माण संयंत्र का स्थान

5584. **श्री राम भगत पासवान :**

श्री धामनकर :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नये भारी मशीन निर्माण संयंत्र के प्रस्तावित स्थान का निश्चय कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : जी नहीं ।

मनीपुरी शरणार्थियों को भूमि का आबंटन

5585. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि बहुत से शरणार्थियों को, जो अब मनीपुर में बस गये हैं, मनीपुर के हाल ही के कृषि योग्य बनाये गये क्षेत्रों में, विशेषकर खोईदम लामजो में अभी उनके लिये भूमि आवंटित की जानी है ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) यदि इसे अन्तिम रूप दे दिया गया है तो कितने शरणार्थियों को कृषि भूमि आवंटित की गई है ; और

(घ) क्या सरकार मनीपुर में शरणार्थी समस्या का विशेषतया शरणार्थियों की न्यायोचित अनिर्णीत शिकायतों के संदर्भ में विस्तृत मूल्यांकन कर रही है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (घ) जानकारी राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

जवानों की शिक्षा के लिए प्रबन्ध

5586. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जवानों के सक्रिय सेवा में होते हुए उनकी शिक्षा के लिए प्रबन्ध किए हैं ;

(ख) यदि हां तो प्रबंधों की मुख्य बात क्या है ;

(ग) क्या भारतीय विश्वविद्यालयों तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्रों के समतुल्य डिप्लोमा या प्रमाणपत्र दिए जाते हैं; और

(घ) यदि नहीं तो क्या सरकार भारतीय सेना के जवानों और अधिकारियों को पर्याप्त शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने का विचार कर रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) सक्रिय सेवा के दौरान जवानों को आर्मी एज्यूकेशन कोर के प्रशिक्षकों से शिक्षा दिलायी जाती है । शिक्षा प्राशिक्षणों के एक भाग के रूप में यूनिट/फामेशन स्तरों पर कक्षाएं चलायी जाती हैं । सेना के जूनियर कमीशण्ड अफसरों तथा अन्य रूपक के लिए धन की व्यवस्था की जाती है, जिसमें से पाट्य पुस्तकें, लेखन सामग्री तथा अन्य शिक्षण संबंधी वस्तुएं खरीदी जाती हैं ।

(ग) और (घ) ये प्रबन्ध पर्याप्त समझे जाते हैं । निम्नलिखित डिप्लोमा / प्रमाण-पत्र सेकेण्डरी बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र के बराबर हैं :—

सेना परीक्षा	समकक्ष सिविल परीक्षा
(1) आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट एज्यूकेशन एग्ज़ामिनेशन . . .	मैट्रिक
(2) आर्मी हायर सेकण्डरी सर्टिफिकेट ऑफ एज्यूकेशन एग्ज़ामिनेशन . .	हायर सेकण्डरी

चूंकि यह शिक्षा हायर सेकण्डरी तक सीमित है, इसलिए विश्वविद्यालय प्रमाण-पत्रों का प्रश्न नहीं उठता ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्तर-पूर्व क्षेत्रों में भारी उद्योग

5587. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बड़े उद्योग गृह उत्तर-पूर्व क्षेत्रों में गैर सरकारी क्षेत्र में भारी उद्योग आरम्भ करने के लिये सहमत हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन गृहों को जो पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकरण में सहायता करने के लिये तत्पर हैं, प्रोत्साहन के रूप में कुछ रियायतें दी हैं ; और

(ग) उन औद्योगिक गृहों के नाम क्या है, जो इस प्रकार सहमत हैं और किस प्रकार के उद्योग आरम्भ किये जा रहे हैं तथा कहां कहाँ पर ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) उत्तर-पूर्व क्षेत्रों में गैर-सरकारी क्षेत्र में भारी उद्योगो की स्थापना करने के लिये बड़े औद्योगिक गृहों से अभी तक कोई योजनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ख) पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये चौथी योजना अवधि में अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें (1) चुने हुए जिलों में औद्योगिक एककों को अखिल भारतीय शर्त पर ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से रियायती दर पर वित्त, (2) चुने हुए पिछड़े जिलों में उद्योगों को विनियोजन राजसहायता शामिल है । 1-3-73 से इन चुने हुए पिछड़े जिलों में औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए स्वीकृत राजसहायता की दर 10% से 15% तक बढ़ा दी गई है और राजसहायता के लिए पात्र विनियोजन की सीमा 50 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गई है (3) केन्द्रीय परिवहन राजसहायता योजना उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के साथ साथ जम्मू तथा काश्मीर में लागू है, यह योजना हाल ही में कुछ अन्य क्षेत्रों तक भी बढ़ा दी गई है ।

ये रियायतें सभी उद्यमियों के लिए उपलब्ध हैं जिनमें वृहत् औद्योगिक गृहों से संबंधित उद्यमी भी शामिल हैं, जिनके लिए अभी तक कोई और विशेष रियायतें नहीं दी गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मैसूर में डोनीमलाई निक्षेप का विकास

5588. **श्री के० मालप्पा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा मैसूर के यन्त्रीकृत डोनीमलाई निक्षेप का विकास कार्य आरम्भ किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और क्या इस खान का यन्त्रीकरण कर दिया गया है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम मैसूर राज्य में डोनीमलाई लोह खनिज निक्षेपों पर आधारित 40 लाख टन रन-आफ-माइन खनिज

प्रतिवर्ष की निर्धारित क्षमता की एक यन्त्रीकृत खान का निर्माण कर रही है। खान के 1975-76 में चालू हो जाने की संम्भावना है । जब खान पूर्ण क्षमता पर उत्पादन करने लगेगी तो यह प्रतिवर्ष 16 लाख टन खनिज के डले तथा 20 लाख टन शोधित चूरे का उत्पादन करेगी।

भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वैसिल्स लिमिटेड में उत्पादन

5589 **श्री के० मालन्ना : क्या भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 के दौरान भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसिल्स लिमिटेड विशाखापत्तनम में हुये उत्पादन संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्या है ; और

(ख) वर्ष 1973-74 के लिये क्या उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) वर्ष 1972-73 की अवधि में भारत हेवी प्लेट एण्ड वेसेल्स लि० में 461 लाख रु० के मूल्य के 4,994 मी० टन उपकरणों का उत्पादन हुआ, जबकि लक्ष्य 785 लाख रुपये के मूल्य के 7,600 मी० टन उपकरणों के उत्पादन का था । गत वर्ष में 190 लाख रु० के मूल्य के 2,045 मी० टन उपकरणों का उत्पादन हुआ था । परमाणु ऊर्जा विभाग, हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज़ और फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया के विशेष प्रयोजन के लिए आवश्यक उच्च स्तर के अति सूक्ष्म कार्य किए गये ।

(ख) वर्ष 1973-74 की अवधि के लिए 1,300 लाख रुपये के मूल्य के 13,000 मी० टन उपकरणों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

छोटे इस्पात संयंत्रों में इस्पात का उत्पादन

3390. **श्री के मालन्ना :**
श्री के० एम० मधुकर :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत डेढ़ वर्ष के दौरान कितने छोटे इस्पात संयंत्र स्थापित किये गये और उनसे कितने इस्पात का उत्पादन हो रहा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : जनवरी, 1972 से 30 जून, 1973 की अवधि में इस्पाँत पिण्ड/बिलेट के उत्पादन के लिए स्क्रैप पर आधारित विद्युत भट्टियों की स्थापना के लिए 13 औद्योगिक लाइसेंस/आश्य-पत्र दिए गए थे । इनके अलावा औद्योगिक लाइसेंस देने की उदार नीति के अन्तर्गत लोहा और इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता द्वारा 48 विद्युत भट्टी इकाइयां पंजीकृत की गई हैं ।

उपर्युक्त में से 14 इकाइयों द्वारा उत्पादन आरम्भ कर देने का समाचार है । जनवरी, 1972 से मार्च, 1973 की अवधि में इन इकाइयों का कुल उत्पादन 1.64 लाख टन के लगभग बताया जाता है ।

मैसूर में पैलेटाइजेशन प्लांट

5591. **श्री के० मालन्ना : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसूर क्षेत्र में एक पैलेटाइजेशन प्लांट लगाने का प्रस्ताव था जिससे कि उस क्षेत्र में खेत्तों में पड़े लाखों मीटरो टन 'फाइन्स' को लाभात्मक रूप में विदेशों में निर्यात किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी हां। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की दोनीमलाई खानों से निकलने वाले लोह अयस्क के चूरे का इस्तेमाल करने के लिए मैसूर राज्य में दोनीमलाई के स्थान पर एक पैलेटाइजेशन कारखाना लगाने का विचार है ।

(ख) इस योजना में प्रति वर्ष लगभग 20 लाख टन पैलेट (लोह अयस्क की गोलियां) का उत्पादन करने की परिकल्पना की गई है । यह प्रस्ताव सार्वजनिक विनियोग बोर्ड (पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड) के विचाराधीन है ।

संयुक्त राष्ट्र को राजनैतिक समिति द्वारा भारतीय महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाने की अपील

5592. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र से भारतीय महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाने के लिये कठोर कार्य-वाही और उपाय करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र की राजनीतिक समिति ने हाल ही 24 नवम्बर, 1973 को इस संम्बन्ध में बड़ी शक्तियों से कोई अपील की थी और यदि हां, तो वह किस प्रकार की थी ; और

(ग) भारत इस बारे में संयुक्त राष्ट्र से अन्यकिन उपायों की अपेक्षा करता है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) संयुक्त राष्ट्र महासभा के 26 वें सत्र में प्रस्ताव संख्या 2832 (XXVI) पारित हुआ था जिसमें हिन्द महा-सागर को शांति का क्षेत्र घोषित किया गया था। 27 वें सत्र में, महासभा ने प्रस्ताव संख्या 2992 (XXVII) पास किया था जिसके द्वारा हिन्द महासागर के विषय में 15 सदस्यों को तदर्थ समिति बनाई गई थी । महासभा के 28वें सत्र में प्रस्ताव संख्या 3080 (XXVIII) पास किया गया था जिसमें सभी देशों से कहा गया था कि वे हिन्द महासागर के शांति क्षेत्र की घोषणा प्रस्ताव 2832 (XXVI) में बताए गए सिद्धान्तों और उद्देश्यों को प्रदेशिक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दशा में रचनात्मक योगदान के रूप में स्वीकृति दें । इसमें महासचिव से यह अनुरोध भी किया गया था कि वह हिन्द महासागर में बड़े राष्ट्रों की सैन्य उपस्थिति के हर पहलू का तथ्यात्मक ब्यौरा तैयार करें और ऐसा करते समय वह बड़े राष्ट्रों की प्रतिद्वन्द्विता के संदर्भ में निहित उनके नौसैनिक प्रसार का विशेष रूप से उल्लेख करें ।

भारत ने इन सभी प्रस्तावों को अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर प्रस्तुत किया है और उनका समर्थन किया है और संयुक्त राष्ट्र में इस विषय पर सक्रिय भाग लिया है।

(ख) जी हां। 23 नवम्बर 1973 की संयुक्त राष्ट्र की प्रथम समिति ने, जो राजनीतिक मामलों की देख भाल करनी है , हिन्द माहासागर की शांति क्षेत्र के रूप में घोषणा के विषय पर एक प्रस्ताव पास किया जिसकी बाद में प्रस्ताव संख्या 3080 (XXVIII) के रूप में महासभा द्वारा पुष्टि कर दी गई । इस प्रस्ताव में सभी राष्ट्रों से विशेषकर बड़े राष्ट्रों से, कहा गया कि वे तदर्थ समिति को इसके कार्य संचालन में अपना सहयोग प्रदान करें ।

(ग) सरकार का विचार है कि इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्तावों में भावी कर्यवाही के लाभकारी ढ़ांचे की व्यवस्था है।

आन्ध्र प्रदेश के सेवा मुक्त किए गए सेना अधिकारी

5593. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत् दो वर्षों में सेना में से आन्ध्र प्रदेश के कितने अधिकारियों एवं अन्य को सेवा मुक्त किया गया है ;

(ख) इस वर्ष कितने लोगों के सेवा मुक्त किए जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या सेना में उन्हें मुक्त किए जाने के पश्चात् उनके पुनर्वास के किन्हीं उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) :

	जो सेवा से मुक्त किए गए		सेवा से जिन्हें मुक्त किया जाना है
	1971	1972	1973
1. अफसर .	21	11	35
2. अन्य .	यह सूचना तत्काल उवलब्ध नहीं है । यह एकत्र की जायेगी और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।		

(ग) सेवा से मुक्त किए गए अफसरों तथा अन्य के पुनर्वास के लिए उपाय 2-8-1973 को लोक सभा में उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1734 के भाग (ख) के उत्तर में दिए गए विवरण में बताए गए हैं। उनकी ओर माननीय सदस्य का ध्यान दिलाया जाता है। ये उपाय सेवा मुक्त किए गए देश के सभी अफसरों तथा अन्य व्यक्तियों को लागू हैं जिनमें आन्ध्र प्रदेश के अफसर तथा सैनिक भी सम्मिलित हैं ।

आन्ध्र प्रदेश में सैनिक स्कूल और भर्ती दफ्तर

5594. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में कितने सैनिक स्कूल और सेना भर्ती दफ्तर हैं ;

(ख) क्या राज्य के लोगों को अधिक अवसर उपलब्ध करने के लिए इनकी संख्या में वृद्धि करने की बहुत दिनों से मांग है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सैनिक स्कूल—एक कोसकोण्डा में, सेना भर्ती दफ्तर—दो, दो, सिकन्दराबाद और गुन्टूर में।

(ख) और (ग) मोटे तौर पर, भर्ती प्रणाली के विस्तार की आवश्यकता है ताकि सभी क्षेत्रों के लोगों को सशस्त्र सेनाओं में भर्ती होने के अधिक अवसर मिल सकें। इस संबंध में उपायों पर विचार किया जा रहा है। इस प्रकार सैनिक स्कूल प्रणाली पर, सरकार द्वारा नियुक्त एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जा रहा है ।

भारत हैवी प्लेटस एण्ड वेसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम में श्रमिक समस्या

5595. **श्री के० कोटंडा रामी रेड्डी** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत हैवी प्लेटस एण्ड वैसल्स लिमिटेड विशाखापत्तनम में श्रमिक समस्या उत्पन्न हो गई थी ;

(ख) विवाद के क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) मान्यता प्राप्त यूनियन के पदाधिकारियों में अविश्वास व्यक्त करने और कैंटीन में अतिरिक्त सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए कर्मचारियों के एक वर्ग ने 20 नवम्बर, 1973 को "बैठो रहो" हड़ताल आरम्भ की । उनके द्वारा गठित तदर्थ समिति को प्रबंधकों द्वारा मान्यता देने के लिए अपनी मांगे मनवाने हेतु 22 नवम्बर, 1973 को उन्होंने एक आम हड़ताल का आयोजन किया ।

(ग) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त ने 23 नवम्बर, 1973 को विवाद सुलझाने का प्रयत्न किया और हड़ताली कर्मचारियों को हड़ताल समाप्त कर देने और कार्य पर लौट आने की सलाह दी क्योंकि हड़ताल गैर कानूनी थी और प्रबंधकों के पास कोई भी औद्योगिक विवाद अनिर्णीत नहीं था । प्रबन्धकों की अपील पर 27 नवम्बर, 1973 को हड़ताल समाप्त कर दी गई ।

भारत सरकार मुद्रणालय मिन्टो रोड, नई दिल्ली में सुरक्षा प्रबन्ध

5596. **श्री विक्रम महाजन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली में सुरक्षा प्रबन्ध टूट गये हैं ;

(ख) कितनी बार अति गुप्त दस्तावेजों और पुस्तकों के चोरी चले जाने की सूचना प्राप्त हुई है ;

(ग) क्या भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली के "ज्वाइंट साइफर ब्योरो विंग" से कुछ वर्ष पूर्व एक अति गुप्त मिलिटरी पुस्तक चोरी चली गई थी, जो कुछ विदेशी एजेन्टों को 3 लाख रुपये में बेच दी गई थी ;

(घ) क्या पिछले दिसम्बर में मुद्रणालय के ज्वाएण्ट साइफर ब्योरो से एक अन्य अति गुप्त मिलटरी पुस्तक खोई पाई गई थी, यदि हाँ, तो क्या उक्त पुस्तक अब ढूंढ ली गई है और यदि नहीं तो इस मामले में क्या कार्यवाई की गई है तथा क्या यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यौरो को सौंपे जाने का विचार है ; और

(ङ) मुद्रणालय में दूसरे सुरक्षा प्रबन्ध करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) मुद्रणालय में पर्याप्त सुरक्षा उपाय लागू हैं।

(ख) यद्यपि मुद्रणालय में क्षति, अनुचित अथवा प्राधिकार बिना दस्तावेजों को नष्ट करने के कुछ मामले हुए हैं, तथापि, मुद्रणालय में छापे जाने वाले अथवा जिल्द बांधे जाने वाले दस्तावेज़ो की चोरी का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

(ग) सरकार को इस प्रकार के मामले की कोई जानकारी नहीं है।

(घ) एक गोपनीय दस्तावेज एक फोरमैन की लापरवाही के कारण गुम हो गया था, परन्तु पत्र की सुरक्षा के हित में उपभोक्ता को अन्य प्रतियों का वितरण नहीं किया गया अथवा उपभोग में नहीं लाया गया था । फोरमैन को उसके अपने विभाग में वापिस भेज दिया गया है और उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाई करने की सलाह दी गई है।

(ङ) मुद्रणालय में सुरक्षा उपायो का लगातार पुनरीक्षण किया जाता है और जहां कहीं आवश्यक होता है, उन्हें और कठोर बनाया जाता है । सुरक्षा के लिए कठोर उपाय बर्तने और कागज-पत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जाते हैं।

औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक

5597. **श्री विक्रम महाजन :**

प्रो० मधु दण्डवते :

क्या **श्रम** मंत्री औद्योगिक संबंध विधेयक के बारे में 16 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3273 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच औद्योगिक संबंधो के बारे में एक विस्तृत कानून संबंधी विवरण तैयार कर लिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं, तो इस संबंध में और कितना समय लगने की सम्भावना है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) ये तैयार किए जा रहें हैं। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य विवाद के निपटान, यूनियनों की मान्यता, ट्रेड यूनियन कानून, आदि के लिए तंत्र और प्रकिया से सम्बन्धित मामलो को शामिल करना है । इस विधेयक को यथाशीघ्र प्रस्तुत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची की कमियों को दूर करना

5598. **श्री विक्रम महाजन** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची की कमियों को दूर करने के लिये किए गए उपाय कहाँ तक सहायक सिद्ध हुए हैं और इस संबंध में और क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अब तक उठाये गये कदमों से हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के उत्पादन में 1970-71 की तुलना में 1971-72 में 31 प्रतिशत और 1971-72 की तुलना में 1972-73 में 27 प्रतिशत की और वृद्धि हुई है । उत्पादन में सुधार करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये जाने का विचार है :—

(क) उत्पादन योजना और नियंत्रण में प्रभावी सुधार करना ;

(ख) इस्पात संयंत्रों के लिये मानकीकृत उपकरणों के निर्माण का विकास करना ;

(ग) कुछ मशीनों पर अनेक पाली में कार्य करना ;

(घ) प्रोत्साहन योजनाओं को धीरे-धीरे लागू करना ;

(ङ) कंम्पनी की क्रयादेश स्थिति में सुधार करना ।

दिल्ली में एच० एम० टी० की घड़ियों की बिक्री

5599. **श्री विक्रम महाजन** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 में तथा 1973 में 30 नवम्बर, 1973 तक हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के दिल्ली कार्यालय द्वारा जनता को कुल कितनी घड़ियां सप्लाई की गई ;

(ख) इस समय एच० एम० टी० के नई दिल्ली कार्यालय के घड़ी सैक्शन में कितने कर्मचारी हैं उनके पदनाम क्या-क्या हैं तथा उन्हें इस समय कितना-कितना वेतन मिलता है ;

(ग) वर्तमान कार्यभार को देखते हुए इन सभी व्यक्तियों के वहां होने का कोई औचित्य है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है कि स्टाक में घड़ी होते हुए इसकी जनता को बिक्री के लिये इंकार न किया जाये और घड़ी को चोरी छिपे न बेचा जाये ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 1972 में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के दिल्ली स्थित कार्यालय द्वारा जनता को कुल 38,299 घड़िया दी गई थीं। 1973 में, 30 नवम्बर, 1973 तक कुल 61,775 घड़ियां सप्लाई की गई हैं।

(ख) जानकारी निम्न प्रकार है :—

पदनाम	संख्या	परिलब्धियां
बिक्री अधिकारी	1	प्रतिमास 950 रुपये।
वरिष्ठ लिपिक	3	वरीयता आदि के अनुसार औसतन 400 रुपये से 458 रुपये तक।
लिपक	2	वरीयता, वेतन वृद्धि की दर आदि के अनुसार 301 रुपये से 354 रुपये तक।
मैकेनिक	2	वरीयता, वेतन वृद्धि की दर आदि के अनुसार 425 रुपये से 520 रुपये तक।

(ग) जी, हां ।

(घ) उपलब्धता के आधार पर जनता को "पहले आओ पहले ले जाओ" आधार पर घड़िया दी जाती हैं। चूंकि एच० एम० टी० की घड़ियों की मांग वर्तमान सप्लाई से अधिक है इसलिये एच०एम०टी० द्वारा घड़ियों का उत्पादन बढ़ाये जाने के बाद ही स्थिति सुधर सकती है।

Mode of recruitment in Heavy Electricals Ltd., Bhopal

5600. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) the total number of Officers and employees in the Heavy Electricals Limited, Bhopal at present;

(b) the percentage of employees who belong to Madhya Pradesh as also the percentage of those who are from other Sates; and

(c) whether there is any order of preference in the matter of appointments in the said organisation and the mode of recruitment generally followed there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh) :

(a) No. of officers	1,479
Employees other than officers	16,811
(b) Percentage of employees other than officers belonging to Madhya Pradesh	60.2
Other states	39.8

(c) Vacancies in posts of technical and scientific nature carrying a basic pay of Rs.210/- or more and other vacancies in higher posts carrying basic pay above Rs. 500/- p.m. are notified to the Central Employment Exchange, New Delhi. Technical posts carrying basic pay less than Rs. 210. p.m. as also non-technical and non-scientific posts carrying basic salary upto Rs. 500/- p.m.are notified to the local employment exchange, In case the local employment exchange is unable to sponsor candidates the vacancies are advertised in important newspapers, Hindi and English, within Madhya Pradesh. The bulk of recruitment is only of trade apprentices under the Apprentices Act. This recruitment is confined to industrial training institutes in Madhya Pradesh. Further more employees recruited in the above manner through local employment exchange are required to submit a certificate of being permanent/domicile resident of Madhya Pradesh on the basis of certificate issued by the District Collectors in Madhya Pradesh.

In all the selections the representatives of the State Government of Madhya Pradesh are also associated for ensuring the interest of local people.

Complaints against Jaura Sugar Mill and other Sugar Mills in Madhya Pradesh

5601. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether complaints have been received against the owners of sugar mills of Madhya Pradesh particularly Jaura Sugar Mill, in regard to contribution to employees provident fund, payment of bonus and non-implementation of the recommendations of the Sugar Wage Board; and

(b) if so, the broad features of the complaints and the steps taken by Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) and (b) The matter falls in the State sphere.

Housing Accommodation for Tea Plantation workers in Tripura

5602. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) the total number of plantation workers of various tea plantations in Tripura State who have been provided residential accommodation by the plantation owners;

(b) the number of the workers who have no houses for living and the time by which they are likely to be provided with houses by the owners of tea plantations;

(c) the area of the houses or quarters already provided to the workers and how many persons on an average can live in one quarter as per the health bye-laws and how many persons are actually dwelling there; and

(d) the actual expenditure incurred annually by each plantation owner on the repairs and maintenance of those houses ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha in due course.

औद्योगिक विवाद अधिनियम का संशोधन

5603. **श्री समर गुह :** क्या श्रम मंत्री औद्योगिक विवाद अधिनियम के संशोधन के बारे में 22 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1672 तथा 1673 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी समय से यह मामला सरकार के विचाराधीन पड़ा है ;

(ख) क्या इस मामले के सम्बन्ध में सरकार को अनेक ज्ञापन तथा अभ्यावेदन भेजे गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस मामले को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार ने इस बात को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है कि औषध उद्योगों में कार्य करने वाले चिकित्सा प्रतिनिधियों तथा विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को "कर्मकार" के रूप में घोषित कर दिया जाना चाहिये ; और

(ङ) यदि हां, तो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का संशोधन कब तक कर दिया जायेगा ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने में अन्तर्गस्त विचार विनिमय में समय लगता है । तथापि प्रस्तावित विधान के शीघ्र ही तैयार हो जाने की आशा है ।

(घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत अन्यों में चिकित्सीय और विक्री प्रतिनिधियों और विश्वविद्यालयों आदि के कर्मचारियों को शामिल करने का प्रश्न सरकार के विचारधीन है।

(ङ) औद्योगिक विवाद अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों को यथा शीघ्र पेश करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

रक्षा अकादमियों में दाखिला

5604. **श्री समर गुह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970, 1971 और 1972 में विभिन्न रक्षा अकादमियों में दाखिले के लिये कितने आवेदन पत्र दिये गये ;

(ख) इस कार्य के लिये विद्यमान चयन समितियों के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) इन वर्षों के दौरान इंटरव्यू के लिये कितने उम्मीदवारों को बुलाया गया ; और

(घ) जिन उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया गया उन का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा कितने उम्मीदवारों का अंतिम रूप से चयन किया गया ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) :

(क) वर्ष	आवेदन पत्रों की संख्या
1970	51,892
1971	49,952
1972	53,321

(ख) रक्षा अकादमियों में प्रवेश के लिये लिखित परीक्षायें संघ लोक सेवा आयोग आयोजित करता है । लिखित परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार, स्थापित किए गए सर्विसिज सिलेक्शन बोर्ड जिनमें अध्यक्ष, ग्रुप टेस्टिंग अफसर, साक्षात्कार करने वाले अफसर, मनोवैज्ञानिक तथा तकनीकी अधिकारी होते हैं, करते हैं ।

(ग) वर्ष	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या
1970	32,371
1971	29,578
1972	32,895

(घ) अभ्यर्थियों को जिन्हें साक्षात्कार किया गया तथा अन्तिम रूप से चुना गया उनके राज्य-वार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं तथा तीन वर्ष की अवधि के इन ब्यौरों को संकलित करने में जो समय तथा श्रम लगेगा वह उससे प्राप्त होने वाले परिणाम के अनुरूप नहीं होगा ।

इन तीन वर्षों में कुल अभ्यर्थियों की संख्या जिनका साक्षात्कार किया गया है तत्काल उपलब्ध नहीं है । इन आंकड़ों को एकत्रित किया जायेगा तथा सभा पटल पर रख दिया जायेगा । तथापि जिन्हें अन्तिम रूप से चुन लिया गया है, उनकी कुल संख्या निम्न लिखित है :—

वर्ष	अन्तिम रूप से चुने गये की संख्या
1970	1968
1971	1953
1972	1806

सशस्त्र सेनाओं में कमीशन प्राप्त अधिकारियों की भर्ती

5605. **श्री समर गुह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970, 1971 और 1972 में स्थल सेना, नौ सेना तथा वायु सेना में कितने अधिकारियों को कमीशन दिया गया और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) वर्ष 1970–73 के दौरान स्थल सेना, नौ सेना और वायु सेना में इंजीनियरों तथा मैडिकल आफिसरों के पदों के लिये कितने उम्मीदवारों ने प्रार्थनापत्र दिये तथा कितने चुने गये तथा उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) एक विवण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6084/73]**।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड में कर्मचारी

5606. **श्री रामाचन्द्रन कडनापल्ली :**

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के कर्मचारियों की कुल सं० क्या है तथा डायरेक्ट वर्कमैन, इनडाइरेक्ट वर्कमैन, प्रबन्ध अधिकारी और सुपरवाइजरों का श्रेणीवार पृथक पृथक ब्यौरा क्या है; और

(ख) कर्मचारियों की इन श्रेणी के वेतन मान क्रमशः क्या है तथा प्रत्येक पद के लिये निर्धारित अर्हताएं क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) इस संबंध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Delegation of Refugees from Hardua Camp, Panna (M.P.)

5607. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to State

(a) Whether a delegation of displaced persons of Hardua Camp, Panna (M.P.) met him on the 21st September and brought to his notice that inspite of efforts for the last 6 years and Government assurances, proper arrangements of enough water either for drinking or for irrigation purposes have not been made and there are no employment opportunities for the displaced persons except the agriculture; and

(b) the particulars of their complaints and the action taken or proposed to be taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Supply and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) :

(a) Yes, Sir. The delegation met the Deputy Minister.

(b) A statement is attached. **[Placed in Library See No. L.T.6085/73]**

त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार हिन्दुस्तान मोटर्स द्वारा श्रमिकों को बकाया राशि का भुगतान न करना

5608. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून में हुए त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार श्रमिकों को बकाया राशि का भुगतान न करने के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए कलकत्ता से 15 किलोमीटर दूर उत्तर पारा स्थित हिन्दुस्तान मोटर्स के श्रमिकों ने कारखाने के प्रशासनिक कार्यालयों पर आक्रमण किया तथा कई कारों को जला दिया ;

(ख) यदि हां, तो बकाया राशि का भुगतान न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) समझौते के अनुसार कर्मचारियों को उनकी बकाया राशि दिलाने तथा भविष्य में इस प्रकार का संकट न होने देने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है या किए जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) : (क) से (ग) यह मामला अनिवार्यतः राज्य के कार्य-क्षेत्र में आता है । उपलब्ध सूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम मंत्री के हस्तक्षेप पर बकाया राशियों के भुगतान के बारे में एक समझौता हुआ था, यह बताया गया है कि इसके बाद श्रमिकों की बकाया राशियों का भुगतान कर दिया गया है ।

भारत और पाकिस्तान के बीच दिल्ली समझौते का कार्यान्वयन

5609. श्री वनमाली पटनायक :
श्री पी० जी० मावलंकर :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान युद्ध बंदियों तथा सिविलियन लोगों के पाकिस्तान को प्रत्यावर्तन की दिशा में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) देश में अभी भी इस प्रकार के कितने व्यक्ति हैं ; और

(ग) प्रत्यावर्तन कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और उस पर क्या व्यय आयेगा तथा इसकी पूर्ती किस तरह से की जाएगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 12 दिसम्बर, 1973 तक 25,438 पाकिस्तानी युद्धबंदियों और 11,886 संरक्षणात्मक हिफाजत में असैनिक बंदियों का प्रत्यावर्तन किया जा चुका है ।

(ख) 49,690 पाकिस्तानी युद्धबंदियों और 5,056 संरक्षणात्मक हिफाजत में असैनिक बंदी अभी भी हमारे पास हैं ।

(ग) दिल्ली समझौते में पाकिस्तानी युद्धबंदियों के भारत से प्रत्यावर्तन को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है । प्रत्यावर्तन की प्रगति पाकिस्तान से बंगलादेश को बंगालियों के तथा बंगलादेश से पाकिस्तान को गैर-बंगालियों के प्रत्यावर्तन की समकालिकता पर निर्भर करेगी । फिर भी, लगता है कि प्रत्यावर्तन की वर्तमान गति से यह काम लगभग छः महीने में पूरा हो जायेगा ।

प्रत्यावर्तन पर होने वाले खर्चे के अलग आंकड़े नहीं रखे गये हैं । जनेवा समझौते के अधीन अपनी सीमाओं तक प्रत्यावर्तन का खर्च बंदी रखने वाले देश को देना होता है ।

कारों के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र में संयंत्र लगाने के प्रस्ताव को समाप्त करना

5610. श्री बन माली पटनायक : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में विदेशी सहयोग से 50,000 कारों के निर्माण के लिए संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव का परित्याग कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) किस ढंग से बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने का विचार है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) यद्यपि योजना आयोग ने सरकारी क्षेत्र में यात्री कारों का निर्माण करने के प्रस्ताव को अभी स्पष्ट रूप से अस्वीकार नहीं किया है, फिर भी इसने 1978-79 तक प्रतिवर्ष 60,000 गाड़ियों की संभावित मांग निर्धारित की है । यह मांग विद्यमान संयंत्र का मामूली विस्तार करके और यदि क्षमता का कुछ भाग, जिसके लिए आशय पत्र दिया गया है, कार्यान्वित होता है तो उससे पूरी की जा सकती है । सरकारी क्षेत्र में यात्री कारों का निर्माण करने के लिए कोई भी योजना भारी उद्योग मंत्रालय के प्रस्तावों में सम्मिलित नहीं की गई है, जो योजना आयोग द्वारा स्वीकृत किए गए हैं । इसका कारण यह है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में संसाधनों का केन्द्रीयकरण करना आवश्यक है ।

Mineral Wealth of Madhya Pradesh

5611. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether a statement, containing the details about various minerals and their locations, was submitted on behalf of Government of Madhya Pradesh at the time of formulation of the Fifth Five Year Plan and even before;

(b) whether it is proposed to constitute the Mines Research Council Organisation carrying out exploration of huge quantity of minerals;

(c) whether this work will be undertaken in collaboration with some foreign country and if so, the outlines thereof;

(d) if the replies to parts (b) and (c) is in the negative, the reasons therefor; and

(e) whether Government of Madhya Pradesh have expressed their will and courage to undertake this work themselves ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) to (e) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Proposal for manufacture of Mini-Tractors by Foreign Manufacturer

5612. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) whether a certain individual has offered a proposal for manufacturing cheap and durable mini-tractors;

(b) whether this proposal is under consideration of Government;

(c) whether a foreign tractor manufacturer has made an application in this regard; and

(d) if so, the outlines thereof and the steps proposed to be taken by Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Educated Unemployed Scheduled Tribes

5613. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) the number of educated unemployed Scheduled Tribes registered with the Employment Exchanges at present; and

(b) the number of educated unemployed Scheduled Tribes provided with employment during 1972-73 and its percentage to the total jobs provided during this year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Bal Govind Verma) : (a) & (b) Available information is given in the statement attached.

Statement

(a) 42,173* educated **Scheduled Tribe job-seekers were on the Live Register of Exchanges on 30-6-1973.

(b) 3,775*educated** Scheduled Tribes job-seekers were placed in employment during the period 1st July, 1972 to 30th June, 1973. Its percentage to the total number of jobs provided to all categories of educated**job-seekers during this period was 1.8.

Notes : 1. *Excludes figures in respect of University Employment Information & Guidance Bureaux except for two in Delhi (Delhi & Jamia Millia Universities).
2. **Matriculates and above.
3. All the job-seekers on the live register are not necessarily unemployed.
4. Data relating to registration and placement of educated job-seekers including Scheduled Tribes are being collected from the Employment Exchanges at half-yearly intervals ending June and December each year.

समुद्र संबंधी नियमों के बारे में संयुक्त राष्ट्रपूर्ण अधिकार प्राप्त सम्मेलन

5614. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्र संबंधी नियमों के बारे में इस वर्ष हुए संयुक्त राष्ट्र पूर्ण अधिकार प्राप्त सम्मेलन में भाग लिया था और क्षेत्रीय समुद्र की बाहरी सीमा और एकमात्र आर्थिक जोन की स्थापना के बारे में भारत के विचार वहां पर प्रकट किये थे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और संयुक्त राष्ट्र की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) न्यूयार्क में 3 से 14 दिसम्बर, 1973 तक हुए समुद्री कानून संबंधी संयुक्त राष्ट्र पूर्णाधिकारी सम्मेलन के पहले सत्र में भारत ने भाग लिया था । इस सत्र में सम्मेलन के संगठन, अधिकारियों के चुनाव तथा सम्मेलन के प्रक्रिया संबंधी नियमों की स्वीकृति से संबंद्ध मामलों पर ही विचार किया गया । इसके बाद सम्मेलन का वास्तविक सत्र 20 जून से 29 अगस्त 1974 तक काराकस (वेनेजुला) में आयोजित किया जाएगा । क्षेत्रीय समुद्र की बाहरी सीमाओं तथा विशिष्ट आर्थिक-क्षेत्र के संबंध में भारत के विचार उस सत्र में रखे जाएंगे ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को लैम्प स्मोकिंग मशीनरी और लैम्प प्लांट्स विषयक रिपोर्ट

5615. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की ओर से लैम्प स्मोकिंग मशीनरी और लैम्प प्लांट स्थापित करने के प्रस्तावों के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : **(क) से (ग)** जी, हां। परियोजना में 916.00 लाख रुपये का निवेश करने और 8 लैम्प बनाने वाली मशीनों तथा कांच और धातु के पुर्जों के अलावा विभिन्न वाट संख्या के 200 लाख जी० एल० एम० लैम्पों का निर्माण करने का उल्लेख है । विनियोजन पर शीघ्र निर्णय लिये जाने की संभावना है ।

भूतपूर्व जनरलों, भूतपूर्व सैनिकों, भूतपूर्व राजनयिकों द्वारा रक्षा मामलों के सम्बन्ध में लिखी गई पुस्तकें

5616. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतभर्व जनरलों, भतपूर्व सैनिकों अथवा भूतपूर्व राजनयिकों द्वारा रक्षा मामलों के संबंध में गत तीन वर्षों में कितनी पुस्तकें लिखी गई ;

(ख) क्या सरकार ने इन पुस्तकों में गुप्त जानकारी के प्रकाशन की दृष्टि से इन सभी पुस्तकों की जांच कर ली है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन पुस्तकों में आपत्तिजनक सामग्री पाई गई ; और यदि हां, तो किस प्रकार की और सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : **(क) से (ग)** सशस्त्र सेनाओं के सेवा निवृत्त कार्मिकों को कोई पुस्तक प्रकाशित करने के लिए अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, सूक्ष्मतया यह बताना कि संभव नहीं है कि गत तीन वर्षों में भूतपूर्व जनरलों या भूतपूर्व सैनिकों ने रक्षा मामलों पर कितनी पुस्तकें लिखी हैं । तथापि कुछ पुस्तकें जो ध्यान में आई हैं निम्नलिखित हैं ।

1. लेफ्टि जनरल बी० एम० कौल	कन्फ्रन्टेशन विथ पाकिस्तान
2. मेजर जनरल डी० के० पलित वीर चक्र (सेवा निवृत)	लाइटिनग कम्पेन : इन्डो पाकिस्तान वार, 1971
3. मेजर जनरल हीरा लाल अटल	नेहरूज एमीसरी टु कश्मीर (अक्तूबर, 1947)

उपर्युक्त पुस्तकों में कोई आपत्तिजनक सामग्री सरकार के ध्यान में नहीं आई है । इस प्रकार की कोई भी पुस्तक इस अवधि में किसी भी भूतपर्व राजनयिक ने प्रकाशित नहीं की है ।

रेलवे प्रतिष्ठानों और वर्कशापों में दैनिक मजूरी पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिये कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन

5617. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रतिष्ठानों और वर्कशापों पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 से छूट दी गई है यदि हां, तो कब से और किन शर्तों पर ;

(ख) क्या रेलवे में दैनिक मजूरी पर काम करने वाले कर्मचारी रेलवे नियम के अन्तर्गत भविष्य निधि और पेंशन सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह कर्मचारी भी कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत लाए जाएं, क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) (क) : जी हां । रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन विभागीय रूप से चलाए जा रहे प्रतिष्ठानों को 12-3-1970 से कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 17(1)(ख) के अन्तर्गत छूट प्रदान की गई है । एक विवरण संलग्न है जिस में वे शर्तें दर्शाई गई हैं, जिनके अध्यधीन उक्त छूट प्रदान की गई थी ।

(ख) और (ग) : रेलवेज़ का प्रायोजनाओं में दैनिक दर पर नियोजित नैमित्तिक श्रमिकों को छोड़ कर, दैनिक दर पर नियोजित अन्य नैमित्तिक श्रमिकों को छः महीने की लगातार सेवा पूरी कर लेने पर अस्थायी मान लिया जाता है, जब वे अन्य स्थायी रेल कर्मचारियों की भांति, रेल नियमों के अधीन, भविष्य निधि लाभों के पात्र बन जाते हैं । तथापि रेलवे की प्रायोजनाओं में नियोजित नैमित्तिक श्रमिक ऐसे लाभों के पात्र नहीं हैं । रेल प्रतिष्ठानों को छूट की मजूरी को शामिल करने वाली शर्तें भविष्य निधि, उपादान या पेंशन के रूप में सेवा-निवृत्ति लाभ का भुगतान सुनिश्चित करती हैं, जिसकी राशि कम से कम उस राशि के बराबर हो, जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना. 1952 के अधीन उस अवस्था में देय होती, यदि ऐसे कर्मचारी उस योजना में शामिल हुए होते।

विवरण

विवरण जिसमें वे शर्तें दर्शाई गई हैं, जिनके अध्यधीन रेल प्रतिष्ठानों को, कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 17(1) (ख) के अन्तर्गत छूट प्रदान की गई

(1) नियोजक क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के ऐसी विवरणियां भेजेगा जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार विहित करे ।

(2) नियोजक प्रत्येक कर्मचारी को लेखे का वार्षिक विवरण या पास बुक भेजेगा ।

(3) निधि के प्रशासन में अन्तर्ग्रस्त सभी खर्चों, जिनमें लेखों को भरने, लेखों और विवरणियों के भेजने, संचयनों के हस्तांतरण, निरीक्षण प्रभारों की अदायगी आदि शामिल हैं, का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

(4) जहां कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि (सांविधिक निधि) या किसी दूसरे छूट प्राप्त प्रतिष्ठान की भविष्य निधि का पहले ही से सदस्य हो, किसी अन्य प्रतिष्ठान में नियोजित किया जाता है, तो उसका नियोजक तुरन्त ही उसे अपने प्रतिष्ठान की निधि का सदस्य बनायेगा और ऐसे कर्मचारी के पिछले संचयनों को स्वीकार करेगा तथा उन्हें उसके खाते में जमा करेगा ।

(5) यदि प्रतिष्ठानों के ऐसे वर्ग के लिए, जिसके अन्तर्गत कि नियोजक का प्रतिष्ठान आता हो, भविष्य निधि अंशदानों की दर को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत बढ़ा दिया जाये, तो वह नियोजक भविष्य निधि अंशदान की दर को समुचित रूप से बढ़ाएगा ताकि उस प्रतिष्ठान की भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत लाभ, उस लाभ से कम अनुकूल नहीं हो जायेंगे, जिसकी व्यवस्था कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 में की गई है ।

(6) प्रतिष्ठान के भविष्य निधि नियमों में समाविष्ट किसी भी बात के बावजूद, यदि किसी सदस्य को, प्रतिष्ठान का कर्मचारी न रहने पर, देय या उसके स्थानान्तरण पर किसी अन्य प्रतिष्ठान को हस्तान्तरणीय ब्याज सहित नियोजकों और कर्मचारियों के अंशदानों की राशि, ऐसी राशि, यदि कोई हो, को साथ मिलाकर, जो उपदान या पेंशन संबंधी नियमों के अधीन देय हो, उस राशि से कम हो जो उस स्थिति में देय होगी, यदि वह कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अन्तर्गत भविष्य निधि का सदस्य होता, तो नियोजक प्रतिकर या विशेष अंशदान के रूप में अन्तर का भुगतान सदस्य को करेगा।

(7) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना, भविष्य निधि के नियमों में कोई संशोधन नहीं किया जायेगा, जहां किसी संशोधन के कारण कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपने दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण करने का उपयुक्त अवसर देगा ।

रेलवे प्रतिष्ठानों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना

5618. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 जून, 1954 को जारी की गई एक अधिसूचना के अन्तर्गत रेलवे प्रतिष्ठानों पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू होने से छूट दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक इस छूट का नवीनकरण प्रतिवर्ष किया जाता रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या रेलवे प्रतिष्ठानों और कारखानों के अस्थायी और नैमित्तिक श्रमिकों समेत सभी श्रमिकों पर इस अधिनियम के उपबंध लागू करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित सूचना दी है :

(क) रेल मंत्रालय के नियंत्रण के अन्तर्गत कारखानों और प्रतिष्ठानों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 90 के अन्तर्गत, जून, 1954 में छूट दी गई थी। छूट अभी तक भी लागू होती है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

औद्योगिक रोज़गार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 की धारा 14 के अधीन रेलवे के छूट प्राप्त औद्योगिक प्रतिष्ठान

5619. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 की धारा 14 के अधीन छूट दी गई है ;

(ख) क्या उन्हें पता है कि रेलवे प्रतिष्ठानों में अस्थायी पदों पर काम करने वाले दैनिक मजूरी वाले तथा अन्य आकस्मिक श्रमिकों का, औद्योगिक श्रमिकों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत मिलने वाले सांविधिक लाभों तथा सुरक्षाओं से वंचित रखा जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इन श्रमिकों को उक्त अधिनियम के लाभ सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : **(क)** जी हां ।

(ख) और (ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि नैमितिक श्रमिकों को भी औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत लाभ मिलें, श्रम मंत्रालय ने सभी नियोजित करने वाले मंत्रालयों को केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में नैमितिक श्रमिकों के लिए आदर्श स्थायी आदेश, अपनाए जाने हेतु परिचालित किए हैं ।

कर्मचारियों के लिए उपदान निधि

5620. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारियों के लिए उपदान निधि बनाने का है ; और

(ख) यदि हों, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : **(क) और (ख)** 24 नवम्बर, 1973 को हुए श्रम मंत्री सम्मेलन के 24वें सत्र में अन्य बातों के साथ-साथ एक केन्द्रीय उपदान निधि स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया गया था । जैसी कि सम्मेलन ने सिफारिश की है, मामले की जांच करने और दृष्टि में रखते हुए प्रयोजन के लिए एक उपयुक्त योजना की सिफारिश करने हेतु विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई है ।

सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों में तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन के कारण असन्तोष

5621. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन में उल्लिखित अपर्याप्त व्यवस्थाओं के संबंध में सशस्त्र सेनाओं के विभिन्न स्तरों के अधिकारियों में असन्तोष व्याप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : **(क) और (ख)** सेनाध्यक्षों ने कहा है कि सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के वेतन और भत्तों तथा नान-इफैक्टिव लाभों के संबंध में तीसरे वेतन आयोग की कुछ सिफारिशें संतोषजनक नहीं हैं । उन्होंने इन सिफारिशों में कतिपय असंगतियों और असमानताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए उन्हें समंजित करने के लिए कहा है । सेनाध्यक्षों के सुझावों पर विचार किया जा रहा है और आशा है उन पर शीघ्र निर्णय ले लिये जायेंगे ।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के नवम्बर-दिसम्बर, 1973 सत्र में किया गया कार्य

5622. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के नवम्बर-दिसम्बर, 1973 सत्र में क्या ठोस कार्य किया गया ;

(ख) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रोडेशिया के विरूद्ध प्रतिबन्ध लगाये जाने का अनुरोध किया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या तर्क एवं सुझाव प्रस्तुत किये गये ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कार्यसूची के विभिन्न महत्वपूर्ण मसलों पर विचार-विमर्श में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जैसे--हिन्द महासागर की शांति क्षेत्र के रूप में घोषणा, निस्त्रीकरण, समुद्र कानून, पुर्तगाल द्वारा नव स्वतन्त्र देश गिनी बिसाऊ के विरूद्ध जोर-जबर्दस्ती, आर्थिक एवं सामाजिक विकास से संबंधित प्रश्न, मानव अधिकार, उपनिवेशों की समाप्ति और रंग भेद । दो जर्मन राज्य और बहामा को संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश दिलाने के लिए भारत ने अन्य देशों के साथ मिलकर प्रस्तावों का मसौदा भी प्रस्तुत किया । भारतीय प्रतिनिधियों ने विभिन्न समितियों में अनेक वक्तव्य दिये तथा महासभा द्वारा लिये गए अर्थपूर्ण निर्णयों में अपना योगदान दिया ।

(ख) जी हां ।

(ग) इस प्रश्न के संबंध में भारत सरकार की नीति संयुक्त राष्ट्र में अफ्रीकी देशों के साथ निकट सम्पर्क रख कर काम करने की रही है । भारत ने बहुत से मामलों में दक्षिण रोडेशिया के विरूद्ध प्रतिबन्ध लगाने के प्रस्ताव अन्य देशों के साथ मिलकर प्रस्तुत किये और उनका समर्थन किया है । दक्षिण रोडेशिया के खिलाफ प्रतिबन्ध लगाने की दिशा में अधिक कारगर कदम उठाने के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र में अफ्रीकी देशों के सहयोग से सभी संभव तरीके ढूंढता रहेगा ।

खानों के मुहानों से कोयले का ले जाना

5623. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न स्थानों के लिये खानों के मुहानों से कोयला ले जाने के लिये किसी समन्वयन एजेंसी की स्थापना के लिये सिद्धान्त तथा नियम बनाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) (क) और (ख) : कोयले के संचलन और वितरण के लिए खान उप मंत्री की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय स्थायी समिति की अनुशंसा पर निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए रेलवे तथा कोयला उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधियों का कलकत्ता में एक संयुक्त सैल स्थापित किया गया है :—

(i) विभिन्न उपभोक्ताओं की जरुरतों का समन्वय करना तथा उत्पादन और उसके संचलन के लिए रेल क्षमता व वैगन उपलब्धि को ध्यान में रखकर विभिन्न कोयला क्षेत्रों के साथ उन्हें समुचित रूप से संबंध करना ताकि प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कोयले के समान वितरण को सुनिश्चित किया जा सके ।

(ii) विभिन्न कोयला खानों के पास जमा कोयले के स्टाक के तुरन्त निपटान, कोयला खानों वैगनों को शीघ्र खाली करने तथा लदान कार्यक्रम के अनुपालन के बारे में उपाय और तरीके सुझाना ।

दिल्ली में काम के घंटों का पालन न करने के कारण दुकानों का चालान किया जाना

5624. श्री शशि भूषण :

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 नवम्बर, 1973 के समाप्त हुए छः महीनों के दौरान दिल्ली और नई दिल्ली में प्रशासन द्वारा कितनी दुकानों का निर्धारित समय पर दुकान खोलने व बन्द करने के कारण चालान किया गया ;

(ख) किस विशेष क्षेत्र में सबसे अधिक चालान किए गए ; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) संख्या में लगभग 8600.

(ख) शाहदरा, सब्जी मण्डी, सदर बाजार, चांदनी चौक, जामा मस्जिद, आई० एन० ए० मार्किट, भोगल, लाजपतराय मार्किट, बंगाली मार्किट और सरोजिनी नगर के क्षेत्र ।

(ग) दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के उपबन्धों के सभी उल्लंघकों के विरुद्ध अभियोजन दायर किये गये हैं ।

स्कूटरों के आवंटन के लिए सरकारी कर्मचारियों की प्रतीक्षासूची

5625. श्री शशि भूषण : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को स्कूटरों के आवंटन के लिए बनाई गई विभिन्न प्रतीक्षा सूचियों की श्रेणियों का तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के सरकार द्वारा स्वीकृत तथा क्रियान्वित किए जाने के परिणामस्वरूप पुनः निर्धारण कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं ; तो कब तक ऐसा निर्णय लिए जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या अगले आवंटन वर्ष 1974 से आवेदन पत्र नए वेतनमानों के आधार पर लिए जायेंगे ।

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और इस संबंध में 31 दिसम्बर, 1973 से पहले आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये जायेंगे ।

निर्यात के लिये विशाखापत्तनम बन्दरगाह पर लौह अयस्क जमा करना

5626. **श्री वी० मायावन :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम बन्दरगाह पर निर्यात के लिए लौह अयस्क जमा करना एक प्रमुख समस्या बन गई है जैसा कि एक स्थानीय समाचारपत्र में समाचार प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

लौह अयस्क के निर्यात में वृद्धि करने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे की योजना

5627. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री वी० मायावन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-मध्य रेलवे ने होस्पेट–बेल्लारी खनिज पट्टी में लौह-अयस्क के निर्यात में वृद्धि करने की कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : **(क) और (ख)** योजना आयोग द्वारा पांचवी योजना के अन्त तक बेलारी हास्पेट क्षेत्र से रेल द्वारा लौह अयस्क की ढुलाई के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निश्चित किए गये हैं :—

बन्दरगाह	मात्रा
मद्रास .	.50 लाख टन
मरमागोआ	5 लाख टन
कारवार . .	7 लाख टन

मद्रास को ढुलाई दक्षिण रेलवे तथा मरमागोआ और कारबार को ढुलाई दक्षिण केन्द्रीय रेलवे द्वारा की जाएगी ।

जबकि मरमागोआ और छोटे बन्दरगाहों को माल ले जाने का स्तर वर्तमान स्तर ही रहेगा, मद्रास बन्दरगाह को माल की ढुलाई की मात्रा में क्रमिक वृद्धि होगी और पांचवी योजना के अन्त तक यह मात्रा 50 लाख टन तक पहुंच जाएगी । रेलवे ने मद्रास बन्दरगाह से निर्यात के लिए लौह अयस्क की ढुलाई में प्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए हास्पेट मद्रास मार्ग पर रेल मार्ग क्षमता में आवश्यक वृद्धि की मंजूरी पहले ही दे दी है ।

राष्ट्रीय मजूरी नीति विषयक रिपोर्ट की सिफारिशों का कार्यान्वयन

5628. **श्री नवल किशोर सिंह :**

श्री ज्योतिर्मय वसु : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक विशेषज्ञ निकाय द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय मजूरी नीति विषयक रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन्हें कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : **(क) और (ख)** : फिलहाल श्रम मंत्रालय में मजदूरी सेल के गठन हेतु समिति की सिफारिश को कार्यान्वित करने का निर्णय किया गया है जिसके बारे में आवश्यक कार्यवाही आरम्भ की जा रही है ।

देश में प्रतिरक्षाएककों की स्थापना करना

5629. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री देश में, प्रतिरक्षा एककों की स्थापना के बारे में दिनांक 16 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3207 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई परियोजनाओं अर्थात् बख्तरबन्द सैनिक गाड़ियों और अन्य हल्की बख्तरबन्द गाड़ियों के स्वदेश निर्माण एवं विशेष इस्पात परियोजनाओं की स्थापना के संबंध में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित कारखाने कहां कहां पर लगाये जायेंगे और उनमें उत्पादन कब प्रारम्भ होगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) बख्तरबन्द सैनिक गाड़ियों और अन्य हल्की बख्तरबन्द गाड़ियों के स्वदेश में निर्माण के लिए परियोजना सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है । विशेष इस्पात परियोजना कानपुर में स्थापित की जाएगी । इसके प्राक्कलन का पुनरीक्षण हो रहा है ।

काम के लिए सात दिवसीय सप्ताह

5630. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री 16 अगस्त, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 337 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काम के लिये सात दिवसीय सप्ताह संबंधी प्रस्ताव की संक्षिप्त रूपरेखा इस बीच तैयार कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खानों में सुरक्षा संबंधी पहले और दूसरे सम्मेलन में की गई सिफारिशों के संबंध में कार्यवाही

5631. **श्री नवल किशोर सिंह**: क्या **श्रम** मंत्री 16 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3365 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या खानों में सुरक्षा सम्बन्धी पहले और दूसरे सम्मेलन में की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में अब तक की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जानकारी इस बीच एकत्रकर ली गई है?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : खान सुरक्षा सम्बन्धी प्रथम और द्वितीय सम्मेलन की सिफारिशों पर अब तक की गई या प्रस्तावित की गई कार्यवाही के बारे में सूचना एकत्र कर ली गई है और शीघ्र ही सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

ज्वाइंट साइफर ब्यूरों के अवर स्नातक कर्मचारी

5632. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या **रक्षा** मंत्री ज्वांइंट साइफर ब्यूरो के अवर-स्नातक कर्मचारियों के बारे में दिनांक 9 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2741 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अवर स्नातकों की श्रेणी II और श्रेणी I पदों पर पदोन्नति पर रोक लगाने का औचित्य क्या है;

(ख) क्या जवाइंट साइफर ब्यूरो में भरती नियमों में उपबन्धों का इस बीच पुनरावलोकन कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार के निर्णय लिये गये हैं और अवर-स्नातकों को श्रेणी III से श्रेणी II के पदों पर पदोन्नति देने के लिये क्या उपाय किये गये हैं?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) संयुक्त साइफर ब्यूरो में श्रेणी II तथा ऊपर के पदों में पदोन्नति के लिये न पदों की ड्यटी को ध्यान में रखते हुये न्यूनतम अनिवार्य उन योग्यता स्नातक निर्धारित की गई थी।

(ख) तथा **(ग)** संयुक्त साइफर ब्यूरो के पदों के भर्ती नियम अभी पुनरीक्षणाधीन हैं

औद्योगिक विवादों का तेजी से निपटाया जाना

5633. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या **श्रम** मंत्री 16 अगस्त, 1973 के औद्योगिक विवादों के तेजी से निपटाये जाने के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 3241 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो अपेक्षित जानकारी एकत्र करने में और कितना समय लगने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) 16 अगस्त, 1973 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3341 के उत्तर में दिये गये आश्वासन के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना अभी तक भी कुछ राज्य सरकारों से प्रतीक्षित है और इस मामले की प्रभावपूर्ण रूप से पैरवी की जा रही है। सूचना, यथा-शीघ्र सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश में अभ्रक, निकल आदि निक्षेपों का पता लगना

5634. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में अभ्रक, निकल, तांबा, लौह-अयस्क, बोक्साइड, मार्बल चूना पत्थर, डोलोमाइट तथा अन्य खनिजों के भारी निक्षेपों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो उसके विवरण क्या हैं; और

(ग) उनका उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा किये गये अन्वेषण के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में अनेक खनिज-निक्षेपों का पता चला है प्रमुख खनिज निक्षेपों के अनुमानित भंडार इस प्रकार है :—

खनिज	भंडार	ग्रेड-किस्म
	(लाख टन में)	
चूना	4790.00	फ्लक्स व सीमेंट ग्रेड
डोलोमाइट	160.00	फ्लक्स ग्रेड
कोयला	2500.00	घटिया किस्म, 28% से अधिक राख
मैंगनेसाइट	330.00	38% से 45% मैग्नेसिया तथा 0.3% से 5.7% तक चूना
फास्फेट	180.00	15% से 25% तक फास्फेरस पेंट आक्साइड
एन्डेलूसाइड	145.00	
जिप्सम	02.00	
स्टैटाइट	19.00	
फायर क्ले	30.00	
पायसे फिलाइट व डायस्पियर	545.00	
बाक्साइट	22.20 (मापी गई श्रेणी)	44% से 61.51% एलूमिना 2.26% से 2.56% सिलिका

इसके अतिरिक्त सिलिका मिट्टी के व्यापक निक्षेप, संगमरमर के विशाल निक्षेप, घटिया लोहे के अल्प निक्षेप तथा सीसा-जस्ता तांबा खनिज क्षेत्रों का भी पता चला है। अभ्रक और निकल के कोई निक्षेप देखने में नहीं आये हैं। उत्तर प्रदेश सरकार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से राज्य में तांबे के लिये भी ड्रिलिंग द्वारा खोजकार्य कर रही है।

(ग) इस समय समुपयोजना किये जा रहे खनिजों में फास्फोराइट, बाक्साइट, पाययोफिलाइट, डायस्पियर, चूनापत्थर, डोलोमाइट, स्टैटाइट तथा सिलिका मिट्टी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त संयुक्त क्षेत्र में डैड बर्न्ट मैग्नोसाइट प्लाट' का निर्माण कार्य भी जारी है। उत्तर प्रदेश के सिंगरौली कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा व्यापक ड्रिलिंग अन्वेषण किया गया है। ताकि पांचवीं योजना में नई खाने खोली जा सकें।

राउरकेला इस्पात संयंत्र उप-महा प्रबन्धक

5635. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राउरकेला इस्पात संयंत्र के उप-महाप्रबन्धक को, जो उड़ीसा केडर से एक आई० ए० एस० है, उड़ीसा सरकार को वापस दिया जा रहा है,

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में उसके कार्यकाल की अवधि क्या थी और यह कब समाप्त होती;

(ग) उसको वापस भेजे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार को पता है कि इस समय राउरकेला में इस बात पर तनाव है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) भारतीय प्रशासन सेवा (उड़ीसा संवर्ग) के अधिकारी को, जिन्हें अप्रैल, 1973 में राउरकेला इस्पात कारखाने का उप-महाप्रबन्धक नियुक्त किया गया था, नवम्बर, लगभग 73 में राज्य सरकार को प्रत्यावर्तित कर दिया गया था।

(ख) उनकी प्रतिनियुक्ति की मंजूरी अधिकाधिक 2 वर्ष के लिये दी गई थी।

(ग) उन्हें उनकी अपनी प्रार्थना पर राज्य सरकार को प्रत्यावर्तित किया गया था।

(घ) जी, नहीं।

राउरकेला इस्पात संयंत्र को 1972–73 के दौरान हुई हानि

5636. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र को वर्ष 1972-73 में हानि हुई है और यदि हां, तो कितनी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : जी, नहीं। वर्ष 1972-73 में राउरकेला इस्पात कारखाने को 1.186 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ।

उड़ीसा में आरा मशीनों का बन्द हो जाना

5637. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार के उड़ीसा वन विकास निगम ने कटक में अपनी दो आरा मशीनों को बन्द कर दिया है और वह उन्हें गैर-सरकारी क्षेत्र को बेचने जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप कुछ सौ कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार हैं?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) यह मामला अनिवार्य रूप से राज्य के कार्यक्षेत्र में आता है। इस बारे में कुछ अभ्यावेदन केन्द्रीय श्रम मंत्री को सम्बोधित थे जो राज्य प्राधिकारियों के ध्यान में लाये गये थे।

Persons accompanying Shri Brezhnev on his recent visit and expenditure incurred thereon

5638. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of persons accompanying Mr. Brezhnev on his recent visit to India; and

(b) the total expenditure incurred on his visit and the Head of account to which it was debited to ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) A party of 130 members came with H.E. Mr. Leonid Ilyich Brezhnev, General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union, Member of the Presidium of the Supreme Soviet of the U.S.S.R., on his recent visit to India. An advance Party of 25 members came to India ahead of H.E. Mr. Brezhnev.

(b) As all the bills have not been received so far it is not possible to indicate the exact amount of expenditure so soon after the visit. The expenditure will be debited to the following head :—"24.B-External Affairs-B-3-Entertainment charges. B-3(1) Hospitality Expenses."

Violation of Borders, Territorial Waters and Air Space Committed by Pakistan

5639. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1603 on the 2nd August, 1973 and state :

(a) the number of violations of Indian borders, territorial waters and air spaces territory committed by Pakistan after the 25th July, 1973 to date; and

(b) Government's future plan and policy in regard to checking the border violations ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Between 25-7-73 and 14-12-73, 27 land violations and 6 air violations were committed by Pakistani forces. There has been no violation of our territorial waters by Pakistani Naval Ships.

(b) Such incidents are sought to be resolved or prevented through flag meetings between local commanders. Our security forces are maintaining constant vigilance on the borders and have orders to take firm action where necessary.

Irregularities in Construction work by Mazdoor Sangh Griha Nirman Samiti, Laxmibai Nagar Colony, Ujjain

5640. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether Government have received any complaint about large scale bungling and irregularities in the construction work of Mazdoor Sangh Griha Nirman Samiti, Laxmibai Nagar Colony, Ujjain;

(b) if so, the main points of the complaints; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Coal Mines Equipment from Russia

5641. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government are importing heavy equipment for use in the coal mines from the Soviet Union; and

(b) if so, the value thereof in Indian currency ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sudbodh Hansda) : (a) Yes Sir.

(b) The value of the equipment for which orders have been placed is Rs. 9.67 crores approximately.

Indian and Foreign Nationals in Indian Embassy in USSR

5642. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Indian and foreign nationals separately working in the Indian Embassy in USSR at present;

(b) whether the pay-scales of the Indian and the foreign nationals working on the same posts in the Embassy are different; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs : (Shri Surendra Pal Singh) :

(a) There are 46 Home based (42 in Moscow and 4 in Odessa) and 22 Foreign nationals (18 in Moscow and 4 in Odessa) working in USSR.

(b) Each local post has the same pay-scale whether it is filled by an Indian National or a foreign national.

(c) Does not arise.

डबहोल पत्तन का आधुनिकरण

5643. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रक्षा की दृष्टि से डवहोल पत्तन के विकास और आधुनिकीकरण के प्रस्ताव पर विचार करने का प्रस्ताव हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस विषय पर रक्षा की दृष्टि से विशेषज्ञों की राय ले ली हैं; और

(ग) यदि हां, तो विशेषज्ञों की सिफारिशें क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं श्रीमन्। रक्षा प्रयोजनों के लिये डबहोल के उपयोग की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ख) जी नहीं श्रीमान।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में इस्पात संयंत्रों का चालू होना

5644. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अगले वर्ष गैर-सरकारी क्षेत्र में दो लघु इस्पात संयंत्र चालू हो जायेंगे जिसमें से एक आन्ध्र प्रदेश में नशरम में और दूसरा पश्चिमी बंगाल में बंडेल में होगा और जिनकी स्थापित क्षमता क्रमशः 18,000 और 27,000 टन होगी;

(ख) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात संयंत्र लगाने की अनुमति देने के बारे में सरकारी नीति में कोई परिवर्तन हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो क्यों?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) संभवतः अभिप्रायः मैसर्स मल्टी स्टीलस इंडिया लिमिटेड और मैसर्स पंच स्टीलस द्वारा क्रमशः नशरम (आन्ध्र प्रदेश) और बंडेल (पश्चिमी बंगाल) में स्क्रैप पर आधारित विद्युत् भट्टी इकाइयों की स्थापना के प्रस्ताव से है। पश्चिमी बंगाल की इकाई उदार औद्योगिक लाइसेंस नीति के अधीन प्रतिवर्ष 27,000 टन की अधिकृत क्षमता के लिये लोहा और इस्पात नियंत्रक के पास पंजीकृत है और इसके 1974 में चालू हो जाने की संभावना है। मैसर्स पंच स्टीलस के प्रस्ताव को अभी तक सरकार द्वारा लाइसेंस नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) : लोह स्क्रेप तथा कई राज्यों में बिजली की कमी को ध्यान में रखते हुये सरकार ने, आवश्यक आदानों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर इस उद्योग को विकास को विनियमित करने का निश्चय किया है। तदनुसार इस्पात के निर्माण के लिये स्क्रैप पर आधारित विद्युत भट्टी इकाइयों की स्थापना को उदार औद्योगिक लाइसेंस नीति के क्षेत्र से निकालने के लिये 31-10-1973 को आदेश जारी किये गये थे। अतः नई इकाइयों स्थापित करने के लिये औद्योगिक लाइसेंस लेना आवश्यक होगा और आवश्यक आदानों की उपलब्धता को ध्यान में रख कर आवेदनों पर विचार किया जायेगा।

मणिपुर राज्य में चूना-पत्थर

5645. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मणिपुर राज्य में उत्तरी एवं दक्षिणी (दोनों) मोवा और खगोई क्षेत्रों में हुंगडुंग में चूनापत्थर के 18 लाख टन के निक्षेपों के अतिरिक्त उखरूल में 46 लाख टन के निक्षेपों का पता चला है;

(ख) क्या चूना-पत्थर के पुराने और इन नये निक्षेपों के मिलने से इसके औद्योगिक उपयोग के सम्बन्ध में हम लगभग आत्मनिर्भर हो जायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति की मुख्य बातें क्या हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : सीमान्त सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर की उपयोगिता की और अधिक जांच करने की जरूरत है। परन्तु, चूना पत्थर के अनुमानित भंडार 300 टन दैनिक क्षमता वाले सीमेंट संयंत्र के लिये पर्याप्त होंगे। मणिपुर सरकार राज्य में एक सीमेंट फैक्टरी स्थापित करने की संभावना पर विचार कर रही है।

निर्यात बाजार में "हिन्दुस्तान स्टील"

5646. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील ने, जिसने 1959 में कुछ मदों द्वारा निर्यात बाजार में प्रवेश किया था, अपनी निर्यात गतिविधियां बढ़ा दी हैं और इस समय वह अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बावजूद छः महाद्वीपों के 40 से अधिक देशों में इस्पात का निर्यात कर रहा है; और

(ख) क्या हिन्दुस्तान स्टील ने निर्यात के मामले में सबसे बड़ा एकमात्र भारतीय निर्यातक होने के नाते, दो वर्ष तक लगातार राष्ट्रीय पुरस्कार जीता?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी हां।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को अक्तूबर, 1965 से मार्च, 1968 तथा 1968-69 की अवधि में असाधारण निर्यात के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे।

स्पंज लोहे का कारखाना

5647. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में विदेश सहायता से या इसके बिना स्पंज लोहे का कारखाना लगाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : **(क) और (ख)** : स्पंज आयरन के कारखानों की स्थापना के लिये निजि क्षेत्र से 2 प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। प्रत्येक कारखाने की वार्षिक क्षमता 300,000 टन होगी और इनमें ठोस अपचायक प्रक्रिया का प्रयोग किया जायेगा। दोनों प्रस्तावों में स्पंज आयरन के निर्यात की संभावना की परिकल्पना की गई है। इन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

रेलवे टेलिग्राफर सिगनेलरों से उन्हें डाक-तार विभाग के टेलिग्राफ सिगनलरों के बराबर मानने के लिए अभ्यावेदन

5648. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें रेलवे टेलिग्राफ सिगनेलरों की ओर से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करते समय उन्हें पूर्णतया रूप से डाक तथा भारी विभाग के टेलिग्राफ सिगनेलरों के बराबर माना जाये; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) (क) जी हां।

(ख) तीसरा वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट के पैरा 116 में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि डाक तथा तार टेलिग्राफिस्टों और रेलवे सिगनेलरों में समानता का कोई प्रश्न नहीं है। श्रेणी 2, 3 और 4 के कर्मचारियों के वेतन-मानो से संबंधित वेतन आयोग की सिफारिशों की मोटेतौर पर स्वीकार करने के सरकारी निर्णय के अनुसार में रेलव टलिग्राफ सिगनेलरों के सम्बन्ध में सिफारिश किये गये संशोधिन वेतन-मानों को स्वीकार और अधिसूचित किया गया है। तथापि "पाई—द्रव्य" में सुधार करने के प्रश्न की छान-बीन की जा रही है।

रक्षा प्रतिष्ठानों के अधीन अस्पताल

5649. **श्री शिवशंकर प्रसाद यादव**: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रक्षा प्रतिष्ठानों में ऐसे कितने अस्पताल हैं जहां गेहूं का आटा, बेसन, सूजी मैदाई दाल-मोठ, पेठा, ब्रेड, केक, जलेबी, रसगुल्ला, पूड़ी, समोसा, चाकलेट, पेड़ा, बर्फी, आइसक्रीम, गुलाबजामुन, डालडा, तेल, घी, लड्डू, चावल, दाल, गोल मिर्च, हल्दी, निर्मित खाद्य, फल, चाय, काफी, फ्रूट जूस, बालू-शाही, रेवड़ी, ग्रेन, बिस्कुट, एयराटिड वाटर, सोडा वाटर, वनस्पति पेय जल, रूधिर सूगर, सीरम, ट्रांसमिनेस. जिगर कार्य परीक्षण, कोजियम, पोटाशियम, कैलशियम, यूरिया क्लीरोटेन्ट, कालेस्ट्राल जैसे खाद्य पदार्थों, जल रसायन और रूधिर जीव रसायनों का विश्लेषण किया जाता है;

(ख) क्या चिकित्सा परिषद अधिनियम और खाद्य अपमिश्रण नियारक नियमों के अनुसार उप-युक्त भाग (क) में उल्लिखित पदार्थों की स्वतत्र रूप से अन्तिम परीक्षा विश्लेषण करने के लिये लान्स नायक, नायक, हवलदार, हवलदार मेजर, सूबेदार, कैप्टन, प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला तकनीकीशियन, असिस्टेंट कैमिस्ट, बायो कैमिस्ट और पैयोलोमिस्ट सक्ष्य हैं; और

(ग) क्या उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित मामरू में प्रयोगशाला तकनीकी पुनर्वोधन पाठ्यक्रम में पूना स्थित आर्म्ड फोर्सेस मैडिकल कालेज में प्रशिक्षण दिया जाता है।

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) (क) अस्पतालों में खाद्यपदार्थों के विश्लेषण नहीं किया जाता हैं केन्द्रीय रूप से खरीदी गई सामग्री की मदों की जांच छै कम्पोजिट फूड लैवोरेटरीज में तथा चार खाद्य पदार्थों के निरीक्षण यूनिटों में किया जाता है। तथापि सशस्त्र सेनाओं के सभी अस्पतालों में जीव रसायनिक परीक्षण किये जाते हैं।

(ख) खाद्य पदार्थों के विश्लेषण के लिये नियोजित सब गैर चिकित्सक कार्मिक तथा जीव रासा-यनिक परीक्षण के लिये नियोजित सब चिकित्सक कार्मिक अपने-अपने कार्यों का निष्पादन करने के लिये सक्षम हैं।

(ग) खाद्य पदार्थों के विश्लेषण सम्बन्धी कार्य पर नियोजित वैज्ञानिक अमला को कम्पोजिट फूड लैबोरेटीज में तथा सेंट्रल फूड टैक्नालोज्यीकल रिसर्च इन्स्ट्यूट में प्रशिक्षित किया जाता है। चिकित्सक कार्मिक जिन्हें जीव रासायनिक परीक्षण के कार्य पर नियोजित किया जाता है उन्हें शस्त्र सेना चिकित्सा कालेज पूना में प्रयोगशाला तकनीक में तथा सशस्त्र सेनाओं के चार अस्पतालों दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता तथा पूना में भी प्रशिक्षण, दिया जाता है ।

Production of T-25 Tractors

5650. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Ministre of **Heavy Industry** be hleaed to state :

(a) the total production in the various factories of T-25 Tractor during 1971-72 and 1972-73; and

(b) the procedure laid down for its allotment and the number of users who were allot-ted these tractors during the above period and the number of orders pending consideratien ?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh) : (a) M/s Harsha Tractors Ltd., New Delhi were issued an Industrial licence on 9-2-1971 for the manufacture of T-25 tractors. They have not so far started regular manufacture of these tractors. The No. of tractors assembled by them out of the packs allowed to them for import are as under :

1971-72	Nil
1972-73	825 nos.

(b) 10% of these tractors are being sold in accordance with the provision of the Tractors (Distribution & Sale) Control Order, 1971 to persons who had registered their orders with the concerned dealers and the balance of 90% to the nominees of the State Agro Industries Corporations and the Defence Ministry. 824 tractors were delivered to the users during the period in question and 400 orders were pending as on 31-3-73. The position as on 15-12-1973 is that 1635 tractors have been delivered and 450 orders are pending.

Manufacture of Solid State Gun by Bharat Electronics Limited.

5651. Shri M.S. Purty : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Bharat Electronics (BEL) has evolved a new system for manuacturing solid state gum controlling apparatus for tanks for army units operating recoil-less guns and four channel set for aeroplanes; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : **(a) and (b)** Bharat Electronics Limited have developed a number of electronic equipments based on solid state technology for the Defence Services. It will, however, not be in the public interest to divulge their details.

एच०एम०टी०-5, हैदराबाद में श्रमिक संघ की गतिविधियों में भाग लेने के कारण तीन कर्मचारियों की सेवायें समाप्त करना

5652. **श्री दिनेश जोरदर** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच० एम० टी०-5 हैदराबाद ने प्रबन्धकों के तीन कर्मचारियों की सेवायें श्रमिक संघ की गतिविधियों में भाग लेने के कारण 31 जुलाई, 1973 को समाप्त कर दी थी।

(ख) श्रम समझौता अधिकारी आर० ए० सी० एल० की उस पर जांच के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) क्या उक्त प्रबन्धकों ने राज्य श्रम प्राधिकारियों (समझौता अधिकारी) की सिफारिश मान ली है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : **(क) से (ग)** हिन्दुस्तान मशीन टूल्स हैदराबाद के प्रबन्धकों ने दुर्व्यवहार और अन्य अनुशासनहीन कार्यों के लिये तीन कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की थीं। यह कार्यवाही जांच समिति के निष्कर्षों पर आधारित थी। श्रमिक समझौता अधिकारी ऐसे किसी विशेष निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा फिर भी उन्होंने अनुभव किया कि बरखास्त किये गये एक कर्म-

चारी के मामले में प्रबन्धकों द्वारा चेतावनी दी जा सकती थी। क्योंकि समझौता कार्यवाही सफल नहीं हुई थी इसलिये इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कहा गया था। तत्पश्चात् इनमें से एक कर्मचारी का मामला राज्य सरकार द्वारा न्यायक निर्णय के लिय प्रस्तुत कर दिया गया है।

एच०एम०टी०-5, हैदराबाद में तीन कर्मचारियों की सेवायें समाप्त करना

5653. **श्री दिनेश जोरदर** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच० एम० टी०-5 हैदराबाद के प्रबन्धकों ने मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ से संबंधित तीन कर्मचारियों की सेवायें उनके द्वारा संघ की गतिविधियों में भाग लेने के कारण समाप्त कर दी थीं और बाद में दो कर्मचारियों की सेवायें बहाल कर दी; और

(ख) यदि हां, तो उन तीन कर्मचारियों के साथ हुये अन्याय को समाप्त करने के लिये क्या सरकार ने हस्तक्षेप किया था?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के प्रबन्धकों ने अवांछनीय और अनुशासनहीन गतिविधियों के लिये अपने 5 कर्मचारियों को मुअतल किया। इनमें से 2 कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया था क्योंकि प्रबन्धकों द्वारा नियुक्त जांच समिति के समक्ष उनका सहभागी होना सिद्ध नहीं किया जा सका। समिति के निष्कर्षों के परिणामस्वरूप 3 कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी गई थी। राज्य सरकार ने इनमें से एक कर्मचारी का मामला न्याय-निर्णय के लिय प्रस्तुत कर दिया है।

(ख) अभिलिखित तथ्यों पर उचित रूप से विचार करने के उपरान्त की गई कार्यवाही न्यायोचित प्रतीत हुई ।

कोयला उद्योग के लिए मजूरी समझौता समिति में समझौता

5654. **श्री मद्दी सुदर्शनम्** :

श्री भागीरथ भंवर :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उद्योग के लिय श्रमिक प्रबन्धक द्विपक्षी मजूरी समझौता समिति में कोई समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) मजूरी बोर्ड की अनुशसाओं से प्रभावित प्रत्येक मजदूर को 15-11-1973 से 39 रुपये प्रति मास की अंतरिम वेतन वृद्धि स्वीकृत की गई है।

बोनस पुनर्विलोकन समिति के कार्य में गतिरोध

5655. **श्री मद्दी सुदर्शनम्** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस पुनर्विलोकन समिति की कार्यवाही में गतिरोध पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) (क) और (ख) इस प्रकार की कोई रिपोर्ट सरकार द्वारा प्राप्त नहीं हुई है।

केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा सरकारी उपक्रमों के असैनिक विभागों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्त स्थानों का आरक्षण

5657. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों तथा सरकारी उपक्रमों के असैनिक विभागों में भूतपूर्व सैनिकों के लिये रिक्त स्थानों का आरक्षण कब तक रखने का आदेश दिया गया है;

(ख) क्या इस तिथि को बढ़ाने के लिये कोई सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस सुझाव के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 30 जून 1974 तक।

(ख) तारीख बढ़ाने के लिये किसी माध्यम से कोई औपचारिक सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि इस मामले पर उपयुक्त समय पर विचार किया जायेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न विभागों में भूतपूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये मशीनरी

5658. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कोई सरकारी मशीनरी है कि भूतपूर्व सैनिकों को केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों एवं बैंकों सहित सरकारी उपक्रमों के विभिन्न विभागों में उनके लिये आरक्षित कोटे में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस मशीनरी की रचना क्या है तथा इसके प्रभारी अधिकारी का पता क्या है जिससे खिन्न, भूतपूर्व सैनिक द्वारा किसी अन्याय के मामले में सम्पर्क स्थापित किया जा सके ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख) जहां तक केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत श्रेणी 3 तथा 4 के पदों को भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण करने का सम्बन्ध है, उसके लिये सुविचारित अनुदेश हैं कि उनके रिक्त पदों को चालू रहने वाले लेखे में किस प्रकार रखा जाये । इन अनुदेशों में कुछ विवरणियां भी निर्धारित की गई हैं, जो प्रत्येक भर्ती करने वाले मंत्रालय/विभाग को देनी होती हैं। रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत महानिदेशक पुनर्व्यवस्थापन, कार्मिक विभाग तथा महानिदेशक नियोजन तथा प्रशिक्षण एक दूसरे से सहयोग करके भूतपूर्व सैनिकों की आरक्षित पदों पर भर्ती की प्रगति पर नजर रखते हैं । यह कहा जा सकता है कि आरक्षण के आदेश सांविधिक प्रकार के हैं और वे नियोजन करने वाले मंत्रालयों/विभागों के लिये उनका कड़ाई से अनुपालन करना अनिवार्य है ।

जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकरण की गई बैंकों का सम्बन्ध है, उनकी भी प्रगति इसी प्रकार देखी जाती है । डी०जी०ई० एंड टी० में एक विशेष एकक है जो भूतपूर्व सैनिक कार्मिकों के नियोजन की देखरेख करता है । रोजगार कार्यालयों को सलाह दी गई है कि जहां मांगों में भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण के लिये रिक्तियों को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो, उन्हें स्वीकार न किया जाय तथा नियोजकों को इस अनुरोध के साथ वापस कर दिया जाय कि आरक्षित रिक्त स्थानों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करें।

रक्षा विभाग के कब्जे में फालतू भूमि का होना

5659. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रक्षा मंत्री रक्षा विभाग के कब्जे में फालतू भूमि होने के बारे में 22 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1656 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा विभाग ने जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में इस विभाग के कब्जे में फालतू भूमि से वास्तव में अपना कब्जा हटा लिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर भूमि से कब्जा हटा लिया गया है; और

(ग) इस प्रश्न पर विचार करने के लिये समिति की नियुक्ति किस तिथि को की गई और समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) फालतू भूमि के निपटान के लिये निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐसी भूमि को सार्वजनिक नीलामी द्वारा निपटाने से पूर्व अग्रता मांगकर्ताओं को पेशकश करनी होती है, अर्थात् (1) केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालय, (2) राज्य सरकार (3) स्थानीय निकाय, (4) शैक्षणिक तथा धर्मार्थ संस्थायें, (5) भूतपूर्व सैनिक । अतः इन राज्यों में फालतू भूमि की अग्रता मांगकर्ताओं को पेशकश की गई है । भूमि देने के लिये आगे कार्रवाई अग्रता मांगकर्ताओं से उत्तर प्राप्त होने के पश्चात् ही की जायेगी और जब वे लोग इच्छुक नहीं होंगे तो सार्वजनिक नीलाम द्वारा भूमि का निपटान किया जायेगा ।

(ग) 19-2-1973 से जिस समिति की स्थापना की गई थी उसका गठन इस प्रकार है :--

1. अध्यक्ष

श्री डी०एन० नकरा सेवानिवृत, वित्तीय सलाहकार रक्षा मंत्रालय ।

2. सदस्य

1. श्री वेद कुमार उप-वित्तीय सलाहकार, रक्षा मंत्रालय ।

2. श्री एस०एन० माथुर उप-निदेशक, एम०एल० एंड सी० ।

3. सदस्य सचिव

श्री के०बी० राव मुख्य अभियन्ता और छावनी योजना निदेशक ।

विक्टोरिया क्रास और परम वीर चक्र विजेता

5660. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रक्षा मंत्री परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता और विक्टोरिया क्रास पुरस्कार विजेताओं के बारे में 22 फरवरी 1973 के क्रमशः अतारांकित प्रश्न संख्या 544 और 545 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये पुरस्कार विजेता उच्चतम साहस और युद्ध में बहादुरी के प्रतीक हैं, वर्तमान सुविधाओं में बढ़ोतरी करने और इन सुविधाओं में वृद्धि करने की कोई गुंजाइश है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : जी नहीं श्रीमन्। इन विजेताओं के सम्बन्ध में सुविधाओं अथवा आर्थिक भत्तों में वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं है ।

सरकारी विज्ञप्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र सचिवालय द्वारा मान्यता प्राप्त भाषायें

5661. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : सरकारी विज्ञप्तियों के लिये संयुक्त सचिवालय द्वारा कौन-कौन सी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गयी है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आधिकारिक और कार्यकारी भाषाओं के रूप में मान्य और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के सभी अधिकारिक प्रलेखों में प्रयुक्त होने वाली भाषायें निम्नलिखित हैं:—अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पेनी, रूसी और चीनी।

इस्पात की खपत

5662. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) देश की मांग पूर्ति के लिय गत तीन वर्ष में कितने इस्पात का आयात किया गया और यह मांग वास्तव में कहां तक पूरी हुई; और

(ख) इस्पात की मांग में वर्ष 1975 और 1980 में कितनी वृद्धि हो जायेगी और इसके मुकाबले देश में इसके उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) पिछले 3 वर्षों में तयार इस्पात का आयात नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मात्रा (टन)
1970-71	6,87,410
1971-72	13,47,938
1972-73	12,19,390

सामान्यत: घरेलू मांग की पूर्ति आन्तरिक उत्पादन और आयात द्वारा की गई थी ।

(ख) वर्ष 1975-76 और 1978-79 में इस्पात की मांग और उत्पादन का अनुमान नीचे दिया गया है :—

(लाख टन)

वर्ष	मांग	मुख्य उत्पादकों द्वारा उत्पादन
1975-76	80	65
1978-79	106	88

इसके अलावा विद्युत् भट्टियों पर आधारित इस्पात इकाइयां भी कुछ उत्पादन करेंगी ।

अरब-हितों के भारत द्वारा समर्थन की पुष्टि करने के लिए नई दिल्ली में अखिल भारतीय सम्मेलन

5663. **श्रीमती सावित्री श्याम :**

श्री अमर सिंह चौधरी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरब-हितों और इजराईली आक्रमण के विरुद्ध अरब लोगों के संघर्ष को भारतीय समर्थन की पुष्टि करने के लिये गत नवम्बर, में नई दिल्ली में एक अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था।

(ख) यदि हां, तो इसका आयोजन किस ने किया था और किस-किस ने इसमें भाग लिया था; और

(ग) इसमें पास किये गये प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस सम्मेलन का आयोजन जमीयत-उल-उलेमा-ए-हिन्द ने कांग्रेस दल और भारतीय साम्यवादी दल के समर्थन से किया था । इसकी अध्यक्षता श्री के०डी० मालवीय ने की थी और लगभग 550 व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया था; उनमें कांग्रेस दल, भारतीय साम्यवादी दल, जमीयत-उल-उलेमा-ए-हिन्द दल के प्रमुख सदस्य और नेतागण तथा अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी व्यापारी एवं उदार धंधों में लगे व्यक्ति सम्मिलित थे । दिल्ली-स्थित, ऐसे कुछ अरब राजनयिकों ने भी उसमें भाग लिया था जिन्हें निमंत्रित किया गया था ।

(ग) सम्मेलन ने दो प्रस्ताव पास किये । पहले प्रस्ताव में अरबों के पक्ष का समर्थन करने के लिए भारत सरकार की प्रशंसा की गई और यह आशा व्यक्त की गई कि भारत अरब सहयोग और व्यापक तथा गहरा होगा, अरबों का समर्थन करने के लिए सोवियत संघ और दूसरे समाजवादी देशों की सराहना की गई, तमाम स्वतंत्रता प्रेमी दुनिया के लोगों और भारत की जनता से अपील की गई कि वे "जियोनी फासिस्टवाद" को परास्त करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दें तथा भारत सरकार से जोर देकर कहा गया कि वह फिलस्तीनी मुक्ति संगठन को मान्यता दे और भारत भूमि से इजराईल कौंसल को निकाल दे । द्वितीय प्रस्ताव के अनुसार, सम्मेलन ने "देश के कुछ साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा अरब इजराईल संघर्ष को धार्मिक रंग देने के प्रयत्नों पर चिंता व्यक्त की ।" सम्मेलन ने यह तय किया कि अरब इजराईल संघर्ष के वास्तविक स्वरूप को समझाने के लिए एक स्थायी संस्था बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएं ।

अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस द्वारा हड़ताल का नोटिस

5664. **श्रीमती सावित्री श्याम :**

श्री के० एम० मधुकर :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने दिल्ली नगर निगम के आयुक्त तथा अन्य अधिकारियों को हड़ताल का नोटिस दिया है जिसके अनुसार 12 दिसम्बर, 1973 से अनिश्चित काल की हड़ताल आरम्भ हो जाएगी ।

(ख) क्या इस बारे में सम्बन्धित अधिकारियों को मांग-पत्र दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस हड़ताल को रोकने और उनकी मांगें मान लेने के लिए अधिकारियों द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने श्रमिकों की मांगों के समर्थन में एक हड़ताल-नोटिस दिया । मांगें मुख्य रूप से ये थीं :--(1) दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम के पैटर्न पर बोनस भुगतान (अनुग्रहपूर्वक) और मजूरियों में 66 प्रतिशत की वृद्धि, (2) नकदी चिकित्सा भत्ते की अदायगी, (3) उपस्थिति नामावली तथा अंशकालिक कर्मचारियों का नियमितकरण, और (4) सभी संवर्गों आदि में कर्मचारियों की समय मान पदोन्नति/कार्यकारी पार्षद् (नागरिक संभरण), दिल्ली प्रशासन द्वारा दिये गये इस आश्वासन के बाद कि श्रमिकों की मांगों की जांच करने के लिये एक समिति का गठन किया जायेगा, जो एक महीने की अवधि के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी, 12 दिसम्बर, 1973 से होने वाली प्रस्तावित हड़ताल स्थगित की गई ।

गुजरात में बाढ़ से क्षतिग्रस्त निर्माणकार्यों के लिए इस्पात

5665. **श्री डी० पी० जदेजा** :

श्री वेकारिया :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए कार्यों के निर्माण तथा मरम्मत के सम्बन्ध में तुरन्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आरक्षित कोटे से विभिन्न आकार के 1000 मीटरी टन इस्पात की सप्लाई के लिये प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) गुजारत सरकार के अनुरोध पर उस राज्य को प्रेषण के लिये कुल 1,900 टन जस्ती नालीदार चादरों का आवंटन किया गया है ।

जस्ते के मूल्य में वृद्धि

5666. **श्री के० एन० म० मधुकर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान विभाग का एक अधिकारी हाल ही में विदेश गया था और मैसर्स कोमिनको बिनानी नामक एक प्राइवेट फर्म के खर्च पर लगभग एक मास तक वहां रहा था : और

(ख) यदि हां, तो किस हैसियत से वह वहां गया था और सरकार को उसकी इस विदेश यात्रा से क्या विशिष्ट लाभ हुआ है और क्या यह यात्रा उक्त अधिकारी के प्रयास से जस्ते के मूल्य में वृद्धि करने के बाद की गई थी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) (क) और (ख) खान विभाग का एक अधिकारी, जो मैसर्स कोमिनको बिनानी के बोर्ड में सरकारी निदेशक भी है, केरल के कोमिनको बिनानी जस्ता प्रद्रावक की क्षमता के विस्तारण के बारे में कोमिनको आफ कनाडा के साथ विचार-विमर्श के लिये कम्पनी के दो अन्य निदेशकों के साथ विदेश भ्रमण पर गया था । सरकार इस विस्तारण को शीघ्र से शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये उत्सुक है । अधिकारी को सरकार के अनुमोदन से भेजा गया था ।

बातचीत के फलस्वरूप कोमिनको ग्राफ कनाडा, जो कोमिनको बिनानी का प्रमुख शेयरधारी है, वित्तीय तथा तकनीकी दोनों ही दृष्टिकोणों से आवश्यक सीमा तक विस्तारण कार्यक्रम में सहयोग देने के लिये सहमत हो गई है किन्तु साथ में उसने वित्तीय प्राक्कलनों का ब्यौरा प्रस्तुत किये जाने की मांग की है। सरकारी क्षेत्र की यूनिट हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड तथा कोमिनको बिनानी द्वारा उत्पादित जस्ते के विक्रय मूल्य पर 1968-69 से औपचारिक नियंत्रण है और उसमें सरकार ने 1-2-1970, 1-2-1972 तथा 1-4-1973 को तीन बार परिवर्तन किया है ।

Sulphur Mine Workers Meeting at Amjhore

5667. **Shri K. M. Madhukar:**

Shri Ramavatar Shastri :

Will the Minister of Labour be pleased to state:

(a) whether the workers of Sulphur mines held a meeting on the 23rd November at Amjhore under the auspices of Amjhore Khan Mazdoor Union (Amjhore Mine Workers Union);

(b) if so whether they adopted a charter of demands in the meeting and submitted it to the management ; and

(c) if so, the broad outlines thereof and Government's reaction thereto?

The Deputy Minister in the Minstry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) Yes.

(b) and (c). A charter of demands was adopted at the meeting which the Union states was sent to the management by ordinary post. The management deny having received the charter. Payment of Rs. 300 per month as minimum wages, interim relief of Rs. 50/- per month, dearness allowance at the rate of Rs. 1.50 per point beyond 230 points at 1960 base and a decision on these within three months are the important demands.

थर्मल यूनिट्स और ट्रांसमिशन सिस्टम का निर्माण

5668. **डा० हरिप्रसाद शर्मा** : क्या **भारी उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के अन्दर 500 मेगावाट क्षमता वाले थर्मल यूनिट्स और 400 किलो-वाट क्षमता वाले ट्रांसमिशन सिस्टम का निर्माण करने सम्बन्धी कोई कार्यक्रम बनाया है ।

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस हेतु कितने परिव्यय, किस प्रकार के विदेशी सहयोग/सहायता का प्रस्ताव है और कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये कितना समय लगने की संभावना है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि और बाद के वर्षों में विद्युत् विकास कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 500 मेगावाट के थर्मल यूनिटों, ट्रांसफार्मरों, सर्किट ब्रेकरों और रिएक्टरों जैसे उपकरणों जिनकी देश के कुछ भागों में 400 के०वी० पारेषण प्रणाली के लिये आवश्यकता है, देशी निर्माण को विकसित करना आवश्यक होगा । तदनुसार, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० और हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि० ने अपने एककों में एसोसिएटेड बायलरों से 500 मेगावाट के थर्मल यूनिटों और 400 के०वी० पारेषण प्रणाली के लिये ट्रांसफार्मर जैसे उपकरणों का भी निर्माण करने के लिये सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार की है ।

500 मेगावाट के थर्मल यूनिटों का निर्माण करने हेतु भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० और हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि० की पांचवीं योजनावधि की आवश्यकताओं में 8 करोड़ रुपये का परिव्यय सम्मिलित किया गया है । उनकी देशी क्षमता के अध्ययन से यह पता चला है कि केवल सीमित क्षेत्रों जैसे उपकरणों के कुछ हिस्सों के डिजाइन बनाने तथा निर्माण करने में जानकारी का आयात करना आवश्यक होगा । आशा है कि 500 मेगावाट के पहले यूनिट का निर्माण करने और परीक्षण करने में लगभग 5 से 6 वर्ष तक का समय लगेगा ।

400 के० वी० पारेषण प्रणाली के लिए अपेक्षित उपकरणों के संबंध में केवल करेंट ट्रांसफार्मरों और पोटेंशियल ट्रांसफार्मरो और कुछ बड़ी श्रेणी के सर्किट ब्रेकरों और पावर ट्रांसफार्मरों के निर्माण में सहयोग करना आवश्यक होगा । पांचवी पंचवर्षीय योजनावधि में उनके विकास के लिए प्रस्तावित परिव्यय लगभग 3.2 करोड़ रु० है। आशा है कि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० तथा हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया)लि० में 400 के० वी० पारेषण प्रणाली के लिए उपकरणों की इस बढ़ाई गई श्रेणी का निर्माण/ स्थापित करने में अब से लगभग दो वर्ष का समय लगेगा । राज्य स्वामित्वयुक्त भी विदेशी सहयोग से 400 के० वी० के ट्रांसफार्मरों का निर्माण करने के लिए लाइसेंस दिया है ।

Consultation with Opposition Parties on Bhagwati Committee Report

5669. **Shri Atal Bihari Vajpayee:** will the Minister of **Labour** be pleased to state whether representatives of the opposition parties have been consulted or will be consulted in regard to the points arising from the recommendations of the Expert Committee on Unemployment?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Bal Govind Verma): This will be considered after the report of the Inter Ministerial Working Group set up by the Planning Commission to examine the recommendations made in the Report of the Committee has been received.

Strike in Bihar Coal Mines

5670. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether workers of coal mines in Bihar had gone on one day's strike on the 21st November, 1973 last in protest against the firing at Sijua in Dhanbad District;

(b) if so, the number of workers participating in the strike and the number of mines in which work was completely paralysed as also the number of those mines in which work was going on partially;

(c) by how many tonnes the production of coal was less on the 21st November, 1973 as a result of the strike; and

(d) the demands of the striking workers and the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) (a) to (d). Four Unions had called a token general strike in the Bharat Coking Coal Collieries on 21-11-1973 to protest against the firing at Sijua on 15-11-1973. In pursuance of the strike call, there was complete stoppage of work in 35 out of the 87 collieries. 30 collieries worked normally and 22 were partially affected. Of the 1,79,473 workers employed in these collieries, 98,593 worked normally. 73,158 workers were directly involved in the strike and 4,722 were indirectly affected. As against the daily average production of coal of 50,000

tonnes, the production on 21st November was about 24,200 tonnes. The main demand of the strikers was for judicial enquiry into the firing. The State Government had already ordered a judicial enquiry.

Tractor Factory with Soviet Collaboration

5671. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state:

(a) whether Government have taken a decision to set up a factory for manufacture of tractors in collaboration with Soviet Russia;

(b) whether any agreement has been entered into between the two countries in this regard; and

(c) if so, the broad outlines thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh): (a) There is no proposal to set up a factory in the public sector for the manufacture of tractors in collaboration with Soviet Russia.

(b) & (c). Do not arise.

Demonstration by Medical Representatives

5672. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether the Federation of Medical Representatives Association of India organised a 'dharna' for one week commencing from the 24th November 1973 at his residence;

(b) whether Salesman and medical representatives held a demonstration on the 29th November 1973 in front of Parliament House;

(c) if so, the causes thereof; and

(d) the steps taken by Government to remove them?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) and (b) There was 'dharna' at Minister's residence and rally at the Boat Club lawns.

(c) The Federation's main demand is that medical and sales representatives should be brought within the purview of 'workman' as defined under the Industrial Disputes Act, 1947;

(d) The matter is engaging the attention of Government.

Non-Deposit of E.P.F. By Bihar Sugar Works, Pachrukhi, Siwan

5673. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether the employers of the Bihar Sugar Works, Pachrukhi, Siwan have not deposited the amount of Employees Provident Fund in respect of labourers since October, 1970;

(b) if so, the amount therof and the reasons for not depositing that amount;

(c) whether a memorandum in respect of this outstanding amount has been submitted to the Central Commissioner for Employees Provident Fund by the Bihar Sugar Works Union on 19th November, 1973; and

(d) if so, the action taken so far in regard thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): The Provident Fund Authorities have intimated as under:—

(a) Yes.

(b) (i) Total Provident Fund dues are Rs. 11.24 lakhs as on 31.10.1973.

(ii) Due to acute financial stringency according to the management.

(c) No.

(d) Does not arise in view of reply given to part (c).

श्रमिक संघों की सदस्य संख्या का सत्यापन करना

5674. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या श्रम मंत्री संघों की सदस्य संख्या का सत्यापन करने के बारे में 22 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1717 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विभिन्न उपक्रमों के प्रतिद्वंदी श्रमिक संघों को मान्यता देने या न देने के कारण श्रमिक गड़बड़ी की कुल कितनी घटनाऐं हुई हैं, और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) क्या अन्तर-संघीय प्रतिस्पर्धा कम करने के लिये तीन वर्ष के लिये गुप्त मतदान द्वारा लोकमत के आधार पर एक उद्योग में एक ही मान्यता-प्राप्त संघ बनाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) अनुमानतः संकेत लोक-सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1718 और न कि 1717 के 22 नवम्बर, 1973 को दिये गये उत्तर से है। भाग (क) में उठाये गए प्रश्नों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में प्रस्तावित व्यापक विधेयक के अन्तर्गत यूनियनों की मान्यता और सम्बद्ध मामले आयेंगे।

अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान द्वारा भारी टैंकों तथा आधुनिक किस्म के विमानों का विकास

5675. **श्री वेकारिया :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980 के भारी टैंकों तथा आधुनिक किस्म के विमानों का विकास करने के संबंध में अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान को सौंपे गये कार्यों का अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में पूर्ण तथ्य क्या हैं?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) दोनों ही परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। ब्यौरे प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

गुजरात को सप्लाई किया गया इस्पात

5676. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 के लिये गुजरात राज्य द्वारा कुल कितने इस्पात की मांग की गई थी;

(ख) कुल कितना इस्पात सप्लाई किया गया; और

(ग) यदि इसकी मांग से कम सप्लाई की गई, तो कम सप्लाई करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख). वर्तमान नीति के अधीन लोहे और इस्पात के राज्यवार आवंटन नहीं किये जाते हैं इस्पात के आवंटनों का विनियमन इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा किया जाता है जो इस्पात के अन्ततः उपयोग जिसके लिये इस्पात की मांग की गई हो, उपलब्धी और स्पर्धी मांगों को ध्यान में रखती है। फिर भी, यह मालूम हुआ है कि वर्ष 1972-73 में गुजरात राज्य को 2,88,954 टन लोहा और इस्पात प्रेषित किया गया था।

(ग) इस्पात की कई श्रेणियों की मांग उपलब्धि से अधिक है इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये उठाए गये कदमों में प्रौद्योगिक सुधारों द्वारा देशीय उत्पादन को बढ़ाने, बेहतर मालिक-मजदूर सम्बन्ध, संयंत्र और मशीनरी के रख-रखाव में सुधार, अनुपूरक सुविधाओं की व्यवस्था, उपस्करों की बेहतर उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिये पूंजीगत मरम्मत और नवीकरण कार्यक्रम, उदार आयात नीति विशेषतः कम सप्लाई वाली श्रेणियों के मामले में उदार नीति, निर्यात का विनियमन तथा वितरण व्यवस्था को दोषरहित बनाने के उपाय शामिल हैं।

चीनी आक्रमण के दौरान ट्रकों और जीपों का किराये पर लिया जाना

5677. **श्री प्रबोधचन्द्र :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चीनी आक्रमण के दौरान किराये पर लिये गये ट्रकों और जीपों के लिये हिमाचल सरकार परिवहन को काफी राशि देनी है; और

(ख) यदि हां, तो यह कुल राशि कितनी है तथा इसे रोके रखने के कारण क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : चीनी आक्रमण के उत्पन्न अत्यावश्यक परिस्थितियों में किसी औपचारिक अनुबंध के बिना सेना प्राधिकारियों द्वारा ट्रकों और जीपों को किराए पर लिये जाने के बारे में हिमाचल प्रदेश सरकार ने 14,32,948.52 रुपये का दावा किया है। तथापि, दावे को मंजूर करना सम्भव नहीं है क्योंकि जिस प्रकार से राज्य सरकार से सहमति हुई थी उस तरह से निरन्तर प्रयत्नों के बावजूद अपेक्षित ब्यौरे उपलब्ध न होने के कारण मील-दूरी का सत्यापन नहीं हो सका। तथापि, इसका हल निकालने और मामले को समाप्त करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

एच० एम० टी०, पिंजौर में हड़ताल से हानि

5678. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एच० एम० टी०, पिंजौर के कर्मचारियों की हाल की हड़ताल से कुल कितनी हानि हुई ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : अनुमान लगाया गया है कि 9 नवम्बर, 1973 से 11 दिसम्बर, 1973 तक हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, पिंजौर के अधिकांश पर्यवेक्षी कर्मचारियों के काम पर न आने से लगभग 35 लाख रुपये की हानि हुई है।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा स्क्रैप की बिक्री

5679. **श्री मधु लिमये : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रधान मंत्री को एक संसद् सदस्य की ओर से, इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा बिलकुल सस्ती दरों पर स्क्रैप की बिक्री के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में जांच कराई गई थी; और

(ग) इस जांच के क्या परिणाम निकले?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जून, 1973 में प्रधान मंत्री को इस्पात और खान मंत्री की हैसियत में संसद सदस्य श्री मधु लिमये से एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड द्वारा बाजार मूल्य से कम मूल्य पर बड़ी मात्रा में रद्दी लोहा बेचने का आरोप लगाया गया था।

(ख) अभिरक्षक द्वारा इन आरोपों की विस्तार से जांच की गई थी। 'इस्को' का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के पश्चात् कम्पनी का प्रबन्ध चलाने के लिये सरकार ने अभिरक्षक की नियुक्ति की थी।

(ग) जांच से आरोप सिद्ध नहीं हुये। अगस्त, 1973 में संसद् सदस्य को उचित रूप से सूचित कर दिया गया था।

भारतीय विदेश सचिव और अमरीकी अधिकारियों के बीच वार्ता

5680. **श्री मधु लिमये** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम एशिया के सहायक विदेश सचिव, श्री सिस्को का भारत की यात्रा पर आने का विचार था;

(ख) क्या अमरीका में भारतीय विदेश सचिव की अमरीकी अधिकारियों के साथ हुई वार्ता के कारण इस यात्रा को रद्द कर दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो दोनों पक्षों के बीच किन-किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गयी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) कुछ ऐसे समाचार थे कि सहायक विदेश मंत्री श्री जांस्फ सिस्को संभवतः नवम्बर के दूसरे सप्ताह में भारत की यात्रा पर आये।

(ख) श्री सिस्को की यात्रा का कार्यक्रम अस्थायी रूप से ही बना था; उसे अन्तिम रूप नहीं दिया गया था। विदेश सचिव की विदेश मंत्री के साथ हुई भेंट के बाद अमरीकी सरकार ने श्री सिस्को की यात्रा को आवश्यक नहीं समझा।

(ग) विदेश सचिव ने अमरीकी अधिकारियों से उभयपक्षीय प्रश्नों तथा पारस्परिक हित के मामलों पर विचार-विमर्श किया।

भारतीय नौसेना को सुदृढ़ बनाने की योजना

5681. **श्री मधु लिमये** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अण्डमान क्षेत्र और अरब सागर में भारतीय नौसेना को सुदृढ़ बनाने सम्बन्धी कोई योजना सरकार ने बनाई है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : जी हां, श्रीमन्। सुरक्षा मूल्यांकन और वित्तीय स्रोतों की उपलब्धता के अनुसार हमारी रक्षा योजना में विभिन्न क्षेत्रों में हमारी नौसेना को पूर्ण सुदृढ़ करने की व्यवस्था है।

कोयला खान मालिकों द्वारा कोयला खनिकों की बकाया राशियों का भुगतान न किया जाना

5682. **श्री मधु लिमये :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम मंत्रालय को कोयला खान मालिकों द्वारा कोयला खनिकों को देय बकाया राशियों का भुगतान न किये जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में गैर-कांककर तथा कोककर कोयला खान संशोधन विधेयक के पास होने के पश्चात् कोई अदायगियां की हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय देय राशियों के शीघ्र भुगतान के लिये इस्पात और खान मंत्रालय से इस मामले में बातचीत करेगा ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग). भूतपूर्व निजी प्रबन्धकों द्वारा कोयला खानों के श्रमिकों को देय राशियों के भुगतान न किये जाने के संबंध में सरकार को पता है। कोकिंग कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम और कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम के अन्तर्गत, राष्ट्रीयकरण से पहले की अवधि संबंधी पिछली देय राशियों की जिम्मेदारियां अभी भी भूतपूर्व मालिकों की हैं और इस प्रकार की देय राशियों के संबंध में दावों के निपटान के लिये भुगतान आयुक्तों द्वारा व्यवस्था की गई है। कोकिंग कोयला खानों सम्बन्धी आयुक्त ने पहले ही कार्य करना आरम्भ कर दिया है और यह बताया गया है कि उनके सक्षम दावे दायरे कर दिये गये हैं। गैर-कोकिंग कोयला खानो के सम्बन्ध मे आयुक्त की नियुक्ति होने पर, उनके द्वारा मंजूरी के लिये दावे प्राप्त किये जायेंगे ।

चालू वर्ष में स्वीकृत इस्पात संयंत्र, कच्चे लोहे के संयंत्र आदि

5683. **श्री मधु लिमये :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टी० एस० सी० ओ०/आई० आई० एस० सी० ओ०, बोकारो तथा सरकारी क्षेत्र अन्य कारखानों के विस्तार के अलावा चालू वर्ष मे छोटे या बड़े कितने इस्पात संयंत्र कच्चे लोहे के संयंत्र मंजूर किये गये हैं और कितने पांचवीं योजना के आगामी तीन वर्षों में मंजूर किये जायेंगे ; और

(ख) इन संयंत्रों पर कार्य वास्तव में कब तक आरम्भ हो जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री '(श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख). पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों के अनुसार, जो सरकार के विचाराधीन है, भिलाई इस्पात कारखाने की क्षमता 25 लाख टन पिण्ड से बढ़ाकर 40 लाख टन पिण्ड की जाएगी और वर्ष 1978-79 में बोकारो की 47.5 लाख टन पिण्ड क्षमता प्राप्त करने के लिये इस कारखाने का काम चलता रहेगा। इसके अलावा सेलम, विशाखापत्तनम तथा विजयनगर में तीन नए इस्पात कारखानों का काम भी जारी रहेगा । टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के जमशेदपुर स्थित कारखाने की क्षमता का 20 लाख टन से लगभग 40 से 45 लाख टन तक विस्तार करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है ।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के बर्नपुर स्थित कारखाने के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है । फिर भी कारखाने में सुधार लाने के लिये एक प्रतिस्थापन कार्यक्रम बनाया जा रहा है । ताकि यह कारखाना लगातार आधार पर 10 लाख टन पिण्ड की निर्धारित क्षमता पर कार्य कर सके ।

चालू वर्ष में कच्चे लोहे का कोई कारखाना लगाने की अनुमति नहीं दी गई है । फिर भी, चालू वर्ष में गुजरात में 300,000 टन क्षमता का कच्चे लोहे के कारखाने लगाने के लिये मैसर्स मोदू टिबंलों को 1969 में जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंस की अवधि बढ़ाई गई है ।

फिर भी, चालू वर्ष में 6 पार्टियों को आशयपत्र/औद्योगिक लाइसेंस दिये गए हैं और औद्योगिक लाइसेंस देने की उदार नीति के अन्तर्गत 50 इकाइयों को विद्युत आर्क भट्टियां लगाने के लिये पंजीकृत किया गया है ।

यह बताना संभव नहीं है कि पांचवीं योजना के अगले तीन वर्षों में इस प्रकार की कितनी इकाइयों को लाइसेंस दिये जायेंगे अथवा निजी क्षेत्र में इन कारखानों का काम वास्तव में कब आरम्भ होगा, क्योंकि यह योजनाओं को कार्यरूप देने की उद्योगपतियों की क्षमता, बिजली और अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धि, क्रान्तिक कच्चे माल की उपलब्धि आदि कई बातों पर निर्भर है ।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के विरुद्ध कर्मचारी संघ के आरोप

5684. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के विरुद्ध इसके कर्मचारी संघ ने गंभीर आरोप लगाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) से (ग) : हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, नई दिल्ली के कर्मचारियों ने प्रबन्धकों के विरुद्ध कुछ अभियोग लगाये थे । यदि हर प्रकार से सोचा जाये तो उठाए गये वाद-विषय पक्षों द्वारा आपसी विचार-विमर्श करके और अच्छी तरह तय किये जा सकते हैं ।

जी० ई० सी० (इंडिया) लिमिटेड, कानपुर द्वारा कर्मचारी संघ के कार्यकर्त्ताओं का नौकरी से बर्खास्त किया जाना

5685. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जी० ई० सी० (इंडिया) लिमिटेड, कानपुर ने कर्मचारी संघ के कार्यकर्त्ताओं में से किसी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है और इसकी सूचना उनके मंत्रालय को दो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) और (ख). यह मामला अनिवार्यतः राज्य के कार्यक्षेत्र में आता है । श्रम मंत्रालय को अभ्यावेदन भेजे गये थे जिन्हें राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है ।

आयुध कारखानों के उत्पादन में वृद्धि

5686. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुधकारखानों में उत्पादन बढ़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो 1972 के उत्पादन आंकड़ों की तुलना में यह कितना है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). आर्डनेंस कारखानों में कुल उत्पादन मुख्यतः सेवाओं की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है । 1971-72 और 1972-73 के दौरान उत्पादन में वृद्धि हुई है। 1973-74 के दौरान हुए उत्पादन का अन्तिम पता केवल मार्च, 1974 के पश्चात् ही लगेगा, परन्तु इसके 1972-73 के स्तर से कम होने की संभावना है ।

केन्द्रीय आयुध डिपुओं में स्थितिकरण

5687. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिकों के मामले में स्थितिकरण के कारण केन्द्रीय आयुध डिपुओं में अधिकांश औद्योगिक श्रमिकों पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर काबू पाने के लिये कोई समाधान ढूंढ लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) **से** (ग). श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के संवर्ग में गैर-औद्योगिक और औद्योगिक, दोनों तरह से रक्षा कर्मचारियों में प्रगतिरोध के प्रश्न पर विचार किया गया था । इस कठिनाई को कम करने के उद्देश्य से यह निर्णय किया कि श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के उन सभी कर्मचारियों को जो दो वर्ष से अपने वेतनमान के अधिकतम पर हैं, 1 मार्च 1970 से उनकी अन्तिम वेतनवृद्धि के बराबर व्यक्तिगत वेतन दिया जाये । प्रवरण ग्रेडों के निर्माण के संबंध में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर लिये गये निर्णयों के प्रकाश में इस संबंध में और सुधार होगा ।

बंगला देश इस्पात सयंत्र

5688. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैटेलर्जिकल इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड ने "गैसियस रिडक्शन प्रासेस" का प्रयोग करते हुए बंगला देश में इस्पात संयंत्र स्थापित करने हेतु व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार किया है और उसे बंगला देश सरकार को प्रस्तुत किया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोद हंसदा) : मेटेलर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड शीघ्र ही बंगला देश में आयातित लोह खनिज तथा वहां उपलब्ध प्राकृतिक गैस पर आधारित 500,000 टन वार्षिक क्षमता का स्पंज लोहे का एक कारखाना स्थापित करने के लिये शक्पता प्रतिवेदन तैयार करने का काम शीघ्र ही आरम्भ करेंगे ।

गत तीन वर्षों में विदेशों की यात्रा करने वाले भारतीय

5689. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने भारतीय नागरिकों ने सरकारी अथवा गैर-सरकारी नियंत्रणों पर किस-किस देश की यात्रा की ;

(ख) प्रत्येक गैर-सरकारी यात्रा करने वाला व्यक्ति किस दल से संबद्ध था; और उसने किस-किस देश की यात्रा की ; और

(ग) प्रत्येक मामले में यात्रा का क्या उद्देश्य था ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) जब किसी भारतीय नागरिक को विदेश-स्थित किन्हीं विदेशी सरकारों/संस्थाओं या विदेश में रहने वाले संबंधियों से निमंत्रण मिलता है तो वह, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिये गये 'पी' फार्म के नियमों के अधीन जांच किए जाने के बाद यात्रा कर सकता है । रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने मासिक बुलेटिन में 'पी' फार्म की स्वीकृतियों की सूचना नियमित रूप से प्रकाशित करता है । ये आंकड़े उद्देश्यवार दिये जाते हैं, जैसे—'परिवार प्रमुख से मिलना', 'संबंधियों के पास जाना', 'निर्यात संवर्द्धन', 'विदेश में रोजगार', आदि इसे ध्यान में रखते हुए, यात्रा करने वालों के दलीय संबंधों की सूचना एकत्र करना संभव नहीं होगा। यदि रिजर्व बैंक, हवाई कम्पनियों के बुकिंग आदि के माध्यम से भारत छोड़कर विदेश जाने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या एकत्र भी कर ली जाए तो भी हमें विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की यात्रा की सूचना एकत्र करने के लिये सभी देशों के साथ लिखा-पढ़ी करनी होगी । जब कि बहुत-सी सरकारें ऐसी यात्राओं की कोई सूचना नहीं रखतीं ।

फर्मों के विरुद्ध इस्पात के प्रयोग में धोखाधड़ी करने का आरोप

5690. **श्री ज्योतिर्मय बसु**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री फर्मों और ठेकेदारों को आवंटित इस्पात के प्रयोग में धोखाधड़ी करने के केन्द्रीय जांच ब्यूरो के उनपर आरोप पर उनके विरुद्ध की गई बाद की कार्यवाही के बारे में 9 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2790 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उक्त मामला अब किस अवस्था में है;

(ख) कितने मामलों में मुकदमें चलाये गये;

(ग) क्या जिन ठेकेदारों के विरुद्ध घोटाले का आरोप था उन का नाम काली सूची में रख दिया गया है और उन पर मुकदमे चलाये गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले को कब अन्तिम रूप दिया जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (घ) अद्धतन स्थिति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रक्षा उत्पादन

5691. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजयन्ता टैंकों, विमान-भेदी तोपों, छोटे-मोटे हथियारों, विभिन्न किस्मों के सैनिक ट्रकों और सिविल ट्रकों जैसी वस्तुओं का उत्पादन लक्ष्य से कम होने तथा रक्षा गोपनीयत का तर्क देते हुए जनता को उनकी वास्तविक लागतों के न बताये जाने के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) उत्पादन लक्ष्य की तिथियां जनता को न बताये जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) (क) और (ख) आर्डनेंस फैक्टरियों में विजयन्त टैंकों, विमान-भेदी तोपों, छोटे हथियारों और सैन्य ट्रकों का उत्पादन कुल मिलाकर लक्ष्यों के अनुरूप ही है । यदि उनमें थोड़ी-बहुत कमी रह भी जाती है तो वह कभी-कभी ऐसे कारणों की वजह से होती है जो आर्डनेंस फैक्टरियों के वश के बाहर होते हैं, जैसे बिजली

की कमी, परिवहन संबंधी रुकावटें अथवा कच्चे माल का न मिलना । लेकिन इन कमियों को पूरा करने के हमेशा प्रयास किये गये हैं । रक्षा उपस्कर के उत्पादन लक्ष्यों का ब्यौरा देना लोकहित में नहीं है ।

Teaching Code of Conduct and Discipline to Labour

5692. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether Government have set up any machinery to educate objectively the labour engaged in various fields, particularly in public undertakings, in code of conduct and discipline and to tell them that taking resort to strike is against national interest;

(b) whether instructions have also been given to that machinery to stress the need for increasing productivity; and

(c) if so, the main features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) to (c) A voluntary Code of Discipline in industry which seeks to regulate labour-management relationship, and sets out their rights and obligations already exists. The chief aim of the Code which is equally applicable to the public and private sector undertakings is to maintain discipline in industry so that production can go on unhampered as far as possible. The expectation is that the parties would observe the Code in letter and in spirit. The Industrial Relations Machinery also continues to make efforts to minimise work-stoppages through mediation, conciliation, adjudication or arbitration as necessary under the existing statutory provisions and voluntary arrangements. The proposed comprehensive Bill on industrial relations, details in respect of which are being worked out, is also designed to secure possible improvements in the industrial relations system.

Rail-*Cum*-Road Bridge

5693. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether his Ministry has issued instructions to the Transport Department to the effect that there should not be any rail-*cum*-road bridge; and

(b) if so, the propriety thereof?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

सरकारी क्षेत्र की इस्पात परियोजनाओं के लिये औद्योगिक गैसों का उत्पादन

5694. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं को कुल कितनी मात्रा में औद्योगिक गैसों की आवश्यकता होती है; और

(ख) क्या सरकारी इस्पात कारखानों के लिये आवश्यक औद्योगिक गैसों के उत्पादन के लिये सरकार की अपनी कोई योजनाएं हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

5695. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1973 को, 30 जून, 1973 को और 30 सितम्बर, 1973 को कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान की बकाया राशि कितनी-कितनी थी;

(ख) उद्योगवार बकाया राशि कितनी-कितनी थी; और

(ग) एकाधिकार गृहों पर बकाया राशि कितनी थी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि भविष्य निधि अंशदानों की बकाया पड़ी राशियां 31-3-73 और 30-6-73 को निम्न प्रकार हैं :-

31-3-73 को	1960.83 लाख रुपये
30-6-73 को	1956.47 लाख रुपये।

30-9-73 को अंशदानों की बकाया राशियों के संबंध में सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

विभिन्न देशों को विद्युत् शक्ति चालित मशीनों का निर्यात

5696. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोप, अफ्रीका और एशिया के विभिन्न देशों को भारत में निर्मित विद्युत् शक्ति चालित मशीनों का निर्यात किया जा रहा है और उनकी वहां अच्छी मांग है ;

(ख) क्या उन के निर्यात के आंकड़ों में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के निर्यात आंकड़े क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग)

(लाख रुपयों में)

1970-71	403.51
1971-72	583.57
1972-73	735.92

तापीय बिजली घरों को कोयले की सप्लाई

5697. **श्री ई० वी० विखेपाटिल:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में स्थित विभिन्न तापीय बिजली घरों को नियमित रूप से कोयले की अपेक्षित सप्लाई की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कितनी मात्रा में कम सप्लाई की गई है; और

(ग) तापीय बिजली घरों को स्टैन्डर्ड किस्म के कोयले की नियमित सप्लाई निश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) ताप बिजली घरों द्वारा कोयले की बढ़ी हुई मांगों के कारण, जिन्हें पन-बिजली तथा परमाणु बिजली की कमी को पूरा करने के लिये अधिक बिजली पैदा करती थी, इन बिजली घरों को 1972-1973 के दौरान पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 40 लाख टन अधिक कोयला दिए जाने के बावजूद, कोयले की कम पूर्ति की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ग) स्थायी सम्पर्क समिति, जिसमें भारत सरकार के सभी संबद्ध मंत्रालयों के प्रतिनिधि हैं, ने प्रत्येक प्रमुख बिजली घरों को विशेष कोयला क्षेत्रों से संबद्ध कर दिया है ताकि वांछित किस्म का कोयला उपलब्ध हो सके । इसके अतिरिक्त कोयला उत्पादक संगठनों तथा रेल विभाग द्वारा बिजली घरों के कोयले की पूर्ति की सतत निगरानी की जाती है और बिजली घरों के कार्य में बिना किसी गंभीर रुकावट के स्थिति से निपटना सामान्यतः संभव हुआ है । रेलवे बोर्ड में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है ताकि किसी बिजली घर के पास स्टाक कम होने पर कोयला पहुंचाने के लिये आपाती कार्रवाई की जा सके ।

पुनर्वास संगठन में फील्ड इंस्पैक्टरों के वेतनमान

5698. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास संगठन में नियुक्त फील्ड इंस्पैक्टरों के लिये तीन विभिन्न वेतनमान निर्धारित किये गये हैं जबकि सभी इंस्पैक्टरों को एकसा कार्य करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो तीनों वेतनमानों को मिला कर एक वेतनमान न बनाए जाने के क्या कारण हैं क्योंकि कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वैंकटस्वामी) : (क) सरकार द्वारा निर्मित संपत्तियों, निष्क्रांत संपत्तियों आदि की अभिरक्षा से संबंधित कार्य आदि को करने वाले विभिन्न कार्यालयों, जिन्हें बाद में एक कार्यालय के रूप में मिला दिया गया था, में प्रारम्भ में विभिन्न वेतनमानों में फील्ड इन्स्पैक्टरों के पद बनाए गए थे । तथापि, यह सत्य है कि तीन विभिन्न वेतनमानों में फील्ड इंस्पैक्टरों द्वारा किया जाने वाला कार्य एकसा है ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

पाकिस्तान द्वारा अपहरित दो भारतीय पत्रकारों का अता-पता

5699. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दो बंगाली पत्रकारों, श्री दीपक बनर्जी और श्री सुरजीत घोषाल की स्थिति और अते-पते के बारे में पाकिस्तान से कोई सूचना प्राप्त हुई है जिनका बंगला देश स्वाधीनता संग्राम के दौरान सोनापूरा (त्रिपुरा राज्य) से 2 अप्रैल, 1971 को पाकिस्तानी सेना द्वारा अपहरण कर लिया गया था ;

(ख) क्या इन दो पत्रकारों के माता-पिता ने इस बारे में सरकार से कोई अभ्यावेदन किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उस के क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) पाकिस्तान सरकार ने पत्रकारों, श्री दीपक बनर्जी और सुरजीत घोषाल, की स्थिति और अते-पते के बारे में किसी जानकारी से इनकार किया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) सरकार ने पाकिस्तान एवं बंगला देश की सरकारों से पूछताछ की है । अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान द्वारा भी पूछताछ की गई है जिसे पाकिस्तान सरकार ने सूचना दी है कि उन दो लापता पत्रकारों के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है ।

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देते हुए सरकार के पास सुलभ सारी सूचना सदन के सामने रख दी गई है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 16 दिनांक 25-5-1971

अतारांकित प्रश्न संख्या 1592 दिनांक 30-3-1972-

तारांकित प्रश्न सं० 891 दिनांक 18-5-1972

अतारांकित प्रश्न सं० 775 दिनांक 3-8-1972

तारांकित प्रश्न सं० 68 दिनांक 3-8-1972

अतारांकित प्रश्न सं० 1529 दिनांक 23-11-1972

अतारांकित प्रश्न सं० 2476 दिनांक 30-11-1972

अतारांकित प्रश्न सं० 1408 दिनांक 1-3-1973 और

अतारांकित प्रश्न सं० 3316 दिनांक 16-8-1973

बिहार में गिरिडीह की सिंधी माइका माइनिंग कम्पनी में तालाबन्दी

5700. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या **श्रम** मंत्री बिहार में गिरिडीह के सिंधी माइका माइनिंग कम्पनी में तालाबन्दी के बारे में 29 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2704 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठ अभ्रक खानों के फिर से चालू करने के कार्य में केन्द्रीय औद्योगिक संबंध व्यवस्था के अधिकारियों को अपने प्रयास में इस बीच सफलता मिल गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और अन्य क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) पक्षों के बीच हुए समझौते के परिणामस्वरूप तालाबन्दी समाप्त कर दी गई है ।

बिहार में गिरिडीह की सिंधी माइका माइनिंग कम्पनी में तालाबंदी

5701. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में गिरिडीह की सिंधी माइका माइनिंग में तालाबन्दी के बारे में 29 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2704 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन आठ अभ्रक की खानों को अधिकार म लेने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : जी नहीं ।

Assistance from Tanzania for Floods

5702. **Shri Bhagirath Bhanwar:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have received from the Tanzanian Government a sum of Rs. 66,000 to help the people affected by floods during the last monsoon season; and

(b) the amount spent so far out of the amount received and the amount that still remains unspent?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : **(a)** No, Sir. However, a draft for Rs. 67,580.69 (equal to shs. 60,000) was received from the Government of Tanzania for the Prime Minister's National Relief Fund for the rehabilitation of persons affected by floods this year.

(b) The amount has been credited in the account of the Fund and will be utilised (together with other sums in the Fund) in accordance with the wishes of the Tanzanian Government.

Interim Relief to Press Employees

5703. **Shri Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the press report dated the 22nd November, 1973 to the effect that the Press Employees should be given interim relief;

(b) whether the Karnataka Working Journalists' Association and the Bangalore Newspaper Employees' association have submitted a memorandum demanding 25 per cent as interim relief; and

(c) if so, the action taken thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) and (b) Government have received resolutions from the Karnataka Working Journalists' Association and the Bangalore Newspaper Employees' Association as well as other associations of journalists demanding interim relief.

(c) The demand for interim relief to working journalists will be referred to the Wage Board to be constituted under the Working Journalists (Conditions of Service) and Miscellaneous Provision Act. No decision has yet been taken to constitute a Wage Board for non-journalists.

सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार

5704. **श्री समर गुह:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत स्थित रूसी दूतावास ने 'सोवियत भूमि नेहरू पूरस्कर' किस वर्ष प्रारम्भ किये थे और क्या इसके लिये सरकार से मंजूरी ली गई थी ।

(ख) गत तीन वर्षों में कितने व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिये गये तथा तदनुसार कितने व्यक्तियों ने रूस की यात्रा की;

(ग) उस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं, जो इस पुरस्कार के लिये विजेताओं का चयन करते हैं तथा उनके चयन की कसौटी क्या है ; और

(घ) क्या मास्को स्थित भारतीय दूतावास ने रूसी जनता के लिये इसी प्रकार के पुरस्कार आरम्भ करने का प्रयास किया था और क्या रूस में वहां के नागरिकों के लिये ऐसे विदेशी पुरस्कार प्राप्त करने की अनुमति है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सोवियत लैन्ड नेहरू पुरस्कार, भारत स्थित सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के दूतावास के सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिका 'सोवियत लैंड' द्वारा सन् 1964 में स्थापित किया गया था । प्रथम पुरस्कार सन् 1965 में प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू के जन्म दिन पर दिए गए । यह पुरस्कार भारत सरकार की जानकारी और सहमति से स्थापित किए गए थ ।

(ख) जिन लोगों को यह पुरस्कार मिले और जिन्होंने सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ की यात्रा की उनकी संख्या परिशिष्ट 1 में दी जा रही है **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6086/73]** ।

(ग) सोवियत लैन्ड नेहरू पुरस्कार समिति में भारती तथा सोवियत संघ के प्रसिद्ध व्यक्ति तथा साहित्यिक हैं । उनके नाम परिशिष्ट-2 में दिए जा रहे हैं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6086/73] ।

यह पुरस्कार साहित्यिक तथा पत्रकारिता संबंधी सर्वोत्कृष्ट कार्य के लिये तथा ऐसे उच्चकोटि के रूसी ग्रंथों तथा सोवियत रचनाओं के भारतीय अनुवाद के लिये दिए जाते हैं जिनका उद्देश्य भारत सोवियत संघ के बीच सौहार्द बढ़ाना है जिसे जवाहरलाल नेहरू हृदय से चाहते थे ।

(घ) जी हां । भारत और सोवियत संघ के बीच राजनीतिक संबंधों की स्थापना की बीसवी वार्षिक जयन्ती से संबंधित समारोहों के एक भाग के रूप में भारत सरकार ने सन् 1967 में 8 वार्षिक नेहरू-पुरस्कारों के स्थापित किए जाने की योजना की थी। यह पुरस्कार भारत-सोवियत मित्रता को बढ़ाने में सहयोग देने वाली सोवियत लेखकों, कवियों तथा पत्रकारों के लिये हैं ।

इन पुरस्कारों में नकद पुरस्कार, एक गोलाकार फलक और एक प्रमाण-पत्र होता है । पुरस्कार प्राप्त करने वालों को 15 दिन की भारत-यात्रा पर भी बुलाया जाता है । नेहरू पुरस्कारों के लिये बनी चयन समिति के पैट्रन सोवियत प्रधान मंत्री श्री ए० एन० कोसिगिन हैं ।

Wearing of Khadi by Persons in Indian Missions Abroad

5705. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state whether Government propose to make it a rule that persons posted in Indian Missions abroad will wear only Khadi and will not consume liquor?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): Government do not have such a proposal under consideration.

दिल्ली के समाचारपत्रों द्वारा बोनस का भुगतान

5706. **श्री अनादि चरण दास:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम सूत्रों के अनुसार दिल्ली के कितने समाचारपत्रों तथा समाचार एजेन्सियों ने कर्मचारियों को बोनस देना मंजूर किया है, और

(ख) ऐसा न करने वालों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन को, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत बोनस की गैर-अदायगी के संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । उन्होंने कहा है कि यदि चूक का कोई मामला उन के ध्यान में आयेगा, तो ऐसे नियोजकों के खिलाफ अधिनियम के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जायेगी ।

कोयला खानों को विद्युत् संयंत्रों से सम्बद्ध करना

5707. **श्री आर० बो० स्वामीनाथन्:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों को विद्युत् संयंत्रों से संबद्ध करने के संबंध में कोई निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की आशा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) से (ग) स्थायी संबंध समिति ने प्रत्येक बिजली घर को पहले से ही कोयला-क्षेत्रों से संबद्ध कर दिया है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन प्रशासन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): मैं विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 के प्रशासन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 6069/73] ।**

कम्पनी अधिनियम के अधीन पत्र

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता -

(1) (एक) हैवी इलैक्ट्रीकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हैवी इलैक्ट्रीकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 6070/73]

(2) (एक) भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 6071/73]

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1970-71 के वार्षिक प्रतिवेदन (खण्ड 1) की एक प्रति ।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 6072/73]

दिल्ली सहकारी समिति नियम

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 की धारा 97 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली सहकारी समिति नियम, 1973 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिल्ली राजपत्र दिनांक 16 मार्च, 1973 में अधिसूचना संख्या एफ० 7(15)/65-73/को० आप०/3614 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 6073/73]

भारत सरकार और यूरोपिय समुदाय परिषद के बीच वाणिज्यिक सहयोग करार

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : श्री ए० सी० जार्ज की ओर से, मैं भारत सरकार और यूरोपीय समुदाय परिषद् के बीच वाणिज्यिक सहयोग करार के पाठ (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 6074/73]

इंडियन आयरन एण्ड स्टील-कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम के अधीन अधिसूचना तथा कम्पनी अधिनियम के अधीन पत्र

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी (प्रबंध - ग्रहण) अधिनियम, 1972 की धारा 16 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या आई०एन०डी० II—7 (58)/72-II की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगें जो भारत के राजपत्र दिनांक 28 अगस्त, 1973 में प्रकाशित हुई थी और जिसमें अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 280(ङ) दिनांक 16 मई, 1973 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 6075/73]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (I) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 6076/73]

मोटरगाड़ी, मोटरगाड़ी सहायक उद्योग, परिवहन गाड़ी उद्योग, ट्रैक्टर, अर्थ मूविंग उपकरण और आन्तरिक दहन इंजन विकास परिषद के वार्षिक प्रतिवेदन

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत मोटरगाड़ी, मोटरगाड़ी सहायक उद्योग, परिवहन गाड़ी उद्योग, ट्रैक्टर, अर्थ मूविंग उपकरण और आंतरिक दहन इंजन विकास परिषद् के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 6077/73]

कर्मचारी भविष्य निधि तथा कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम के अधीन अधिसूचना

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) कर्मचारी भविष्य निधि तथा कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (पांचवां संशोधन) स्कीम 1973 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 17 नवम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 1249 में प्रकाशित हुई थी।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों का एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 6078/73]

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

Committee on Absence of Members from the Sittings of the Hous

कार्यवाही सारांश

श्री एस०सी० सामन्त (नामलुक): मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की चालू पत्र के दौरान हुई बारहवीं बैठक का कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

ईंधन तथा शोधनशालाओं में हानि के बारे में वक्तव्य

Statement re. Fuel and Losses in Refinery

पट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देव कान्त बरुआ) : मैं यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

वक्तव्य

मैं कच्चे तेल के परिष्करण की प्रक्रिया के दौरान होने वाली हानियों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए माननीय सदस्य श्री मधु लिमये का आभारी हूं। मेरा मंत्रालय इस मामले का सतत पुनरीक्षण करता रहा है और मैंने इस पर फिर पुनरीक्षण कराया ताकि इस संबंध में कच्चे तेल की खपत/हानियों की यथा संभव अधिक से अधिक जांच सुनिश्चित की जा सके।

2. सामान्यतया परिष्करण प्रक्रिया में कच्चे तेल से निर्मित उत्पादों का उपयोग गर्मी पैदा करने में किया जाता है। ताकि डिस्टिलेशन कालम, वैकम यूनिट जैसे विभिन्न यूनिटों तथा अन्य सुविधाओं का संचालन किया जा सके। बहुत सी परिष्करणशालाओं, विशेषकर गोहाटी, बरौनी, कोयाली तथा मद्रास में स्थित सरकारी क्षेत्र की परिष्करणशालाओं में कच्चे तेल से निर्मित कुछ उत्पादों का उपयोग बिजली पैदा करने में भी किया जाता है और इसके लिऐ केपटिव बिजली उत्पादन यूनिटों की स्थापना की गई है।

3. वास्तव में "परिष्करणशाला ईंधन तथा हानियां" मद के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन का उपयोग भी सम्मिलित है। हाइड्रोकार्बन का उपयोग परिष्करणशाला /एककों के लिए गर्मी पैदा करने तथा केप्टिव बिजली पैदा करने में किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग बहुत कम काल्पनिक हानि, जिसका हिसाब लगाया ही नहीं जाता, के लिए भी किया जाता है ।

4. प्रयोग में लाए गए परिष्करणशाला ईंधन की मात्राओं में प्रोसेस किए गए कच्चे तेल की किस्म, परिष्करणशाला में उपलब्ध प्राथमिक तथा माध्यमिक प्रोसेसिंग यूनिटों की संख्या के संबंध में परिष्करण-शाला की जटिलता, निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता, भंडारण और प्रबंध के संबंध में अपनाई गई पद्धतियों आदि की भिन्नताओं के कारण अंतर होता है। अतः विभिन्न परिष्करणशालाओं में काम आने वाले ईंधन की मात्राओं में काफी अन्तर हो सकता है।

5. साथ ही परिष्करणशाला में वास्तविक हानियां कई घटकों के कारण होती हैं जिन में ये सम्मि-लित हैं -- इस प्रकार के वाष्पशील उत्पादों में होने वाली फिलिंग तथा वाष्पण हानियां, भंडारण टैंकों की हानियां, लदान की हानियां गंध की हानि, स्लोप हैंडलिंग तथा रिकवरी पद्धति की हानियां तथा प्रोसेसिंग आदि में हाइड्रोकार्बन की हानि आदि।

6. लेखा की दृष्टि से लगभग सारे विश्व में परिष्करणशाला ईंधन तथा हानियों को एक साथ हिसाब में लिया जाता है। साथ ही उस मात्रा का भी एक साथ हिसाब लगाया जाता है जो विक्रय के लिए उपलब्ध नहीं होती। इस कारण परिष्करणशालाओं में वास्तव में हुई हानियों के संबंध में बहुत कम सूचना उपलब्ध है। संबंधित साहित्य के (तेल तथा गैस के संबंध में 13 जुलाई, 1946 की पत्रिका-पृष्ठ-148) एक संदर्भ के अनुसार परिष्करणलाशा हानि जो कि परिष्करणशाला ईंधन से भिन्न है, 0.55 से। प्रतिशत तक होती है। इस संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि क्या वह विवरण केवल एक ही परिष्करणशाला के लिए है। अथवा कई परिष्करणशालाओं के लिए।

7. विकासशील देशों में पेट्रोलियम तथा परिष्करण के संबंध में नई दिल्ली में 22 जनवरी, से 3 फरवरी, 1973 तक हुई संयुक्त राष्ट्र अन्तर क्षेत्रीय गोष्ठी में प्रस्तुत एक दस्तावेज में डाक्टर नेलसन, जिनको तेल परिष्करणशाला तथा इंजीनियरिंग और परिचालन के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, ने एक सारणी दी है जिसमें कई देशों में परिष्करणशाला ईंधन तथा हानियों का उल्लेख किया गया है। यह सारणी अमरीकी ब्यूरो आफ माइंस द्वारा प्रकाशित इंटरनेशनल पेट्रोलियम एनुअल 1970 में से ली गई है। विभिन्न देशों के परिष्करणशाला ईंधन तथा हानि की प्रतिशतता इस प्रकार है :—

	प्रतिशत
अर्जेनटाइना	5.4
बोलीविया	2.8
ब्राजील	5.7
चिली	5.5
पेरु	12.6
कुवैत	6.3
टर्की	5.0
लीबिया	6.0
मोरक्को	5.5
भारत	5.0
इंडोनेशिया	3.4
पाकिस्तान	5.8.
फिलिपाइंस	5.8
थाईलैंड	17.7

8. इस पर विश्वास करने के कारण हैं कि इंडोनेशिया के बारे में कम प्रतिशत होने की जो सूचना दी गई है वह परिष्करणशाला के लिए अपेक्षित ईंधन के रुप में प्राकृतिक गैस के प्रयोग से हो सकता है।

9. ए० जी० आई० पी० के एक प्रकाशन से प्राप्त इटली में परिष्करणशाला के लिए अपेक्षित के वास्तविक आंकड़े 1971 में 6.2 प्रतिशत तथा 1972 में 6.4 प्रतिशत है। चूंकि इटली में प्रतिवर्ष लगभग 150 मिलियन मीटरी टन की परिष्करणशाला के लिए अपेक्षित ईंधन है, इसलिए ईंधन का औसत एवं हानि अधिक है।

10. वर्ष 1972 के संबंध में प्रत्येक परिष्करणशाला-वार ईंधन एवं हानि को नीचे दिया गया है :—

	प्रतिशत
बर्मा शैल	6.2
एस्सो	4.5
कालटैक्स	7.4
गौहाटी	10.8
बरौनी	9.5
गुजरात	7.0
सी आर एल	6.5
एम आर एल	10.9

गौहाटी, बरौनी, गुजरात तथा मद्रास परिष्करणशालाओं के पास कैपटिव पावर स्टेशन है ।

11. स्पष्ट है कि माननीय सदस्य द्वारा बताये गये 7 प्रतिशत के आंकड़े में परिष्करणशाला में हुई हानि के अतिरिक्त परिष्करणशाला ईंधन के लिए अपेक्षित ईंधन भी सम्मिलित है।

12. आयातित अशोधित तेल जो हमारे परिष्करणशाला के दो तिहाई से भी अधिक है के उच्चतम मूल्य को ध्यान में रखते हुए किसी भी रूप में ईंधन एवं हानियों के बारे में हम जो कुछ बचत कर सकते हैं उसमें हमें अत्यधिक सावधानी रखनी होगी। मैंने इस विषय पर सोवियत विशेषज्ञों से विचार-विमर्श किया है जिन्होंने दो सरकारी उपद्रवों क्रमों अर्थात् बरौनी एवं गुजरात में, डिजाइन बनाया तथा उनकी-स्थापना में मदद दी। उन्होंने इस समस्या पर जल्दी ही विचार करने के लिए परिष्करण के विशेषज्ञों के एक दल भेजने पर सहमत हो गये हैं।

बागान श्रम (संशोधन) विधेयक

Plantations Labour (Amendment) Bill

संयुक्त समिति में सदस्य की नियुक्त

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा राज्य सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि लोक सभा बागान श्रम अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में श्री मधु लिमये के त्याग-पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर लोक सभा के एक सदस्य को नियुक्त करे और यह संकल्प करती है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उक्त संयुक्त समिति में श्री समर गुह को नाम निर्दिष्ट किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि लोक सभा बागान श्रम अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में श्री मधु लिमयु के त्याग-पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर लोक सभा के एक सदस्य को नियुक्त करें और यह संकल्प करती है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उक्त संयुक्त समिति में श्री समर गुह को नाम निर्दिष्ट किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

Representation of the People (Amendment) Bill

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

श्री एस० एम० बनर्जी : (कानपुर) : मैं इस विधेयक का इसकी पुरःस्थापित करने की अवस्था में विरोध करता हूं। दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की विभिन्न सिफारिशों पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई थी और उसने सभी पहलुओं पर विचार करके एक अन्तरिम तथा एक अंतिम दोनों ही प्रतिवेदन प्रस्तुत किये। यह आश्चर्य की बात है कि इस विधेयक को उस समय पुरःस्थापित किया जा रहा है जब सत्र समाप्त होने वाला है।

सबसे पहले मुझे इस बात पर आपत्ति है कि जिन व्यक्तियों ने चुनाव से पूर्व 21 वर्ष पूरे कर लिये हैं और जो मत देने के पात्र हैं उनकी अधिकतम संख्या सुनिश्चित करने की दृष्टि से उन्हें मतदाता सूचियों में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त मतदाता-सूची में नाम लिखवाने का नाम-मात्र का जो शुल्क लिया जाता है उसे भी समाप्त किया जा रहा है।

यह विधेयक उस समय पुरःस्थापित किया जा रहा है जब उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के चुनाव आ रहे हैं। इस विधेयक पर चर्चा करने और इसे पारित करने के लिये कल या परसों में से कोई दिन रखा जाय अन्यथा यही समझा जायेगा कि इस विधेयक के द्वारा अधिनियम के उपबंधों में सुधार करने और कदाचारों को संशोधनों के माध्यम से दांडिक अपराध घोषित करने के विचार की सत्तारूढ़ दल द्वारा अपेक्षा की जा रही है। मंत्री महोदय उत्तर दें कि क्या वह इस विधेयक को इसी सत्र में पारित करने के लिये तैयार हैं ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि इस विधेयक को इसी सत्र में पारित किया जाना चाहिए। इस बारे में समदीय कार्य मंत्री निर्णय करेंगे कि कितना समय मिल सकेगा।

श्री श्यामनदंन मिश्र (बेगुसराय) : समिति ने जब काफी समय पूर्व सिफारिशें कर दी थीं तो सरकार ने इस समय यह विधेयक यहां लाना क्यों उचित समझा जब कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : ज्योंही सयुक्त समिति ने निर्णय किया त्योंही विधेयक को छपने के लिए भेज दिया गया। छापाखाने को इसे छापने में एक महीने से भी अधिक समय लग गया। हमें यह मिलते ही हमने कार्यवाही की।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं इसे मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

कुछ माननीय सदस्य : हम मत-विभाजन के लिए आग्रह करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मत-विभाजन चाहते हैं ?

Shri Madhu Limaye (Banka): If the Minister of Parliamentary Affairs gives an assurance that his Bill will be passed to morrow in this House and on Saturaday in the other House, there is no need for division.

Shri Shyamnandan Mishra: What is the difficulty in passing it in the very session?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मत-विभाजन चाहते हैं ?

एक माननीय सदस्य : जी, नहीं। हम अपना विरोध प्रकट करना चाहते थे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

नियय 337 के अन्तर्गत मामले

Matters under Rule 377

जम्मू और काश्मीर के लद्दाख क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन

Shri Kushok Bakula (Ladhak) : Ladhak is a border area which touches China and Tibet. In view of its stratejic importance the Government of Jammu and Kashmir should pay more importance for its development. But the Government has not done so. That is why the people of Ladhak are demanding Central rule there. This is not a new demand. There is not a simple jeepable road in ladhak.

In 1962 when china attack India that demand was also made. When Shrimati Gandhi became the Prime Minister we again raised that issue and we were told that State Govt. was appointing Gajendragadkar Commission and we should place our demands before the Commission. We did so and it accepted our demands. But inspite of that there has not much development in that area. The suggestions of the Commission have not been pleasented so far.

In September. when the Chief Minister Mr. Qasim visited Ladhak, the police Committed excesses on the people of Ladhak. A Commission should be appointed to investigate into the matter.

A Parliamentary delegation should be sent to Ladhak to study the question of development of that region. But the delegation has not been sent so far. It was not sent because in that case the real situation would have come to light.

I request that the demand of central rule in the region should be accepted so that proper development may be made in Ladhak.

गुजरात में राष्ट्रीय कैडेट कोर के युवकों द्वारा अभ्यास के लिये चलाई गई गोलियों से एक व्यक्ति की मृत्यु और अन्य लोगों के घायल होने का समाचार

Kumari Maniben Patel (Saharkantha): On 13th December, 1973 when N.C.C. firing practice was going on in a village of named Hansalpur, all precautions were not observed and as a result of it a bull was killed in the field. The local people went to Himmatnagar to report the matter to the Police but no action was taken in this regard.

On 14th December, a Shepherd was hit by a bullet and again on 15th December, the young son of farmer was hit by a bullet and he died on the spot.

The people took the dead body to Himmatnagar but the parent of the boy have not received any assistance so far either from the state Government or from the Defence or Education Ministry. I request that an immediate action should be taken in this mater.

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के बारे में

Re. Maharashtra Karnataka Border Dispute

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : गृह मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद के मामले में कोई हिंसक घटनाएं नहीं घटेंगी लेकिन हाल ही के बम्बई बन्द, जिसका शिवसेना ने समर्थन किया था....

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रही हूं। आप कृपा बैठ जायें। आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : प्रधान मंत्री अथवा गृह मंत्री को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिए।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं इस मामले पर नियम 377 के अन्तर्गत बोलना चाहता हूं। इस समस्या का शांतिपूर्ण तथा शीघ्र हल निकाला जाना चाहिये।

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : इस मामले में केरल का उदाहरण अपनाया जाना चाहिये।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : सदन ने कल यह निर्णय लिया था कि चूंकि सरकार ने इस मामले को वरिष्ठ मंत्रियों के माध्यम से शीघ्र हल करने का वचन दिया है अतः इस मामले पर चर्चा न की जाये। लेकिन सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है और माननीय सदस्य इस मामले पर बहुत चिन्तित है। सरकार द्वारा आश्वासन देने के बाद भी कोई कार्यवाही न करने पर हमें क्या रुख अपनाना चाहिए, अध्यक्ष महोदय इस बारे में हमें निदेश दें।

अध्यक्ष महोदय : सरकार को यह चाहिये कि या तो वह सदस्यों को शांत रखें अथवा इस विषय पर चर्चा की जाये। कृपया सब शांत होकर बैठ जायें। जिस सदस्य का नाम पुकारा जाये वही सभा में बोले।

उड़ीसा विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1973

Orissa Appropriation (No. 4) Bill, 1973

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि वित्तीय वर्ष 1973-74 की सेवाओं के लिए उड़ीसा राज्य की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1973-74 की सेवाओं के लिए उड़ीसा राज्य की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

श्री क० आर० गणेश : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि वित्तीय वर्ष 1973-74 की सेवाओं के लिए उड़ीसा राज्य की संचित निधि में स कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, खण्ड 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड 2, खंड 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 2, Clause 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula, and the Title were added to the Bill.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये" ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव

Motion: Re International Situation

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा उसके संबंध में भारत सरकार की नीति पर विचार करें"

इस विषय पर चर्चा के लिये बहुत कम समय है अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करुंगा कि वे इस विषय पर सीधे चर्चा आरंभ करें। मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से चर्चा का उत्तर दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि सभा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और उसके संबंध में भारत सरकार की नीति पर विचार करती है"

श्री समर मुखर्जी: (हावड़ा) हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में बहुत परिवर्तन हुए हैं। वियतनाम में अमरीकी साम्राज्यवाद की हार और मुक्ति मोर्चे की वियतनाम और लाओस में जीत और कम्बोडिया में जीत की आशा से सिद्ध हो गयी है कि अमरीकी साम्राज्यवाद के अधीन नव उपनिवेशवाद प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुट-निरपेक्ष देशों का समूह, जिसे आज लोकप्रिय भाषा में "तीसरा विश्व" कहा जाता है, का प्रतिक्रियावादी, उपनिवेशवादी तथा साम्राज्यवादी शक्तियों की हार में बड़ी योग रहा है। हाल ही में अलजियर्स में गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन में 80 देशों ने भाग लिया ।

उक्त सम्मेलन से विदित होता है कि लोकतांत्रिक और साम्राज्यवाद-विरोधी शक्तियां कैसे बढ़ रही हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में समाजवादी शक्तियां और समाजवादी देश गुट-निरपेक्ष देशों की अधिक से अधिक सहायता कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्तियों के आपसी संबंधों में परिवर्तन हो रहा है और सारे विश्व में उसका प्रभाव पड़ रहा है।

अलजियर्स सम्मेलन में वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार का पूर्ण समर्थन किया गया है। यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दक्षिण वियतनाम की क्रांतिकारी सरकार ही दक्षिण वियतनामी जनता का पूर्ण प्रतिनिधित्व करती है।

अलजियर्स सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्य देशों से यह भी अनुरोध किया गया कि वे श्री नरोतम सिंहनामक की कंबोडिया सरकार को मान्यता दे दें। भारत ने उक्त सम्मेलन में भाग लिया था और वह एक समिति का सभापति भी था। यह दुःख की बात है कि अभी तक दक्षिण वियतनाम गणराज्य की अस्थायी सरकार को भारत ने मान्यता नहीं दी है। भारत सरकार ने कम्बोदिया की सिंहनामक सरकार को भी अभी तक मान्यता नहीं दी है। यह हमारी विदेश नीति की एक कमजोरी है।

अलजियर्स सम्मेलन में कोरिया के एकीकरण के बारे में किये जा रहे प्रयत्नों का भी समर्थन किया गया था। लेकिन भारत सरकार ने इस सम्मेलन में दक्षिण कोरिया से अमरीकी सेना को हटाने की मांग नहीं की थी ।

चिली में यद्यपि डा० अलेंडेण्डे की हत्या की गई और सैनिक जुन्टा ने सरकार का तख्ता उलट कर फासिज्मवादी राज्य कायम कर दिया है फिर भी भारत सरकार उससे अभी भी दोस्ती के संबंध बनाये हुए है । सभी प्रगतिवादी देशों ने फासिसज्मवादी सैनिक शासन की निन्दा की है। यह बड़े आश्चर्य की बात ही भारत अभी भी उससे राजनीतिक संबंध कायम किये हुए है ।

अलजियर्स सम्मेलन में हमारी प्रधान-मंत्री ने बहु-राष्ट्रीय निगमों की आलोचना की थी। लेकिन भारत में आज बहु-राष्ट्रीय निगमों का स्वागत हो रहा है। ये बहु-राष्ट्रीय निगम सरकारों को गिरा सकते हैं, देश में असंतुलन उत्पन्न कर सकते हैं तथा देश की अर्थव्यवस्था के लिये गम्भीर खतरा हो सकते हैं।

हमारे उद्योग मंत्री ने कहा था कि यदि बहु-राष्ट्रीय निगम हमारे देश में पूंजी लगाना चाहें तो उन्हें ऐसा हमारे देश की औद्योगिक नीति के अतर्गत ही करना होगा। इसके परिणामस्वरूप हमारी अर्थ-व्यवस्था अधिकाधिक अमरीकी एकाधिकार पूंजी पर निर्भर होती जा रही है।

भारत तथा इस क्षेत्र के अन्य देशों ने यह मांग की है कि हिन्दमहासागर को शांति क्षेत्र घोषित किया जाए। किन्तु साम्राज्यवादी अमरीका ने इस न्यायसंगत मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने वहां तनाव की स्थिति उत्पन्न करदी है। बंगला देश के स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान उसने सातवां बेड़ा भेजा तथा उसने इजराइल को शस्त्र भी सप्लाई किये । समाचार पत्रों में यह रिपोर्ट भी आई है कि भारतीय रक्षा विभाग ने स्वयं उत्तर भारत में रडार संचार व्यवस्था का विकास करने का अमरीका को कार्य सौंपा था । मैंने इस प्रश्न को रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति में भी उठाया था। भारत सरकार ने अमरीकी साम्राज्यवाद के विरोध में उतनी दृढ़ता से आवाज नहीं उठाई जितनी उठाई जानी चाहिये थी । यह सरकार की कमजोरी है । आज एशियाई देशों की सुरक्षा का नारा लगाया जा रहा है। यह नारा रूस और चीन तथा भारत और चीन में सामान्य संबंध स्थापित न होने के कारण व्यवहारिक नहीं कहा जा सकता। इस सुरक्षा को खतरा है जिसमें, अमरीकी साम्राज्यवाद हो।

भारत सरकार को चीन से सामन्य संबंध स्थापित करने के लिए कोई पहल करनी चाहिये। सरकार को चीन से आने वाले साहित्य पर लगे प्रतिबधों को हटाना चाहिये। भारत सरकार को अपनी साम्राज्य विरोधी उस नीति का दृढ़ता से अनुकरण करना चाहिये जो अल्जीरिया सम्मेलन में व्यक्त की थी। समाचारपत्रों के अनुसार भारत सरकार ने सिहानुक सरकार को मान्यता दिये जाने के लिये 33 गुट निर्पेक्ष राष्ट्रों द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प का समर्थन नहीं किया। इससे ज्ञात होता है कि सरकार अपनी नीति का स्वयं विरोध करती है ।

श्री माधवराव सिन्धिया (गुना) : आज हम ऐसी स्थिति में रह रहे हैं जब विश्व में जल्दी-जल्दी परिस्थितियां बदलती जा रही हैं । अतः हमारी विदेश नीति निर्माताओं को विदेश नीति में एक गति-शीलता लानी चाहिये। पश्चिम एशिया की हाल की घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी क्षेत्र के देश आर्थिक या सैनिक दृष्टि से बड़ी शक्तियों पर निर्भर हों तो वे किस सीमा तक वहां अपना प्रभुत्व जमाये रख सकते हैं ।

श्री ब्रेजनेव की हाल की यात्रा के समय हुआ समझौता हमें अपने आर्थिक आयोजन और कार्यक्रम में मंत्रणा और पथ प्रदर्शन के लिये रूस की "योजना समिति" पर भारी रूप से निर्भर बना देगा । अतः हमें सावधान रहना चाहिये कि हमारे देश की योजना या अर्थव्यवस्था रूस की योजना या अर्थव्यवस्था

के साथ अधिक संबंधित न हो जाए। जितनी जल्दी हम यह अनुभव करलें उतना ही अच्छा होगा कि दोनों में से किसी बड़े राष्ट्र का भागीदार बनने में हमारी भागीदारी असमान होगी। रूस के साथ अभी तक की हमारी नीति के पीछे यह भावना व्याप्त है कि सभी क्षेत्रों में केवल रूस से मदद मिल सकती है। गत भारत-पाक युद्ध में रूस की सहायता निश्चय ही बड़ी प्रशंसनीय तथा महत्वपूर्ण थी और इसके लिये हमें उनका आभारी होना चाहिये। किन्तु इस तथ्य की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती कि बड़े राष्ट्रों के शक्ति संतुलन में सोवियत रूस को भी हमारी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि हमें उनकी। चीन तथा अमरीका के संबंध सुधर जाने पर रूस को चीन के मुकाबले में भारत की मित्रता की आवश्यकता है। दूसरे, रूस के लिये हिन्दमहासागर का क्षेत्र बहुत महत्व का हो गया है। यह उस की अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भी है ।

रूस का 1959-70 में हिन्दमहासागर के देशों के साथ व्यापार लगभग 13 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ा है। इसलिए इस क्षेत्र का रूस की अर्थ व्यवस्था से बहुत महत्वपूर्ण सम्बन्ध है। हमें हिन्द महासागर में रूस की चालों का मोहरा नहीं बनना चाहिए। अपने कनिष्ट सम्बन्धों के संदर्भ में सरकार को रूस के हितों को ध्यान में रखना चाहिए, हमें रूस द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का पूरा लाभ उठाना चाहिए और दीर्घ अवधि के लिए कोई आश्वासन नहीं देना चाहिए। इससे यह भावना नहीं फैलेगी कि हम पूर्णतया रूसी खेमे में चले गये हैं। ऐसी भावना का फैलना हमारे लिए लाभप्रद नहीं है, अन्यथा विश्व में हमारा गुट निरपेक्षता का स्वरूप भी धुंधला पड़ जायगा और हमें रूस का पिट्ठू समझा जाने लगेगा। हमें अपनी स्वतंत्रता का सही स्वरूप बनाये रखना चाहिए । हालके पश्चिम एशिया के संघर्ष के दौरान हमारी जल्दबाजी से और असंतुलित वक्तव्यों से हमारे स्वतंत्र रुख को बढ़ावा नहीं मिला।

हमारे पक्षपातपूर्ण रवैये के दो कारण हो सकते हैं। प्रथम यह कि मध्य-पूर्व से हमारी तेल की सप्लाई निर्बाध रूप से बनी रहे और दूसरे दक्षिणपूर्व एशिया में यदि कोई भविष्य में संघर्ष छिड़े तो पाकिस्तान को अरबों से कम सहायता मिले। जहां तक तेल का सम्बन्ध है हमारी मांग का बहुत थोड़ा भाग सऊदी अरब तथा ईराक से पूरा होता है। अधिकांश तेल तो ईरान से मिलता है। जहां तक तेल की कटौती का मामला है सऊदी अरब ने इस संबंध में पाकिस्तान के साथ अधिक उदारता दिखाई है। सऊदी अरब ने हमारे देश को कई अन्य देशों के साथ आरम्भ में ही तेल की कटौती कर दी थी जबकि पास्कितान को नहीं की। इसस ज्ञात होता है कि विश्व में हमारी राय को कितना महत्व दिया जाता है।

1967 के युद्ध के दौरान इजराइल द्वारा हथियाई गई भूमि वापस लेने के लिए अरब देशों का प्रयास निःसन्देह उचित है। हमें अरब राष्ट्रों की इस भावना के प्रति सहानुभूति है कि उनके क्षेत्र का एक बहुत बड़ा भाग इजराइल के अधिकार में है। किन्तु हमें अरब राष्ट्रों से यह अपील करनी चाहिए कि वे इजराइल को मान्यता दे दें। समस्या का यही समाधान है कि अरब देशों की भूमि वापस मिलनी चाहिए तथा इजराइल को सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। इस विवाद का हल दोनों ही पक्षों की अर्थ व्यवस्था के हित में है तथा इससे युद्ध की आशंका भी दूर हो जायगी ।

मध्यपूर्व एशियाई संकट में एक अन्य खतरनाक नीति यह दृष्टिगत हुई है कि महा शक्तियां अपने प्रतिनिधित्व द्वारा वहां साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले एक देश के शत्रु देश को हथियार देने तथा युद्ध कराने और युद्ध के दौरान भी हथियार सप्लाई करते रहने का कार्य मास्को और वाशिंगटन द्वारा पहले से ही सुनियोजित होता है। महा

शक्तियों ने इन तकनीकों से अन्य कम शक्तिशाली देशों को वास्तव में आश्रित बना दिया है। भारत-पाक संघर्ष तथा ईरान के सैनिक पुनर्गठन से इस क्षेत्र में महाशक्तियों की अन्तर्ग्रस्त होने की संभावना बढ़ गई है। इस क्षेत्र में शांति की स्थिरता इस बात पर निर्भर करती है कि एक तो भारत, ईरान, अफगानिस्तान तथा ईरान के बीच और दूसरी ओर ईरान और पाकिस्तान के बीच किस प्रकार शक्ति का संतुलन रखा जाये। तेल के मामले में हम ईरान पर अत्यधिक निर्भर हैं क्योंकि लगभग 70 प्रतिशत तेल हमें ईरान से मिलता है। अतः भारत तथा ईराक के सम्बन्धों का सदा ईरान-पाकिस्तान सम्बन्धों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रीय राजनीतिक सन्तुलन का मूलाधार भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच समानता बनाये रखने की महाशक्तियों की नीति उनके अपने विचार से पुरानी हो चुकी होगी किन्तु ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र के अन्य प्रभावी देशों तथा पड़ोसी देशों ने इस नीति को अपना लिया है।

विश्व के हमारे भाग में रुचि का केन्द्र हिन्द महासागर की सामरिक स्थिति है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि अमरीका ने विरोधी शक्तियों के विरुद्ध हिन्द महासागर में परमाणु शस्त्र लगा रखे हैं। हमने हिन्द महासागर को शांति सागर नाम दिया है किन्तु हमारी सरकार को इस तथ्य को वास्तविक रूप देने के लिए कदम उठाने चाहिए। हिन्द महासागर के देशों के साथ तुरन्त बातचीत आरम्भ करनी चाहिए।

हमारे देश में नए विकासशील देशों का नेतृत्व करने और आपातिक शक्ति सम्पन्न होने की भी क्षमता है परन्तु भय और अपनी दोषपूर्ण नीतियों के कारण इन क्षमताओं का विकास नहीं किया जा रहा है। हमारी सरकार को इन क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए तथा इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री दिनेश चन्द्रगोस्वामी (गोहाटी) : मैंने मार्क्सवादी तथा जनसंघ के दो वक्ताओं का भाषण बड़े ध्यान से सुना है। जहां तक हमारी विदेश नीति का सम्बन्ध है हम गत वर्ष की संतोषजनक उपलब्धि की ओर निहार सकते हैं। हमें विदेशी मामलों में देश के हित में ही उपलब्धि नहीं हुई है वरन् इसके भारतीय उप महाद्वीप में शांति की स्थापना के लिए स्वस्थ्य वातावरण भी तैयार हुआ है। इसके साथ साथ हम अपनी उन नीतियों पर भी कायम रहे हैं जिनको हम इतने समय से मानते आये हैं। यह कहा गया है कि हमने अमरीकी साम्राज्यवादियों की नाराजी के डर से चिलि के मामले में अपनी आवाज नहीं उठाई है। किन्तु यदि ध्यान से सोचा जाय तो हमने चिलि में हुए अत्याचार की निन्दा की है। भारत साम्राज्यवादी गतिविधियों के विरुद्ध अपने विचार व्यक्त करने में कभी नहीं हिचका।

भारत-रूस सम्बन्धों के बारे में हमारी विदेश नीति के मुख्य सिद्धांतों की आलोचना इस आधार पर की गई है कि सोवियत संघ से हमारे सम्बन्धों के कारण गुट निरपेक्ष देशों में हमारी प्रतिष्ठा गिर रही है। यह कहा गया है कि हाल ही के समझौते से हम रूसी गुट के आश्रित हो जायेंगे। किन्तु गत वर्षों के इतिहास ने यह सिद्ध कर दिया है कि सोवियत संघ और भारत के आपसी सम्बन्ध समता के सिद्धांत पर आधारित हैं और ये वास्तव में दोनों के लिए लाभदायक है। हाल ही में हुए सम्मेलन ने यह सिद्ध कर दिया है कि सोवियत संघ के साथ स्थापित हुए हमारे सम्बन्धों से विश्व में हमारी प्रतिष्ठा कतई कम नहीं हुई है। यह झूठा प्रचार किया गया है तथा ये अफवाएं फैलाई गई हैं कि श्री ब्रेजनेव भारत सरकार के हिन्द महासागर में अड्डे बनाने के लिए मनाने का प्रयास करेंगे ।

उत्तरवर्ती घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि इस प्रकार की कोई रियायत नहीं मांगी गई है क्योंकि सोवियत संघ जानता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसे कोई भी काम करवाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। रूसी सहायता से इस देश में आधारभूत आर्थिक ढांचे के निर्माण में मदद मिली है। रूस तथा कुछ साम्राज्यवादी देशों द्वारा दी गई सहायता में गुणात्मक भेद है। रूस ने हमें आधारभूत ढांचा बनाने में मदद दी है। इसके अतिरिक्त रूसी सहायता की अदायगी हमें स्टर्लिंग अथवा डालर में नहीं करनी पड़ती। अतः हमारी विदेशी मुद्रा इस पर खर्च नही की जा सकती ।

रूस की सहायता से हमें अपने सरकारी क्षेत्र को सशक्त बनाने में सहायता मिली है। इस बात को सभी जानते हैं कि प्रतिक्रियावादी शक्तियां भारत और रूस के बीच बढ़ती हुई मैत्री से आशंकित हैं क्योंकि अगर भारत आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाता है तो इन प्रतिक्रियावादी शक्तियों के पैर नहीं जम पायेंगे ।

विश्व में गुट निरपेक्ष शक्तियों की वृद्धि की ओर संकेत किया गया है। आज विश्व ने यह महसूस कर लिया है कि तीसरी शक्ति या गुट-निर्पेक्ष शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसे हमें मानना पड़ेगा। आने वाले दिनों में विश्व शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम करने के प्रश्न पर गुट निर्पेक्ष देशों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और भारत इस प्रकार का वातावरण तैयार करने में सदैव-गर्व का अनुभव करेगा।

एशियाई सुरक्षा के विचार की किसी ने भी विस्तार से परिभाषा नहीं दी है। किन्तु यह एक तथ्य है कि आज एशिया ऐसा स्थान है जहां सुरक्षा की नितांत आवश्यकता है। दुखद प्रवृत्तियों और साम्राज्यवादियों की चालों के कारण ही एशिया और अफ्रीका तनाव के घर रहे हैं। आज की आवश्यकता यह है कि एशियाई देश एक दूसरे के निकट आयें और ऐसे वातावरण का निर्माण करें जिसमें उपनिवेशवादी शक्तियों द्वारा नव-उपनिवेशीय चालों के माध्यम से किये जा रहे प्रयत्न निष्फल हो जायें । तभी एशिया के देश एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकते हैं और उनमें अधिक आर्थिक-सहयोग हो सकता है। क्योंकि आज उपनिवेशवादी शक्तियां एशिया के अर्धविकसित देशों का आर्थिक शोषण करने का प्रयास कर रहे हैं। हम एशिया में स्थायी शांति तभी स्थापित कर सकते हैं जब कि ऐसे देश एक दूसरे को समझें और आपस में सहयोग करें। चीन के अलग रहने से एशिया में स्थायी शान्ति का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। इसलिए चीन को एशियाई सुरक्षा और शान्ति में भागीदार बनाना होगा।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : हमारी विदेश नीति आरम्भ से ही दो मूलभूत सिद्धांतों से निर्देशित होती रही है। अर्थात गुट निरपेक्षिता की नीति और सह अस्तित्व का सिद्धांत। देश के प्रतिक्रियावादी और दक्षिणपंथी इस नीति का इस आधार पर विरोध करते रहे हैं कि हम रूस द्वारा निमंत्रित गुट में शामिल होने जा रहे हैं। अन्य लोग इस नीति की इस आधार पर आलोचना करते हैं कि हमारा अमरीकी गुट और अमरीका साम्राज्यवाद से सम्बन्ध है। हमारी विदेश नीति के दो आलोचक ही इस तथ्य को स्पष्ट कर देते हैं कि हम नाहीं रूसी गुट में हैं और नाहीं अमरीकी गुट में। हम तो स्वतंत्र राष्ट्र हैं और हमारी स्वतंत्र विदेश नीति है। हमारी गुट निरपेक्ष नीति का यह अभिप्राय नहीं है कि हम राजनैतिक दृष्टि से बिल्कुल पृथक हैं अथवा अन्तर्राष्ट्रीय जगत से दूर हैं और विश्व आज समस्याओं का सामना कर रहा है उनसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है । हमारी विदेश नीति के ये दो सिद्धांत अमरीका, रूस और चीन के रवैये से स्पष्ट हो जाते हैं।

हमारे साम्यवादी मित्रों ने यह कहकर हमारी आलोचना की है कि चिली के मामले में हम अपनी आवाज नहीं उठा सके। क्योंकि हमें अमरीकी साम्राज्यवादियों का भय था। यह दुर्बल तर्क है। हम स्वभावतः उन सभी राष्ट्रों के साथ हैं जो उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं, जाति और रंगभेद से लड़ रहे हैं। अतः हम रूस के लोगों के साथ हैं जो समस्त विश्व में प्रगति, एकता और शान्ति के समर्थक हैं। यह राष्ट्र युद्ध में विश्वास नहीं रखता है। यह तो विश्व शांति तथा गिरे हुओं को उठाने में विश्वास रखता है। इसीलिए हमने रूस के साथ मैत्री, शान्ति और एकता का समझौता किया है। अमरीकी सरकार का भी यह विचार नहीं है कि इससे भारत रूस का पिट्ठू बन गया है या भारत की गुट निरपेक्ष नीति पर प्रभाव पड़ा है। अतः ये सभी आशंकाएं निर्मूल हैं।

कहा गया है कि ईरान सरकार भारत और पास्कितान को बराबर स्तर पर मानती है। किन्तु भारत-पाक युद्ध के दौरान ईरान से भारत को तेल की सप्लाई बन्द नहीं की गयी और नहीं सप्लाई में कोई कटौती की गई। अतः ईरान के विरुद्ध कोई आशंका रखना या कोई भय रखना निरर्थक है। जो देश हमसे मित्रता रखते थे उनसे हमारी मैत्री और भी प्रगाढ़ हो गई है। जो देश हमसे शत्रुता रखते थे उनका भी रवैया कुछ बदल गया है। अमरीका और भारत के आपसी सम्बन्ध भी सुधर गये हैं और आर्थिक सहायता में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। नेपाल के साथ हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हैं और ऐसा इसलिए है कि हमने अन्य देशों के मामले में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनायी है। जहां तक भारतीय उपमहाद्वीप का प्रश्न है, हमारी नीति काफी सफल रही है। हमारी नीति वास्तविकता पर आधारित है जिसमें सामाजिक आदर्श का मिश्रण है। अपनी इस आधारभूत नीति से बिल्कुल नहीं हटे हैं। हमने केवल थोडा बहुत समायोजन [illegible] है।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): संभवतः हम यह दावा कर सकते हैं कि इस देश में स्वतंत्रता के पश्चात शान्तिपूर्ण विदेश नीति अपनाने का प्रयास किया गया जिससे कि मानव स्वतंत्रता और मानव समृद्धि में वृद्धि हो सके। यदि भारत के लिए यह भूमिका वांछित है तो हमें अधिक सक्रिय होना पड़ेगा और अपने निर्णयों की सैद्धांतिक जटिलता तथा वस्तुपूरक वास्तविकता के प्रति अधिक सजग होना पड़ेगा।

हमारी विदेश नीति में परम्परागत तत्व ही सम्मिलित नहीं होने चाहिए, बल्कि इसमें परि-कल्पनात्मक और व्यापक आदर्शों का समावेश किया जाना चाहिए। यदि भारत ऊंचा उठना चाहता है, तो हमें सिद्धांतबद्ध आधार पर कार्य करना चाहिए।

वर्तमान समय में चिली और पश्चिम एशिया में अभी भी चल रहे युद्ध को छोड़कर विश्व की तस्वीर अच्छी प्रतीत होती है। योरोपीय सुरक्षा सम्मेलन और इसके बाद होने वाली कार्यवाहियों से उस महाद्वीप के सम्बन्ध में कुछ आशावादी परिणाम निकल सकते हैं। कुछ ऐसी समस्यायें अभी भी हैं जिनके सम्बन्ध में हमारी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। अमरीकी सरकार तथा सैगोन में उनकी पिट्ठू सरकार की कार्यवाहियों के कारण हिन्द-चीन की स्थिति अभी भी भयावह बनी हुई है। यद्यपि भारत अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के सभापति के दायित्व से मुक्त हो गया है। फिर भी हमें अपने प्रभाव का उपयोग करना चाहिए। हमने अभी तक दक्षिण वियतनाम की

अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता नहीं दी जबकि ऐसा करने का कोई कारण ही नहीं है। हमने अल्जीयर्स में सिहानुक सरकार का समर्थन -किया था लेकिन अभी भी उसे मान्यता प्रदान नहीं की है। संभवतया इसका कारण यह है कि हम अभी भी अमरीकी भय से त्रस्त और खस्ताहाल अमरीकी सरकार की राह पर ही चल रहे हैं। अन्यथा वित्त मंत्री ने भी पी० एल० 480 के सम्बन्ध में अमरीका के साथ जो समझौता किया है वैसा हम कभी न करते। इस समझौते को धीरे धीरे समाप्त करने के स्थान पर हम अमरीकियों को अपनी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। अब बहु राष्ट्रीय निगम बनाने का उल्लेख भी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में किया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय फोरम्स में बहु राष्ट्रीय निगमों का संदर्भ दिया जाता है। बहुराष्ट्रीय निगम बनाने की बात की जाती है। हमारी जैसे अर्ध-उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था पर बहु राष्ट्रीय निगमों के नियंत्रण को समाप्त करना होगा।

चीन कभी-कभी विकट समस्यायें पैदा कर देता है। हमें चीन के साथ मैत्री स्थापित करने के लिये प्रयास करने चाहिए। चीन की कुछ गतिविधियां यद्यपि बहुत खराब होती हैं फिर भी जो भी अवसर हमें उपलब्ध हों उसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए।

जब एशिया की संयुक्त सुरक्षा के विचार के परिणाम स्पष्ट हो जायेंगे तब, मुझे विश्वास है, चीन भी इस विचारधारा का साथ देगा।

हिन्द महासागर को एक शान्ति क्षेत्र बनाये रखने की बात एशियाई सुरक्षा के लिए एक उदाहरण हो सकता है। हिन्द महासागर में अमरीका और ब्रिटेन के अड्डे शान्ति के लिए खतरनाक हैं।

अरब देशों के सम्बन्ध में हमारी सरकार का दृष्टिकोण ठीक है। सऊदी अरेबिया के व्यवहार से हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। भारत और सऊदी अरेबिया के बीच कोई बात असमान्य नहीं है। अरब देश विश्व के ऐसे क्षेत्र में स्थित हैं जहां होने वाली प्रत्येक घटना का अपना महत्व है। यदि उस जोन में अरब और इसरायली अरब और अन्य गैर अरब लोग दूसरे लोगों के साथ मित्रता से रहें तो सब मामले ठीक हो सकते हैं। अतः हमें इस बात का निपटारा करना चाहिए ताकि अरब की स्वतंत्रता और फिलिस्तीनीयों की स्वतंत्रता की गारंटी हो सके।

एशियाई सुरक्षा का मामला कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। इसपर चर्चा की जानी चाहिए और विचार किया जाना चाहिए। यह कोई नाममात्र नहीं है। यह सिद्धांत का मामला है। हमने अपने स्वतंत्रता आन्दोलन में एशिया की एकता का विचार किया था। हम एशियाई और अफ्रीकी लोगों ने स्वतंत्रता के लिए संग्राम किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हम अपनी स्वतंत्रता का निर्माण एक होकर कर रहे हैं तथा इसे सुदृढ़ बना रहे हैं। इसी कारण हम सहयोग चाहते हैं। हमने साम्राज्यवादी शासन के अधीन शताब्दियों तक कष्ट सहे हैं। अतः हमें एशियाई सुरक्षा की योजना पर विचार करना चाहिए और इसे आगे बढ़ाना चाहिए। श्री ब्रेजनेव ने बार बार यह कहा है कि वह चीन के विरुद्ध नहीं हैं और यदि चीन सुरक्षा व्यवस्था में शामिल होता है तो उसका स्वागत किया जायेगा। आज विश्व में दो महा शक्तियां हैं। कभी कभी हम बहुत होशियारी के साथ काम करके एक या दूसरे देश के साथ अथवा दोनों के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। परन्तु हमें सिद्धांत पर आधारित नीति अपनानी चाहिए। रूस एक महाशक्तिशाली देश है।

वह अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभा रहा है। हमें रूस की तुलना अमरीका के साथ नहीं करनी चाहिए। हमने वियतनाम में उनका रवैया देखा है। फिर वे चीन के साथ दोस्ती कर रहे हैं ताकि वह भारतीय उप महाद्वीप में हस्तक्षेप कर सके। हम एशिया और अफ्रीका में सभी देशों के साथ मित्रता चाहते हैं क्योंकि हम सिद्धांतों के आधार पर कार्यवाही करते हैं।

एशियाई सुरक्षा के मामले में किसी प्रोटोकोल की आवश्यकता नहीं है जिस पर ग्यारह अन्य देशों के हस्ताक्षर करवाना आवश्यक हो । सरकार इस सम्बन्ध में धीरे धीरे और दृढ़ता से प्रयत्न करके अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है। परन्तु हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अमरीकी साम्राज्यवादियों के पक्ष में नहीं हैं बल्कि शांति, प्रगति और समाजवाद के समर्थक हैं। हमारी विदेश नीति सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : इन वर्षों में विदेशी सम्बन्धों के क्षेत्र में यदि कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है तो वह अमरीका और रूस द्वारा परस्पर समझौता किये जाने के बारे में प्रयास करना है। ये दो ऐसी शक्तियां हैं जो विश्व का अनेक बार विनाश कर सकती हैं। यदि वे संयम से काम लेने के बारे में परस्पर समझौता कर लें तो यह बड़ी भारी उपलब्धि होगी और संसार विश्व युद्ध के खतरे से बच जायेगा ।

जब तक विश्व की ये बड़ी शक्तियां परस्पर मिलजुलकर समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए प्रयत्नशील हैं तब तक अन्य देश कोई ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जिसके अन्तर्गत निर्णय लेने का काम केवल दो महा शक्तियों पर न छोड़ा जाये। इस दिशा में अल्जीयर्स में तटस्थ देशों की बैठक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। वर्तमान अवस्था में तटस्थ देशों को परस्पर और महाशक्तियों सहित अन्य देशों के साथ एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से और मित्रतापूर्वक हल किया जा सके।

तटस्थता राजनीतिक संकल्पना मात्र नहीं है। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना विद्यमान है और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में तटस्थ देशों को अभी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत आवश्यक है क्योंकि आज विश्व का धनवान देशों और निर्धन देशों के रूप में बंटवारा हो रहा है और जितनी खाई बढ़ती जा रही है उतने ही संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं। अतः तटस्थ देशों को अन्य देशों के सहयोग से ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें धनवान और निर्धन देशों के बीच अन्तर को समाप्त किया जा सके। निःसन्देह यह काम अत्यन्त कठिन है परन्तु धनवान देशों के मत में ये भावना पैदा करनी होगी कि केवल उन्हीं का धनी होना देयता सिद्ध होगी । अतः उन्हें अपना धन ऐसे देशों को देना चाहिए जो उनके धन का उपयोग करके उसे और बढ़ाने की क्षमता रखते हों। इस प्रकार दिये गये धन को दान की दृष्टि से नहीं बल्कि सहयोग की दृष्टि से आंका जाना चाहिए।

आज रूस विश्व में एक महाशक्ति है। विश्व के विभिन्न देशों के साथ मैत्री स्थापित करने की रूस की इच्छा का हम स्वागत करते हैं। श्री ब्रेझनेव हमारे साथ केवल द्विपक्षीय मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए ही भारत नहीं आये बल्कि वह हमें आश्वासन देने के लिए आये हैं कि रूस और भारत की मित्रता का क्षेत्र सीमित क्षेत्र नहीं है। यह एक व्यापक क्षेत्र है और रूस केवल अपने योरुपीय देशों के साथ ही या अमरीका और अन्य देशों के साथ ही सम्बन्ध नहीं रखना चाहता बल्कि वह एशिया और भारत के कल्याण में भी पर्याप्त रुचि रखता है।

यह कहना गलत है कि हमने अमरीका की किसी भी प्रकार उपेक्षा की है। प्रधान मंत्री ने हाल ही में स्पष्ट किया था कि भारत को अमरीका के साथ भी मित्रता स्थापित करने की उतनी ही इच्छा है जितनी किसी अन्य देश के साथ परन्तु मैत्री स्थापित करने का मामला एक पक्षीय नहीं होता। दूसरे देश को भी मैत्री स्थापित करने का इच्छुक होना चाहिए। रूस ने अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर हर महत्वपूर्ण मामले में हमारी सहायता की है। परन्तु अमरीका ने इस प्रकार के सहयोग के लिए कभी भी हाथ नहीं बढ़ाया। उन्होंने हमारे पक्ष में कभी भी मत नहीं दिया बल्कि उन्होंने हमारे विरोधियों का या साम्राज्यवादियों और उपनिवेशवादी देशों का साथ दिया है। मेरे विचार में अमरीका के साथ भी मैत्री स्थापित करना उतना ही वांछनीय है जितना रूस के साथ । परन्तु यह तभी संभव हो सकता है जब दोनों देशों की परस्पर बातचीत हो और इस पर विचार किया जाये कि उनके हितों को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है ।

जहां तक एशियाई सुरक्षा का सम्बन्ध है, हमें इस पर समुचित रूप से विचार करना चाहिए। मेरे विचार में सुरक्षा शब्द की बजाय यदि 'सहयोग' शब्द का प्रयोग किया जाये तो अधिक अच्छा होगा। हम चाहते हैं कि एशियाई देशों में सहयोग बढ़ना चाहिए। इस व्यवस्था में सैनिक सुरक्षा की नहीं अपितु सहयोग की भावना होनी चाहिए। जब हम अपने विकास के लिए एक दूसरे देश के संसाधनों का उपयोग करेंगे तो हम अन्य एशियाई देशों की खुशहाली का लाभ उठा सकेंगे। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि चीन भी इस प्रकार की व्यवस्था में शामिल होगा।

Shri Shashi Bushan (South Delhi): The world has been divided into two power blocks **Via.** imprialist forces on the one side and forces of peace and progress on the other side. We have always supported the countries who have been struggling for their freedom. We are against injustice being done to any body in the world. The forces of peace have always supported the developing countries who are fighting imperialism. Recently Bangla Desh faught the forces of imperialism and we supported her.

We have always tried to maintain harmonions relations whith our neighbouring countries including China. It is strange that Britain and U.S.A are helping to strengthen China militarily.China used to allege that India is pro- America but now she is seeking help from imperialist forces. Moreover China is giving arms and ammunition to Pakistan who is crushing Baluchis and Pakhtoons. Inspite of this we have extended the hand of friendship towards China but there is no response from that side, we do not want an inch of their land but they should withdraw from the land occupied by them. China is propagating hatred against India but we do not hate them.

We have been supporting Vietnam during their struggle for freedom.Similarly we are supporting Cambodia who want to get rid of foreign Yoke. I would suggest that P.R.G. should be allowed to set up an Information office in Delhi. We want Paris agreement to be im-plemented as soon as possible so that peace is established in the world

I would like to draw the attention of the Foreign Minister that the Bishop of Goa is still under the Bishop of Portugal. We would like His Holiness Pope who have always been helpful to India to use his good offices to make Bishop of God free from the control of Bishop of Portugal.

No forces of U.S.A. are very active in India ocean and an explosive situation has arisen.India wants that Indian ocean should be a peace-zone.—But if foreign ships enter our territorial waters then Government should take necessary steps to face them. We should be in touch with the countries situated along the coast of Indian ocean. In fact India should convene a conference of all the affected contries to discuss this situation.

We have always been supporting Arab Countries in their just cause. Israel should vacate the aggression. I shall request the Government to continue their support to Arab Countries which have always been cooperative and supported us.

श्री जे० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : गत दो वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय समिति बिल्कुल बदल गई है। हमने रूस के साथ 15 वर्ष की अवधि के दो आर्थिक तथा व्यापार सहयोग सम्बन्धी करार किये हैं। हम इन करारों का स्वागत करते हैं। परन्तु विदेश मंत्री को इनके सम्बन्ध में व्यक्त किये जा रहे संदेहों का निवारण करना चाहिए। एक बात यह कही जा रही है कि क्या हम इन करारों में बराबर के भागीदार होंगे और क्या भारत धीरे-धीरे रूस का खिलौना मात्र रह जायेगा क्योंकि हम आर्थिक रूप से इन्हीं पर निर्भर होते जा रहे हैं। फिर एक प्रश्न यह भी है कि क्या तटस्थ देशों में हमारा उतना ही सम्मान रह सकेगा जितना अब है। जहां तक मेरे दल का विचार है हमारे विचार में यह बात इस पर निर्भर करती है कि रूस से प्राप्त सहायता का हम किस तरह प्रयोग करते हैं। यदि हम उनसे प्राप्त सहायता का प्रयोग करके कुछ समय में आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो हम निश्चय ही बराबर के भागीदार बन जायेंगे। परन्तु यदि हम यह सोचने लगें कि जब भी किसी चीज की कमी होगी तो हमारा बड़ा भाई हमारी सहायता करेगा, तो हम निश्चय ही छोटे भाई रह जायेंगे ।

रूस और भारत की शासन प्रणाली भिन्न-भिन्न है। जब श्री ब्रेझनेव ने भारत की यात्रा पर आना था तब यहां भी श्री शंकर दयाल शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई । सरकार हर मामले में रूस की नकल करना चाहती है। भारत को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रूस में एक दल का शासन है जबकि भारत एक लोकतंत्रीय देश है। हम रूस से प्राप्त सहायता का स्वागत करते हैं परन्तु हमें ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिये जिससे अन्य देश नाराज हो जायें ।

पी० एल० 480 निधि के बारे में अमरीका के साथ हाल ही में किये गये करार का और योरोपीय साझा बाजार के देशों तथा भारत के बीच हुए करार का हम स्वागत करते हैं। अतः हमें अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर इन देशों के साथ अपने सम्बन्ध स्थापित करने होंगे ।

हम सब चाहते हैं कि हिन्द महासागर शान्ति का क्षेत्र बना रहे और उसमें बड़ी शक्तियों में टकराव न हो। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या हम रूस या अमरीका को हिन्द महासागर में अपनी गतिविधियां न बढ़ाने के लिये राजी कर सकते हैं? यदि ऐसा करना है तो फिर भारत को हिन्द महासागर के तटों पर बसे सभी देशों का एक सम्मेलन बुलाना चाहिये। जब तक हम सब मिलकर इसका विरोध नहीं करते, तब तक हम रूस और अमरीका को रोक नहीं सकते। प्रधान मंत्री को विदेशी मामलों पर अधिक ध्यान

देना चाहिये। एशियाई देशों को छोड़कर अन्य सभी देश एशियाई सुरक्षा में रुचि रखते हैं।

[श्री संज़ियान पीठासीन हुए]

पाकिस्तान और चीन के सम्बन्ध में हमारा रवैया क्या होगा? क्या केवल रूस के साथ मैत्री स्थापित करने से हमारा काम चल सकेगा? एशिया में पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध है। हम इस स्थिति में होने चाहियें कि हम सब रूस अथवा अमरीका किसी से भी सहायता ले सकें। युद्धबंदियों की वापसी का कार्य तेजी से होना चाहिये ताकि पाकिस्तान के साथ शीघ्रतिशीघ्र राजनयिक सम्बन्ध पुनःस्थापित हो सकें। आशा है कि पाकिस्तान बंगला देश को मान्यता दे देगा ताकि तीनों देश साथ साथ बैठकर भाईयों की तरह अपनी समस्याओं पर विचार विमर्श कर सकें और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें।

इजराइल और मिस्र अब कुछ युद्ध के पश्चात् पारस्परिक बातचीत कर रहे हैं। हमने इजराइल के अनधिकृत रूप से कब्जा किये गये क्षेत्र को खाली करने के लिये ठीक ही कहा है। किन्तु इजराइल से अपने सम्बन्ध सुधारे बिना, पश्चिम एशिया में हम उपयोगी भूमिका नहीं निभा सकते हैं।

रूस के साथ समझौता कर के शायद चीन समझ रहा है कि हम उसके विरुद्ध हो गये हैं प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री ने यह बात पहले ही स्पष्ट कर दी है कि हम चीन के विरोधी नहीं है। मेरे विचार में वरिष्ठ अधिकारियों को पेकिंग भेजकर हमें चीन के विश्वास में लेना चाहिये कि रूस से हुये इन समझौतों से हम चीन की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं?

श्री लंका कच्चा तिवू में तेल निकालने जा रहा है, एक द्वीप के बारे में विवाद चल रहा है फिर श्री लंका वहां किस प्रकार तेल की खोज कर सकता है? सरकार को इस पर आपत्ति प्रकट करनी चाहिये।

मुझे खुशी है कि दोनों कोरिक देशों के साथ हमारे सम्बन्धों में सुधार हुआ है और हमारे राजनयिक मिशन अब राजदूत के स्तर के हो गये हैं। सरकार को छोटे एशियाई देशों में अधिक रुचि लेनी चाहिये ताकि एशिया में हमारा प्रभाव बढ़ सके।

क्षीमती माया राय (रायगंज) : पिछली तीन सदियों से समूचा एशिया पश्चिमी देशों में प्रभुत्व में रहा है। हम पश्चिमी शक्ति की राजनीति के मोहरे नहीं बनना चाहते। सभा को इस बात का पता है कि बांडुंग सम्मेलन के पश्चात् किस प्रकार पंचशील के सिद्धान्तों का जन्म हुआ। इन्हें गुट निरपेक्ष देशों ने स्वीकार किया है और सितम्बर, 1972 में हुये चीन जापान समझौते में भी इन्हें स्थान मिला है। कोई भी देश इन सिद्धान्तों की उपेक्षा नहीं कर सकता। दुर्भाग्य की बात है कि बांडुंग भावना अधिक समय तक जीवित न रह सकी जिसका कारण एशिया के देशों के बीच एकता का अभाव है।

इस महाद्वीप में पाकिस्तान सैनिक संधियों की अमरीकी नीति का समर्थक बन गया है। आज एशिया ने बहुत से राष्ट्र महाशक्तियों की जंजीरों में बंधे रहने की आत्मघातक नीति को मानने के लिये तैयार नहीं हैं। अविकासित देशों के लगातार आधुनिक हथियारों की सप्लाई ही एशियाई देशों में तनाव और हथियारों की दोड़ पैदा करने के लिये मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं।

अमरीका एशियाई देशों को अपने पर निर्भर किये रखना चाहता है और उन पर प्रभाव बनाये रखना चाहता है इस प्रकार की सीमित स्वतन्त्रता के लिये वह उन देशों के भ्रष्ट शासकों का सहायक है। भारत की स्वतन्त्रता के साथ एशिया में एक नये युग का शुभारंभ हुआ। इस युग में साम्राज्यवाद को पनपने से रोका जाना चाहिये। हम विदेशी दबाव के बिना स्वतन्त्र रूप से अपना विकास करना चाहते हैं। एशियाई देशों की आकांक्षाओं का आदर एशिया की वर्तमान जटिल स्थिति ही ठीक कर हो सकता है।

सोवियत संघ यूरोप और एशिया दोनों से लाभ उठाता है। उसने साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई में भाग लिया है। एशिया के नये स्वतन्त्र हुये देशों की उसने वास्तविक सहायता की है। सोवियत संघ ने अनेक वर्षों से हथियारों में कमी किये जाने के लिये प्रयत्न किया है। हाल में सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह प्रस्ताव पारित कराया है कि पांच बड़े राष्ट्र अपने रक्षा व्यय में 10 प्रतिशत कमी करें और यह राशि पिछड़े देशों के विकास पर व्यय की जाय।

इन बातों को ध्यान में रखते हुये हमने एशियाई सुरक्षा की बात पर विचार किया है। इसे श्री ब्रेजनेव ने रखा है, इसलिये इसे अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिये। वास्तव में यह योजना भारत ने रखी थी। यह श्री जवाहरलाल नेहरू के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की नीति पर आधारित है। इसमें किसी सैनिक गुटबंदी की बात नहीं है।

यह नीति भिन्न-भिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक पद्धतियों, जैसी कि एशिया में विद्यमान है के सहअस्तित्व पर आधारित है। यह गुट निरपेक्षता के सिद्धान्त को भी स्वीकार करती है। यह बांडुंग के पंचशील सिद्धान्तों से भी मेल खाती है।

हम एशिया के लोगों के लिये यूरोप के लोगों की अपेक्षा शांति तथा स्थायित्व को ज्यादा महत्व देते हैं। यहां पर अधिकांश मानवजाति के सामाजिक तथा आर्थिक विकास की योजनाओं के कार्यान्वयन का अधिक महत्व है। एशिया के देशों में हुई क्रांति अभी पूरी नहीं हुई है। अभी तक बहुत लोगों को इस बात से प्रभावित करना है कि एशियाई सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था कोई निरर्थक बात नहीं है बल्कि यह वास्तविकताओं पर आधारित है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यह बात आश्चर्यजनक है कि लगभग सभी महत्वपूर्ण देशों में हमारे सरकारी अधिकारी हीं राजदूत हैं। पहले गैर सरकारी व्यक्तियों को राजदूत नियुक्त किया जाता था लेकिन अब सार्वजनिक जीवन वाले व्यक्ति इन पदों के लिये ठीक नहीं समझे जाते। पहले तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। उन्हें इन पदों पर नियुक्त न करने का कोई कारण नहीं होना चाहिये।

श्री पी० एन० हक्सर एक प्रतिष्ठित अधिकारी रहे हैं। उन्होंने अपना राजनीतिक दायित्व बड़ी योग्यता से पूरा किया। यह बात आश्चर्यजनक है कि गोपनीयता की शपथ लिये बिना उन्हें सभी प्रकार की फाइलों, विशेषत: गोपनीय फाइलों को मंगाने का अधिकार है।

अजीब बात है कि विदेश मंत्री तथा प्रधान मंत्री अपने विदेशी दौरों के बाद या महत्वपूर्ण सम्मेलनों में भाग लेने के बाद प्रेस विज्ञप्ति सभा पटल पर रख देते हैं। उनका यह कर्तव्य होना चाहिये कि वे सभा को ब्यौरेवार रिपोर्ट दें। वास्तव में यह प्रथा होनी चाहिये कि प्रधान मंत्री या विदेश मंत्री जब भी किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिये जायें तो वे विभिन्न ग्रुपों के नेताओं से परामर्श करें। श्री शास्त्री के समय यह प्रथा प्रचलित थी।

पाकिस्तान के साथ युद्धबंदियों का मामला हल हो गया यह अच्छी बात है। आशा है कि शेष विवाद भी हल हो जायेंगे। युद्धबंदियों की समस्या युद्ध के तुरन्त बाद ही हल हो जानी चाहिये थी। सरकार ने युद्ध अपराधियों को रोके रखा, जिससे हमारी वित्तीय व्यवस्था को बड़ी हानि हुई है तथा सरकार ने सम्भवतः उन पर 25 करोड़ रुपये खर्च किये हैं।

सरकार द्वारा फिलस्तीनी अरब और अरब राज्यों के लोगों के प्रति अपनाये गये रुख से हम सहमत हैं। हम इस बात से भी सहमत हैं कि हथियाया हुआ भाग खाली किया जाना चाहिये। लेकिन स्थाई समाधान कैसे खोजा जाय? भारत सरकार ने मध्यपूर्व में शांति समझौते पर पूरी तरह से विचार नहीं किया है।

इज़राइल के अरब देशों की भूमि पर कब्जा करने तथा कब्जा किये रहने के सम्बंध में बड़ी चिन्तायें व्यक्त की जा रही हैं। संसद के केन्द्रीय कक्ष में श्री ब्रेझनेव ने कहा था कि मैं अरब देशों और इज़राइल में समझौता कराना चाहता हूं। इससे इज़राइल सम्बन्धी चिन्ता समाप्त हो जानी चाहिये। मिस्र और सीरिया द्वारा युद्ध किये जाने का उद्देश्य भी केवल 1967 में जबरदस्ती कब्जा की गई भूमि को खाली कराना था।

इस सदन में कामरेड ब्रेझनेव द्वारा सुझाई गई एशियाई सुरक्षा योजना पर बहुत चर्चा हुई है। (**व्यवधान**) एशियाई सुरक्षा योजना के सम्बन्ध में हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिये क्योंकि इस बारे में पूरी जानकारी विदेश मंत्री सहित किसी को भी नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में सबसे अधिक शोचनीय बात दोनों बड़ी शक्तियों की मिली भगत होना है जिसका रूप मध्य पूर्व संकट के बाद हमारे सामने सर्वथा स्पष्ट हो गया है। यह स्पष्ट हो गया है कि ये बड़ी शक्तियां युद्ध करा सकती हैं और उसे समाप्त भी करा सकती हैं तथा इस कार्य में उनका कोई साथी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व भी अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में कुछ नहीं रहा है। डर है कि इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र बिल्कुल निष्प्रभावी हो जायेगा।

प्रधान मंत्री ने अल्जीरिया में जो कुछ कहा था, उन्होंने वही कुछ कनाडा की संसद में कहा।

इसके साथ-साथ यह बात हो रही है कि दोनों बड़ी शक्तियों में अब तनाव में स्पष्ट रूप से कमी हो गई है और वास्तव में सोवियत संघ ने यह कहना आरम्भ कर दिया है कि मध्य पूर्व में डा० किसिंजर को सोवियत संघ की ओर से कार्य करने को कहा जाये। यह समाचार 'आबजर्वर' में प्रकाशित हुआ है। 'आबजर्वर' के सम्वाददाता से भेंट में एक सोवियत अधिकारी ने कहा है कि तनाव में यह कमी दोनों देशों के बीच उद्देश्यपूर्ण आणविक सम्बन्धों पर आधारित है और इसलिये यह अब स्थाई रूप से होने जा रही है। इस प्रकार दोनों बड़ी शक्तियां अब तक कार्य कर रही हैं।

अब मैं श्री ब्रेझनेव की इस देश में यात्रा के सम्बन्ध में कहूंगा। सोवियत संघ से आये इस प्रतिष्ठित मित्र के आने पर हमारे मन पर यह प्रभाव पड़ा कि हमारे बहुत ही कृपालु और उदार मित्र हमारे देश में आये थे और कुछ मित्रों ने तो यहां तक कह दिया कि एक दयालु पापा हमारे देश भारत में अवतरित हुये थे। यह कहा गया कि हमारे यहां खाद्य स्थिति बहुत खराब थी और उन्होंने हमारी उस समय सहायता की। हमारे यहां उर्जा की समस्या थी और उन्होंने हमें पैट्रोल और मिट्टी का तेल देने की भी पेशकश की। उन्होंने हमें अखबारी कागज भी दिया। उन्होने हमारी अर्थव्यवस्था को भी उबारा है जिसमें ठहराव आ गया था। हमें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था और उन्होंने हमें इतनी अधिक सहायता देने का वचन दिया है जिससे हमारी पांचवीं योजना सुचारू ढंग से चलाई जा सके।

यह सभी बातें सच हैं और मुझे सोवियत संघ के रवैये में बिल्कुल कोई दोष नहीं दिखाई देता। किन्तु यह बात ठीक है कि सोवियत संघ पर हमारी निर्भरता बहुत अधिक बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसके दुष्परिणाम निकल सकते हैं।

जब राष्ट्रपति निक्सन ने चीन की यात्रा की थी, तो इससे चीन में क्या इसी प्रकार की धारणा पैदा हुई थी जैसी कि यहां हुई है? चीन में किसी ने भी ऐसा नहीं महसूस किया था कि चीन में एक बहुत सी दयालु व्यक्ति अवतरित हुआ है। सैनिक दृष्टि से भी हम रूस पर बहुत अधिक निर्भर हैं। इसके लिये रूसियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हमने स्वयं को ही इतना अधिक गिरा दिया है कि हम आर्थिक दृष्टि से अथवा अन्य किसी दृष्टि से इतने कमजोर हो गये हैं कि हमें उन पर आश्रित रहना पड़ रहा है। दोनों देशों में दो उत्पादन योजनाओं को समन्वित किया जा रहा है। पहले हम बंधकों के साथ सहायता देने की बात सुना करते थे किन्तु अब जो एक नई समान बात देखने में आ रही है, वह समन्वय अथवा समेकन के साथ सहायता है। इस प्रकार की 15 वर्ष की समय सीमा अमरीका से बड़ी मात्रा में सहायता लेने पर निर्धारित तभी की गई है। यदि दोनों योजनायें 15 वर्षों तक इतनी अधिक समेकित रूप से चलती हैं, तो उस समय क्या होगा जब किसी एक देश पर संकट आ जाता है? इस संकट का प्रभाव अपने आप ही दूसरे देश पर पड़ेगा। अतः ऐसा लगता है कि योजनाओं का समेकन दोनों देशों के लिये तथा विशेषकर इस देश के लिये लाभप्रद नहीं होगा। हम ऐसे ही इसकी व्याख्या नहीं कर सकते।

अन्त में, भारत को तेल संकट के सम्बन्ध में अपनी आवाज अवश्य ही उठानी चाहिये। चूंकि अरब देश हमारे मित्र देश हैं, इसलिये हमें बहुत ही मैत्रीपूर्ण ढंग से उन्हें बता देना चाहिये कि इस तेल संकट की प्रतिक्रिया हो सकती है और इस समय उनकी नीतियों के कारण विश्व के लोगों को बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम): जब हम अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का सर्वेक्षण करते हैं, तो सब से प्रमुख बात शान्ति और तनाव के कम होने की बात ध्यान में आती है। यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का अवलोकन ऐतिहासिक दृष्टि से करें, तो हम पायेंगे कि श्री जवाहरलाल नेहरू को इस स्थिति के आने का पूर्वानुमान हो गया था और उन्होंने इसी के आधार पर अपनी विदेश नीति तैयार की थी। उन सिद्धान्तों का प्रचार अब तथा कथित बड़े राष्ट्र कर रहे हैं? अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में यह परिवर्तन तो मानवता के आधार पर हुआ है, क्योंकि शान्ति की तलाश ही विश्व भर के राजनीतिज्ञों का मुख्य कार्य बन गया है। इसी संदर्भ में आज हमें विदेश नीति को आंकना पड़ेगा।

इसी आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की समीक्षा करने पर हम देखते हैं कि विश्व में शान्ति की संभावनायें बढ़ती जा रही हैं और शान्ति के लिये किये जा रहे प्रयास स्पष्ट परिलिक्षित हो रहे हैं। इसी के साथ एशिया की सामूहिक सुरक्षा का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। यह सोवियत संघ या ब्रेझनेव का विचार नहीं है। भारत के बड़े बड़े नेताओं ने स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान भी एशियायो भी महासंघ की नीति का समर्थन किया था। 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त पश्चात् पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले एशिया सम्बन्धों सम्बन्धी सम्मेलन बुलाने की पहल की थी। उसके बाद अनेक बांडुंग जैसे सम्मेलन हुये है। हमारे देश ने एशिया के देशों को निकट लाने का प्रयास किया था। अब श्री ब्रेझनेव ने विश्व की शान्ति को दृढ़ करने के लिये कुछ सुझाव रखे हैं। एशिया और अफ्रीका के बारे में हमें अपने मन में किसी प्रकार की हीन भावना नहीं लानी चाहिये। वास्तव में हमें अपने योगदान पर गौरव होना चाहिये।

आप इस बात की कल्पना क्यों करते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा किया है इसी बात को देखते हुये हमें एशिया की सामूहिक सुरक्षा के प्रश्न पर विचार करना चाहिये। शताब्दियों से यूरोप में भी इस प्रकार सोचा जा रहा है। अनेक शान्ति सम्मेलनों में विचार विमर्श के पश्चात् यह विचार सामने आया है।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में पश्चिम एशिया एक महत्वपूर्व क्षेत्र बन गया है। अमरीका ने अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों को सफल बनाने के लिये इसराइल को संरक्षण देने की नीति अपनाई है। इस का विरोध करने के लिये उस क्षेत्र ने इस का विरोध किया। यदि इन लोगों की आकांक्षाओं का दमन करने का प्रयास किया जाता है तो हमें अपनी आवाज उठानी होगी। अपनी भौगोलिक स्थिति और अपने स्वार्थ के कारण भारत ने ऐसा ही किया है।

हमारी विदेश नीति इस प्रकार निर्मित हुई है जिससे हमारी एकता का संरक्षण होता है। हमने अपनी विदेश नीति को इस प्रकार की गति दी है कि अमरीका की सभी आंकाक्षायें धरी की धरी रह गई है। भारत रूस सम्बन्धों को हमारी विदेश नीति के सन्दर्भ में देखा जाना चाहिये।

ईरान के साथ मैत्री सम्बन्धों में हमने प्राथमिकता बरती है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने दूसरे देश की यात्रा की है। हमने समस्याओं के समाधान की चेष्टा की है। प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति ने यह बात अनुभव की होगी। कि भारत पाक संघर्ष की परमावस्था में ईरान पाकिस्तान के साथ था।

वियतनाम में हमारी विदेश नीति प्रगतिशील रही है। अमरीका के अत्याचारों के बावजूद अन्ततः वहां के दलित लोगों के दृढ़ निश्चय की जीत हुई। अतः हमने एशिया तथा वहां के लोगों के हितों के लिये निश्चित नीति अपनाई और प्रतिक्रियावादी दलों से हम लड़ रहे हैं?

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एशिया और भारत की दो महाशक्तियों, चीन तथा भारत में मित्रता की नीति अपनाई। परन्तु कई कारणों से उसमें सफलता नहीं मिली और दोनों देशों में तनाव पैदा हो गया। यदि चीन भी एशियाई सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर पश्चिमी साम्राज्यवाद तथा उपनिवेश-वाद का डट कर विरोध करे तो आपसी भ्रम दूर हो जायेगा और भारत तथा चीन एशियाई सुरक्षा के हितों की संगठित रूप से रक्षा कर पायेंगे।

रूस के साथ हमारी मैत्री किसी प्रकार की असमान शक्ति की स्थिति पर आधारित नहीं है। भारत किसी देश का पिछ लग्गू नहीं होगा।

हमने जो स्वतन्त्र विदेश नीति तैयार की है उसका हम सदा अनुकरण करते रहे हैं। यह परीक्षा की घड़ी में खरी उतरी है। कई देशों ने इसकी प्रशंसा की है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बड़ागरा) : अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर वाद विवाद के इस अवसर का मैं स्वागत करता हूं। 1973 का वर्ष विश्व के लिये तथा भारत के लिये भी कई कारणों से महत्वपूर्ण है। जब इस दशक का इतिहास लिखा जायेगा तब इस वर्ष को तनाव कम करने की दृष्टि से महत्व दिया जायेगा। इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में तनाव में कमी आई है। यह पश्चिम एशिया की तथा कई अन्य मामलों की स्थिति से स्पष्ट हो जाता है।

आंतरिक समस्याओं की दृष्टि से यह वर्ष हमारे लिए बुरा रहा है परन्तु अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दृष्टि से यह वर्ष अच्छा रहा है।

हमारी गुट निरपेक्षता की नीति हमारे सम्मुख आयी है। पंडित नेहरू तीसरी शक्ति का निर्माण करना नहीं चाहते थे। इस प्रकार की शक्ति के निर्माण का कोई लाभ नहीं है। पश्चिम एशिया के युद्ध के संबंध में सुरक्षा परिषद का 22 अक्तूबर का संकल्प हमारी सफलता का प्रतीक है।

तेल राजनीतिक शास्त्र के रूप में सामने आया है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी एक शस्त्र के रूप में उन शक्तियों के विरुद्ध किया जा सकता है जो अपने प्रभुत्व के दबाव में अन्य लोगों को ब्लैकमेल करने का यत्न कर रहे है। विकासशील देश इसका महत्वपूर्ण ढंग से उपयोग कर सकते हैं।

हिन्द-चीन की समस्या अभी भी विकट रूप से बनी हुई है। कम्बोदिया की घटनाओं पर हमें चिन्ता है। विदेश मंत्री इसकी स्थिति स्पष्ट करें। हमें अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार को मान्यता देनी चाहिए। हम आशा करते हैं कि विदेश मंत्री इतिहास के केवल दर्शक मात्र ही नहीं रहेंगे वरन् इतिहास के निर्माता भी होंगे। सरकार मान्यता के अतिरिक्त अन्य विकल्प भी सुझाए।

अल्जीयर्स में गुट निरपेक्ष देशों के लिए एक उल्लेखनीय घटना हुई है जिससे उपनिवेशवाद विरोधी तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता की शक्तियों को बल मिलता है। हमारे प्रधान मंत्री ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा ठोस योगदान दिया है।

श्री ब्रेझनेव की भारत यात्रा का पर्याप्त महत्व है। इससे दो देशों के संबंध तो सुदृढ़ होने ही हैं 80 करोड़ लोगों के जीवन से भी इसका संबंध है साथ ही भू-राजनीतिक दृष्टि से भी इसका महत्व है क्योंकि यह विश्व में भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

श्री ब्रेझनेव की यात्रा का महत्व कई दृष्टियों से और भी अधिक है। दोनों देशों की योजनाओं में भी सहयोग देने का उल्लेख हुआ है। पता नहीं इनके द्वारा देश का हित किस प्रकार गिरवी रखा गया है तथा देश की प्रभुसत्ता को किस प्रकार समाप्त किया गया है।

सामूहिक सुरक्षा के सम्बन्ध में बहुत सी विवादास्पद बातें कही गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में श्री ब्रेझनेव पहले ही व्यक्ति नहीं है जिन्होंने सामूहिक सुरक्षा का सुझाव दिया है। श्री ब्रेझनेव के बारे में इतनी बौखलाहट समझ में नहीं आती। सामूहिक सुरक्षा का मुख्य तथ्य यह है कि एशिया में आपसी मतभेद बहुत हैं। इसलिए यह विचार रखा गया है। इस बारे में हमें सोचना है। यह देखना देशवासियों का काम है कि यह हमारी गुट-निरपेक्ष नीति तथा स्वतंत्रता से कहां तक मेल खाता है।

अमरीका में हमारे राजदूत ने बड़े बड़े राष्ट्रिय निगमों से भारत में ही निवेश करने के लिए नहीं अपितु मुख्य क्षेत्र में भी निवेश करने को कहा है। राजदूत को इस प्रकार के वक्तव्य नहीं देने चाहिएं।

सरकार इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करे।

श्री बी० के० कृष्णा मेनन (त्रिवेन्द्रम) : विदेश नीति पर सत्र समाप्ति पर चर्चा करना खेद जनक है। यदि आरंभ में विदेश मंत्री का इस बारे में वक्तव्य हो जाता तो कई बातों का स्वतः ही निवारण हो जाता।

यह प्रसन्नता तथा संतोष की बात है कि रूस के एक महान नेता ने इस देश की यात्रा की। भारत को गुट-निरपेक्षता का शुभारंभ करने का श्रेय है। हमारे देश ने शांति की नीति में विश्व को प्रोत्साहित किया है।

रूस से हमारा नया संबंध नहीं है। हमारे देश के विकास तथा हित में रूस ने पर्याप्त कार्य किया है। मैं समझता हूं कि राजदूतों के कार्य की आलोचना इस सभा में नहीं की जानी चाहिए। विदेशों में कार्य करने वाले व्यक्तियों को बड़ी विषम परिस्थितियों में अपने कर्त्तव्य का पालन करना पड़ता है। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगों में ये लोग महान भूमिका निभाते हैं।

यह कहना गलत है कि जब दो बड़ी शक्तियां गुट बनाती हैं, तो उससे अन्य देशों को खतरा हो जाता है। यह सन्देह स्वाभाविक है कि जब राष्ट्रों का एक गुट बहुत शक्तिशाली हो जाता है, तो वह अन्य देशों को दबाने का यत्न करता है।

गुट-निरपेक्षता की नीति गुट बंदी के विपरीत है। यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता और शांति की नीति है। गुटबाजी की नीति युद्ध की नीति है।

हमारी सरकार को मुक्ति के लिए संघर्ष कर रही शक्तियों को शीघ्र ही मान्यता देनी चाहिए। दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता न देना हमारे माथे पर कलंक है। इस बारे में और विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए। हमें उन सभी लोगों को मान्यता देनी होगी जो विश्व में अपनी मुक्ति के लिए संघर्षरत हैं। हमने सदैव साम्राज्यवाद का विरोध किया है। आक्रमणकारियों को चाहे वह अरब देशों में हों या हमारी सीमाओं पर, हथियाए इलाके तुरंत वापिस कर देने चाहिएं। संयुक्त राष्ट्र में भी हथियाए इलाके वापिस करने का प्रश्न उठाया गया पर क्या उसका पालन किया गया है। मध्य पूर्व के देशों में हमारी नीति साम्राज्यवाद को रोकने की है। हमारे अपने आंतरिक दल मतभेद चाहे कुछ भी हों पर विश्व में हमारी नीति साम्राज्यवाद के विरोध की है। जहां साम्राज्यवाद रहता है वहां कोई अन्य अच्छी बात नहीं हो सकती।

अब मैं सामूहिक सुरक्षा को लेता हूं। सामूहिक सुरक्षा कोई बाहर की वस्तु नहीं है। यह राजनीतिक घटनाओं का एक भाग है। 17 वीं शताब्दी से जब से देशों का उद्भव हुआ, सामूहिक सुरक्षा हेतु विभिन्न देश मिलकर एक होने का प्रयास करते रहे। यह सच है कि 19वीं शताब्दी तथा 20 वीं शताब्दी में देशों के संबंधों में कुछ कटुता आ गई। इसलिए जेनेवा समझौते के पश्चात् लोकार्नो समझौता करना पड़ा। यह हमारा सौभाग्य है कि एशिया में सोवियत संघ जैसा कि शक्तिशाली देश भी शामिल है। अपनी शक्ति के बल पर न केवल यूरोप में अपितु सारे विश्व में इसका बोलबाला है। शांति बनी हुई है। हम एशियाई देशों को सहयोग देते हैं परन्तु हमारी नीति गुट-निरपेक्षता की ही है। सामूहिक सुरक्षा का सार आक्रमण न करना है। सभी मामले बिना युद्ध के निपटाए जाने चाहिएं। इसीलिए हमने अपने पड़ौसी देशों से युद्ध न करने के समझौते किए हैं। हमने ईराक तथा सोवियत संघ से भी युद्ध न करने अर्थात् उन पर आक्रमण न करने के बारे में समझौते किये हैं।

लोगों का कहना है कि मलाया के लोग श्री ब्रेझनेव द्वारा निष्पादित सामूहिक सुरक्षा का अंग नहीं बनेंगे। पर ऐसी संभावनाए ही क्यों की जाए। हमारे लिए यह प्रसन्नता का विषय है कि थाईलैंड ने बंगला देश को मान्यता दे दी है और ऐसा हमारी सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप हुआ है।

द्विपक्षीय संबंधों को हमारी विदेश नीति का मुख्य भाग माना जाता है। कुछ आक्रमण न करने के करारों में इसका आरंभ किया जा सकता है। साधारणतः आक्रमण न करना और दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करना हमारी विदेश नीति का आधार रहा है। हमने हमेशा सामूहिक सुरक्षा हेतु समझौते करने के लिए अपने द्वार खुले रखे हैं। कई बार आक्रमणकारियों ने हमारी इस विनम्रता का गलत अर्थ लगाकर इसे निवेदन के रूप में लिया, जोकि ठीक नहीं था। यदि कुछ देश आक्रमण न करने और हस्तक्षेप न करने के आधार पर समझौता कर लेते हैं, तो यह सामूहिक सुरक्षा की दिशा में पहला कदम होगा और विश्व को इसे मान्यता देनी होगी। समय परिवर्तनशील है। परिवर्तन तो होते ही रहते हैं। आज जापान भी कहता है कि अरब अपने घरों की आजादी के हकदार हैं चाहे वह तेल की महत्ता को दृष्टि में रखकर ऐसा कहता हो, वह अलग बात है पर तथ्य तो यह है कि नीति परिवर्तित हो गई है। चूंकि समय का अभाव है अब एक अन्य महत्य पूर्ण विषय हिन्द महासागर पर कुछ कहना चाहता हूं।

जहां तक हिन्द महासागर को शांति का क्षेत्र बनाने की बात है हमने दूर समुद्र के बारे में अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। दूर समुद्र विश्व के सभी देशों के लिए खुले हैं। हम अपने 6 मील के समुद्रीय तट की सुरक्षा करते हैं। भारत का समुद्रतट 3,400 मील लम्बा है। इन समुद्रों को युद्ध पोतों से बचाया जा सकता है अगर हमारी सरकार शक्तिशाली हो। हम प्रस्ताव पारित करके अन्य देशों की नौसेना को दूर नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई विधान नहीं है। हिन्द महासागर के क्षेत्र को शांति का क्षेत्र बनाए रखने के लिए हमें अपनी समता के बारे में विचार करना होगा। अभी तो हमारी वहां की घटनाओं को ठीक प्रकार से जानने की भी क्षमता नहीं है। नौसेना हमारी रक्षा प्रणाली का सबसे दुर्बल भाग है।

हमें हिन्द महासागर के साथ लगती शक्तियों की शक्ति बढ़ानी होगी। हमें अपने तट के साथ साथ की जल सीमा बढ़ानी होगी। अब तो हम वहां तेल की खोज कर रहे हैं। हमें अपने साथ के क्षेत्र को सुरक्षित करने का पूरा अधिकार है हमारी समुद्रीय शक्ति आक्रमणकारी उद्देश्यों के लिए नहीं है और न ही यथा संख्या में फौजें हमने दूसरों पर आक्रमण के लिए रखी है और न किसी को मुक्ति दिलाने के लिए। बंगला देश के मामले में हमारे राष्ट्र पर खतरा आन पड़ा था, इसीलिए हमने उनकी सहायता की।

जब हम हिन्द महासागर के शांति क्षेत्र होने की बात करते हैं तो हमें केवल स्वयं को शांति का देवता नहीं बना लेना है। विश्व के तथ्यों को समझना होगा। हमें अपनी नौसेना की शक्ति बढ़ानी है। और इस क्षेत्र की घटनाओं को समझना होगा। समुद्री क्षेत्र में स्वतंत्रता का तत्कालिक प्रश्न है क्योंकि शीघ्र ही इस संबंध में होने वाले सम्मेलन में भाग लेना है। छः मील के क्षेत्रीय जल का प्रश्न भी हमारे लिए बहुत महत्व का होगा। तोपों वाले जहाजों को हमें अपने तट से दूर रखना होगा। अब तो आणविक शक्तिचालित जहाजों का युग है। इस सावधानी का अब बहुत महत्व हो गया है।

श्री वसंत साठे (अकोला) : यदि कोई ऐसा क्षेत्र है जहां हमारे देश को गौरव प्राप्त हुआ है तो वह एक मात्र हमारी विदेश नीति का क्षेत्र है। हम निरन्तर ऐसी नीति का अनुसरण करते रहे हैं जिसकी समूचे विश्व ने प्रशंसा की है इसी कारण विश्व में हमारे विदेशी मित्र देशों की संख्या बढ़ रही है।

हमारी विदेश नीति के आलोचकों का कहना है कि हमें चीन जैसे देश के साथ तब तक कोई समझौता या मित्रता नहीं करनी चाहिये जब तक कि वह कब्जा की हुई हमारी भूमि के प्रत्येक इंच को नहीं छोड़ देता । किन्तु जब श्री किसिजर चीन गए और उन्होंने चीनी नेताओं से बातचीत शुरू की तो सारी बात ठंडी पड़ गई । अब हमें यर्थाथवादी होना चाहिये । हमने सदैव यही कहा है कि हम किसी के साथ भी शत्रुता नहीं रखना चाहते । माओत्से तुंग का एक प्रसिद्ध विचार यह है कि चीन को शत्रुओं की आवश्यकता है । जब तक उनमें यह भावना विद्यमान रहेगी तब तक वे भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबन्ध स्थापित करने के लिए उत्सुक नहीं होंगे, चाहे हमारी उनके साथ मित्रता करने की जितनी भी इच्छा हो। इस संदर्भ में हमें रूस तथा अन्य समाजवादी राष्ट्रों के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबन्धों पर विचार करना चाहिये । इसके लिए हमें समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल अन्तर समझना चाहिये । जहां तक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संबन्ध है, इसमें सरकार पर पूंजीवादियों का प्रभुत्व रहता है और यहां तक कि आयुद्ध उद्योगों पर भी नियंत्रण होता है । वे सदैव ऐसे क्षेत्रों की खोज में रहते है जहां कि वे अपने पुराने हथियारों को बेच सकें और अपने बनाए हथियारों का परीक्षण कर सकें। उन्होंने वियतनाम में साम्यवाद को समाप्त करने के लिए ऐसा ही किया है । अब वे इसी चाल को ईरान तथा मध्यपूर्वी देशों में चलाने का प्रयास कर रहे हैं । पूंजीवादी राष्ट्रों ने अपने बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा हथियारों धन, शक्ति, उद्योग आदि के माध्यम से सदैव छोटे राष्ट्रों पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया है । वह हमेशा गुटनिरपेक्षता की नीति का विरोध करते हैं ।

सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त का मूल कारण क्या है ? इसका पहला कारण यह है कि हम इस क्षेत्र में किसी भी राष्ट्र के विरूद्ध आक्रामक रवैया नहीं अपनाना चाहते। यह तो पारस्परिक विश्वास, सहयोग, मित्रता और सूझबूझ पर आधारित है । छोटे देशों जैसे वियतनाम कम्बोदिया आदि के अनुभव हमसे कोई छिपे नहीं हैं । आज मध्यपूर्वी देशों को पूंजीवादी देशों ने अपने हथियार परीक्षण का स्थल बना लिया है । अतः इस सिद्धान्त में क्या बुराई है । किसी भी देश को चाहे वह कितना भी छोटा हो, इस सिद्धान्त से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है । सामूहिक सुरक्षा के इस समूचे सिद्धान्त के प्रति हमारा यह पहला कदम है ।

जहां तक हमारी विदेश नीति का संबन्ध है, तनाव को जोकि विश्व में पैदा किया गया है सहयोग की भावना में बदल दिया जाना चाहिये। इस भावना को पैदा करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि सैनिक दृष्टि से राजनीतिक हस्तक्षेप के नकारात्मक पहलू को न अपनाया जाए अपितु आर्थिक ठोस पहलु को अपनाया जाए। ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जबकि इस क्षेत्र के देशों में अधिकाधिक सहयोग हो। इससे हम स्वतंत्रता तथा शान्तिप्रिय देशों में अधिक सुरक्षा पैदा करने के लिए बड़े-बड़े कदम उठा सकते हैं । मेरा विश्वास है कि हमारी विदेश नीति के ये मूल आधार हैं, जिनका कि हम सफलतापूर्वक अनुसरण करते रहे हैं ।

पालम हवाई अड्डे पर लुफ्थांसा बोइंग-707 विमान की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

Statement re Crash of Lufthansa's Boeing 707 Aircraft at Palam air Port, Delhi

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : महोदय,

मैं बड़े दुख के साथ सदन को सूचित करना चाहता हूं कि लुफ्थांसा का एक बोईंग – 707 विमान आज सुबह 0101 बजे पालम हवाई अड्डे पर उतरते हुए क्रैश हो गया। विमान एक अनुसूचित उड़ान का परिचालन कर रहा था और बैंकांक से आ रहा था। इसका और आगे ब्यौरा देने से पहले मैं सदन को तुरन्त यह सूचित कर देना चाहता हूं कि सौभाग्यवश इस दुर्घटना में किसी की मृत्यु नहीं हुई तथा विमान के 98 यात्री और 11 विमान-कार्मिक सभी के सभी सुरक्षित हैं। 6 यात्रियों और विमान के कैप्टन को कुछ चोटें आई 4 यात्रियों और कैप्टन को अस्पताल पहुंचाया गया और कैप्टन को छोड़कर सभी को वहां से छुट्टी दी जा चुकी है।

2. विमान में अपनी एप्रोच फेज में पालम से लगभग 26 मील दूर सिकन्दाराबाद के ऊपर रिपोर्टिंग प्वाइंट को यथोचित रुप मे पार किया। विमान को सीधे अवतरण के लिए विमान यातायात कंट्रोल द्वारा अनुमति दे दी गयी थी। विमान ने भारतीय समय के अनुसार 0059 बजे आउटर मार्कर को पार करने की सूचना दी तथा उसे अवतरण की अनुमति दे दी गयी। लगभग दो मिनट बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल अधिकारी ने रन-वे 28 के प्रारम्भ के निकट कुछ लपटें देखीं और तुरन्त सुरक्षा सेवाओं को सावधान कर दिया जोकि मौके पर पहुंच गयी। साथ ही साथ ड्यूटी अफसर ने सिटी फायर सर्विसेज तथा अस्पतालों को भी सावधान कर दिया।

3. दुर्घटना की सूचना मिलते ही मैं तुरन्त अपने मंत्रालय के सचिव के साथ दुर्घटना-स्थल पर गया। अपने विभाग के अधिकारियों के साथ नागर विमानन के महानिदेशक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विमान-पत्तन प्राधिकरण के अधिकारी भी, दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। मुझे बताया गया कि विमान मिडल मार्कर हट से टकराया था और वहां ड्यूटी पर तैनात चौकीदार भी घायल हुआ था जोकि अब हस्पताल में हैं। मुझे यह भी बतलाया गया कि दुर्घटना के समय सभी अवतरण साधन कार्य कर रहे थे।

4. लगभग सभी यात्रियों को एयरपोर्ट रेस्टोरन्ट में ले जाया गया था जहां उनमें से कई एक के साथ मैंने बातचीत की मैं घायल व्यक्तियों को देखने के लिए, जिनमें विमान का कमांडर भी सम्मिलित था, विलिंगडन अस्पताल भी गया।

5. मुझे विश्वास है कि यह सदन उक्त दुर्घटना पर गहरा दुःख व्यक्त करने तथा घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करने में मेरा साथ देगा। यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि उक्त दुर्घटना में कोई जीवन हानि नहीं हुई।

6. दुर्घटना की परिस्थितियों तथा कारणों की जांच करने के लिए एक जांच-अदालत नियुक्त की जा रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव---जारी

Motion Re : International Situation—Contd.

सभापति महोदय : अब हम अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा आरम्भ करते है। श्रीमती मुकुल बनर्जी।

श्रीमती मुकुल बनर्जी (नई दिल्ली) : रूस और चेकोस्लोवाकिया के साथ हाल ही में हुए संयुक्त आर्थिक समझौतों से हमारे देश में औद्योगीकरण की संभावना पूंजी से बढ़ेगी और हमारा देश आवश्यक मामलों में आत्म-निर्भर होगा। इस समझौते से पारस्परिक सूझ-बूझ और मित्रता के माध्यम से शांति के क्षेत्र का विस्तार हुआ है।

कुछ व्यक्तियों ने आलोचना की है और यह शंका व्यक्त की है कि भारत साम्यवादी ब्लांक के सम्मुख आत्म-समर्पण कर रहा है और तेजी से सोवियत संघ के चंगुल में फंस रहा है । यह आलोचना विश्व स्थिति की जानकारी न होने के कारण की गई है ।

[श्री के० एन तिवारी **पीठासीन हुए**]

Shri K. N. Tiwary **in the Chair.**

ऐसी आशंकाओं की अभिव्यक्ति न केवल निराधार ही है अपितु इसकी निन्दा भी होनी चाहिए क्योंकि इससे लोगों पर हतोत्साहित करने वाला प्रभाव पड़ता है ।

श्री ब्रेझनेव ने अपनी यात्रा के दौरान जिस सामुहिक एशियाई सुरक्षा योजना का विचार अभिव्यक्त किया था उसके सम्बन्ध में आलोचना की गई है । हमें इस बारे में स्पष्ट होना चाहिये कि यह सुझाव मैत्रीपूर्ण है, विचार करने के लिये दिया गया है और हमारे लिये आवश्यक नहीं है कि उसे स्वीकार करें ।

विश्व में तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं और जो देश प्रगति करना चाहता है उसे विश्व के परिवर्तनों के साथ-साथ चलना चाहिये ।

भारत और अमरीका के बीच सम्बन्धों में काफी सुधार हुआ है । डा० हेनरी किसिंजर ने विकासशील विश्व में भारत की भूमिका को विशेष महत्व दिया है । अमरीका के साथ अपने सम्बन्ध सुधारने की दिशा में पी० एल० 480 के प्रश्न पर समझौता एक प्रमुख कदम है ।

हमारे अपने ही उप-महाद्वीप में पाकिस्तान के साथ शिमला में किये गये समझौते तथा तत्पश्चात् दिल्ली में हुए समझौते से स्थायी शान्ति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो गया है । इससे अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में द्विपक्षीयवाद का सिद्धान्त भी स्थापित हो गया है । बंगला देश के साथ हमारे सम्बन्ध पहले की तरह और दृढ़ होते जा रहे हैं ।

ईरान के साथ हमारे सम्बन्ध पहले से अधिक दृढ़ हो गये हैं । समय-समय पर हमारे मैत्री संबन्धों के बारे में संदेह व्यक्त किया गया है, परन्तु दोनों देशों ने इससे अपने संबन्धों को प्रभावित नहीं होने दिया है ।

चीन के साथ हमारे सम्बन्ध अभी भी सामान्य होने हैं । हमारे नेताओं ने बहुत संकेत दिये हैं परन्तु चीन अभी भी अपना उदासीन रवैया अपनाये हुए है । हम सभी विवादों को सीधे बात-चीत से हल करना चाहते हैं जैसा कि पाकिस्तान के साथ किया गया है । चीन को याद रखना चाहिये कि भारत भी एक बड़ा देश है और उसे किसी प्रकार के दबाव से प्रभावित नहीं किया जा सकता ।

हमारी विदेश नीति बहुत ही सफल सिद्ध हुई है । ऐसा हमारे विदेश मंत्री तथा प्रधान मंत्री द्वारा जटिल मामलों में बड़ी कुशलता से निपटने के कारण हुआ है ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : It is true that India obtained some importance in the international field after independence to about 10 to 12 years. The reason for this importance was the cold war between the two blocs. Both the blocs wanted to have some mediator and that role was played by India at that time. When the cold war came to an end, both the blocs did not need any mediator.

At that time in 1962, we had a conflict with China and our military weakness was exposed to the whole world. Since then our importance in the international field has been on the decline.

In order to have a successful foreign policy, a country must either have military strength or economic and industrial strength and in case it does not have any of these, it should have the powers of ideals and values. May I know from the hon. Minister whether India has tried to have some new ideals during the last 26 years ?

I would like to say that India has not done anything in this regard. Has India's foreign policy been successful in getting Portuguese colonies and the whole area of South Africa emancipated from political slavery ?

The rift which was existing between the undeveloped countries and the developed countries of Europe and America 26 years ago, has widened. Therefore, from long-term point of view, India's foreign policy has not fully satisfied this basic criterion.

Even in our own country have we been able to remove economic and social inequality? Unless we present a new ideal to the world in the matter of stepping up our economic progress and achieving self-reliance, we cannot have an effective policy.

There have been lot of changes in the world since the U.N. Charter was formulated. But India has taken no initiative in bringing about a change in the U.N. Charter.

The idea of collective security is being discussed in our country. In this regard, I have had talk to some extent with Mr. Brezhnev. He said that he had no cut and dry plan for collective security and he wanted that this idea should be discussed only. In Europe there are ancient nations and their national view-point is clear and the borders of the European Countries are also settled now. There are no pending border disputes. Their agreement for maintaining *status quo* is possible but in Asia the situation is different. There are a number of border disputes in Asia . I want to say that the arrangement arrived at in 1947 between Mountbatten, Jinnah, Nehru and Patel has not worked.

The current series of incidents show that change in the present system is round the corner. There might not be any dispute about the concept of collective security, if the borders are not changed by force. If *status quo* is maintained, the policy of collective security would prove to be a reactionary policy. We should try to evolve a common foreign policy and defence policy for India, Pakistan and Bangladesh.

The position is fluid in Asia. Therefore, the Russian leaders should themselves seriously consider about not imposing the concepts which are most suited for Europe.

India should take initiative towards all these issues. If you see at the map of Asia you would find Kerala is divided, Vietnam is divided. In West Asia, the Egyptian and Syrean land occupied by Israel should be vacated, but the main issue is that the rights of the Palestinians must also be restored. India alongwith Yugoslovakia had moved a joint resolution in UNO in 1947- 48 that a federal state may be created for Palestinians. India alongwith other Countries would make efforts to create a sovereign state for the Palestinians.

The monopoly in the form of Veto and permanent membership of a few member Countries should be done away with. We are a non-aligned nation and therefore, we should not allow any naval base or air base to any other country.

India should also make it clear that she is deadly against the monopoly of Atomic weapons by a few Countries. India should reserve the right to go neuclear. When there would be total disarmament of atomic weapons, only then India should follow suit.

The Government of India has been issuing statements frequently that it is prepared to have an agreement with Chnia, whereas Chani has not reciprocated the offer. Ultimately there has to be an agreement between India and Chnia, but why should India be in a humiliating position to have an agreement. There would be an agreement between India and China, only when India becomes a major power, when India achieves self-sufficiency in economic sphere and when various disparities in social life are done away with. New ideas in foreign policy would make our foreign policy stronger.

The Government of India should follow a creative policy.

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना) : शान्ति, मित्रता और सहयोग की भारत-रूस सन्धि भारत की वैदेशिक नीति की एक नवीन उपलब्धि है । इस सन्धि से विभिन्न क्षेत्रों में दीर्घकालीन भारत-रूस सहयोग के लिए एक सुदृढ़ आधार तैयार हुआ। दोनों देशों के बीच शान्ति और सहयोग को सुदृढ़ करने में 29 नवम्बर को जिस आर्थिक और व्यापारिक सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर हुए, वह एक बड़ा कदम है । यह सहयोग पंचशील की भावना के अनुरूप है ।

सोवियत संघ और भारत के बीच जो समझौते हुए हैं, उनकी महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि दोनों देश पारस्परिक लाभप्रद तकनीकी ज्ञान का एक दूसरे के लाभ के लिए उपयोग करेंगे। मथुरा स्थित तेल शोधक कारखाना और इसी प्रकार की अन्य नई परियोजनाओं के लिए सोवियत सरकार भारत सरकार को ऋण उपलब्ध करेगी, जिसकी मात्रा और शर्तों का निर्धारण बाद में किया जायगा। ऋण देने की शर्तों और इस बारे में ऋण सम्बन्धों को सुदृढ़ किया जायगा और उनमें सुधार किया जायगा। इससे संभवतः ऋण की अदायगी में ढील दी जायगी ।

आयोजना की प्रक्रिया, आर्थिक पूर्वानुमान संबन्धी क्षेत्रों में अनुभव और ज्ञान का आदान प्रदान करन के लिए अध्ययन दल की स्थापना करने की एक अन्य करार में व्यवस्था है ।

करारों की आलोचना करते हुए कुछ आरोप लगाये गये हैं कि भारत रूसी गुट में शामिल हो गया है अथवा देश को गिरवी रख दिया गया है । इन आरोपों का प्रधान मंत्री ने तर्कपूर्ण उत्तर दिया है । अनेक अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर भारत और रूस के समान विचार हैं । पश्चिम एशिया संकट के बारे में दोनों राष्ट्रों का विचार है कि 22 नवम्बर, 1967 के सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव को क्रियान्वित किया जाना चाहिये । अरब-इजरायल संघर्ष में भारत ने अरबों का सदैव समर्थन किया ।

अब मैं तेल संकट का उल्लेख करना चाहूंगा। युद्ध के दौरान तेल को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना तो उचित था, परन्तु युद्ध के बाद भी तेल की सप्लाई में कटौती जारी रखना और उसकी कीमत को नीलामी से तय करने से विश्व के समग्र देशों के सामने एक गंभीर संकट उत्पन्न हो जायगा, जिनमें भारत जैसे मित्र देश भी शामिल हैं । इस बारे में अरब देशों को ईरान के शाह के दृष्टिकोण पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये ।

चीन के प्रति भारत सरकार ने अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट कर दिया है, परन्तु संभवतः चीन पाकिस्तान के प्रति अपने वचनों और रूस के प्रति शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण के कारण हमारे प्रस्ताव का उचित उत्तर नहीं देगा ।

जहां तक पाकिस्तान का संबन्ध है, भुट्टो की सरकार के प्रति असीम धैर्य और सद्भाव के लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है । हमारी सद्भावना के बावजूद भुट्टो की प्रतिक्रिया निराशाजनक रही है । हमें फिर भी आशा है कि हमारी सरकार मित्रता और सहयोग की नीति पर चलती रहेगी जिससे कि इस उप-महाद्वीप में गरीबी को समाप्त किया जा सकें ।

पी० एल० 480 ऋण समझौते में संयुक्त राज्य अमेरीका ने भारत के प्रति काफी उदारता दिखाई है और हमें आशा है कि अगर इसी प्रकार के मार्ग का हम अनुसरण करेंगे, तो अमेरिका के साथ हम अधिक अच्छे सम्बन्धों को स्थापित कर सकेंगे ।

भारत ने हजारों वर्ष के इतिहास में कभी किसी भी राष्ट्र पर आक्रमण नहीं किया, जबकि पिछले 25 वर्षों के दौरान भारत पर चार बार हमला किया जा चुका है। हमें अब भी पंचशील के सिद्धान्त का परिपालन करना चाहिये और राष्ट्र संघ का समर्थन करना चाहिये, ताकि अन्ततोगत्वा समग्र विश्व के लिए एक संघीय सरकार का स्वप्न पूरा हो सके ।

श्री हरिकिशोर सिंह (पुपरी) : तेजी से बदल रहे इस विश्व समुदाय में हमारी सरकार अपनी विदेश नीति के संचालन के लिए बधाई की पात्र है । (**व्यवधान**)

हमारी विदेश नीति में कुछ भी कमियां क्यों न रही हो, परन्तु उसमें आदर्शवाद की कभी भी कमी नहीं रही । हमारी विदेश नीति ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक नवीन मार्ग प्रशस्त किया जिसकी विश्व के प्रबुद्ध विचारकों ने प्रशंसा की है । श्री मधु लिमये का विदेश नीति के बारे में कथन दुर्भावनापूर्ण और शरारत से भरा है ।

सेवा-निवृत्त सरकारी अधिकारियों को राजदूत नियुक्त करने की श्री श्यामनन्दन मिश्र ने आलोचना की है । जनसेवकों को भी इन पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिये। (**व्यवधान**) मेरा विश्वास है कि सेवा निवृत्त सरकारी अधिकारी विदेशों में हमारी विदेश नीति का सफलतापूर्वक संचालन कर सकते हैं । इस बारे में हमें श्री हक्सर की भूमिका को सराहना करनी पड़ेगी।

हमारी सरकार ने अन्य देशों के साथ ही मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित नहीं किये हैं, बल्कि मित्र देशों के साथ अपने संबंधों को और अधिक सुदृढ़ किया है । इसके लिये सरकार बधाई और सराहना की पात्र है ।

सामूहिक एशियाई सरकार की विचारधारा के बारे में शंकायें प्रकट की गई हैं । हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे ऐतिहासिक अनुभव यूरोपीय अनुभवों से भिन्न प्रकार के रहे हैं ।

सभी यूरोपीय देश, चाहे उनकी विचारधारा और राजनीतिक व्यवस्थाएं कुछ भी हैं, सामूहिक सुरक्षा संधियों या सद्भावना के हक में हैं । किन्तु वर्तमान राजनीतिक स्थिति में एशियाई देशों का अनुभव कुछ भिन्न प्रकार का है । ये सैनिक करारों और इस प्रयोजनार्थ बुलाये गये सम्मेलनों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं । श्री ब्रेझनेव की भारत यात्रा के दौरान केन्द्रीय सरकार ने इस मामले पर उचित प्रक्रिया दिखाई है। उसके लिये मैं भारत सरकार को बधाई देता हूं । दूसरी समस्या हिन्द महासागर के सम्बन्ध में है । वहां अब युद्ध जैसी गतिविधियां के कारण तनाव बन गया है । जहां तक पड़ौसी देशों से सम्बन्ध सुधारने का प्रश्न है, इस ओर प्रयास करना चाहिए । किन्तु हमारे विदेश मंत्री के लिये चीन जाना और वहां की सरकार से सम्बन्ध सामान्य बनाने की भीख मांगना भी उचित नहीं है । जब तक चीन का आक्रमण हमारी भूमि पर विद्यमान है तब तक उससे सम्बन्ध सामान्य होना सम्भव नहीं है । साथ ही दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ सम्बन्धों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए । इन देशों की आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हमारी पंचवर्षीय योजना बनाई जानी चाहिये ताकि उनकी आर्थिक योजनाओं से हमारी योजनाएं मेल रखा सकें । इन शब्दों के साथ मैं भारत सरकार की विदेश नीति का समर्थन करता हूं ।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोजोकोड) : सभापति महोदय, आर्थिक नीति और गृह नीति के बारे में सरकार से हमारे "मतभेद" हैं, किन्तु मैं यह निस्संकोच कहना चाहता हूं कि हम सरकार की विदेश नीति की सराहना करते हैं । संसार के विभिन्न भागों में हाल में उत्पन्न हुई विभिन्न समस्याओं के बारे में जो रुख भारत सरकार ने अपनाया है उसकी भी हम सराहना करते हैं। हाल ही के पश्चिम एशियाई तथा इजराइली आक्रमण के बारे में हमारी सरकार ने जो रवैया अपनाया है हम उसका भी समर्थन करते हैं । अरब देशों की एकता ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि इजराइल अजेय नहीं है । इजराइल अरब देशों के बीच कैंसर के समान है जिसके दूर किये जाने से ही उस क्षेत्र में शान्ति स्थापित हो सकती है । इजराइल देश को साम्राज्यवादी और विस्तारवादी शक्तियां अपने हित-साधन के लिये अस्तित्व में लाई थीं । अतः अरब देशों का समर्थन करके और इजराइल के आक्रमण की भर्त्सना करके हमारे देश ने फिलिस्तीन के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया है और उसने उचित विदेश नीति का अनुसरण किया है । इस नीति से हमारे देश को पूरे विश्व में ख्याति मिली है । हाल ही में जेनेवा में एक सम्मेलन होने वाला है । हमें प्रसन्नता है कि न केवल इजराइल बल्कि मिश्र, जोर्डन और सीरिया जैसे देश भी मिलजुल कर बैठेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान खोजेंगे जिससे पश्चिम एशिया में शान्ति स्थापित हो जाये और आक्रमण खाली कर दिया जाये । किन्तु मैं चाहता हूं कि यह मामला रूस और अमरीका जैसी महाशक्तियों के हाथ में न छोड़ा जाये क्योंकि ये यहां भी अपना ही हित साधेगी । जैनेवा सम्मेलन में भी हमारी सरकार को वैसा ही रुख अपनाना चाहिए जैसाकि हमारे देश ने सुरक्षा परिषद में अपनाया था । मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे अरब देशों पर इजराइल का आक्रमण समाप्त हो जायेगा और लाखों फिलिस्तीनी लोग अपनी मातृभूमि को लौट जायेंगे । साथ ही यरुसलम नामक प्राचीन नगर मुस्लिमानों को मिल जायेगा जिससे मुसलमानों का भावनात्मक लगाव है ।

जहां तक भारत-पाक सम्बन्धों का प्रश्न है, मैं भारत के पक्ष का समर्थन करता हूं और युद्ध बंदियों की अदला-बदली का स्वागत करता हूं । मैं यह आशा भी करता हूं कि श्री भुट्टो बंगलादेश को मान्यता प्रदान करेंगे और इस उप महाद्वीप के तीनों देशों--भारत, बंगलादेश और पाकिस्तान के बीच स्वस्थ सम्बन्ध स्थापित करने में सहायक होंगे जिससे इस उप महाद्वीप के लोग प्रगति करेंगे और खुशहाली की ओर बढ़ेंगे ।

एक समाजवादी महान देश रूस के नेता श्री ब्रेझनेव की भारत यात्रा का भी मैं स्वागत करता हूं। इससे हमारे आर्थिक विकास को सहायता मिलेगी। एशियाई सामूहिक सुरक्षा की चर्चा कई सदस्यों ने की है, किन्तु उसकी रूपरेखा किसी ने भी स्पष्ट नहीं की। यहां तक कि श्री ब्रेझनेव ने भी इस बारे में इतना ही कहा कि पारस्परिक वार्ता के पश्चात् इसका स्वरूप बनेगा। आर्थिक क्षेत्र में रूस ने हमारी जो सहायता और समर्थन किया है, हम उसके लिये आभार प्रकट करते हैं। परन्तु हमें रूस पर पूर्णतः निर्भर नहीं होना चाहिये। हमें अपनी तटस्थ नीति से नहीं डिगना चाहिये। हमारी नीति स्वतंत्र होनी चाहिए जो अपने देश के हित में हो और जिससे अमरीका के साथ ही मित्रता के सम्बन्ध बने रहें। मैं अमरीका के साथ हुए पी० एल० 480 करार का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि हमारे विदेश मंत्री की शान्तिप्रिय नीति हमारे देश और देशवासियों के लिए हितकारी सिद्ध होगी।

श्री सैयद अहमद आगा (बारामुल) : सभापति महोदय, यह कहा गया है कि हम रूस के साथ जुड़ते जा रहे हैं और उसके पिट्ठू बन गये हैं। मेरे विचार से यह कहना मूर्खता है। मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि हमारा रूस के समीप होने का कारण यह है कि अनेक विषयों पर हमारे विचार समान हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार करते समय हमें यह देखना है कि आज विश्व की स्थिति क्या है और उसमें भारत क्या भूमिका निभा रहा है। आज विश्व की दो शक्तियों, अर्थात् रूस और अमरीका के बीच शान्ति है क्योंकि वे बड़े पैमाने पर जनसंहार नहीं चाहते जिसमें उनके अपने देशवासी भी शामिल हो जायेंगे। किन्तु विश्व में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां शान्ति नहीं है। हिन्द-चीन और वियतनाम में अशान्ति है। कम्बोदिया में 80 प्रतिशत क्षेत्र आजाद कराया जा चुका है किन्तु वहां अभी भी साम्राज्यवादी विद्यमान हैं। दक्षिण कोरिया में साम्राज्यवादी ही एकीकरण नहीं होने दे रहे हैं। इन्हीं लोगों ने अरब भूमि पर इजराइल को जन्म दिया जिससे वहां झगड़ा होता रहता है। अफरीका में उपनिवेश हैं और जातिभेद की नीति के कारण वहां झगड़े होते रहते हैं। अमरीका साम्राज्यवाद अब हिन्द महासागर में भी 'टास्क फोर्स' के रूप में उतर आया है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि अमरीका यह चाहता है कि ईरान से इजराइल को तेल की सप्लाई यथावत बनी रहे। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिये कि हिन्द महासागर शान्ति का क्षेत्र बना रहे क्योंकि हमारा हित इसी में है।

जहां तक एशियाई सामूहिक सुरक्षा का प्रश्न है, हम उस विचार का समर्थन करते हैं, इसलिये नहीं कि यह श्री ब्रेझनैव की ओर से आया है, बल्कि इसलिये कि 1947 में पंडित जवाहरलाल जी ने स्वयं यह विचार एशियाई सम्बन्ध सम्मेलन (एशियन रिलेशन्स कान्फेरेन्स) में रखा था। मैं विदेश मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि एशिया में सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये क्या योजनाएं बनाई जा रहीं हैं।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी नीति ऐसी होनी चाहिये जिससे पश्चिम एशिया में स्थायी शान्ति स्थापित हो जाये, एशियाई सामूहिक सुरक्षा की कल्पना साकार हो जाये वियतनाम में पेरिस समझौता अविलम्ब लागू हो जाये तथा अमरीका और फ्रांस जैसी बड़ी शक्तियों को पाकिस्तान को शस्त्र देने से रोका जा सके क्योंकि इससे पाकिस्तान को शान्ति का झूठा घमंड हो जायेगा।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मुझे खेद है इस महत्वपूर्ण वाद-विवाद के लिये आबंटित समय में कमी कर दी गयी है।

श्री स्वर्ण सिंह लगभग गत एक दशक से विदेश मंत्री बने हुए हैं । हम उनकी वाग्कुशलता, सहनशीलता और कूटनीति के बारे में जानते हैं । यदि मेरे पास अधिक समय होता जो मुझे कुछ अच्छी बातों की सराहना करने से प्रसन्नता होती जो उन्होंने तथा सरकार ने की हैं । मुझे आशा हैं कि वह मेरे द्वारा कुछ पहलुओं की कटु आलोचना किये जाने के कारण अप्रसन्न नहीं होंगे ।

मैं दो बड़े राष्ट्रों अर्थात् सोवियत संघ तथा अमरीका के साथ हमारे देश के संबंधों के बारे में कहूंगा । हमें बहुत ही प्रसन्नता हुई है कि सोवियत संघ के महान नेता श्री ब्रेझनेव ने गत मास हमारे देश की यात्रा की है । उन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की । मेरी इच्छा है कि श्री ब्रेझनेव की यात्रा को राजनीतिक महत्व की अपेक्षा राष्ट्रीय महत्व की माननी जाये । यह एक अच्छी बात है कि सोवियत संघ के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। हम रूस द्वारा समय समय पर खाद्य तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में सहायता देने के लिये उसके आभारी हैं । परन्तु मैं श्री ब्रेझनेव की यात्रा के संबंध में एक चेतावनी देना चाहता हूं कि हमें श्री ब्रेझनेव और सोवियत संघ के भ्रातृपूर्ण आचरण की सम्भावित बातों का ध्यान रखना चाहिये ।

यदि हम ब्रेझनेव के सीमित प्रभुसत्ता के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं तो हमारी आत्म सम्मान और आत्म निर्भरता ही समाप्त हो जायेगी किन्तु हमें ऐसा नहीं करना चाहिये जिससे यह प्रतीत होने लगे । हम जानकर अथवा अनजाने ही सोवियत संघ की ओर अधिक झुकते चले जा रहे हैं। रूस से मित्रता का अर्थ अन्य बड़ी शक्तियों एवं निश्चय ही एक अन्य बड़े राष्ट्र अमरीका की मित्रता खोना नहीं होना चाहिये हमारी मित्रता समानता के आधार पर नहीं होनी चाहिये । हमें रूसी नेता के एशियाई सामूहिक सुरक्षा के विचार में खो नहीं जाना चाहिये । हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिये कि अक्तूबर के शान्ति सम्मेलन में रूसियों ने इसी विचार की खिल्ली उड़ाई थी । मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार अभी तक इस जाल में नहीं फंसी है । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सावधान रहे तथा इस चरण पर एशियायी सामूहिक सुरक्षा के विचार की ओर ध्यान न दें ।

हमें अमरीकियों तथा निक्सन प्रशासन को अलग अलग मानना चाहिये । हम यह आभास नहीं देना चाहते कि भारतीय लोकतंत्र अथवा भारतीय जनता अमरीकी जनता के विरुद्ध है । हमें अमरीकी जनता की मित्रता की आवश्यकता है और हमें आशा है कि आगामी मास जब डा० किसिंजर भारत आयेंगे तो विदेश मंत्री के साथ उनकी बातचीत लाभदायक होगी । ताकि रूस को तरह अमरीका भी वर्तमान कठिनाइयों से भारत को निकलने में सहायता दे सके ।

गुट-निरपेक्षता के बारे में वर्ष 1961 से लेकर 1973 तक के सभी सम्मेलनों में हम यही देख रहे हैं कि गुट-निरपेक्षता का अर्थ बदलता जा रहा है । मैं चाहता हूं कि भारत सरकार को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिये और उसे सर्वथा नयी स्थिति को देखते हुए अपनी गुट निरपेक्षता तथा रवैये को अपनाना चाहिये ।

मैं प्रसन्न हूं कि बंगला देश के संबंध में हमारा रवैया अच्छा है । हमारी सरकार को समानता तथा आत्म सम्मान के आधार पर पाकिस्तान तथा चीन के साथ बातचीत के लिये निश्चित पग उठाने चाहियें ।

Shri Shanker Dev (Bidar) : We are today talking of Asian Security. Talks regarding African Unity and European Trinity are going on. It is better if we think on world security

instead of discussing Asian Collective Security or African Collective Security or European Trinity, because if nations remain as separate entitis, only two nations would be destroyed in case there is any war. No peace can be established unless world security is maintained.

The idea of security has emerged from a sense of fear and apprehension of war. It is no thing more than self-defence. therefore, we should rather think of collective co-existence. We should try to achieve collective friendship which would be a positive thing. I have only to say that our External Affairs Ministry should, therefore, activise all embassies and missions abroad and set up a Directorate, if possible, for the propagation of Panchsheel.

Some reforms should be introduced in the U.N. Charter with a view of converting U.N.O. into a World Government. The principle of 'One nation' 'One Vote' is outdated. There must be some principle behind vesting the Security Council with the power of Veto. The External Affairs Ministry must do something in this regard. We should take some steps to introduce these reforms and prove to the world that India stands for world peace.

I hope that the External Affairs Ministry would consider the suggestions made by me. We should advocate the idea of world security instead of single nation's security.

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : सभापति महोदय, मैं आप की अनुमति से अपना भाषण कल जारी रखूंगा। मैं ने काफ़ी रुचि के साथ इस वाद-विवाद को सुना है ।

सभापति महोदय: आप अपना भाषण कल जारी रखें ।

इस के पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार 21 दिसम्बर, 1973/30 अग्रहायण 1895 (शक) को 11 ग्यारह बजे म. पू. तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, Decembar 21, 1973/ Agrahayana 30, 1895 (Saka)

MGIPRRND—Sec. V Day—54 LSS/73—30-4-74—490